सत्यमेव जयते

पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका

2023

मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान

शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान

Website : ceorajasthan.nic.in | E-mail : ceo_rajasthan@nic.in

Disclaimer

यह पुस्तक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी **"HANDBOOK FOR PRESIDING OFFICER 2023 (EDITION - 2)"** का हिन्दी अनुवाद है। आयोग द्वारा जारी अंग्रेजी संस्करण का हिन्दी अनुवाद करते हुये इस पुस्तक को तैयार करने में पूर्णत: सावधानी बरती गई है तथापि यदि कोई लोप/विसंगति हो तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अंग्रेजी संस्करण तथा अद्यतन निर्देश ही मान्य होंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान

शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान

Website : ceorajasthan.nic.in | E-mail : ceo_rajasthan@nic.in

संक्षिप्ताक्षर और परिवर्णी शब्द	
AC (एसी)–	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
AIS (एआईएस)–	अतिरिक्त सूचना पत्रक
AERO (एईआरओ)–	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
ASD (एएसडी)–	अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत
BEL (बीईएल)–	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
BLO (बीएलओ)–	बूथ लेवल अधिकारी
BU (बीयू)–	मतदान इकाई
ECI (ईसीआई) –	भारत निर्वाचन आयोग
ERO (ईआरओ) –	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
CAPF (सीएपीएफ)–	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल
CSV (सीएसव्ही)–	वर्गीकृत सेवा मतदाता
CU (सीयू) –	नियंत्रण इकाई
DEO (डीईओ) –	जिला निर्वाचन अधिकारी
ECIL (ईसीआईएल)–	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
EPIC (ईपीक) –	निर्वाचक फोटो पहचान पत्र
EVM (ईवीएम)–	इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
MO (एमओ)–	सूक्ष्म पर्यवेक्षक / प्रेक्षक
NOTA (नोटा) –	इनमें से कोई नहीं
PC (पीसी) –	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
PER (पीइआर) –	फोटो निर्वाचक नामावली
PO1 (पीओवन) –	प्रथम मतदान अधिकारी
PO2 (पीओटू) –	द्वितीय मतदान अधिकारी
PO3 (पीओथ्री) –	तृतीय मतदान अधिकारी
PPS (पीपीएस)–	गुलाबी पत्र मुद्रा (Seal)
PrO (पीआरओ) –	पीठासीन अधिकारी
PS (पीएस)–	मतदान केन्द्र
PV (पीव्ही) –	प्रॉक्सी (परोक्षी) मतदाता
RO (आरओ) –	रिटर्निंग अधिकारी
SO (एसओ)–	सेक्टर अधिकारी
VAB (व्हीएबी)–	मतदाता सहायता बूथ
VIP LIST (वीआईपी लिस्ट) –	महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सूची
VIS (वीआईएस)–	मतदाता सूचना पर्ची
VVPAT (वीवीपैट) –	मतदाता सत्यापनीय पेपर अंकेक्षण ट्रेल

विषय सूची

खण्ड–I : अध्याय

अध्याय–01	प्रारंभिक	पृष्ठ संख्या
1.1	परिचय	2
1.2	वैधानिक (कानूनी प्रावधान)	2
1.3	मतदान दल	2
1.4	मतदान संबंधी प्रशिक्षण	2
1.5	डाक मतपत्र के लिए आवेदन	3
1.6	मतदान सामग्री	3
1.7	ईवीएम तथा वीवीपैट की जाँच (परीक्षण)	3
1.8	मतदान सामग्री की जाँच (परीक्षण)	4
1.9	फोटो युक्त निर्वाचक नामावली	5
1.10	एकल निर्वाचन में मतदान अधिकारियों के कर्तव्य	6
1.11	एक साथ होने वाले निर्वाचन में मतदान अधिकारियों के कर्तव्य	8
1.12	पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य	9
1.13	मतदान समाप्ति	11
1.14	सेक्टर अधिकारी	12
1.15	मतदाता सहायता बूथ	12
अध्याय–02	**मतदान केन्द्रों की स्थापना एवं सुरक्षा व्यवस्था**	**13**
2.1	मतदान केन्द्र पर आगमन	13
2.2	मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति	13
2.3	एकल निर्वाचन में मतदान केन्द्र की स्थापना	13
2.4	एक साथ होने वाले निर्वाचन में मतदान केन्द्र की स्थापना	14
2.5	एक साथ होने वाले निर्वाचन में मतदान प्रक्रिया	15
2.6	अन्य सावधानियाँ	16
2.7	सूचना का प्रदर्शन	16
2.8	मतदान केन्द्रों में प्रवेश के लिए पात्र (अधिकृत) व्यक्ति	17
2.9	मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति एवं प्रतिसंहरण (रद्द करना)	18
2.13	मतदान अभिकर्ताओं के लिए पास	19
2.14	मतदान केन्द्र में मतदान अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्था	19
2.15	मतदान केन्द्र में धूमपान का निषेध	20
2.16	मतदान केन्द्र में प्रेस प्रतिनिधियों, फोटोग्राफरों और वीडियोग्राफी के लिए सुविधाएँ	20

2.17	फोटोग्राफी / वीडियोग्राफी	21
2.18	मतदान केन्द्र में वेबकास्टिंग का उपयोग	22
2.19	आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों के लिए सुविधाएँ	22
2.20	माइक्रो – पर्यवेक्षक	23
2.21	मतदान केन्द्र में बैज इत्यादि लगाये रखना	24
2.22	मतदान केन्द्रों में सुरक्षा व्यवस्था	24
अध्याय–03	**ईवीएम और वीवीपैट की सेटिंग एवं तैयारी**	26
3.1	ईवीएम एवं वीवीपैट का परिचय	26
3.1.1	इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन (ईवीएम)	26
3.1.2	वोटर वेरीफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट)	29
3.2	मॉकपोल के पूर्व ईवीएम और वीवीपैट का संयोजन और मॉकपोल का संचालन	30
3.2.1	दिखावटी मतदान (मॉकपोल) के पूर्व बीयू.सीयू और वीवीपैट का संयोजन	30
3.3	मॉकपोल का संचालन	32
3.3.4	दिखावटी मतदान प्रारंभ करने के पूर्व ईवीएम तथा वीवीपैट को 'क्लियर' करने का प्रदर्शन	32
3.3.5	मॉकपोल के संचालन के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया	33
3.4	मॉकपोल के पूर्ण होने उपरांत तथा वास्तविक मतदान प्रारंभ करने के पूर्व कन्ट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट को सीलबंद करना	35
3.4.1	कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम अनुभाग (रिजल्ट सेक्शन) को ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग तथा एड्रैस टैग से सीलबंद करना	35
3.4.2	वास्तविक मतदान के लिए तैयार ईवीएम और वीवीपैट	37
3.4.3	ईवीएम के प्रतिस्थापन की स्थिति में मॉकपोल	37
3.4.4	गंभीर त्रुटियाँ	38
3.4.5	पेपर सील्स का लेखा	38
3.5	इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) को संभालते (हैण्डलिंग करते) समय क्या नहीं करना चाहिए	38
3.6	मतदान दिवस पर मतदान दलों को ईवीएम एवं वीवीपैट पर निर्देश	40
3.7	वास्तविक मतदान के पूर्व या दौरान में ईवीएम और वीवीपैट का प्रतिस्थापन (बदलना) :	41

अध्याय–04	मतदान प्रक्रिया	42
4.1	मतदान केन्द्र के अंदर एवं आसपास निर्वाचन कानून का क्रियान्वयन	42
4.2	मतदान का प्रारंभ	43
4.3	निर्वाचक की पहचान का सत्यापन एवं चुनौती के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया	45
4.3.1	निर्वाचक की पहचान का सत्यापन	45
4.3.2	अनुपस्थित मतदाता को जिन्हें डाक मतपत्र जारी किए गए –	47
4.3.3	मृत, अनुपस्थित एवं अभिकथित फर्जी मतदाताओं की सूची	47
4.3.4	नामावली में लिपिकीय और मुद्रण संबंधी त्रुटियों की अनदेखी करना	47
4.3.5	किसी भी मतदाता के पंजीकरण के संबंध में प्रश्न न उठाया जाना	47
4.4	मतदाता को अपना मत देने के पूर्व अमिट स्याही का लगाया जाना और उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेना	47
4.4.1	मतदाता की बायीं तर्जनी का निरीक्षण और अमिट स्याही का लगाया जाना	47
4.4.2	नए सिरे से मतदान(पुनर्मतदान)/प्रत्यादिष्ट मतदान में अमिट स्याही का प्रयोग	48
4.4.3	निर्वाचक की बायीं तर्जनी न होने की स्थिति में अमिट स्याही का लगाया जाना	48
4.4.4	मतदाता रजिस्टर में मतदाता की निर्वाचक नामावली का संख्यांक दर्ज करना	48
4.4.5	मतदाता के हस्ताक्षर की परिभाषा	49
4.4.6	मतदाता के अंगूठे का निशान	49
4.4.7	दृष्टिबाधित, शिथिलांग या कुष्ठ रोगी निर्वाचकों द्वारा मतदाता रजिस्टर(पंजी) में हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	49
4.4.8	निर्वाचक (मतदाता) को मतदान पर्ची जारी करना	50
4.5	मतों एवं मतदान प्रक्रिया की रिकार्डिंग (दर्ज किया जाना)	50
4.5.1	मत डालना	50
4.5.2	मत डालने के लिए मतदाता को अनुमति देना	50
4.5.3	मतदान प्रक्रिया	51
4.5.4	डाले गए मतों की संख्या का समय–समय पर मिलान करना	51
4.5.5	मतदान के दौरान मतदान प्रकोष्ट में पीठासीन अधिकारी को प्रवेश का अधिकार	52

4.6	वास्तविक मतदान के दौरान ईवीएम और वीवीपैट का प्रबंधन	52
4.6.1	वास्तविक मतदान के दौरान यूनिटों का प्रतिस्थापन (बदलना)	52
4.6.2	ईवीएम/वीवीपैट के प्रतिस्थापन के लिए तैयार किये जाने वाला प्रतिवेदन	54
4.6.3	पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का संग्रहण	54
अध्याय–05	**विशेष प्रकरण**	**55**
5.1	मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इंकार	55
5.2	दृष्टि बाधित या शिथिलांग मतदाता के द्वारा मत डालना	55
5.3	मत न डालने का निर्णय करने वाले मतदाता	56
5.4	निर्वाचन ड्यूटी में संबद्ध लोक सेवकों द्वारा मतदान	57
5.4.5	मतदाता (निर्वाचक) के द्वारा ईडीसी के माध्यम से मत डालना	57
5.5	प्रॉक्सी (परोक्षी) द्वारा मतदान	57
5.6	निविदत्त मत	58
5.6.4	निविदत्त मतपत्रों का लेखा	58
5.6.5	उन मतदाताओं का रिकार्ड, जिन्हें निविदत्त मतपत्र जारी किए गए	58
5.7	अभ्याक्षेपित (चुनौती) मत	59
5.7.2	मतदाता की पहचान को चुनौती देना	59
5.7.3	चुनौती फीस (चैलेन्ज फीस)	59
5.7.4	संक्षिप्त पूछताछ	59
5.7.5	चुनौती की शुल्क की वापसी एवं जप्ती	59
5.8	मतदाता जिन्हें आप अर्हता आयु से कम मानते है	59
5.9	परीक्षण मत	60
अध्याय–06	**बलवे, बूथ पर कब्जा इत्यादि के कारण मतदान का स्थगन/रोक**	**61**
6.1	बलवे के कारण मतदान का स्थगन	61
6.2	स्थगित मतदान को पूर्ण किया जाना	61
6.3	मतदान मशीन की विफलता, बूथ पर कब्जा इत्यादि करने के कारण मतदान का रोका जाना	62
6.4	बूथ पर कब्जे के मामले में मतदान मशीन का बन्द किया जाना	62
अध्याय–07	**मतदान की समाप्ति**	**63**
7.1	मतदान समाप्त होने के समय मतदान केन्द्र में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मतदान	63
7.2	मतदान की समाप्ति	63
7.3	रिकार्ड (दर्ज) किए गए मतों का लेखा	64

7.3.1	रिकार्ड (दर्ज) किए गए मतों का लेखा तैयार करना	65
7.3.2	मतदान अभिकर्ताओं को दर्ज (रिकार्ड) किए गए मतों के लेखों की अनुप्रमाणित प्रतियों का दिया जाना	65
7.3.3	मतदान समाप्ति पर की जाने वाली घोषणा	65
7.4	मतदान समाप्ति के पश्चात् ईवीएम तथा वीवीपैट का मुहरबंद (सीलबंद) किया जाना	65
7.5	निर्वाचन से संबंधित दस्तावेजों की मुहरबंदी	66
7.5.1	निर्वाचन दस्तावेजों को पैकेटों में मुहरबंद करना	67
7.5.2	सांविधिक, गैरसांविधिक लिफाफों तथा निर्वाचन सामग्री की पैकिंग	67
7.5.3	लिफाफों की मुहरबंदी	68
7.6	डायरी तैयार करना और मतदान मशीनों, वीवीपैट तथा निर्वाचन दस्तावेजों को संग्रहण केन्द्रों पर सुपुर्द करना	69
7.6.1	पीठासीन अधिकारी की डायरी तैयार करना	69
7.6.2	रिटर्निंग ऑफीसर को ईवीएम, वीवीपैट तथा निर्वाचन दस्तावेजों का हस्तांतरण	69
अध्याय 08	**भ्रष्ट आचरण और निर्वाचकीय अपराध**	**70**
8.1	निर्वाचन प्रचार पर रोक	70
8.2	मतदाताओं को मतदान करने से रोकना	70
8.3	मतदाताओं के परिवहन के लिए वाहनों को अवैध तरीके से भाड़े पर लेना	70
8.4	मतदान केन्द्र से मतदान मशीन एवं/या अन्य मतदान सामग्री को हटाया जाना अपराध माना जायेगा।	70
8.5	अव्यवस्था फैलाने वाले व्यक्तियों को हटाना	71
8.6	मतदान अधिकारियों द्वारा पदीय कर्तव्यों की अवहेलना	71
8.7	मतदान केन्द्र में या इसके निकट सशस्त्र जाने पर प्रतिबंध	71
8.8	प्रतिरूपण का मामला	71
8.9	बूथ पर कब्जा करने का अपराध	71
अध्याय–09	**पीठासीन अधिकारीयों/मतदान अधिकारियों के लिए कार्यवाही योग्य बिन्दुओं पर एक नजर।**	**72**
9 A	सामान्य त्रूटियाँ	76
9 B	क्या करें और क्या न करें	76
9.B.1	वीवीपैट के उपयोग के समय क्या करें और क्या न करें	76
9.B.2	**वीवीपैट के अतिरिक्त और क्या करें और क्या न करें**	77

खण्ड–II : अनुलग्नक

अनुलग्नक क्र.	विषय	पृष्ठ संख्या
अनुलग्नक 01	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से उद्धरण	79
अनुलग्नक–02	निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के उद्धरण	86
अनुलग्नक–03	मतदान केन्द्र के लिए मतदान सामग्री की सूची	96
अनुलग्नक–04	चिन्हित प्रति के रूप में उपयोग किए जाने वाले नामावली के संबंध में प्रमाण पत्र	100
अनुलग्नक–05	पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन	101
अनुलग्नक–06	पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा	108
अनुलग्नक–07	पीठासीन अधिकारी की डायरी	114
अनुलग्नक–08	फार्म (प्ररूप) 17C	117
अनुलग्नक–09	पीठासीन अधिकारियों के द्वारा विभिन्न स्तरों पर संपादित किए जाने वाले कार्यो की रूपरेखा	119
अनुलग्नक–10	पीठासीन अधिकारी के लिए चेक मेमो	123
अनुलग्नक–11	मतदान अभिकर्ताओं/स्थानापन्न अभिकर्ता गतिविधिक पत्रक	124
अनुलग्नक–12	प्रवेश पास का नमूना	125
अनुलग्नक–13	मतदान अभिकर्ताओं का जारी किए गए प्रवेश पास का लेखा	126
अनुलग्नक–14	निर्वाचक का घोषणा पत्र, जिसका नाम, अनुपस्थित/स्थानांतरित/मृत (ASD) लिस्ट में है	127
अनुलग्नक–15	निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा का प्रारूप	128
अनुलग्नक–16	कम आयु वाले निर्वाचकों से संबंधित सूची	129
अनुलग्नक–17	नियम 49 MA के अंतर्गत घोषणा	131
अनुलग्नक–18	दृष्टिबधित या शिथिलांग मतदाता के साथी द्वारा घोषणा	132
अनुलग्नक–19	रसीद पुस्तिका	133
अनुलग्नक–20	थाना प्रभारी (SHO Police) को शिकायती पत्र	134
अनुलग्नक–21	मतदान अधिकारियों द्वारा मतदान की तैयारी के दौरान, CU-BU-VVPAT की विफलताओं/त्रुटियों को निराकरण	135
अनुलग्नक–22	फार्म M 21 –मतदान के पश्चात् निर्वाचन लेखा एवं सामग्री वापसी रसीद	136
अनुलग्नक–23	वोटिंग कम्पार्टमेंट आयाम, कम्पार्टमेंट में मतदान इकाईयों का रखा जाना, वोटिंग कम्पार्टमेंट का वेब कैमरा में दिखाई देना (मतदान की गोपनीयता को भंग किये बिना)	138

कर्तव्यों की संक्षिप्त रूप रेखा

मतदान प्रशिक्षण के दौरान

- नियम व कानून, प्रावधानों एवं भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा–निर्देशों की पूर्ण समझ
- EVM/VVPAT की कार्यप्रणाली की सही (उचित) समझ
- यदि आवश्यक हो तो डाक मतपत्र / इडीसी के लिए आवेदन करें।
- विभिन्न सांविधिक तथा असांविधिक प्रपत्रों को भरने का तरीका (कैसे भरे)

वितरण केन्द्र पर

- लिस्ट (अनुलग्नक–3) के अनसार मतदान सामग्रियों एवं ईवीएम / वीवीपैट मशीनों का संग्रहण
- सामग्री जिन पर विशेष ध्यान देना है: निविदत्त मतपत्र, ब्रेल बैलेट शीट, मतदाता रजिस्टर (प्रपत्र–17A) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति, प्रपत्र–17C, पीठासीन अधिकारी की डायरी टैग, मुहर, ASD, CSV की सूची अभ्यर्थियों के नमूने (प्रतिरूप) के हस्ताक्षर, हरी पेपर मुद्रा, गुलाबी पत्र मुद्रा, काला लिफाफा, सेलो टेप, प्ररूप 7(A) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची
- डाक मतपत्र से मत डालना या इडीसी संग्रहण, यदि पूर्व में आवेदन किया हो

मतदान के पूर्व

- मतदान केन्द्र की स्थापना
- EVM & VVPAT से मॉक पोल कराना
- कन्ट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित परिणाम को VVPAT के मॉक पोल पर्चियों से मिलान करना
- मॉक पोल के परिणाम को CU से क्लियर करना तथा VVPAT ड्राप बाक्स से मॉक पोल की पर्चियों को हटाना
- VVPAT मॉक पोल पेपर पर्चियों के पृष्ठ भाग पर स्टाम्प लगाकर काले लिफाफे में रखकर लिफाफे को गुलाबी पेपर मुद्रा से मुहरबंद करना

मतदान के दौरान

- मतदान की गोपनीयता पर अभ्यर्थियों / मतदान अभिकर्ताओं की ब्रीफिंग
- मतदान की घोषणा को जोर से पढ़ना तथा अभ्यर्थी / मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त करना
- फार्म 17Aमें प्रविष्टियाँ दर्ज करना। ईवीएम एवं वीवीपैट का सही संचालन
- प्रथम मतदाता के हस्ताक्षर करने के पूर्व मतदान अधिकारी 1 और पीठासीन अधिकारी द्वारा फॉर्म 17A में प्रमाण–पत्र दर्ज करना
- समय–समय पर फार्म 17A में दर्ज संख्या को CU के टोटल के साथ मिलान करना तथा मतदान की स्थिति से रिटर्निंग अधिकारी को अवगत कराना।

मतदान सामाप्ति के समय

- मतदान समाप्ति के समय पंक्ति में खड़े मतदाताओं को नंबर अंकित पर्चियाँ प्रदान करना
- पंक्ति में खड़े सभी मतदाताओं के द्वारा मत देने के उपरांत क्लोज बटन दबाएं।
- VVPAT पॉवर पैक (बैटरी) को हटाएं
- EVM/VVPAT मशीनों को उचित वहन बक्सों में रखकर मुहरबंद करें।
- सांविधिक एवं असांविधिक दस्तावेजों की मुहरबंदी
- फार्म 17C के भाग I में सभी मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेना तथा सभी मतदान अभिकर्ताओं को इसकी प्रमाणित प्रति प्रदान करना है।
- सभी निर्वाचन सामग्रियों को संग्रहण केन्द्र पर जमा करने सुरक्षा काफिले के साथ जाएं।

मॉक पोल संचालित करना

मतदान केन्द्र को तैयार

- पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारियों एवं मतदान अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्था
- मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन न हो तथा मतदान **प्रकोष्ठ** का आंतरिक भाग किसी को दिखाई नहीं दे।

वोटिंग कम्पार्टमेंट

- वोटिंग कम्पार्टमेंट के ऊपर सीधी तेज प्रकाश नहीं पड़े
- खिड़की से सीधी तेज प्रकाश नहीं आए
- बूथ के अंदर **BU** को देखने लायक पर्याप्त प्रकाश हो।

EVM/VVPAT को तैयार करना

- वोटिंग कम्पार्टमेंट के अंदर **BU** एवं **VVPAT** रखना है। प्रथम **BU** के बायीं ओर **VVPAT** को रखें।
- केबल को छुपाना नहीं चाहिए और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो मतदाता के पैरों में नहीं उलझे।
- तृतीय मदान अधिकारी के पास **CU** होना चाहिए।
- कनेक्टरों को सही पिन और रंगों के कोड के आधार पर संयोजन किया जाना है।

मॉक पोल

- **CU** पर क्लियर दबाएं, यह सभी अभ्यर्थियों के लिए शून्य (जीरो) दिखायेगा।
- मतदान प्रकोष्ठ के अंदर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को **VVPAT** ड्राप बाक्स दिखाएं कि यह खाली है
- प्रत्येक खुले बटन के लिए एक मत डालते हुए कम से कम 50 वोट डालें
- 'क्लोज' बटन दबाएं और उसके बाद 'परिणाम' बटन दबाएं।
- **VVPAT** कागज पर्चियों के कम्पार्टमेंट को खाली करें।
- **CU** के परिणाम व **VVPAT** की पर्चियों की तुलना करें।
- **CU** के क्लियर बटन को दबाए
- मॉक पोल सर्टिफीकेट पर हस्ताक्षर करें।

मशीनों का मुहरबंद करना

- **CU** में ग्रीन पेपर सील लगाएं तथा इस पर पीठासीन अधिकारियों और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लें।
- पेपर सील का लेखा बनाएं
- परिणाम खंड में उपलब्ध **CU** के आंतरिक कवर को विशिष्ट टैग के साथ सील करें
- परिणाम अनुभाग के बाहरी कवर को पते के टैग एवं ग्रीन पेपर सील के साथ मुहरबंद करें
- वीवीपैट पेपर स्लिप ड्राप बॉक्स को पते के टैग के साथ मुहरबंद करें।
- वीवीपैट पेपर स्लिपस को काले लिफाफे में रखकर गुलाबी पेपर सील से सील करें।

मॉक पोल फ्लो चार्ट (प्रवाह चार्ट)

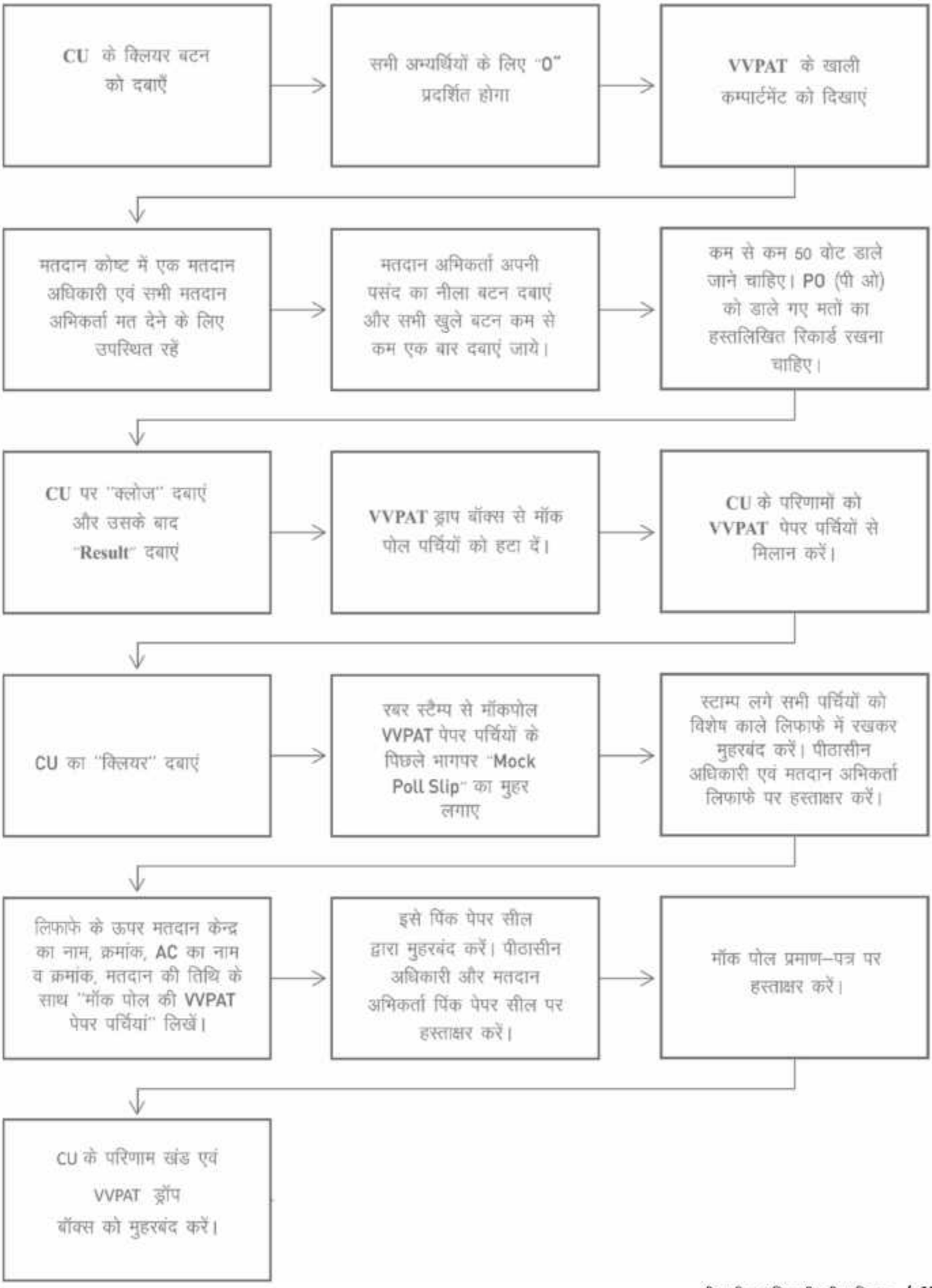

विशेष परिस्थितियाँ एवं प्रतिक्रिया (प्रत्युत्तर)

पेपर पर्चियों में त्रुटिपूर्ण मुद्रण

मतदाता BU के बटन को दबाने के पश्चात VVPAT पेपर पर्ची पर त्रुटिपूर्ण मुद्रण (प्रिंट) की दशा में शिकायत कर सकता है

- नियम 49 MA ऐसे मामलों में प्रतिक्रिया का प्रावधान कराता है।
- निर्वाचक से लिखित हस्ताक्षरित घोषणा लें।
- पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाता (निर्वाचक) से संबंधित द्वितीय प्रविष्टि प्ररूप 17A में करें।
- पीठासीन अधिकारी निर्वाचक को मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में परीक्षण मत रिकार्ड करने की अनुमति दें तथा पेपर पर्ची का अवलोकन करें।
- यदि आरोप सही पाया जाता है, तो मतदान रोक दें तथा आरओ को सूचित करें।
- अगर आरोप गलत है, तो प्रारूप 17A में उस अभ्यर्थी की क्रम संख्या व नाम उल्लेख करें जिसके लिए परीक्षण मत रिकार्ड किया गया है।
- रिमार्क पर निर्वाचक के हस्ताक्षर / अंगूठों का निशान प्राप्त करें।
- ऐसे परीक्षण मत की प्रविष्टि फार्म 17C के भाग–1 में करें।

त्रुटिपूर्ण EVM/VVPAT (वास्तविक मतदान के समय)

CU, BU ,VVPAT, त्रुटिपूर्ण (दोषपूर्ण) हो सकते है सुधारात्मक कदम की आवश्यकता है।

- यदि CU/BU ठीक से काम नहीं करता है तो CU, BU, VVPAT के सम्पूर्ण सेट को प्रतिस्थापित (बदले) करें, नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए 01 वोट डालकर मॉक पोल करें तथा मॉक पोल की सभी प्रक्रिया का पालन करें। यदि VVPAT खराब होता है तो केवल VVPAT बदलें, ऐसी स्थिति में Mock poll नहीं किया जाएगा।

ASD सूची के मतदाता

क्षेत्रीय जानकारी के आधार पर ERO/RO द्वारा अनुपस्थित स्थानान्तरित व मृत मतदाताओं की सूची बनाई जाती है।

- मतदाता को EPIC अथवा अनुमत फोटो दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहे एवं पीठासीन अधिकारी इसका व्यक्तिगत रूप से सत्यापन करें।
- मतदाता पंजी (फॉर्म 17A) में हस्ताक्षर के साथ अंगूठे का निशान भी लें।
- पीठासीन अधिकारी ASD लिस्ट में से मतदान की अनुमति पाने वाले मतदाताओं का एक रिकार्ड रखेंगे तथा मतदान समाप्ति के उपरांत इसका एक प्रमाण पत्र देंगे।

अनाधिकृत पहचान पर्ची वाले मतदाता

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी अथवा मतदान अभिकर्ता को अनाधिकृत पहचान पर्ची दे सकते हैं।

- यदि अनाधिकृत पहचान पर्ची में किसी अभ्यर्थी का नाम और / या पार्टी का नाम, और / या प्रतीक चिन्ह, हो तो संबंधित मतदान अभिकर्ता को ऐसे मतदान नियमों के उल्लंघन को समाप्त करने के लिए कहा जाए।
- निरक्षर मतदाता की स्थिति में प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता की क्रम संख्या पढ़कर सुनाना चाहिए एवं उससे उसका नाम पूंछे ताकि उसकी वास्तविकता सुनिश्चित की जा सके ।
- पररूपधारक (प्रतिरूपण) की स्थिति में ऐसे मतदाता को पुलिस को सौंप देना चाहिए।
- महिला निर्वाचकों की अधिक संख्या विशेषकर 'परदानशीन (बुर्काधारी) होने की स्थिति में उपरोक्त कर्तव्यों का निर्वहन महिला मतदान अधिकारी के द्वारा एक पृथक कक्ष (इनक्लोजर) में करना चाहिए।

चैलेंज वोट

मतदान अभिकर्ता पीठासीन अधिकारी के पास दो रूपये की राशि जमा करके किसी व्यक्ति की पहचान को चुनौती दे सकता हैं।

- पीठासीन अधिकारी " चुनौती" की संक्षिप्त जांच आयोजित करें।
- यदि चुनौती सिद्ध नहीं होती है तो निर्वाचक को मतदान देने के लिए अनुमति दिया जाए।
- चुनौती स्थापित हो जाए तो उस स्थिति में व्यक्ति को मत देने से वंचित किया जाए और लिखित शिकायत के साथ उसे पुलिस के सुपुर्द कर देना चाहिए।

मतदाता की आयु संबंधी घोषणा

यदि पीठासीन अधिकारी को किसी मतदाता की आयु निर्धारित आयु से काफी कम लगे।

- निर्वाचक की पहचान हेतु स्वयं संतुष्ट हो जाएं।
- निर्वाचक नामावली के संदर्भ वर्ष की प्रथम जनवरी/प्रथम अप्रेल/प्रथम जुलाई/प्रथम अक्टूबर को आयु के बारे में घोषणा उचित प्रारूप पर ले लिया जाए, उसे दण्ड प्रावधान के बारे में सूचित करें।
- उन मतदाताओं की एक सूची तैयार करें जिनसे आपने कम उम्र के मतदाताओं से संबंधित सूची के अनुबंध के भाग I तथा भाग II में ऐसी घोषणाएं प्राप्त की है।

मत न देने का विनिश्चय करने वाले मतदाता

मतदाता फार्म 17Aमें विवरण दर्ज होने के पश्चात् अपना हस्ताक्षर करें/अंगूठे का निशान लगााने के बाद यदि मत न देने का विनिश्चय करता है तो उसे मत देने के लिए मजबूर नहीं किया जावेगा।

- मतदाता रजिस्टर में "मत देने से इंकार" यह रिमार्क लिखें तथा पीठासीन अधिकारी रिमार्क के नीचे हस्ताक्षर करें।
- फार्म 17 C के भाग–I में नियम 49–O के अंतर्गत आईटम–3 में दिए गए स्थान पर "मतदान किए बिना चले गए" या "मत देने से इंकार" लिखें।
- अगर CU पर बैलेट बटन दबाया जा चुका है, तो अगले मतदाता को सीधे वोट डालने के लिए निर्देशित करें।

निविदत्त मत

ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति मतदान केन्द्र पर उपस्थित होता है, और स्वयं को मतदाता बताते हुए मतदान करना चाहता है और यह पाया जाता है कि ऐसे मतदाता के रूप में कोई अन्य व्यक्ति पहले ही मतदान कर चुका है।

- ऐसे व्यक्ति के पहचान से संतुष्ट हो जाएं
- संतुष्ट होने के उपरांत ऐसे व्यक्ति को निविदत्त मतपत्र के द्वारा मतदान करने के लिए अनुमति दे, न कि EVM के द्वारा।
- निविदत्त मतपत्रों का लेखा रखें।
- फार्म 17B में ऐसे निर्वाचकों के रिकार्ड रखें।

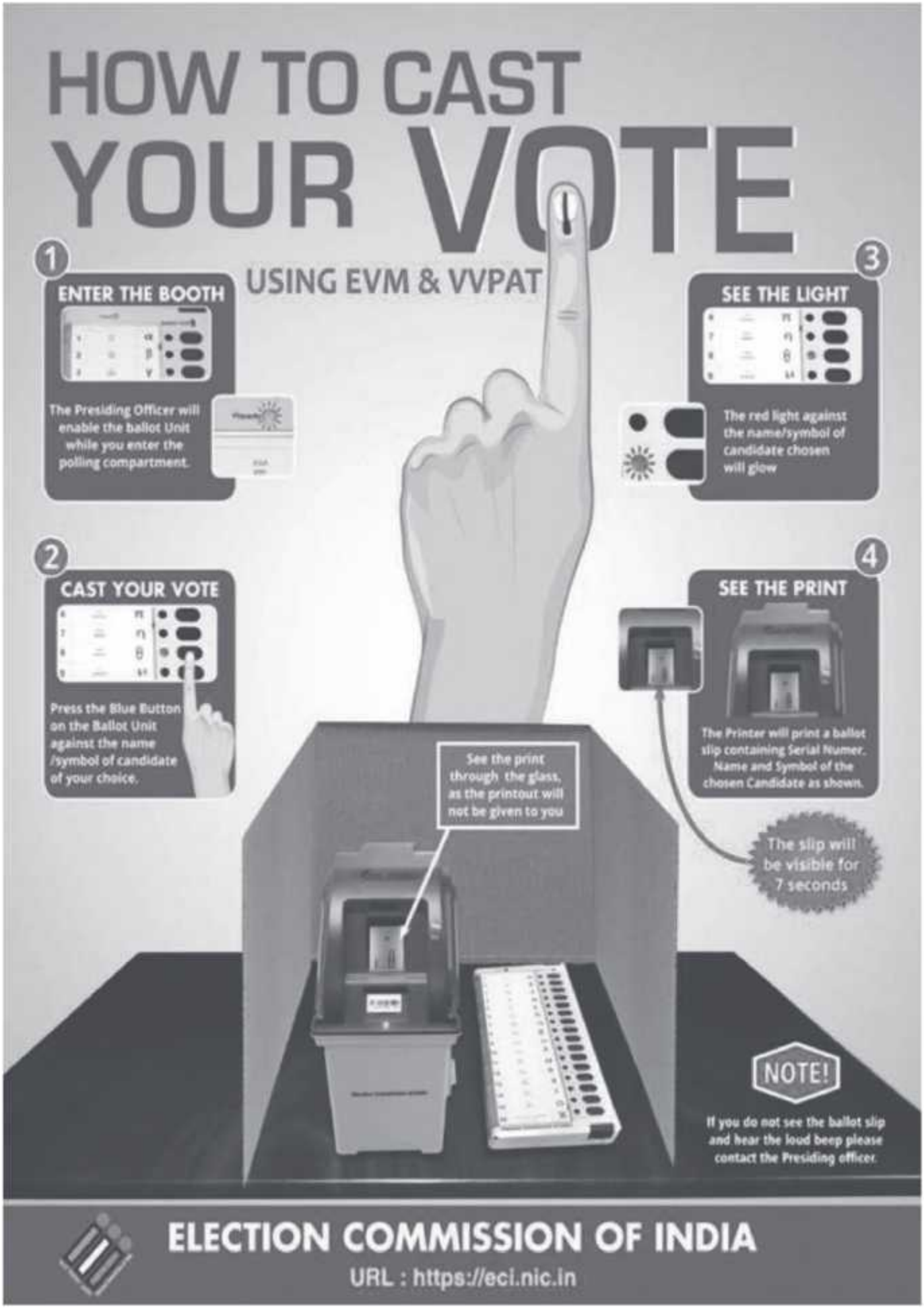
HOW TO CAST YOUR VOTE
USING EVM & VVPAT
1
ENTER THE BOOTH
The Presiding Officer will enable the ballot Unit while you enter the polling compartment.
2
CAST YOUR VOTE
Press the Blue Button on the Ballot Unit against the name /symbol of candidate of your choice.
3
SEE THE LIGHT
The red light against the name/symbol of candidate chosen will glow
4
SEE THE PRINT
The Printer will print a ballot slip containing Serial Numer. Name and Symbol of the chosen Candidate as shown.
The slip will be visible for 7 seconds
See the print through the glass, as the printout will not be given to you
NOTE!
If you do not see the ballot slip and hear the loud beep please contact the Presiding officer.
ELECTION COMMISSION OF INDIA
URL : https://eci.nic.in

खण्ड–I

अध्याय

अध्याय–01

प्रारंभिक

1.1 परिचय

(i) इस पुस्तिका का उद्देश्य पीठासीन अधिकारी के रूप आपके कर्तव्यों का निर्वहन संबंधी जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान करना है ताकि आप सुचारू रूप से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। हाँलाकि यह हैण्डबुक न तो पहलुओं का सम्पूर्ण संग्रह है न ही निर्वाचन के संचालन से संबंधित निर्वाचन कानून के विभिन्न प्रावधानों का वैकल्पिक संदर्भ है। अतः आवश्यकतानुसार आपको इन विधिक प्रावधानों के संदर्भ में **अनुलग्नक–01** तथा **अनुलग्नक–02** की सहायता लेनी चाहिये।

(ii) आपकी नियुक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 के प्रावधानों के अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी के रूप में हुई है। इसके अतिरिक्त धारा 28A के प्रावधानों के अन्तर्गत आपकी प्रतिनियुक्ति किसी भी निर्वाचन के संचालन हेतु नामित अन्य अधिकारियों की भाँति, निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने तक की अवधि हेतु, निर्वाचन आयोग में की जाती है। परिणामस्वरूप, आप उक्त (उन्ही) अधिकारियों के समान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण एवं अनुशासन के अधीन होंगे। पीठासीन अधिकारी के रूप में आप मतदान केन्द्र के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। आपको प्रभारित मतदान केन्द्र में मतदान की कार्यवाही को नियंत्रित करने हेतु सम्पूर्ण विधिक शक्तियां प्राप्त हैं। साथ ही, मतदान केन्द्र में घटित होने वाली समस्त गतिविधियों के प्रति आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं।

यह आपका प्राथमिक कर्तव्य है और जिम्मेदारी है कि आप अपने मतदान केन्द्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करें। इसके लिए आवश्यक है कि आप निर्वाचन संचालन से संबंधित कानून एवं प्रक्रिया तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दिशा निर्देशों से भलीभाँति परिचित हों। पीठासीन अधिकारी का दायित्व है कि वह अपने पोलिंग बूथ में संलग्न सभी अधिकारियों एवं अभिकर्ताओं के साथ सौहर्दपूर्ण संबंध स्थापित करें। अतः आपको निर्वाचन संचालन से संबंधित कानून एवं प्रक्रिया तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दिशा–निर्देशों से भलीभाँति परिचित होना चाहिए। आपको सभी प्रशिक्षण कक्षाओं में उपस्थित रहना चाहिए तथा सम्पर्क सूत्र के माध्यम से सैक्टर अधिकारी /जोनल अधिकारी / AROs / ROs से सम्पर्क बनाए रखना चाहिए।

(iii) अब प्रत्येक मतदान केन्द्र में ईवीएम तथा वीवीपैट का उपयोग किया जाता है। पीठासीन अधिकारी के रूप में, मतदान केन्द्र में आपको ईवीएम एवं वीवीपैट से मतदान संचालन संबंधी अद्यतीकृत मतदान प्रक्रिया एवं नियमों से भली–भांति परिचित होना चाहिए। मतदान केन्द्र में, मतदान के संचालन में ईवीएम तथा वीवीपैट के परिचालन प्रक्रिया के सभी चरणों से भी आपको भलीभांति परिचित होना चाहिए। आपको वीवीपैट के प्रयोग से मतों की रिकॉर्डिंग प्रक्रिया की अच्छी समझ होनी चाहिए। ईवीएम तथा वीवीपैट के उपयोग पर व्यक्तिगत रूप से करके देखा गया Hands on (प्रशिक्षण) होना चाहिए। एक छोटी सी भूल या गलती या विधि या नियमों को दोषपूर्ण तरीके से लागू किया जाना या ईवीएम तथा वीवीपैट की विभिन्न क्रियाओं का अपर्याप्त ज्ञान आपके मतदान केन्द्र पर मतदान प्रक्रिया को दोषपूर्ण बना सकता है।

1.2 वैधानिक प्रावधान

पीठासीन अधिकारी के रूप में आपके कर्तव्य कानूनी प्रावधान के तहत् **अनुलग्नक–1** एवं **अनुलग्नक–2** में निहित है।

1.3 मतदान दल

विशिष्ट रूप से, मतदान दल में पीठासीन अधिकारी एवं तीन मतदान अधिकारी होते हैं। जब मतदान दल का गठन किया जाता है, आपका जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी किसी एक मतदान अधिकारी को अति आवश्यक स्थिति निर्मित होने पर, पीठासीन अधिकारी के रूप में अधिकृत कर सकते हैं, यदि परिस्थितिवश आप मतदान केन्द्र पर ड्यूटी करने में असमर्थ हों। एक साथ होने वाले निर्वाचन में, मतदान सम्पन्न करने के लिए दल में, पीठासीन अधिकारी एवं पाँच मतदान अधिकारी होते हैं।

1.4 मतदान संबंधी प्रशिक्षण

(i) जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी आपके लिए एवं आपके मतदान अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था करेंगे। आपको एवं मतदान अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों के संबंध में यदि कोई शंका है, तो उसका समाधान कर लेना चाहिए।

(ii) आप सभी को प्रशिक्षण कक्षाएँ एवं रिहर्सल्स को ध्यानपूर्वक करना चाहिए। भले ही आप पूर्व में, पीठासीन अधिकारी या

मतदान अधिकारी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, जहाँ **EVM** या **VVPAT** का उपयोग हुआ था तब भी आपको सभी प्रशिक्षण कक्षाएं/रिहर्सल्स में उपस्थित होना है, तथा **EVM & VVPAT** से संबंधित नवीन तथ्य/निर्देश/वैधानिक प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण/रिहर्सल के समय, जानकारी प्राप्त करना चाहिए। निर्वाचन नियम एवं प्रक्रियाएँ समय–समय पर संशोधित होते रहते हैं। यह अति आवश्यक है कि आपको कानून की प्रक्रियाओं, नियमों, निर्देशों इत्यादि की नवीनतम जानकारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि कानून एवं प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं है तो उसके बारे में अपनी स्मृति को रिफ्रेश करना चाहिए। प्रशिक्षण कक्षाओं के अन्त में, आपको **EVM** सहित **VVPAT** को संचालित करने, ग्रीन पेपर सील को फिक्स करना, विशिष्ट टैग सहित सील करने वाली सभी प्रक्रियाओं तथा मतदान केन्द्र में प्रयोग होने वाले सभी विभिन्न सांविधिक एवं असांविधिक प्रपत्रों की जानकारी होनी चाहिए।

नोट	• पीठासीन अधिकारी को प्रशिक्षण मोड्यूल की समाप्ति पर टैस्ट में सम्मिलित होना चाहिए। • आपको निर्वाचन संबंधित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जिसमें सांविधिक–असांविधिक प्रपत्रो, स्टेशनरी, कवर्स, पैकेट्स इत्यादि शामिल हैं, से परिचित होना चाहिए। • आपको मोक पॉल प्रमाण पत्र भरना चाहिए।

1.5 डाकमतपत्र के लिए आवेदन

(i) आप और आपके मतदान अधिकारी उसी निर्वाचन क्षेत्र में, जहां आपको ड्यूटी पर लगाया गया है या किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हो सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर आपके पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति का आदेश दो प्रतियों में जारी करेंगे और इस आदेश के साथ, जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर आपको पर्याप्त संख्या में प्ररूप 12 और 12A भेजेंगे ताकि आप और अन्य मतदान अधिकारी डाक मतपत्रों और निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकें। यदि आप में से कोई भी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक है तो आप रिटर्निंग ऑफिसर को प्ररूप 12Aमें निर्वाचन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं (संसदीय निर्वाचन के मामले में)। यदि आप में से कोई, निर्वाचन कर्तव्य पर लगाए गए निर्वाचन क्षेत्र से भिन्न अन्य निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक है तो आपको प्ररूप 12 भरना होगा और डाक मतपत्र के लिए आवेदन करना होगा। व्यवस्थाओं के संबंध में, प्रशिक्षण में जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी। यह भी ध्यान रखा जाए कि यदि आपको एक बार डाक मतपत्र जारी किया गया है तो आप डाक मतपत्र से ही वोट करेंगे, भले ही आप किसी भी कारण से निर्वाचन कर्तव्य पर तैनात न हो।

(ii) प्रशिक्षण के दौरान जिले के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक की निर्वाचक नामावली की एक प्रति प्रशिक्षण केंद्रों पर निरीक्षण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी, ताकि आप निर्वाचक नामावली संख्यांक की विशिष्टियां नोट कर सकें, जो आपके डाक मतपत्र या यथास्थिति, निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के लिए, आपके आवेदनों में देनी है। आप अपने मतदाता विवरण वोटर सर्विस पोर्टल (**VSP**) या वोटर हेल्पलाईन ऐप (**VHA**) पर प्राप्त कर सकते हैं।

1.6 मतदान सामग्री

मतदान से एक दिवस पूर्व या पोलिंग बूथ पर जाने वाले दिन आपको मतदान संबंधी सभी सामग्री प्रदान की जाएगी जिनकी सूची **अनुलग्नक–3** में दी गई है। पोलिंग बूथ पर जाने से पूर्व आप यह सुनिश्चित करें कि आपको समस्त सामग्री प्राप्त हो गई है।

1.7 ईवीएम एवं वीवीपैट की जांच

(i) जांच करें कि आपको दी गई कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और VVPAT वही हैं, जो आपके मतदान केन्द्र पर उपयोग हेतु नियत है। इसकी जाँच उक्त यूनिटों से संलग्न एड्रेस टैग के संदर्भ में की जानी चाहिए क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रत्येक ऐसे एड्रेस टैग पर मतदान केन्द्र की संख्या और नाम प्रदर्शित किये जायेंगे।

(ii) जांच लें कि कन्ट्रोल यूनिट का 'कैंडिडेट सेट सेक्शन' सम्यक् रूप से मुहरबन्द किया गया है और उसके साथ ऐड्रेस टैग मजबूती के साथ संलग्न है।

(iii) जांच लें कि कंट्रोल यूनिट में स्थापित बैटरी पूर्णतः कार्यरत है। इसे, पृष्ठ भाग के कक्ष पर उपलब्ध पावर स्विच को 'आन' स्थिति में डालकर, जाँचा जा सकता है। **उक्त जाँच के पश्चात् पावर स्विच को 'आफ' स्थिति पर सेट किया जाना चाहिए।**

(iv) यह जाँच ले कि मतदान दल को निर्देशित किया गया है कि वितरण के समय या मॉकपोल के पूर्व VVPATको किसी भी स्थिति में **टेस्ट न किया जाये** चूँकि जारी किया गया VVPAT पहले से ही जाँचा परखा है।

(v) जाँच लें कि आपको अपेक्षित संख्या में "बैलेट यूनिटें" दी गई हैं और मतपत्र, उनके प्रत्येक के मतपत्र स्क्रीन के अन्दर सम्यक् रूप से लगा दिये गये हैं। आपको दी जाने वाली बैलेट यूनिटों की संख्या आपके निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी।

(vi) **M3 बैलेट यूनिट में थंबव्हील स्विच पोजीशन (सेटिंग) की जाँच :**

थंबव्हील स्विच विंडो बैलेट यूनिट के ऊपर दायीं ओर होता है। ध्यान रखे कि **M3 EVM** में, 24 बैलेट यूनिट्स कन्ट्रोल यूनिट से जोड़ी जा सकती है। यदि अभ्यर्थियों की संख्या 3 से 16 के बीच (**NOTA** को शामिल करके) है तो केवल एक बैलेट यूनिट प्रदान किया जावेगा और थंबव्हील को रिर्टनिंग ऑफीसर के द्वारा पोजीशन 01 पर सेट किया जायेगा एवं इसे बैलेट यूनिट के दायें भाग पर ऊपर विंडो में देखा जा सकेगा। यदि अभ्यर्थियों की संख्या 17 से 32 (**NOTA** को शामिल करके) के बीच है तो दो बैलेट यूनिट प्रदान किये जायेगें। प्रथम बैलेट यूनिट जिसमें थंबव्हील्स '01' की स्थिति में सैट किया गया है, में बैलेट पेपर में अभ्यर्थियों का नाम, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के, सीरियल क्रमांक 1 से 16 तक होगी। दूसरा बैलेट यूनिट, दूसरी बैलेट शीट को प्रदर्शित करेगा जिसमें निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का नाम 17 से आगे (और 32 तक (**NOTA** को शामिल करके) होगा तथा इस यूनिट में थंबव्हील पोजीशन '02' पर सेट होगा। इसी प्रकार यदि अभयर्थियों की

No. Of contesting Candidates (Including NOTA)	No. Of Ballot Unit connceted to CU	Position on Thumb wheel
03 - 16	1	01
17 - 32	2	02
33 - 48	3	03
.....	.....	.....
369 - 384	24	24

संख्या 33 से 48 (**NOTA** को शामिल करके) के बीच है तो तीन बैलेट यूनिट्स प्रदान की जावेगी। तीसरे बैलेट यूनिट में, बैलेट पेपर में अभ्यर्थयों के नाम का सीरियल क्रमांक 33 से आगे (48 तक होगा **NOTA** को शामिल करके) और इसके थंबव्हील '03' की पोजीशन पर सैट किया जावेगा। चार बैलेट यूनिट लगाई जाएगी यदि अभ्यर्थियों की संख्या 49 से 64 (**NOTA** को शामिल करके) होती है। चौथे बैलेट यूनिट में लगाई गई बैलेट शीट पर अभ्यर्थियों के नाम सीरियल क्रमांक 49 से 64 तक प्रदर्शित होंगे तथा इसकी थंबव्हील पोजीशन '04' दिखायेगा। यदि पांच बैलेट यूनिट्स है तो पांचवा बैलेट यूनिट पर लगाये गये बैलेट पेपर में अभ्यर्थयों का सीरियल क्रमांक 65 से आगे (80 **NOTA** को शामिल करके) प्रदर्शित करेगा तथा इसका थंबव्हील पोजीशन '05' दिखायेगा। इसी प्रकार जब 24 बैलेट यूनिट्स का प्रयोग किया जाता है। चौबिसवे बैलेट यूनिट पर लगी बैलेट शीट पर अभ्यर्थियों का नाम, सीरियल क्रमांक 369 से आगे (384 तक होगा **NOTA** को शामिल करके) प्रदर्शित करके तथा इसका थंबव्हील पोजीशन "24" को दिखायेगा।

(vii) यदि आप थंबव्हील सेट करने में कोई विसंगति पायें तो तत्काल अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट/रिर्टनिंग अधिकारी को सूचित करें। परन्तु किसी भी परिस्थिति में आप या आपके मतदान अधिकारी थंबव्हील को ना छेंड़ें।

(viii) यह सुनिश्चित करें की बैलेट यूनिट में जो पेपर लगाया गया है वह उचित ढंग से पंक्तिबद्ध हो ताकि प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम तथा प्रतीक चिन्ह उसके लैंप तथा बटन की पंक्ति में हों तथा बैलेट पेपर में अभ्यर्थियों के पैनल को विभाजित करने वाली मोटी रेखाएं व बैलेट यूनिट में उनके खाँचे एक सीध में हों।

(ix) जांच ले कि बैलेट यूनिट पर दिखाई देने वाली अभ्यर्थियों की अनावृत नीली बटनों की संख्या अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर (नोटा सहित) हो तथा अन्य कोई बटन यदि शेष हो, तो वह ढकी हुई होनी चाहिए।

(x) जाँच लें कि प्रत्येक बैलेट यूनिट अच्छी तरह से मुहरबंद हो तथा दो स्थानों में दाहिने ऊपरी भाग व दाहिने निचले भाग में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पिंक पेपर सील से सुरक्षित की गई हो, और उस पर एड्रेस टैग मजबूती से लगा हो।

1.8 मतदान सामग्री की जाँच करना

(i) जाँच लें कि आपको दी गई किट में 10 cc की दो शीशियों में प्रत्येक में पर्याप्त मात्रा में अमिट स्याही एवं ब्रश हैं क्योंकि बाँये हाथ की तर्जनी पर नाखून के टाप से ऊँगली के प्रथम जोड़ के अंत तक लाइन के रूप में स्याही लगानी हैं।

(ii) यह सुनिश्चित करें कि जो मतदाता अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकता, उसके अंगूठे का निशान प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टाम्प पैड सूखे न हो।

(iii) जाँच लें कि निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग की तीनों प्रतियाँ (एक साथ आम निर्वाचन की स्थिति में पाँच प्रतियाँ) पूर्ण और सभी तरह से समान हैं और विशेषतः आपको दिया गया सुसंगत भाग उसी क्षेत्र का है जिसके लिए मतदान केन्द्र स्थापित किया गया है और यह कि यह सभी प्रकार से पूर्ण है।

(iv) निर्वाचक नामावली की प्रत्येक वर्किंग प्रति के सभी पृष्ठ क्रम संख्या 1 के अनुक्रम में संख्यांकित है।

(v) मतदाताओं की मुद्रित क्रम संख्या को स्याही से या अन्य प्रकार से सुधार नहीं किया गया है और उनके स्थान पर नये क्रम प्रतिस्थापित नहीं किये गये हैं।

(vi) यह कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति (निर्वाचक नामावली की प्रति जिसका उपयोग वोट देने हेतु अनुमति प्राप्त निर्वाचकों के नाम चिन्हित करने के लिए किया जाता है) में, डाकमत पत्र जारी करने, निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी करने (जैसे–PB, EDC) के अलावा किसी प्रकार का कोई रिमार्क अंकित नहीं होगा। विलोपन यदि कोई हो, तो मूल सूची की पुनः मुद्रित प्रति में संबंधित मतदाता के विवरण बॉक्स में तिरछे रूप से "DELETED" शब्द दिखायेगा (यदि विलोपन पुनरीक्षण के दौरान किया गया हो) तथा "DELETED" DELETED क्रॉस रूप से दिखायेगा (यदि विलोपन अंतिम प्रकाशन के बाद सतत पुनरीक्षण अवधि में किया गया हो) जैसा भी मामला हो, यह इंगित करने के लिए कि संबंधित मतदाता की प्रविष्टि विलोपित कर दी गई है।

(vii) निर्वाचक नामावली में किसी एक AERO तथा एक अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए।

(viii) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के रूप में उपयोग हेतु नामावली के मुख्यपृष्ठ के ऊपर रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र (अनुलग्नक–4) संलग्न किया जायेगा।

(ix) जाँच लें कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के साथ अनुपस्थित, अन्यत्र स्थानांतरित और मृत (ASD) मतदाता यदि कोई हो, की सूची आपको मतदान केन्द्र पर मतदाताओं को चिन्हित करने में सुविधा की दृष्टि से दी जा रही है।

(x) जाँच लें कि आपको उपलब्ध कराये गये निविदत्त मतपत्र उसी निर्वाचन क्षेत्र के हैं, जिसमें आपको प्रभारित मतदान केन्द्र आता है तथा किसी भी दृष्टि से दोषपूर्ण नहीं हैं। आप यह जांच कर लें कि आपको उपलब्ध कराई गई जानकारी से सरल क्रमांक का मिलान हो।

(xi) यदि किसी प्रकार से आप मतदान मशीन या अन्य मतदान सामग्री खराब पाते हैं तो आप यह कमी तत्काल मतदान मशीन/मतदान सामग्री वितरण अधिकारी या रिर्टनिंग अधिकारी के ध्यान में सुधारात्मक कदम हेतु लायें।

(xii) यह भी जाँच कर ले कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर तथा निर्वाचन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के नमूनों की छायाप्रतियां आपको दी गई है। मतदान केन्द्र पर यह आपको मतदान अभिकर्ता को जारी नियुक्ति पत्र में दर्शित अभ्यर्थियों/उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर की वैधता को सत्यापित करने में सहायक होगा।

(xiii) मतदान हेतु की जाने वाली तैयारियों के लिए उपरोक्त उल्लेखित दस्तावेजों के अलावा मतदान की तैयारियों के दौरान CU-BU-VVPAT के विफलता/त्रुटि **(अनुलग्नक–21)** के निराकरण के निर्देशों की दो प्रतियों की जाँच करें एवं बूथ के लिए प्रदान की गई मतदान सामग्री की भी जाँच करें, आपको प्रदान की गई मतदान सामग्री **अनुलग्नक–3** में दी गई सूची के अनुसार होनी चाहिए।

1.9 फोटो निर्वाचक नामावली

(i) आपके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित नवीनतम निर्वाचक नामावली उपलब्ध है। निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की फोटो के साथ अन्य जानकारियाँ समावेशित रहती हैं। इससे मतदान के दिन, पोलिंग बूथ पर निर्वाचक की पहचान की जाँच प्रक्रिया में आसानी होती है।

(ii) भारत निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्देशों के अनुसार सभी परिवर्धनों को, जो कि निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन से ले कर नामांकन के अंतिम तिथि तक (जहाँ निर्वाचन होना है) पुनरीक्षण/सतत अद्यतीकरण के दौरान किये गये है, को अंतिम सूची में प्रविष्टि अंतिम क्रम संख्या के आगे लगातार क्रम संख्या देते हुए सभी विलोपनों और संशोधनों को ड्राफ्ट/अंतिम सूची में दर्शाया जाएगा।

(iii) फार्म 8 के आधार पर पुनरीक्षण/सतत अद्यतीकरण की अवधि के दौरान संशोधित की गई सभी प्रविष्टियाँ, संशोधित प्रविष्टियों के साथ एकीकृत रोल में # के चिन्ह के साथ दिखाई देंगी (संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान किये गये सुधार की स्थिति में) या ## के चिन्ह के साथ (अंतिम प्रकाशन के बाद सतत् अद्यतीकरण अवधि के दौरान सुधार किए जाने की स्थिति में) जैसा भी मामला हो, यह इंगित करने के लिए कि प्रविष्टि को संशोधित और प्रतिस्थापित किया गया है। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति की एक डमी छवि नीचे दिखाई गई है:–

निर्वाचक नामावली की चिन्हित छद्मप्रति (Dummy marked copy)

Dummy Marked Copy of Electrol Roll

Sr. No. 18 RJ/12/094/909297 Name: AB Father Name: X House No.: 3/10 Age: 42 Sex: M DELETED	Sr. No. 19 RJ/32/194/239276 Name: DF Husband Name: RT House No.: 3/11 Age: 21 Sex: F
Sr. No. 20 UCW1075683 Name: EW Father Name: JU House No.: 4/01 Age: 19 Sex: M	Sr. No. 21 UCW0389675 Name: TY Father Name: FH House No.: 305 Age: 83 Sex: M

(iv) निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाता फोटो पहचान पत्र (**EPIC**) का प्रयोग मतदान केन्द्र में मतदाता की पहचान की जाँच करने के लिए होता हैं। हालांकि प्रत्येक निर्वाचन के लिए पहचान पत्र न होने पर मतदाता की पहचान आयोग द्वारा निर्धारित अन्य वैकल्पिक दस्तावेज से की जाती है। प्रत्येक निर्वाचन के लिए इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से निर्देश जारी किये जाते है।

(v) निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्र में प्रवासी मतदाताओं की मतदान के समय पहचान केवल उनके द्वारा प्रस्तुत मूल पासपोर्ट जिसमें उनके आवास का पता हो, के आधार पर की जावेगी।

जहाँ तक मतदाता पहचान पत्र (EPIC) से निर्वाचक की पहचान के सत्यापन का संबंध है, यदि निर्वाचक किसी अन्य पंजीकरण अधिकारी द्वारा प्रदत्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है, तो उसे भी ध्यान में रखा जा सकता है। ऐसे पहचान पत्र की स्थिति में यह ध्यान रखा जावेगा कि जहाँ निर्वाचक मतदान हेतु उपस्थित हुआ है वहाँ के मतदान केन्द्र की निर्वाचन नामावली में उसका नाम है। परन्तु ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित किया जावे कि निर्वाचक दो स्थानों पर मतदान न करें। इस हेतु निर्वाचक के बाँयें हाथ की तर्जनी को देखने हेतु जाँचा जावे कि उस पर किसी प्रकार की अमिट स्याही का निशान नहीं है तथा उसकी बाँयी तर्जनी पर अमिट स्याही लगाकर उसे मत देने हेतु मान्य किया जाये।

1.10 एकल निर्वाचन में मतदान अधिकारियों के कर्तव्य

(i) प्रथम मतदान अधिकारी

प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा और निर्वाचक की पहचान के लिए उत्तरदायी होगा। मतदान केन्द्र में प्रवेश करने पर, निर्वाचक सीधे प्रथम मतदान अधिकारी के पास आवेगा, जो

निर्वाचक की पहचान के बारे में आश्वस्त होगा। प्रत्येक चुनाव में आयोग मतदाताओं के पहचान संबंधी आदेश जारी करता है। पीठासीन अधिकारी इस आदेश को ध्यानपूर्वक पढ़े। मतदाता **EPIC** या आयोग के आदेशानुसार अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज (**document**) प्रस्तुत करें। जब किसी निर्वाचक को मतदान केन्द्र पर वोट डालने की अनुमति दी जाती है, तो फोटो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में निर्वाचक से संबधित विवरण वाले बॉक्स में लाल स्याही से एक तिरछी रेखा खींची जावेगी। इसके अलावा पुरूष और महिला मतदाताओं की संख्या के आसान सत्यापन और गणना के लिए, महिला मतदाता के संबंध में मतदाताओं की क्रम संख्या को गोल घेर दिया जावेगा और तीसरे लिंग के मामले में मतदाता क्रम संख्या के पास सितारा अंकित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सांख्यिकी प्रारूप भरना भी प्रथम मतदान अधिकारी का कर्तव्य है।

(ii) द्वितीय मतदान अधिकारी

- द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही का प्रभारी होगा। प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता की पहचान होने के पश्चात् द्वितीय मतदान अधिकारी निर्वाचक के बाँये हाथ की तर्जनी का यह देखने के लिए निरीक्षण करेगा कि इस पर अमिट स्याही का कोई चिन्ह या संकेत तो नहीं है और अमिट स्याही को मतदाता के बाँये हाथ की तर्जनी पर दी गई स्टिक के माध्यम से तर्जनी के प्रथम जोड़ से नाखून के अन्त तक एक रेखा में लगाया जाएगा। जैसा कि निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है:

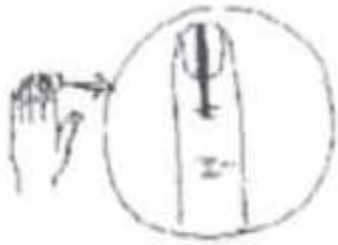

- द्वितीय मतदान अधिकारी फार्म 17–A में मतदाताओं के रजिस्टर का भी प्रभारी होगा। वह उस रजिस्टर में उन निर्वाचकों का उचित लेखा रखने का भी उत्तरदायी होगा जिनकी पहचान की जा चुकी है और जो मतदान केन्द्र पर मत डालते हैं। मतदाता की निर्वाचक नामावली में दिया गया सीरियल क्रमांक (नाम नहीं) मतदाता रजिस्टर के कॉलम 2 (**Form 17A**) में नोट किया जाना चाहिए। वह उस रजिस्टर पर प्रत्येक निर्वाचक के, उसे मत डालने की अनुमति देने से पूर्व, हस्ताक्षर या अँगूठा निशानी लेगा। वह प्रत्येक मतदाता को, अध्याय 4 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार मतदाता रजिस्टर में मतदाता की प्रविष्टि कर मतदाता पर्ची जारी करेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मतदान केन्द्र छोड़ने से पूर्व मतदाता की ऊँगली पर लगी अमिट स्याही सूख जावे। इसके लिए अमिट स्याही लगाने के बाद हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान लिया जायेगा।

- यदि कोई मतदाता रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान लगाने से इन्कार करता है तो उसे मतदान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और मतदाता रजिस्टर के टिप्पणी कॉलम में 'मतदान करने से इंकार' की प्रविष्टि की जावेगी। ऐसी प्रविष्टि के नीचे पीठासीन अधिकारी को हस्ताक्षर करना होगा। हाँलाकि, यदि किसी मतदाता की मतदाता सूची में अंकित क्रम संख्या फार्म 17A में, मतदाताओं के रजिस्टर के कॉलम–दो में विधिवत दर्ज किया जा चुका है और नियम 49 एल के उपनियम (1) के तहत् मतदाता रजिस्टर पर अपना हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान लगा चुका है, वोट न देने का निर्णय लेता है तो, इस आशय की एक टिप्पणी–'मतदान करने से इनकार कर दिया' अथवा 'मतदान किये बिना चला गया', उक्त प्रविष्टि के समक्ष फार्म 17A में आपके द्वारा की जावेगी और इस प्रकार की टिप्पणी के समक्ष निर्वाचक के हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान प्राप्त किया जावेगा। ऐसे मामले में मतदाता रजिस्टर (फार्म 17A) के कॉलम–1 में निर्वाचक या किसी भी आगामी निर्वाचक की क्रम संख्या में कोई बदलाव करना आवश्यक नहीं होगा।

(iii) तृतीय मतदान अधिकारी

- तृतीय मतदान अधिकारी, मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा। वह उसी मेज पर बैठेगा, जहाँ द्वितीय मतदान अधिकारी बैठता है। तृतीय मतदान अधिकारी, मतदाता को मतदान कक्ष में जाने की अनुमति द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी, मतदाता पर्ची के आधार पर और उस पर्ची में उल्लेखित क्रम संख्या के अनुसार देगा। कंट्रोल यूनिट प्रभारी अधिकारी, कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दबाने के पहले यह

सुनिश्चित करेगा कि मतदाता की ऊँगली का निशान सूख चुका है। वह अध्याय 4 में विस्तृत रूप से यथावर्णित, कन्ट्रोल यूनिट के उपर्युक्त बैलेट बटन को दबाकर मतदान कक्ष में रखी मतदान यूनिट (यूनिटों) को सक्रिय करेगा। मतदाता को मतदान कक्ष में जाने की अनुमति देने के पूर्व, वह यह भी जाँच करेगा कि मतदाता की बाँयी तर्जनी पर अमिट स्याही का अमिट चिन्ह है। (यदि अमिट स्याही का निशान मिट गया हो तो बाँयी तर्जनी पर फिर से अमिट स्याही लगायें।)

- जहाँ किसी मतदान केन्द्र को सौंपे गये मतदाताओं की संख्या कम है, वहाँ तृतीय मतदान अधिकारी के कर्तव्यों का पालन पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वंय किया जा सकता है। इस प्रकार मतदान दलों के गठन में और मितव्ययता की जा सकती है।

(iv) किसी विशेष जिले/निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर्मियों की कमी की स्थिति में ऐसे स्थानों पर मतदान दल में तीन मतदान अधिकारी जो मानक रूप है, के स्थान पर एक पीठासीन अधिकारी और दो मतदान अधिकारी शामिल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में, प्रथम मतदान अधिकारी के कर्तव्यों में, मतदाता की पहचान के पश्चात् मतदाता की ऊँगली पर अमिट स्याही लगाना भी सम्मिलित किया जावेगा। ऐसी स्थिति, में द्वितीय मतदान अधिकारी, प्रारूप 17A (मतदाताओं के रजिस्टर) में प्रविष्टि और उसमें मतदाताओं के हस्ताक्षर/अँगूठे के निशान लेने के अपने सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त कंट्रोल यूनिट का प्रभारी भी होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी स्थिति में जहाँ दो मतदान अधिकारी का उपयोग होगा, वहाँ मतदाता पर्ची तैयार करना आवश्यक नहीं है। इसके स्थान पर द्वितीय मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट को एक्टीवेट करेगा तथा मतदाताओं को मतदान कोष्ठ में उसी क्रम में भेजेगा जिस क्रम में उन्होंने मतदाता रजिस्टर (प्रारूप 17A) में हस्ताक्षर किया हो। इस स्थिति में, पोलिंग बूथ पर वोटर पर्ची तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। उन मामलों में जहाँ मतदान अधिकारियों की संख्या दो तक सीमित है, उम्मीदवारों को इसके बारे में पहले से ही लिखित मे सूचित किया जाना चाहिए। दोनों मतदान अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले कर्तव्यों को उम्मीदवारों को समझाया जाना चाहिए।

(v) यदि कोई मतदाता मतदान करने से इंकार करता है या बिना मतदान किये चला जाता है और कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन, बैलेट यूनिट पर वोट करने के लिए पहले से ही रिलीज़ कर दिया है तो पीठासीन अधिकारी/तृतीय मतदान अधिकारी, जो कि कंट्रोल यूनिट का प्रभारी है, वह अगले मतदाता को वोटिंग कम्पार्टमेंट में वोट डालने के लिए, आगे बढ़ने के लिए निर्देशित करें ओर उसका वोट रिकॉर्ड करें।

(vi) दूसरी संभावित परिस्थिति में, जब कन्ट्रोल युनिट में, बैलेट बटन, बैलेट यूनिट में वोट डालने के लिये दबाया जा चुका है और अन्तिम मतदाता वोट करने से इंकार करता है तो पीठासीन अधिकारी या तीसरा मतदान अधिकारी जो भी कन्ट्रोल यूनिट का प्रभारी हो, वह कन्ट्रोल यूनिट के पृष्ठ भाग में दिए गए पावर स्विच को "off" स्थिति में कर दें और VVPAT को कन्ट्रोल यूनिट से अलग कर दें। कन्ट्रोल यूनिट से बैलेट यूनिट एवं VVPAT को अलग करने के बाद पावर स्विच दुबारा "ON" कर दें। अब व्यस्तत्म लैम्प बंद हो जाएगा एवं "CLOSE" बटन मतदान को समाप्त करने के लिए फंक्शनल हो जायेगा।

1.11 एक साथ होने वाले निर्वाचन में पोलिंग अधिकारियों के कर्तव्य

(i) प्रथम मतदान अधिकारी

वह निर्वाचकों की पहचान करेगा और निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा।

(ii) द्वितीय मतदान अधिकारी

वह अमिट स्याही एवं मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होगा।

(iii) तृतीय मतदान अधिकारी

वह वोटर स्लिप (मतदाता पर्ची) का प्रभारी होगा।

(iv) चतुर्थ मतदान अधिकारी

वह लोकसभा निर्वाचन के कन्ट्रोल यूनिट के प्रभारी होगा।

(v) (पाँचवा) पंचम् मतदान अधिकारी

वह विधानसभा निर्वाचन के लिए कन्ट्रोल युनिट के प्रभारी होगा।

(vi) चतुर्थ एवं पंचम् मतदान अधिकारियों के महत्वपूर्ण कर्तव्य

ऐसा प्रतीत हो सकता है कि चतुर्थ एवं पंचम् मतदान अधिकारियों के कर्तव्य बहुत आसान हैं। इसके विपरीत दो निर्वाचन एक साथ होने पर निर्वाचन की सफलता उनकी सतर्कता पर निर्भर है। उनके कार्य केवल "बैलेट बटन" दबाकर वोटिंग मशीन को सक्रिय (active) करना ही नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि मतदाता को दी गई पर्ची में अंकित क्रमांक के अनुसार ही मतदाता अपनी बारी आने पर मतदान कर सकें। उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि मतदाता सही मतदान कक्ष में जाकर मतदान करता है। यदि किसी कारणवश मतदाता नहीं समझ पाता कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है, तो यह इन दोनों अधिकारियों का कर्तव्य है कि सुनिश्चित करें कि मतदाता सही प्रक्रिया अपनाएँ। विशेषतः मतदान के प्रथम घंटे में जब अधिक भीड़ हो तो शांत रहते हुए यह देखें कि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। समय मिलने पर या प्रत्येक घंटे के मतदान के पश्चात् कुल डाले गये मत एवं कुल मतदाता जो कि मतदाता रजिस्टर में दर्शाये गये हैं से दोनों कंट्रोल यूनिट में दर्शित संख्या का मिलान करें।

1.12 पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य

पीठासीन अधिकारी पूर्ण रूप से मतदान केन्द्र का प्रभारी है तथा उसके कर्तव्य निम्नलिखित हैः–

(i) किसी भी प्रशिक्षण कक्षाओं में अनुपस्थित न रहना।

(ii) आयोग के सभी महत्वपूर्ण निर्देशों को अपने पास रखना

(iii) EVM & VVPAT के साथ सम्पन्न होने वाले निर्वाचन के नवीनतम नियमों एवं प्रक्रियाओं से परिचित होना।

(iv) EVM सहित VVPAT के संचालन की सम्पूर्ण प्रक्रिया से अपने आपको पूर्ण रूप से परिचित करावें एवं उनमें दिये बटन तथा स्विचस् की फंक्शन भी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करें।

(v) निर्वाचन सामग्री प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित करें कि आपको समस्त सामग्री **अनुलग्नक–3** में दी गई सूची के अनुसार प्राप्त हो गई है।

(vi) आपको मापदण्डों के अनुरूप मतदान केन्द्र की स्थापना करनी है। BU और VVPAT को मतदान कोष्ठ में उनके स्थान पर रखना है। आपको मतदान केन्द्र की व्यस्थाओं को बनाने के संबंध स्पष्ट समझ होनी चाहिए। विशिष्ट रूप से यह ध्यान रखना होगा कि मतदान की गोपनीयता को सुरक्षित रखना, मतदाताओं की पंक्ति की निरन्तरता को बनाये रखना, बाहरी अवरोधों से निर्वाचन प्रक्रिया को सुरक्षित रखने में स्वतन्त्र होना इत्यादि। आपको अपने आबंटित मतदान केन्द्र पर पहुँचकर यह सुनिश्चित करना है कि आपको अपने आबंटित मतदान केन्द्र के लिए केन्द्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल (CAPF) या पुलिस व्यवस्था प्रदान की गई है या नहीं। यदि आपको माइक्रो आब्जर्वर एवं डिजिटल कैमरा/Web Casting सुविधा दी गई है, तो आपको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए।

(vii) किसी भी दशा में, बैलेट युनिट्स, कन्ट्रोल यूनिट्स या वीवीपैट को फर्श पर नहीं रखना चाहिए। उनको मेज पर रखना चाहिए। बैलेट ईकाई और वीवीपैट को उनकी नियत ईकाई से जोड़े।

(viii) उम्मीद्वार/अभिकर्ता के समक्ष मतदान शुरू होने के नियत समय से पूर्व वोटिंग मशीन का प्रदर्शन करें ताकि यह स्पष्ट हो कि वोटिंग मशीन में कोई मत नहीं डाले गये है।

(ix) यह सुनिश्चित करने के लिए कि EVM & VVPAT सही तरीके से काम कर रहे है, मतदान अभिकर्ताओं को निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यादृच्छिक रूप से कुछ वोट डालकर मॉकपोल आयोजित करें। CU परिणाम और VVPAT में पेपर पर्चियों की गिनती का मिलान करें। आयोग की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार मॉकपोल में कम से कम 50 वोट डाले जायेंगे और नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार के लिए कम से कम एक वोट डाला जावेगा।

(x) मॉकपोल के परिणाम को कन्ट्रोल यूनिट से मिटा दें एवं VVPAT ड्रापबाक्स से मॉकपोल पर्चियां हटा दें। मॉकपोल का प्रमाणपत्र तैयार करें (**अनुलग्नक–5 के भाग 1** में दर्शाऐ अनुसार)

(xi) यह स्पष्ट जान लें कि आयोग के निर्देशानुसार यदि मतदान केंन्द्र में मॉकपोल नहीं हुआ है तो उस मतदान केन्द्र में मतदान भी नहीं होगा।

(xii) याद रखें कि इस प्रकार के मॉकपोल में रिकॉर्ड किये गये मतों को वोटिंग मशीन की कन्ट्रोल यूनिट से मिटा देना चाहिए जिससे मॉकपोल से संबंधित डाटा मशीन की मेमोरी में न रहे एवं पेपर स्लिप VVPAT ड्रॉपबॉक्स से निकाल लेना चाहिए जिससे मॉकपोल के पश्चात VVPAT का ड्रॉपबॉक्स खाली रहे।

(xiii) प्रथम मतदाता द्वारा फार्म 17A (मतदाता रजिस्टर) पर हस्ताक्षर करने के पूर्व मतदान अधिकारी–1 पीठासीन अधिकारी के साथ मिलकर जांच करेगा और स्याही से फार्म 17A में अभिलिखित करेगा कि "कन्ट्रोल यूनिट में दर्शित कुल मतों (Total) की जांच कर ली गयी है और वह शून्य (zero) दर्शित हो रहा है।

(xiv) सुनिश्चित करें कि लोकसभा निर्वाचन के लिए नियंत्रण इकाई में लगाये जाने वाले हरे कागज की सील पर केवल लोकसभा निर्वाचन के उम्मीदवार या उनके मतदान ऐजेंट, जो उस समय मतदान केन्द्र पर उपस्थित हो, अपने हस्ताक्षर करें और इसी तरह विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रयुक्त नियंत्रण इकाई में लगाये जाने वाले हरे कागज की सील पर विधानसभा निर्वाचन के उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता उस पर हस्ताक्षर करें।

(xv) मतदान अभिकर्ता तथा अन्य उपस्थित व्यक्तियों को यह प्रदर्शित करें कि मतदाता सूची की चिन्हित प्रति (मतदान करने की अनुमति देने वाले मतदाताओं के नाम चिन्हित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मतदाता सूची की प्रति) में डाकमत पत्र/EDC से मतदान करने वाले मतदाताओं के लिए अंकित मार्क के अलावा कोई अन्य टिप्पणी नहीं है।

(xvi) देखें कि वोटिंग कम्पार्टमेंट्स को ठीक से व्यवस्थित किया गया है और बाहर उचित पोस्टर्स चिपकाये गये हैं ताकि यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सके कि किस निर्वाचन से सम्बंधित बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट अन्दर रखी हुई है।

(xvii) सुनिश्चित करें कि मतपत्र इकाईयों और वीवीपैट्स को उनसे संबंधित नियंत्रण इकाईयों से जोड़ने के लिए केबल (cable) इस तरह लगाये गए हैं कि वह सभी को दिखाई दें, साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि मतदाताओं को मतदान केन्द्र के अन्दर अपनी गतिविधियों के दौरान उन्हें पार (cross) करने की आवश्यकता न पड़े और कनेक्टिंग केबल की पूरी लम्बाई सभी को दिखाई दे रही है और छिपी नहीं है। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वोटिंग कम्पार्टमेंट के नीचे केबल ढीली ना लटके। बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट के कनैक्टिंग तारों को टेबल के पाये से आधा इन्च चौड़े में "पारदर्शी चिपकने वाला टेप" से इस तरह से टेप करें कि तार हवा में न लटके जिससे कि तार का भार बैलेट यूनिट और वीवीपैट के कनेक्टिंग स्विच पर न पड़े।

(xviii) यह भी सुनिश्चित करें कि मतदान दल के सदस्य मतदान शुरू होने से पूर्व नियत स्थान पर बैठे तथा आवश्यक सामग्री एवं रिकार्ड को मतदान के सही समय पर शुरू करने के लिए तैयार रखें।

(xix) मतदान दल के किसी भी सदस्य या मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र में इधर–उधर ना घूमनें दें तथा वे नियत स्थान पर ही बैठें।

(xx) मतदान शुरू होने के लिए निर्धारित समय पर वास्तविक मतदान प्रारंभ करें। मतदान शुरू करने से पहले मतदान केन्द्र में उपस्थित उम्मीदवारों, उनके अभिकर्ताओं एवं पोलिंग अधिकारियों को मतदान की गोपनीयता बनाये रखने के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के अनुसार प्रावधानों को पढ़ना चाहिए एवं उनके ध्यान में लाना चाहिए।

(xxi) मतदान केन्द्र में उपस्थित सभी व्यक्तियों के सामने घोषणा को जोर से पढ़े और घोषणा पर हस्ताक्षर करें तथा उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करें। यदि कोई मतदान अभिकर्ता घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इंकार करता है तो पीठासीन अधिकारी को ऐसे मतदान अभिकर्ता के नाम दर्ज करने चाहिए, जिन्होने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये है तथा वोटिंग मशीन के प्रदर्शन, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति मतदाता और रजिस्टर के बारे में एक निर्धारित प्ररूप में घोषणा करनी चाहिए और उम्मीदवारों/मतदान अभिकर्ता और उनके ऐजेंट्स के हस्ताक्षर प्राप्त करें। **(अनुलग्नक–6)**

(xxii) मतदान के दौरान, मतदाताओं की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखें एवं सतर्क रहें तथा ध्यान रखें कि कोई वोटर बिना मतदान किये न जावे। पीठासीन अधिकारी की डायरी में इस प्रकार की होने वाली घटनाओं को रिकार्ड में लेना चाहिए। **(अनुलग्नक–7)**

(xxiii) यह सुनिशचित करें कि मतदान प्रारम्भ होने के प्रथम एक घण्टे में सामान्यतः मतदान कार्य अधिक होता है तब कोई भी मतदान दल का सदस्य अपने निर्धारित कार्य में कोताही न बरतें।

(xxiv) डाले गये मतों की कन्ट्रोल यूनिट से समय–समय पर जाँच करें और सुनिशचित करे कि मतदाताओं ने अपनी मतदाता पर्ची पर दिये गये क्रमांक के अनुसार वोट दिये है।

(xxv) यह सुनिशचित करें कि एक साथ निर्वाचन होने पर लोकसभा निर्वाचन हेतु प्ररूप 17C **(अनुलग्नक–8)** की प्रति लोकसभा के उम्मीद्वार के मतदान अभिकर्ता को प्रदान की गई है तथा विधान सभा निर्वाचन हेतु प्रारूप 17C

(**अनुलग्नक–8**) की प्रति विधान सभा क्षेत्र के उम्मीद्वार के मतदान अभिकर्ता को प्रदान की गई है।

(xxvi) यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर बैलेट यूनिट और वीवीपैट की जाँच करें कि मतदाताओं ने इसके साथ किसी तरह से छेड़छाड़ तो नहीं की है। आपको ऐसे मामले में निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 49 Q के तहत वोटिंग कम्पार्टमैंट में प्रवेश करने और ऐसे कदम उठाने का अधिकार है जिससे आप यह सुनिश्चित कर सकते है कि मतदान इकाई के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ या हस्तक्षेप नहीं किया गया है और जिससे मतदान सुचारू एवं व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़े। हाँलाकि, यह सावधानी रखें कि जब आप वोटिंग कम्पार्टमैंट में प्रवेश करें तो अकेले प्रवेश न करें। आपको मतदान केन्द्र पर उपस्थित एक या दो या अधिक मतदान अभिकर्ताओं को अपने साथ ले जाने की अनुमति देनी चाहिए।

(xxvii) मतदान के शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संचालन के लिए मतदान केन्द्र में कार्यवाही को विनियमित करने के लिए बहुत अधिक कुशलता की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके साथ ही आपको दृढ़ एवं निष्पक्ष भी रहना चाहिए। **यदि मतदान केन्द्र पर कोई घटना होती है और आपके द्वारा रिपोर्ट नहीं की जाती हैं, लेकिन किसी अन्य स्त्रोत से रिपोर्ट की जाती है, तो आयोग इसे गंभीरता से ले सकता है और आपके खिलाफ कार्यवाही शुरू कर सकता है।**

(xxviii) निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय पर मतदान समाप्त करे, भले ही किसी भी कारण से मतदान शुरू होने में देरी हुई हो। हांलाकि, मतदान के समापन हेतु निर्धारित समय पर मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदाताओं को मतदान करने की अनुमति दी जावेगी, भले ही इसके कारण कुछ और समय तक मतदान जारी रहे। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मतदान समाप्ति हेतु निर्धारित समय के बाद कोई भी मतदाता पंक्ति में न शामिल हो। इस प्रयोजन के लिए, आपको पंक्ति में खड़े सभी मतदाताओं को अपने द्वारा हस्ताक्षरित क्रमांकित पर्चियाँ वितरित करनी चाहिए। इस तरह से पर्चियों का वितरण कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति से शुरू करना चाहिए। जब सभी मतदाता अपना वोट डाल दें और कोई भी न बचें तो मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर में अंतिम मतदाता की प्रविष्टि दर्ज करने के बाद तारीख और समय बताते हुए हस्ताक्षर सहित एक लाल रेखा लगाएगा। कतार में खड़े सभी मतदाताओं के वोट डालने के बाद कंट्रोल यूनिट को **"क्लोज बटन"** दबाकर मतदान समाप्त करें। **आपको मतदान समाप्ति हेतु निर्धारित समय से 15 मिनट पहले मतदान समाप्ति समय के बारे में जोर–जोर से घोषणा करनी चाहिए।**

(xxix) सुनिश्चित करें कि मतदान समाप्त होने पर, आपको फार्म 17C (**अनुलग्नक–8**) के भाग एक में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा तैयार करना होगा और उस फार्म में इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट कॉलम में मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने होंगे। रिकॉर्ड किये गये मतों के ऐसे लेखे की प्रमाणित प्रतियाँ मतदान केन्द्र पर उपस्थित प्रत्येक उम्मीदवार के मतदान अभिकर्ताओं को दी जानी आवश्यक है। आपको आयोग द्वारा निर्धारित प्ररुप में उम्मीदवारों के अभिकर्ताओं को ऐसी प्रतियाँ प्रदाय करने के संबंध में एक घोषणा भी करनी होगी।

(xxx) मतदान समाप्ति के बाद VVPAT सहित वोटिंग मशीन और सभी निर्वाचन प्रपत्रों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तरीके से सील और सुरक्षित किया जाना चाहिए। मतदान केन्द्र पर उपस्थित उम्मीदवारों या उनके ऐजेन्टों को, यदि वे चाहें तो, आपकी मुहर के अलावा, वोटिंग मशीन और VVPAT और निर्वाचन प्रपत्रों पर अपनी मुहर लगाने की अनुमति दी जावेगी। आपको वोटिंग मशीन और वीवीपैट और निर्वाचन प्रपत्रों की सीलिंग और सुरक्षा के बारे में प्रासंगिक निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए ताकि कोई गलती न हो।

(xxxi) यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि आप विधिवत सीलबद्ध और सुरक्षित वोटिंग मशीन, वीवीपेट तथा निर्वाचन संबंधित सभी प्रपत्र उसके संग्रह के लिये जिम्मेदार अधिकारी को उचित पॉवती के साथ सौंप दें।

(xxxii) आपके संदर्भ और सुविधा के लिये विभिन्न चरणों में, आपके कर्तव्य संक्षेप में पांच अलग–अलग शीर्षकों के तहत **अनुलग्नक–9** में दिये गये है।

(xxxiii) चेक मेमो: यह सुनिश्चित करने के लिये कि आपने निर्वाचन के संबंध में विभिन्न वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा किया है, निर्वाचन आयोग ने आपके लिये एक चेक मेमो तैयार किया है, जो **अनुलग्नक–10** में दिया है। उक्त चेक मेमों का आपके द्वारा समुचित रख–रखाव किया जाना चाहिए।

(xxxiv) आपको अपने मोबाईल फोन को साईलेंट मोड में ले जाने की अनुमति है।

1.13 मतदान समाप्ति

(i) पीठासीन अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्धारित मतदान प्रक्रियाओं के अनुसार मतदान समाप्ति हेतु निर्धारित समय में विधिवत समाप्त हो जावे। उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार अंतिम मतदाता द्वारा मतदान करने के बाद कन्ट्रोल यूनिट पर क्लोज बटन दबाकर मतदान बंद करें। निर्धारित सभी प्रपत्रों को सावधानीपूर्वक और विधिवत भरने के बाद, नियंत्रण इकाई को बंद कर देना चाहिए तथा वीवीपेट को मतदान इकाई एवं नियंत्रण ईकाई से अलग कर देना चाहिए और उन्हें उनके संबंधित कैरी–केस में सील कर देना चाहिए। इस आशय की एक रिपोर्ट **अनुलग्नक–5** के **भाग–3** के अनुसार तैयार की जानी चाहिए।

(ii) पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्ति के बाद मतदान एजेंटों की उपस्थिति में वीवीपेट के पॉवरपैक (बैटरी) हटा देगा। वीवीपेट से पॉवरपैक (बैटरी) हटाने के बाद ही वीवीपेट के कैरी–केस को मतदान एजेंटों की उपस्थिति में सील कर दिया जावेगा। इस प्रकार हटाये गये पावर पैक को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिसेप्शन सेंटर में जमा किया जावेगा। (ई.वी.एम. मैन्यूअल का नवीनतम संस्करण देखें)।

(iii) एक साथ निर्वाचन के मामले में, कागजात अलग से तैयार एवं सील किये जाने चाहिए। एक साथ होने वाले निर्वाचनों में, पीठासीन अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी इकाईयों के केरी–केस के बाहर संबंधित निर्वाचनों के पहचान रिटकर दृढ़ता से चिपकाए जावें। उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मतपत्र इकाईयां, नियंत्रण इकाईयां, वीवीपेट्स केवल उसके संबंधित केरी–केस में रखे जायें और निर्वाचन पहचान लेवल मजबूती से चिपकाया जावे। इसके अलावा उससे संबंधित केरी–केस में विधिवत् भरे हुये एड्रेस टेग भी लगाने चाहिए।

(iv) पीठासीन अधिकारी सभी सीलबद्ध इकाईयों और निर्वाचन रिकॉर्ड को रिसेप्शन सेंटर में रिटर्निंग अधिकारी को सौंप देगा।

1.14 सेक्टर अधिकारी

(i) सेक्टर अधिकारी (SO) पीठासीन अधिकारी (PrO) और रिटर्निंग अधिकारी (RO) के बीच एक संयोजक के रूप में कार्य करते है। जरूरत पड़ने पर पीठासीन अधिकारी सेक्टर अधिकारी से कोई अतिरिक्त निर्वाचन सामग्री ई.वी.एम. वीवीपेट, पॉवरपैक आदि प्राप्त कर सकता है।

(ii) पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक 2 घंटे के बाद मतदान रिपोर्ट सेक्टर अधिकारी को प्रस्तुत करें और साथ ही वह वल्नरेबल क्षेत्र/समुदाय के मतदाताओं की संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जिन्हें मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में चिन्हित किया गया है।

(iii) पीठासीन अधिकारी का रिपोर्ट का भाग–4 और भाग–5 **(अनुलग्नक–5)** सेक्टर अधिकारी द्वारा एकत्र किया जावेगा। सेक्टर अधिकारी उक्त रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी को सौंपेगा।

1.15 मतदाता सहायता बूथ

(i) प्रत्येक मतदान केन्द्र परिसर/भवन स्थान के लिये, मतदान केन्द्रों की संख्या को ध्यान में न रखते हुए, एक मतदाता सहायता बूथ स्थापित किया जावेगा। इसका उद्देश्य मतदाता को मतदान केन्द्र संख्या और मतदाताओं की क्रम संख्या का पता लगाने में सुविधा प्रदान करना है। इसके लिये वर्णानुक्रम में भागवार मतदाता सूची तैयार की जाती है। इसके अलावा किसी भाग के भीतर नामों की वर्णमाला क्रम को अनुभाग के अनुसार विभाजित नहीं किया गया जाएगा।

(ii) वर्णमालानुसार सूची विशिष्ट रूप से अंग्रेजी में मुद्रित होनी चाहिए। एकल/दोहरे मतदान केन्द्र वाले भवनों के लिए अलग टीम या मतदाता सहायता बूथ की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में, मतदान केन्द्र में मतदाताओं की आसान पहचान के लिये (चिन्हित प्रति के अतिरिक्त) पीठासीन अधिकारी को वर्णमाला रोल लोकेटर प्रदान किया जावेगा। प्रत्येक मतदाता सहायता बूथ के लिये रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकारियों की एक टीम नियुक्ति की जायेगी। नियुक्ति केवल मतदान दिवस के लिये की जानी हैं। VAB कर्मियों के लिये बैठने की आवश्यक व्यवस्था की जावेगी।

(iii) "मतदाता सहायता बूथ" दर्शानें वाले साइनेज को इस तरह से लगाया जाना चाहिये कि जब मतदाता परिसर/भवन की ओर बढ़ें तो यह उन्हें पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे। VAB कर्मी ऐसी जानकारी मांगने वाले प्रत्येक मतदाता के बूथ नम्बर और क्रमांक का पता लगायेंगें।

अध्याय – 02

मतदान केन्द्र की स्थापना एवं सुरक्षा व्यवस्था

2.1 मतदान केंद्र पर आगमन

आपको अपने दल के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशानुसार मतदान से एक दिन पूर्व मतदान केंद्र पर पहुँच जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन और VVPAT को न खोलें। साथ ही स्थानीय निवासियों के आतिथ्य को स्वीकार न करें।

2.2 मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति

किसी अनपेक्षित परिस्थिति के कारण यदि आपके मतदान केंद्र में नियुक्त कोई मतदान अधिकारी अनुपस्थित रहता है या वह अपने कर्तव्य को करने में सक्षम नहीं है, तो पीठासीन अधिकारी को अधिकार है कि वह मतदान स्थल पर उपस्थित किसी व्यक्ति को मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त करे और जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित करें। परन्तु वह व्यक्ति उस निर्वाचन में किसी उम्मीद्वार का कर्मी या उसकी ओर से कार्य करने वाला या अन्यथा उसके लिए काम करने वाला व्यक्ति न हो।

2.3 एकल चुनाव में मतदान केन्द्र की स्थापना

(i) जहां मतदान केंद्र स्थापित किया जाना है, आप उस स्थान पर पहुँचने पर मतदान हेतु प्रस्तावित भवन की जांच करेंगे और सेट अप की योजना बनाएँ। यदि वहाँ पहले से ही मतदान केंद्र स्थापित हो, तो केंद्र की जांच करें। (एकल चुनाव में 3 मतदान अधिकारियों के साथ मतदान दल की व्यवस्था को दिखाने वाला मॉडल मतदान केंद्र का रेखा चित्र नीचे दिया गया है) यदि आवश्यक हो तो पीठासीन अधिकारी वास्तविक मतदान केंद्र की स्थापना में मामूली फेर बदल कर सकता है, किंतु यह सुनिश्चित कर लें कि:–

- मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त जगह हो।
- जहां तक व्यावहारिक रूप से संभव हो, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग प्रतीक्षा स्थल हो
- मतदाताओं के लिए अलग प्रवेश और निकास द्वार हो।
- यदि मतदान केंद्र के कक्ष में केवल एक दरवाजा है, तो दरवाजे के बीच बांस और रस्सी की मदद से मतदान केंद्र के लिए अलग प्रवेश और निकास व्यवस्था की जा सकती है।

मतदान के दिन मतदान केंद्र का ले–आउट

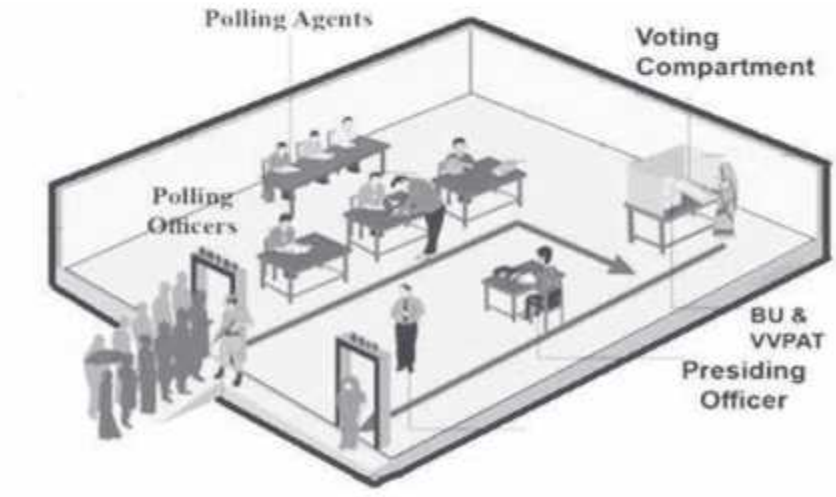

(ii) यह सुनिश्चित करें कि उच्चवाटेज तापदिप्त बल्ब/ट्यूब लाइट मतदान प्रकोष्ठ के ऊपर या सामने न रखी जाएं (क्योंकि अधिक प्रकाश में VVPAT त्रुटि मोड में जा सकता है) मतदान प्रकोष्ठ को इस तरीके से रखें:–

- मतदान प्रकोष्ठ के अंदर पर्याप्त प्रकाश उपलब्ध हो
- मतदान प्रकोष्ठ के ऊपर या सामने सीधा प्रकाश न हो
- मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन न हो
- मतदान प्रकोष्ठ को खिड़की दरवाजे के पास न रखा जाए,

(iii) निर्वाचक मतदान केंद्र में प्रवेश से लेकर कक्ष छोड़ने तक आसानी से आ जा सके, और उन्हें मतदान केंद्र के भीतर आड़ा–तिरछा न चलना पड़े।

(iv) सभी मतदान अधिकारियों की बैठक व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए कि वे किसी मतदाता को मत रिकार्ड़ करने हेतु बैलेट यूनिट पर बटन दबाते न देख पाए।

(v) मतदान प्रकोष्ठ को नियंत्रण यूनिट से पर्याप्त दूरी पर होना चाहिए। VVPAT और नियंत्रण यूनिट को जोड़ने वाली केबल की लंबाई लगभग पाँच मीटर होती है। इसलिए मतदान प्रकोष्ठ को उपयुक्त दूरी पर रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही केबल को ऐसे लगाया जाना चाहिए ताकि मतदाताओं को आने जाने में बाधा न हो और वे इससे उलझकर न गिरें। केबल की पूरी लंबाई दिखाई देनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में वस्त्र या टेबल के नीचे छिपा हुआ नहीं होना चाहिए। BU और VVPAT की कनेक्टिंग तारों को पारदर्शी चिपकाने वाली टेप के साथ टेबल के पैर पर इस तरीके से चिपकाएँ कि तार हवा में न लटकें और VVPAT और नियंत्रण यूनिट के कनेक्टर को प्रभावित न करे। बैलट यूनिट और VVPAT को मतदान प्रकोष्ठ में रखते समय सुनिश्चित करें कि मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन न हो। VVPAT को प्रथम बैलट यूनिट के बाएँ तरफ रखें।

(vi) विशेष ध्यान दिया जाए कि मतदान प्रकोष्ठ नालीदार प्लास्टिक शीट (फ्लेक्स– बोर्ड) जो स्टील ग्रे रंग का हो (जो अपारदर्शी और पुनः उपयोगी हो). यदि एक बैलट यूनिट का उपयोग किया जाता है तो मतदान प्रकोष्ठ में तीन फोल्ड हों, और प्रत्येक फोल्ड का आयाम 24"x 24" x30" (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई) हो। यदि मतदान में एक से अधिक बैलट यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो मतदान प्रकोष्ठ की चौड़ाई को प्रत्येक अतिरिक्त बैलट यूनिट के लिए 12 इंच तक बढ़ाया जा सकता है। जहां अतिरिक्त BU का उपयोग किया जाता है, तो इसे **अनुलग्नक – 23** के अनुसार व्यवस्थित करें। मतदान प्रकोष्ठ में EVM को रखते समय सुनिश्चित करें कि मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन न हो और यह मतदान केंद्र की खिड़की या दरवाजे के पास न हो। (संदर्भः नवीनतम ईवीएम मैनुअल और VVPAT) इसे खिड़की या दरवाजे से दूर रखें।

2.4 एक साथ होने वाले निर्वाचन हेतु मतदान केंद्र की स्थापना

(i) उस मतदान केंद्र के लिए, जहां ईवीएम और VVPAT के (2) सेट्स एक साथ होने वाले चुनावों (जैसे लोक सभा और विधान सभा के चुनाव एक साथ) में उपयोग में लाए जाने हैं, लेआउट नीचे दिया गया है। लेआउट में मतदान केंद्र में प्रवेश और निर्गमन के लिए केवल एक दरवाजा दिखाया गया है। हालांकि, यदि मतदान केंद्र के कमरे में दो दरवाजे हैं, तो प्रवेश और निर्गमन को अलग अलग दरवाजों से – व्यवस्थित किया जा सकता है

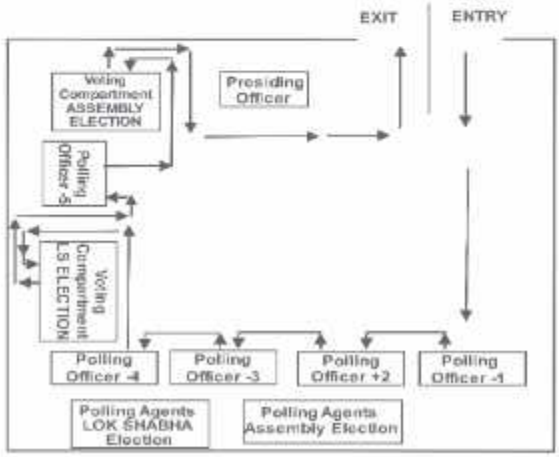

(ii) दो (2) पृथक मतदान प्रकोष्ठ होंगे – एक लोकसभा निर्वाचन के BU (बैलट यूनिट) और VVPAT रखने के लिए, और दूसरा विधानसभा निर्वाचन के BU (बैलट यूनिट) और VVPAT रखने के लिए हों। मतदान प्रकोष्ठ में पृथक प्रथक रूप से दो सूचनाएँ बड़े बड़े अक्षरों में अंकित करें। एक नोटिस पर **"मतदान प्रकोष्ट लोकसभा निर्वाचन और दूसरे पर "मतदान प्रकोष्ट विधानसभा निर्वाचन"** लिखें।

(iii) मतदाताओं को गोपनीय तरीके से वोट देना अनिवार्य है और इस लिए BU और VVPAT को मतदान प्रकोष्ठ में रखना जरूरी है। मतदान प्रकोष्ठ के तीनों साइड ढके होते हैं। BU और VVPAT को मतदान प्रकोष्ठ के अंदर टेबल पर इस तरीके से रखना होता है कि मतदाताओं को अपना मत दर्ज करने में कोई कठिनाई न हो। जिस टेबल पर CU रखा और चलाया जाएगा वहाँ से मतदान प्रकोष्ठ को पर्याप्त दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए। VVPAT और CU के बीच जोड़ने वाली तार इस तरह रखा जाना चाहिए कि यह मतदाताओं के आने जाने को बाधित न करे, और वे इससे उलझे या गिरें नहीं। केबल की पूरी लंबाई दिखाई देनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में इसे कपड़े या मेज के नीचे छिपाया न जाए। यह मतदान प्रकोष्ठ के पिछले भाग से एक छेद के माध्यम से बाहर निकलना चाहिए। यद्यपि मतदान प्रकोष्ठ में यह छेद भी इतना चौड़ा न हो कि मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन हो जाए। BU और VVPAT को मतदान प्रकोष्ठ में रखते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदान की गोपनीयता भंग न हो। इस हेतु सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह खिड़की या मतदान केंद्र के दरवाजे के पास न हो। VVPAT को पहली बैलट इकाई के बाएं तरफ रखना चाहिए। यह खिड़की/दरवाजे से दूर रखा जाना चाहिए किंतु मतदाताओं को BU पर बैलट पढ़ने के लिए पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि VVPAT को सीधे प्रकाश के नीचे नहीं रखा गया है।

2.5 एक साथ होने वाले चुनाव की प्रक्रिया:

(i) जब मतदाता मतदान स्थल में प्रवेश करते हैं, पहले वे प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाएंगे। प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान चुनाव आयोग द्वारा जारी उसके EPIC या आयोग द्वारा निर्धारित अन्य दस्तावेजों से करेगा।

(ii) इसके उपरांत मतदाता द्वितीय मतदान अधिकारी के पास जाएगा। द्वितीय मतदान अधिकारी पहले मतदाता के बांये हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही से निशान बनाएगा और उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान मतदाता रजिस्टर पर लेगा। अगर मतदाता अंगूठे का निशान लगाता है, तो मतदान अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा की मतदाता ने अंगूठे पर बची हुई स्याही टेबल पर रखे गीले कपड़े से पोंछ ली है।

(iii) जब द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही का निशान तथा रजिस्टर में हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान ले रहा हो, तब तृतीय मतदान अधिकारी, जो द्वितीय मतदान अधिकारी के साथ टेबल शेयर करेगा, दो एक जैसी मतदाता पर्चियाँ बनाएगा, पहली सफेद और दूसरी गुलाबी कागज पर देगा तथा मतदाता की उँगली का परीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगा की अमिट स्याही ठीक से लगी है या नहीं। तत्पश्चात् वह मतदाता पर्चियाँ मतदाता को सौंप देगा।

(iv) **लोक सभा निर्वाचन हेतु मतदान:** लोक सभा और विधान सभा निर्वाचन हेतु दोनो पर्चियाँ लेने के उपरांत मतदाता चतुर्थ मतदान अधिकारी के पास जाएगा जो कि लोकसभा निर्वाचन की कंट्रोल यूनिट (CU) का प्रभारी होता है। मतदाता सफेद पर्ची चतुर्थ अधिकारी को देगा। मतदाता की बारी सुनिश्चित करने पर यह अधिकारी CU पर बना 'बैलेट' बटन दबाएगा और मतदाता को लोकसभा के मतदान कक्ष में मतदान हेतु जाने के लिए निर्देशित करेगा। यह करते समय, चतुर्थ मतदान अधिकारी मतदाता को जानकारी देगा की लोक सभा का मतदान करने के बाद उसे विधान सभा निर्वाचन में

मतदान करने के लिए गुलाबी मतदाता पर्ची लेकर पंचम मतदान अधिकारी के पास जाना होगा। तब मतदाता लोकसभा निर्वाचन के लिए बने मतदाता प्रकोष्ठ में प्रवेश करेगा और बैलेट यूनिट पर अपने पसंद के उम्मीदवार के लिए नीला बटन दबाकर मतदान करेगा।

(v) **विधानसभा निर्वाचन हेतु मतदानः** यह सुनिश्चित किया जाए की लोक सभा निर्वाचन हेतु मतदान के पश्चात मतदाता पंचम मतदान अधिकारी के पास जाएगा जो विधान सभा के CU का प्रभारी होगा। मतदाता से गुलाबी पर्ची लेने के पश्चात तथा मतदान के लिए उसकी बारी सुनिश्चित कर पंचम मतदान अधिकारी विधान सभा निर्वाचन के CU के "Ballot" बटन को दबाएगा और मतदाता को मतदान प्रकोष्ठ में जाकर मत देने के लिए निर्देशित करेगा। पंचम मतदान अधिकारी अमिट स्याही की जाँच कर यह सुनिश्चित करेगा की स्याही उचित तरीके से लगी हुई है।

2.6 अन्य सावधानियाँः

(i) यदि आपके मतदान केंद्र पर पर्दानशीन महिला मतदाताओं की संख्या अधिक हो, तो आपको उनकी पहचान के लिए और गोपनीयता, गरिमा और शिष्टता को ध्यान में रखते हुए अलग कक्ष में बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही महिला मतदान अधिकारी द्वारा लगाने की विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे विशेष कक्ष के लिए आप स्थानीय उपलब्ध लेकिन सस्ती सामग्री का उपयोग कर सकते हैं।

(ii) यदि एक ही इमारत में एक से अधिक मतदान केंद्र हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदाताओं को विभाजित करने और उन्हें हर मतदान केंद्र के सामने के स्थान में अलग–अलग इंतजार करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है, जिससे कि कोई भ्रम न हो।

(iii) मतदान केंद्र पर तीन कतारें होनी चाहिए एक पुरुष मतदाता के लिए, दूसरी महिला मतदाता के लिए और तीसरी दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं के लिए। दो महिला मतदाताओं के बाद एक पुरुष मतदाता को मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(iv) यदि मतदान केंद्र किसी निजी भवन/निजी संस्थान में स्थित है, तो भवन और उसके आस–पास के सौ मीटर की परिधि तक का क्षेत्र आपके नियंत्रण में होना चाहिए। भवन स्वामी से संबंधित किसी भी व्यक्ति (चौकीदार/रक्षक या कोई अन्य) चाहे शस्त्र सहित या रहित को न तो मतदान केंद्र पर और न ही इसके दो सौ मीटर की परिधि के भीतर रहने दिया जाना चाहिए। मतदान केंद्र पर और उपरोक्त क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से आपके नियंत्रण में होगी जिसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी।

(v) चुनावों से संबंधित किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं की फोटो या प्रतीक या नारे मतदान केंद्र पर प्रदर्शित नहीं किए जाने चाहिए और यदि वे पहले से मौजूद हैं, तो मतदान समाप्त होने तक आपको उन्हें हटाने और दूर रखने के लिए कदम उठाने चाहिए।

(vi) मतदान के दिन मतदान केंद्र के भीतर किसी भी प्रयोजन के लिए खाना पकाने या आग लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

2.7 सूचना का प्रदर्शन

(i) प्रत्येक मतदान केंद्र के बाहर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंः

- निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र के लिए निर्धारित मतदाताओं के विवरण वाली सूचना और
- प्ररूप 7A में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची।

(ii) सूचना की भाषा वही होगी जो निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में है और नामों का क्रम भी वही होना चाहिए।

(iii) मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने लगाए गए पोस्टर्स को प्रत्येक मतदान केंद्र के बाहरी दीवार पर, प्रवेश के पास लगाया जाना चाहिए।

(iv) मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए कार्ड बोर्ड (वास्तविक आकार) के डमी बैलेट पेपर पर EVM बैलेट यूनिट का मुद्रित नमूना प्रदर्शित करें।

(v) **"आप** CCTV / **वेब कैमरा की निगरानी में हैं"** यह सन्देश प्रदर्शित करें।

2.8 मतदान केंद्रों में प्रवेश हेतु पात्र व्यक्ति अधिकृत लोग

(i) आपके मतदान केंद्र में निर्धारित निर्वाचकों के अतिरिक्त केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रवेश दिया जा सकता है:

- समस्त मतदान अधिकारी,
- प्रत्येक उम्मीदवार, उनके चुनाव अभिकर्ता और एक समय पर प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा विधिवत् नियुक्त एक मतदान अभिकर्ता।
- आयोग द्वारा अधिकृत मीडिया कर्मी,
- चुनाव के संबंध में कर्तव्यस्थ लोक सेवक, आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक,
- माइक्रो पर्यवेक्षक, क्रिटिकल/वल्नरेबल क्षेत्र के मतदान केंद्र की स्थिति में वीडियोग्राफर/फोटोग्राफर/वेबकास्टिंग के लिए स्टाफ,
- एक बच्चा जो किसी निर्वाचक के साथ है,
- दृष्टिहीन और दिव्यांग मतदाता की सहायता के लिए आया एक व्यक्ति, जिसकी सहायता बिना मतदाता चल नहीं सकता है,
- ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें समय–समय पर मतदाताओं की पहचान के लिये या अन्य प्रकार से मतदान में आपकी सहायता करने के प्रयोजन से आप प्रवेश की अनुमति दें।
- आप यह नोट कर लें कि 'निर्वाचन कार्य से सम्बन्धित कर्तव्यरूढ़ लोक सेवक' शब्द में सामान्यतः पुलिस अधिकारी सम्मिलित नहीं हैं। सामान्य नियम के अनुसार ऐसे अधिकारियों को (चाहे वे वर्दी में हो या सामान्य कपड़ों में) मतदान बूथ के अन्दर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। परन्तु आवश्यकतानुसार कानून और व्यवस्था बनाये रखने या किसी ऐसे ही प्रयोजन से आप उन्हें बुलाने का निर्णय ले सकते हैं। बिना किसी अपरिहार्य कारणों के मतदान बूथ पर उनकी उपस्थिति पर कुछ अभ्यर्थियों अथवा दलों द्वारा यह आरोप लगाया जा सकता है कि उनके मतदान अभिकर्ताओं को अनावश्यक रूप से आतंकित किया जा रहा है।

(i) रिटर्निंग ऑफिसरों को चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को उनके फोटोग्राफयुक्त पहचान–पत्र जारी करने कहा गया है। आवश्यकता होने पर आप उनसे पहचान–पत्र प्रस्तुत करने के लिये कह सकते हैं। उसी प्रकार अभ्यर्थियों के निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी उनके नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रति प्रस्तुत करने के लिये कहा जा सकता है, जो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सत्यापित हो और जिस पर निर्वाचन अभिकर्ता की फोटो हो।

(ii) इसी प्रकार, निर्वाचक या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता के साथ किसी सुरक्षाकर्मी यदि कोई हो, को मतदान केन्द्र में प्रवेश की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए। परंतु Z+ सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के आने की दशा में उनके एक सुरक्षाकर्मी सादे कपड़ों में तथा अपने हथियार को पूरी तरह छिपा कर प्रवेश कर सकते हैं।

(iii) आप यह भी नोट कर लें कि 'निर्वाचन कार्य से सम्बन्धित कर्तव्यरूढ़ लोक सेवक' के अंतर्गत संघ और राज्यों के मंत्री, राज्यमंत्री और उपमंत्री सम्मिलित नहीं है। आयोग के निर्देशानुसार, उक्त व्यक्तियों को, जिन्हें राज्य के खर्च पर सुरक्षा प्राप्त है, निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता हैं।

(iv) स्थायी निर्देशों के अनुसार किसी मंत्री या राजनीतिक कार्यकर्ता, जो मतदान केन्द्र में उम्मीदवार या मतदाता के रूप में आता है, के सुरक्षा कर्मियों को मतदान कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। वे केन्द्र के बाहर प्रतीक्षा कर सकते हैं किन्तु किसी भी परिस्थिति में ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, जिससे मतदान में व्यवधान उत्पन्न हो।

(v) ऊपर उल्लेखित व्यक्तियों के प्रवेश को विनियमित किया जाना चाहिए अन्यथा निर्बाध और सुचारू रूप से मतदान संचालन बाधित हो सकता है। आप एक समय पर केवल तीन या चार मतदाताओं को ही मतदान बूथ में प्रवेश करने की अनुमति दें।

(vi) यदि आपको मतदान केन्द्र में किसी व्यक्ति कि मौजूदगी के बारे में अथवा उसके परिचय से संबंधित

कोई उचित संदेह हो, और यदि आवश्यक हो तो आप उसकी जांच करवा सकते हैं, भले ही उस व्यक्ति के पास मतदान केन्द्र में प्रवेश के लिए वैध अधिकार पत्र क्यों न हो।

(vii) अपने कर्तव्यों के पालन में आप केवल निर्वाचन आयोग के अनुदेशों से आबद्ध है।

(viii) निर्वाचकों की पहचान में आपकी सहायता करने के लिये या मतदान कराने में आपकी सहायता करने के लिये आपके द्वारा नियुक्त स्थानीय अधिकारी या महिला परिचारक को सामान्यतः मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार के बाहर ही बिठाया जाना चाहिए। उनको मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति तभी देनी चाहिए, जब किसी विशिष्ट मतदाता की पहचान या मतदान के सम्बन्ध में उनकी आवश्यकता हो। किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट तरीके से मत देने के लिये शब्दों या इशारो से प्रभावित करने या प्रभावित करने के प्रयत्न की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

2.9 मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति और उनका प्रतिसंहरण (रद्द करना):

(i) प्रत्येक अभ्यर्थी मतदान केंद्र पर एक मतदान अभिकर्ता और दो रिलीविंग मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। हालांकि, एक समय पर अभ्यर्थी के केवल एक मतदान अभिकर्ता को मतदान केंद्र के अंदर रहने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(ii) अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को रद्द किया जा सकता है। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को रद्द करने के लिए अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्धारित फॉर्म भरकर कार्यवाही की जाती है। (मतदान अभिकर्ता पर हैंडबुक के नवीनतम संस्करण को देखें)

(iii) यदि किसी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को रद्द किया जाता है या मतदान के समापन से पहले किसी मतदान अभिकर्ता की मृत्यु होती है, तो अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता मतदान के समाप्त होने से पहले किसी अन्य मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकते हैं। (मतदान अभिकर्ता पर हैंडबुक के नवीनतम संस्करण को देखें)

2.10 मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति हेतु योग्यताः

(i) चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मतदान अभिकर्ता सामान्य रूप से उसी मतदान केंद्र के निवासी और निर्वाचक होंगे या अधिकतम उसी निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले पड़ोसी मतदान केंद्र के होंगे। आयोग ने मानदंडो में आगे ढील दी है, और अब यदि उसी मतदान केंद्र से मतदान अभिकर्ता को नियुक्त करने में कोई कठिनाई हो, तो मतदान अभिकर्ता के रूप में उसी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मतदाता को नियुक्त किया जा सकता है। मतदान अभिकर्ता के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) या सरकार या किसी सरकारी एजेंसी द्वारा जारी कोई अन्य मान्यता प्राप्त पहचान प्रपत्र होना चाहिए।

(ii) यदि निर्वाचक, जिसे चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है, के पास अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) नहीं है, तो RO (रिटर्निंग अधिकारी) संबंधित चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिखित अनुरोध पर ऐसे निर्वाचक को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ करेगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी मतदान अभिकर्ता आसान और त्वरित पहचान के लिए मतदान के दिन अपने मतदाता फोटो पहचान पत्र या किसी अन्य मान्यता प्राप्त पहचान को स्पष्टता से प्रदर्शित करें।

(iii) ग्राम पंचायत प्रधान/ग्राम पंचायत सरपंच/पंचायत सदस्यों, पार्षदों या नगर निगम या नगर पालिका के सदस्यों और स्थानीय व्यक्तियों को मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

2.11 मतदान अभिकर्ता द्वारा नियुक्ति पत्रों को प्रस्तुत करनाः

(i) प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को प्ररूप 10 में अपना नियुक्ति पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसके द्वारा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने उसकी नियुक्ति की है। जाँच करें कि उसकी नियुक्ति आपके ही मतदान केन्द्र के लिए की गई है। यह पुष्टि हो जाने के बाद कि आपके ही मतदान केंद्र

के लिए मतदान अभिकर्ता नियुक्त किया गया है, मतदान अभिकर्ता को दस्तावेज पूरा भरना चाहिए और आपकी उपस्थिति में उसमें घोषणा पर हस्ताक्षर करने चाहिये, और फिर मतदान केंद्र में प्रवेश करने से पहले इसे आपको सौंप देना चाहिये। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी विशेष उम्मीदवार का एक से अधिक मतदान अभिकर्ता या रिलीविंग अभिकर्ता किसी भी समय मतदान केंद्र के अंदर मौजूद नहीं रहे पीठासीन अधिकारी प्रत्येक उम्मीदवार के मतदान अभिकर्ता के लिए प्रवेश पास **(अनुलग्नक–12)** जारी करेगा और प्रवेश पास का रिकॉर्ड **अनुलग्नक–13** में संलग्न प्रारूप अनुसार निर्धारित करेगा। इसे अन्य दस्तावेजों के साथ प्राप्तकर्ता केंद्र (रिसीविंग सेंटर) पर अन्य चुनाव सामग्री के साथ जमा करने के लिए लिफाफे में रखें। आपके समक्ष किसी मतदान अभिकर्ता द्वारा प्रारूप 10 में प्रस्तुत किये गए नियुक्ति पत्र की वास्तविकता के बारे में संदेह होने पर, आपको अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षरों का मिलान, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराये गये उनके नमूना हस्ताक्षरों से करना चाहिए।

2.12 मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थितिः

(i) अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता को मतदान प्रारंभ होने के कम से कम एक **90 मिनट** पूर्व मतदान केन्द्र पर पहुंचने के लिये कहा जाना चाहिए ताकि जब आप प्रारम्भिक व्यवस्थाएँ कर रहे हों, तो वे उपस्थित रहें। यदि इन प्रारंभिक व्यवस्थाओं का कोई भाग पहले पूरा किया जा चुका है, तो किसी देर से आने वाले व्यक्ति के लिये कार्यवाही को नये सिरे से प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के लिये समय सीमा से संबंधित कोई विनिर्दिष्ट कानून नहीं है। यदि कोई मतदान अभिकर्ता मतदान केन्द्र पर विलम्ब से भी आता है, तो उसे मतदान केन्द्र पर आगे की कार्यवाहियों में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(iii) प्रत्येक मतदान केंद्र में 'मतदान अभिकर्ता/स्थानापन्न अभिकर्ता (रिलीविंग एजेंट) संचालन पत्रक (मूवमेंट शीट) रखा जाए, जिसमें प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को हस्ताक्षर करना होगा, तथा जिसमें उसके मतदान केन्द्र में आने व मतदान केन्द्र से जाने के समय को दर्ज किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान के बाद इस पत्रक को अन्य दस्तावेजों के साथ EVM जमा केन्द्र में सौंपा जाएगा। 'मतदान अभिकर्ता/रिलीविंग/स्थानापन्न अभिकर्ता संचालन पत्रक का प्रारूप **अनुलग्नक–11** में उपलब्ध है।

(iv) रिटर्निंग ऑफिसर/असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर/मुख्य पुलिस अधिकारी/सेक्टर अधिकारी/नियंत्रण कक्ष सभी के टेलीफोन नंबर मतदान केन्द्रों में प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि अगर मतदान अभिकर्ताओं को कोई शिकायत हो, तो वे तत्काल हस्ताक्षेप के लिए उन्हें बुला सकते हैं।

2.13 मतदान अभिकर्ताओं के लिए अनुमति पत्र (pass):

प्रत्येक मतदान अभिकर्ता जिसे मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी गई हैं को, एक अनुमति पत्र या पास दें जिसके प्राधिकार से वह आवश्यकतानुसार मतदान केंद्र में आ जा सकें। हालांकि यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिये कि कोई मतदान अभिकर्ता मतदाता सूची की प्रति केन्द्र के बाहर न ले जा सके। इसके अतिरिक्त मतदान अभिकर्ताओं को लघु शंका अथवा दीर्घ शंका आदि के लिए अपरान्ह 3 बजे के बाद मतदान केन्द्रों से बाहर जाने और मतदान केन्द्र के भीतर वापस आने की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी उम्मीदवार का केवल एक मतदान अभिकर्ता या उसका स्थानापन्न रिलीवर ही एक समय में मतदान केन्द्र के भीतर उपस्थित हो। पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ताओं को EVM की सीलबंदी, घोषणा पर हस्ताक्षर आदि प्रकियाओं की निगरानी के लिए मतदान समाप्त होने तक मतदान केन्द्रों में ही रुकने की हिदायत देगा। निर्वाचन आयोग के स्थायी अनुदेशों के अनुसार मतदान केन्द्र के भीतर किसी भी स्थिति में सेलफोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने की अनुमति नहीं होगी। किन्हीं भी परिस्थितियों में अभिकर्ता को मतदान कर चुके या मतदान नहीं किए मतदाताओं की क्रम संख्या को दर्शाती हुई कोई पर्ची बाहर भेजने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

2.14 मतदान केन्द्र में मतदान अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्थाः

(i) मतदान केन्द्र इस प्रकार बनाया जाये कि मतदान अभिकर्ता मतदान केन्द्र के अन्दर बैठ सकें और मतदान के लिये अन्दर आने वाले मतदाता को देख सकें और आवश्यकता पड़ने पर उनके पहचान

को चुनौती दे सकें। वे मतदान केन्द्र की समस्त गतिविधियाँ जैसे, पीठासीन अधिकारी की टेबल/तीसरे मतदान अधिकारी की टेबल जहां पर कन्ट्रोल यूनिट रखा हुआ है और मतदाता का केन्द्र में प्रवेश, मतदान प्रकोष्ठ में जाना तथा मतदान पश्चात मतदान केन्द्र से निकास देख सकें। परन्तु उन्हें ऐसे स्थान पर नहीं बैठाना चाहिये, जहां से वह मतदाता को मत डालते देख सके और मत की गोपनीयता भंग हो। इसके लिये मतदान अभिकर्ताओं को निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के प्रभारी मतदान अधिकारी के बिल्कुल पीछे बिठाइए। जहाँ प्रवेशद्वार की स्थिति के कारण ऐसा किया जाना साध्य न हो, वहां उन्हें मतदान अधिकारियों के सामने बिठाया जाये।

(ii) छोटे मतदान केन्द्रों में जहां स्थानों का अभाव हो या जहां उम्मीदवारों की संख्या असामान्य रूप से अधिक हो तथा उनके द्वारा नियुक्त मतदान अभिकर्ताओं की संख्या भी अधिक हो तथा मतदान केन्द्र के अन्दर उन्हें समाहित न किया जा सके, उस परिस्थिति में प्रेक्षक से उचित सलाह ली जाएगी और प्रेक्षक की सहमति प्राप्त की जायेगी। पीठासीन अधिकारी ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर/रिटर्निंग ऑफिसर से अभिकर्ताओ की व्यवस्था हेतु सलाह ले सकता है।

(iii) निर्वाचन आयोग के नवीनतम निर्दशानुसार मतदान केंद्र में अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्था निम्नलिखित वर्गों अथवा प्राथमिकताओं के अनुसार रखी जाएगी अर्थात्–

- मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थी
- मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के अभ्यर्थी;
- अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्यस्तरीय दलों के वह अभ्यर्थी जिन्हें आरक्षित प्रतीकों को इस निर्वाचन क्षेत्र में प्रयुक्त करने की अनुमति दी गई है,
- पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थी और
- निर्दलीय अभ्यर्थी;

2.15 मतदान केंद्र में धूम्रपान निषेधः

मतदान केन्द्र के अंदर धूम्रपान की अनुमति नहीं है। इसलिए सुनिश्चित करे कि मतदान केन्द्र में कोई भी धूम्रपान न करें।

2.16 मतदान केन्द्र में प्रेस प्रतिनिधियों, फोटोग्राफरों और विडियोग्राफी के लिये सुविधाएँः

(i) चुनाव आयोग द्वारा मतदान प्रकिया के दौरान क्रिटिकल (वल्नेरबल एरिया वाले) मतदान केन्द्रों पर गंभीर घटनाक्रमों कि विडियोग्राफी/फोटोग्राफी के लिये पहले ही निर्देश जारी किये जा चुके हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के सुझाव को मान्य करते हुए निर्वाचन आयोग ने अब निर्देशित किया है कि मतदान केन्द्रों के अंदर चल रही मतदान प्रकिया की भी विडियोग्राफी/फोटोग्राफी प्रेक्षक के साथ विचार विमर्श के बाद की जा सकती है, परन्तु इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि विडियोग्राफी के दौरान मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन हो अर्थात् मतदाता को मत डालते हुए न दर्शाया जाए। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी **अनधिकृत व्यक्ति या मिडिया कर्मी** को मतदान केंद्र के अंदर फोटोग्राफी/विडियोग्राफी की अनुमति न दी जाए।

(ii) शांति और व्यवस्था को बनाए रखते हुए किसी फोटोग्राफर द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर लाइन में खड़े मतदाताओं की भीड़ के फोटो लेने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि किसी परिस्थिति में मतदान प्रकोष्ठ में वास्तविक मतदान करते हुए व्यक्ति की फोटो लेने की अनुमति किसी को भी नहीं है। साथ ही किसी भी व्यक्ति को, किन्ही भी परिस्थितियों में मतदाता को वोटिंग मशीन की बैलेट यूनिट पर वोट डालते हुए फोटो लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) न तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी और न ही रिटर्निंग ऑफिसर को किसी ऐसे व्यक्ति को, जो न तो मतदाता है और न ही जिससे मतदान करवाने में आपकी सहायता की अपेक्षा की जाती है, को मतदान केन्द्र में प्रवेश के लिये प्राधिकृत करने की शक्ति न तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी को और न ही रिटर्निंग ऑफिसर को प्राप्त है। राज्य सरकार के प्रचार विभाग के पदाधिकारियों सहित किसी भी व्यक्ति को आयोग के प्राधिकार पत्र के बिना मतदान केन्द्र के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

2.17 फोटोग्राफी / विडीयोग्राफी:

मतदान केंद्र के अंदर डिजिटल फोटोग्राफी / विडीयोग्राफी की शुरुवात माननीय उच्चतम न्यायालय के सुझाव (निर्णय दिनांक 11.01.2005,2003 की सिविल अपील क्र. 9228 – जनक सिंह बनाम राम दास राय एवं अन्य) के उपरांत की गई है। आयोग का निर्देश है कि मतदाताओं की तस्वीरें खींचने और मतदान की कार्यवाही को कवर करने के लिए मतदान केंद्रों के अंदर फोटोग्राफी की जा सकती है। आयोग का यह भी निर्देश है कि निर्वाचन की अवधि में घटने वाली सभी क्रिटिकल घटनाओं की वीडियोग्राफी की जाएगी।

(i) मतदान की प्रकिया की गोपनीयता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ये उन्हीं मतदान केंद्रों पर होगा, जहां आयोग ने निर्देश दिए हैं।

(ii) एक कैमरामैन को निम्नलिखित कैप्चर करना होगा: ऐसे मतदान केंद्रों पर मत डालने आने वाले सभी मतदाताओं जिसके पास EPIC /अन्य ECI अनुमोदित फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर उसी क्रम में फोटो खींचे जाएंगे जैसे कि उन्हें फॉर्म 17A में दर्ज किया गया है। प्रवेश के तुरंत बाद फोटोग्राफी / वीडियोग्राफी करेंगे। पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान प्रकोष्ठ के अंदर कोई फोटोग्राफी / विडीयोग्राफी ना हो।

(iii) अन्य संवेदनशील घटनाएँ, जिनकी फोटो / विडियो ली जाएगी:–

- मतदान के शुरू होने से पहले किया गया मोक पोल एवं EVM और VVPAT को सील करने की प्रकिया,
- मतदान प्रकोष्ठ की स्थिति निर्धारण। इसे मतदान प्रारंभ होने की घोषणा होने से पहले लिया जाना चाहिए.
- मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति को दर्शाती हुई फोटो।
- अभ्याक्षेपित (Challenged) / निविदत्त / ASD सूची के अनुसार लापता मतदाताओं के मामलों मे निर्वाचको के फोटो।
- मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय पर कतार में लगे हुए निर्वाचक एवं कतार का अंतिम निर्वाचक।
- सेक्टर अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और अन्य निर्वाचन पदाधिकारियों या निर्वाचकों सहित किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति का दौरा।
- मॉक पोल और मतदान शुरू होने जैसी घटनाओं को रिकॉर्ड करने के अलावा, मतदान केंद्र के बोर्ड के सामने खड़े सुरक्षा कर्मियों की तस्वीर खींचकर सीएपीएफ / पुलिस कर्मियों की उपस्थिति भी रिकॉर्ड की जानी चाहिए।
- निर्वाचकों को डराने के लिए किया गया प्रयास, यदि कोई हो
- मतदाताओं को प्रलोभन / रिश्वत देने का प्रयास, यदि कोई हो
- मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार करना
- मतदान केंद्र पर उपलब्ध न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं
- मतदान केंद्र पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद
- डी.ई.ओ. / आर.ओ. द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य प्रक्रिया या घटनाएँ

(iv) मतदान के अंत में, फोटोग्राफर / वीडियोग्राफर इस प्रकार एक घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा "मैंने उन सभी मतदाताओं की तस्वीरें / वीडियो खींच ली हैं, जिन्होंने मतदान केंद्र क्रमांक_____ पर दिनांक_____को मतदान किया था और कैमरे में तस्वीरों की कुल संख्या_____है"।

2.18 मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग का उपयोगः

(i) निर्वाचन के संचालन में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान के दिन की निगरानी के लिए वेबकास्टिंग का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। वेबकास्टिंग के उद्देश्य है:

- भारत के निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और नियंत्रण कक्ष में निगरानी टीम द्वारा वास्तविक समय (Real Time) में मतदान कार्यवाही देखने लिए।
- मतदान प्रक्रिया की प्रभावी ढंग से निगरानी करना और गड़बड़ी फैलाने वालों और शरारत करने वालों को रोकना, मतदाताओं के मन में विश्वास पैदा करना, मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाना।

(ii) मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग के दौरान कैमरा इस तरह से रखा जाए कि उससे निम्नांकित को स्पष्ट्या देखा जा सके–

- कतार में खड़े मतदाता
- मतदान अधिकारी द्वारा निर्वाचकों की पहचान प्रक्रिया
- उँगली पर अमिट स्याही का लगाया जाना
- निर्वाचक की संतोषप्रद पहचान के उपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाना
- जब मतदाता मत डालने के लिए मतदान प्रकोष्ठ में जाएँ, तब कैमरे के दायरे में बैलेट यूनिट नहीं आना चाहिए ताकि हर परिस्थिति में मतदान की गोपनीयता बनी रहे।

(iii) सभी क्रिटिकल मतदान केंद्रों और वल्नरेबल क्षेत्रों के मतदान केंद्रों (सहायक मतदान केंद्रों सहित) या कुल मतदान केंद्रों के कम से कम 50% जो भी अधिक हो, में वेबकास्टिंग होगी।

(iv) मतदान केंद्र पर "आप वेब कैमरा/सीसीटीवी निगरानी में हैं" संदेश का स्पष्ट प्रदर्शन होना चाहिए।

(v) इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वेब कास्टिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले उपरोक्त फ्रेमवर्क में किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किए जाएं।

2.19 आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों के लिये सुविधाएँः

(i) निर्वाचन आयोग सामान्यतः निर्वाचन की निगरानी के लिये पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है। ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 (B) के अधीन आयोग द्वारा नियुक्त वैधानिक प्राधिकारी होते हैं।

(ii) मतदान के दिन पर्यवेक्षक आपके मतदान केन्द्र का निरीक्षण कर सकते है। यह संभव है कि वे निर्वाचन क्षेत्र के दौरे की शुरुआत आपके केन्द्र से करे और उस समय जब आप मतदान की प्रारम्भिक व्यवस्था पूरी कर रहे हों, वह आपके मतदान केन्द्र का निरीक्षण करे। जब पर्यवेक्षक आपके केंद्र पर आए, आपसे उनके प्रति सम्यक् शिष्टाचार और सम्मान की अपेक्षा की जाती है (उन्हे वह जानकारी देनी चाहिए, जो वह निर्वाचन आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजने के लिये आपसे अपेक्षा करे) तथा आयोग को भेजी जाने वाली अपनी रिपोर्ट के लिए उनके द्वारा आपसे चाही गई जानकारी भी आपको देनी चाहिये। आप पर्यवेक्षक को रुटीन जानकारी के अलावा अतिरिक्त जानकारी भी दे सकते हैं। आपको उन्हें अनुपस्थित मतदाता, स्थानान्तरित मतदाता तथा मृत मतदाता (ए.एस.डी. सूची) की सूची उपलब्ध कराना चाहिये। वह केवल आपके मतदान केन्द्र पर कराये जाने वाले मतदान का निरीक्षण करेंगे किन्तु आपको कोई निर्देश नहीं देंगे तथापि, यदि वे मतदाताओं को अधिक सुविधा उपलब्ध कराने या आपके मतदान केन्द्र पर मतदान प्रकिया को अधिक सरल बनाने की दृष्टि से कोई सुझाव देते है तो आपको ऐसे सुझाव पर उचित ध्यान देना चाहिए। यदि आप मतदान केन्द्र पर किसी विशेष समस्या का सामना कर रहे हो, या किसी कठिनाई का अनुभव कर रहे हों तो आपको इसे उनके ध्यान में लाना चाहिए ताकि वे आपकी उस समस्या का निराकरण करने या उस कठिनाई को दूर करने के मामले को रिटर्निंग ऑफिसर या अन्य सम्बन्धित अधिकारी के ध्यान में लाकर सहायता कर सकें।

(iii) पर्यवेक्षक निर्वाचक आयोग द्वारा जारी किये गये बैज लगाये रहेंगे और आयोग द्वारा जारी किये नियुक्ति पत्र और प्राधिकार पत्रों को भी अपने पास रखेंगे। पर्यवेक्षक से 'विजिट शीट' पर हस्ताक्षर करने का निवेदन किया जायेगा, जो आपको पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ संलग्न मिलेगी। मतदान के बाद आप इसे पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ जमा करे।

2.20 माइक्रो पर्यवेक्षक:

(i) माइक्रो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति गैर–सी ए पी एफ उपायों में से एक के रूप में की जाती है। माइक्रो पर्यवेक्षक (Micro Observer) मुख्य पर्यवेक्षक के सीधे नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करेंगे। माइक्रो पर्यवेक्षक की जिम्मेदारियाँ एवं कार्य, निर्वाचन क्षेत्र के जनरल पर्यवेक्षक को निर्द्रिष्ट मतदान केंद्र की मतदान प्रकिया की रिपोर्टिंग के इर्द– गिर्द केन्द्रित होते है। माइक्रो पर्यवेक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वो मतदान शुरू होने से **90 मिनट** पूर्व मतदान केन्द्र पर पहुंचे तथा पूरे दिन मतदान केन्द्र पर रहे। वह मतदान की तैयारियों का आकलन करे तथा नियमित रूप से महत्वपूर्ण बिन्दुओं को पूर्व मुद्रित प्रपत्र पर अंकित करता रहे परन्तु माइक्रो पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप में कार्य न करें और न ही उन्हें कोई निर्देश दें। उसका कार्य केवल यह अवलोकन करना है कि निर्वाचन कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हो रहा है या नहीं, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है।

(ii) जिस मतदान केंद्र स्थान पर एक से अधिक क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं, वहाँ माइक्रो पर्यवेक्षक उस स्थान के सभी क्रिटिकल मतदान केंद्रों के लिए जिम्मेदार होगा। माइक्रो पर्यवेक्षक अपना समय मतदान केंद्रों के बीच विभाजित करेगा और लगातार अंतराल पर एक ही स्थान के सभी मतदान केंद्रों का दौरा करेगा। वह प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ताओं को यह बताएगा कि यदि वे उसके संज्ञान में कुछ भी लाना चाहते हैं तो वह उपलब्ध है।

(iii) मतदान के दिन प्रेक्षण कार्य के तहत माइक्रो पर्यवेक्षक निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दें:–

- मॉक पोल प्रकिया और मॉक पोल सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग–1– मॉक पोल सर्टिफिकेट।
- मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति और उनसे संबंधित ईसीआई निर्देशों का प्रेक्षण।
- मतदान केन्द्रों में पहुँच एवं प्रवेश पत्र प्रणाली से प्रवेश की प्रक्रिया का अवलोकन।
- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप मतदाताओं की सही पहचान।
- अनुपस्थित, स्थानान्तरित तथा मृत मतदाता (ए.एस.डी) होने की स्थिति में पालन की जाने वाली प्रक्रिया।
- अमिट स्याही को लगाना।
- रजिस्टर 17A में मतदाताओं की जानकारी दर्ज करना।
- मतदान की गोपनीयता।
- वास्तविक मतदान से पहले और बाद में EVM और VVPAT को सील करना।
- मतदान अभिकर्ता का आचरण एवं उनकी शिकायतें आदि अगर कोई हो।

(iv) मतदान के दौरान यदि माइक्रो पर्यवेक्षक यह महसूस करता है कि किसी कारणवश मतदान दूषित हुआ है तो उसे तुरंत सामान्य पर्यवेक्षक की जानकारी में किसी भी संचार माध्यम (जो उपलब्ध हो) जैसे फोन या वायरलैस या अन्य के द्वारा लाये। यदि वीडियो कैमरा/डिजिटल कैमरा नहीं लगाया गया है, तब पीठासीन अधिकारी या माइक्रो पर्यवेक्षक मोबाइल फोन के कैमरा से सुरक्षा व्यवस्था की फोटो लेकर उसे कंट्रोल कक्ष को प्रेषित कर सकते हैं या उस फोटो को EVM के साथ सम्बंधित केंद्रों को सौंप सकते हैं।

(v) मतदान प्रक्रिया के उपरान्त माइक्रो पर्यवेक्षक मुख्य पर्यवेक्षक को संग्रहण केन्द्र पर जाकर उस दिन की सम्पूर्ण जानकारी की रिपोर्ट लिफाफे में रख कर स्वयं सौंपे तथा उस दिन घटित किसी भी महत्वपूर्ण घटना का सार संक्षेप में उन्हें देवें। पर्यवेक्षक इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तथा यदि किसी बिन्दु पर स्पष्टीकरण की जरूरत हो तो माइक्रो पर्यवेक्षक को बुलाकर उनसे विस्तृत जानकारी लेना सुनिश्चित करेंगे। इन

रिपोर्टों तथा रजिस्टर 17A में दर्ज जानकारियों के परीक्षण के पश्चात् ही पुनः मतदान या दोषी मतदान कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय लिया जाएगा।

(vi) माइक्रो पर्यवेक्षक को अपने पास मोबाइल फोन (साइलेंट मोड में) रखने की अनुमति है, ताकि जरूरत पड़ने पर पर्यवेक्षक के साथ समन्वय कर सके।

2.21 मतदान केन्द्र में बैज इत्यादि को लगाये रखना:

(i) मतदान केंद्र के अंदर और उसकी 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या राजनैतिक नेताओं के नाम वाला बैज, प्रतीक या चित्रात्मक प्रस्तुति इत्यादि लगाना वर्जित होना चाहिए। यह चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए प्रचार करना माना जाएगा।

(ii) मतदान के दिन मतदान केंद्र के भीतर किसी भी तरह के कपड़े जैसे शॉल, टोपी इत्यादि, जिस पर राजनैतिक पार्टी का नाम, प्रतीक या स्लोगन लिखा हो, वर्जित होंगे।

(iii) हालाँकि, मतदान अभिकर्ता अपनी तत्काल पहचान के उद्देश्य से अपने शरीर पर उस उम्मीदवार का नाम दर्शाने वाला एक बैज प्रदर्शित कर सकते हैं जिसके वे अभिकर्ता हैं।

2.22 मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था:

(i) मतदान के दौरान मतदान को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिये निर्वाचन आयोग केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की नियुक्ति करता है। निर्वाचन के दौरान स्थानीय राज्य पुलिस (अन्य बलों के साथ) एवं केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल (CPF) भारत निर्वाचन आयोग के साथ प्रतिनियुक्ति पर होते हैं और वे सभी प्रयोजनों के लिए इसके अधीक्षण एवं नियंत्रण में आते हैं। आयोग सुचारू रूप से निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए इन बलों के अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करता है।

(ii) आयोग के निर्देश अनुसार जिस मतदान केन्द्र में CAPF जवान तैनात है, तो उसे मतदान केन्द्र के बाहर स्थिर बल के रूप में उपयोग किया जायेगा।

(iii) मतदान केन्द्र पर नियुक्त CAPF जवान विशेषतः निम्न गतिविधियों पर नजर रखेगा

- कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति कभी भी मतदान केन्द्र के भीतर मतदान के समय न जाए।
- मतदान दल या अभिकर्ता, मत या मतों को देने का प्रयास न करें जब कोई भी मतदाता मतदान बूथ में न हो।
- कोई भी मतदान अधिकारी किसी भी मतदाता के साथ मतदान प्रकोष्ट में न जाए।
- कोई भी अभिकर्ता या मतदान अधिकारी किसी भी मतदाता को डराये धमकाये नहीं या किसी तरह का डराने वाला संकेत न करे।
- मतदान केन्द्र के भीतर हथियार न ले जाया जा सके।
- किसी प्रकार की धांधली न हो पाये।

(iv) मतदान केन्द्र के दरवाजे पर तैनात CAPF जवान यदि किसी भी तरह की निर्वाचन प्रक्रिया में उल्लंघन देखता है या मतदान केन्द्र के भीतर कुछ भी अवांछित पाता है, तो वह किसी भी तरह मतदान क्रिया में व्यवधान नहीं करेगा, वरन् अपने प्रभारी अधिकारी को रिपार्ट करेगा या प्रेक्षक को इसकी जानकारी देगा। CAPF का प्रभारी अधिकारी तत्पश्चात् इसे रिटर्निंग ऑफिसर तथा प्रेक्षक के ध्यान में आगामी कार्यवाही हेतु लिखित में लाएगा।

(v) एक ही बिल्डिंग में यदि एक से अधिक मतदान केन्द्र हो, जहां केवल हॉफ सेक्शन CAPF जवान नियुक्त हो तो प्रवेश द्वार पर नियुक्त जवान दोनों मतदान केन्द्रों की गतिविधियों पर घूम–घूम कर नजर रखेगा एवं अवांछित घटनाओं की सूचना CAPF प्रभारी या प्रेक्षक को देगा।

(vi) रिटर्निंग अधिकारी/प्रेक्षक उन मामलों की रिपोर्ट करेंगे जहां CAPF पार्टियों से प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त हुई है, आयोग को आगे के निर्देशों के लिए प्रेषित करेंगे।

(vii) **आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है की प्रवेश द्वार पर नियुक्त** CAPF **जवान मतदान हेतु आने वाले निर्वाचकों की पहचान सत्यापित नहीं करेगा क्यूँकि यह काम निर्वाचन कर्मियों का है।**

(viii) आयोग के निर्देशों के अनुसार, सीएपीएफ कर्मियों को मतदान केंद्र के अंदर तैनात नहीं किया जाना चाहिए।

(ix) मतदान केंद्रों में अव्यवस्था/अशांति के मामलों में, पीठासीन अधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 131 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करेंगे और किसी भी अप्रिय घटना, जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करे, घटित होने की स्थिति में CAPF/ राज्य पुलिस की उपस्थिति का उपयोग करेंगे। इस संबंध में, पीठासीन अधिकारी और मतदान केंद्र पर तैनात CAPF/ राज्य पुलिस बल के बीच उचित समन्वय होना चाहिए। मतदान प्रक्रिया के दौरान एक–दूसरे के साथ आपसी समन्वय के लिए पीठासीन अधिकारियों और CAPF / राज्य पुलिस बल को उचित जानकारी दी जा सकती है। डी.ई.ओ. और सीपी/एसपी इस प्रावधान के बारे CAPF/ राज्य पुलिस को जानकारी देंगे।

(x) मतदान पूरा होने के बाद, मतदान किए गए ईवीएम, वीवीपैट और पीठासीन अधिकारियों को CAPF की एक टुकड़ी द्वारा रिसेप्शन सेंटर तक ले जाया जाएगा। इस संबंध में विवरण डी.ई.ओ. और एसपी द्वारा प्रेक्षक के परामर्श से पहले ही तैयार कर लिया जाएगा।

अध्याय – 03
ईवीएम एवं वीवीपैट की सेटिंग एवं तैयारी

3.1 ईवीएम एवं वीवीपैट का परिचय :

Control Unit VVPAT Ballot Unit

3.1.1 इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ईवीएम) ईवीएम दो ईकाईयों का बना होता है, नियंत्रण ईकाई (सी.यू.) एवं बैलेट ईकाई (बी.यू.)

(i) **बैलेट ईकाई (बी.यू.):** बैलेट ईकाई में मतपत्र प्रदर्शित करने का प्रावधान होता है जिसमें निर्वाचन के विवरण, क्रम संख्या, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम उनकी फोटो एवं उनको आबंटित प्रतीक चिन्ह अंकित होते है। प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के आगे एक नीला बटन होता है। इस नीले बटन को दबाकर, मतदाता अपने मनपसंद अभ्यर्थी को मत दर्ज कर सकता है। उक्त बटन के साथ–साथ प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक लैम्प भी है। जब मत दर्ज होता है तो संबंधित अभ्यर्थी के नाम के समक्ष स्थित लैम्प लाल रंग में प्रकाशित (चमकेगा) होगा। साथ ही एक बीप की आवाज भी सुनाई पड़ेगी। एक बैलेट इकाई में 16 बटन होते हैं। अधिकतम 24 बैलेट ईकाईयों को साथ में जोड़कर 384 अभ्यर्थियों जिसमें नोटा भी सम्मिलित है को समायोजित किया जा सकता है। यदि चार से अधिक बैलेट यूनिटों का उपयोग करना है तो 5वीं, 9वीं, 13वीं, 17वीं एवं 21वीं बैलेट ईकाईयों में एक–एक पावर पैक लगाना पड़ेगा। प्रत्येक बी.यू. के पीछे कैस्केडिंग के लिए अतिरिक्त बैलेट ईकाई को जोड़ने के लिए एक कनेक्टर कम्पार्टमेंट और एक पावर पैक लगाने का प्रावधान है। बीयू की संख्या 01 से 24 तक सेट करने के लिए बैलेट ईकाई के शीर्ष में दाहिनी ओर दो थम्बव्हील्स् होते हैं। दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सुविधा के लिए प्रत्येक नीले बटन के दाहिनी ओर बीयू के ऊपरी कवर पर ब्रेल नंबर होते हैं। बैलेट ईकाई के साथ जुड़ा हुआ 5 मीटर लम्बा केबल वीवीपैट या अन्य बीयू से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है।

(ii) **नियंत्रण यूनिट (सी.यू.)** : एक नियंत्रण यूनिट में नोटा सहित अधिकतम 384 अभ्यर्थियों के वोट को दर्ज किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए एक नियंत्रण यूनिट (कन्ट्रोल यूनिट) के साथ 24 बैलेट यूनिट को जोड़ा जाता है। नियंत्रण ईकाई के शीर्ष भाग में मशीन में दर्ज जानकारी एवं डेटा प्रदर्शित करने का प्रावधान है जैसे तारीख, समय, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, कुल डाले गए वोट, प्रत्येक अभ्यर्थी को डाले गए वोट, विभिन्न प्रकार के त्रुटि संदेश आदि। इस भाग को नियंत्रण इकाई का **'डिसप्ले सेक्शन'** कहते हैं। इस **'डिसप्ले सेक्शन'** के नीचे एक कक्ष होता है जिसमें मशीन को चलाने वाला बैट्री लगाया जाता है। इस कक्ष के दाहिनीं ओर एक दूसरा कक्ष होता है जिसमें निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या मशीन में सेट करते हैं। इस बटन को **'कैन्ड सेट'** बटन कहते है और नियंत्रण ईकाई का यह सम्पूर्ण अनुभाग दोनों कक्षों सहित **'कैंडीडैट सेट सेक्शन'** कहलाता है। कैंडीडैट सेट खण्ड के नीचे कन्ट्रोल यूनिट का **'परिणाम खण्ड (रिजल्ट सेक्शन)'** होता है। इस अनुभाग में (i) बायीं ओर **'क्लोज'** बटन मतदान बंद करने के लिए होता है। (ii) मध्य में दो बटन– **'परिणाम' एवं 'प्रिंट (मुद्रण)'** है। परिणाम बटन परिणाम प्रदर्शित करने के लिए होता है। मुद्रण बटन विस्तृत परिणाम मुद्रित करने के लिए है। इसके लिए कंट्रोल यूनिट में एक विशेष गैजेट साथ लगाना पड़ता है, वर्तमान में यह उपयोग में नहीं है। (iii) दाहिनी ओर एक बटन होता है जो मशीन में दर्ज डेटा को विलोपित (मिटा) कर देता है। जब डेटा की

आवश्यकता नहीं होती है। कंट्रोल यूनिट के निचले हिस्से में दो बटन होते हैं एक पर **'बैलेट'** अंकित होता है दूसरे पर **'टोटल'** अंकित होता है। **'बैलेट'** बटन दबाने पर बैलेट यूनिट मत दर्ज करने के लिए तैयार हो जाता है और **'टोटल'** का बटन दबाने पर उस समय दर्ज मतों की कुल संख्या (बिना अभ्यर्थीवार संख्या ब्रेक अप के) प्रदर्शित होती है। इस अनुभाग (सेक्शन) को कंट्रोल यूनिट का **'बैलेट अनुभाग'** के रूप में जाना जाता है।

(iii) विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों (डिसप्ले) का अर्थ : कन्ट्रोल यूनिट में विभिन्न प्रकार के **'डिसप्ले'** डिसप्ले पैनल पर दिखते रहते हैं एवं जिनका अर्थ निम्नानुसार है :

कन्ट्रोल यूनिट पर डिसप्ले	डिसप्ले का अर्थ
POWER ON LED NOT OK	CU को पावर ऑन एलईडी काम नहीं कर रहा है।
BUZZER NOT OK	सीयू का बजर काम नहीं कर रहा है
BUSY LED NOT OK	बिजी एल.ई.डी. काम नहीं कर रही है।
DIGIT 02 NOT OK	कन्ट्रोल यूनिट डिसप्ले सही नहीं है।
CHANGE BATTERY	सीयू की बैट्री थ्रेसहोल्ड सेट के भीतर नहीं है।
BU01 KEY 06 NOT OK	बीयू 1 के अभ्यर्थी कुंजी 6 ठीक नहीं है।
BU01 READY LED NOT OK	बीयू 1 रेडी एलईडी ठीक नहीं है।
BU05 WITHOUT BATTERY	बीयू 05 में बैट्री नहीं है। यदि 5वीं, 9वें, 13वें, 17वें, 21वें बीयू में बैट्री नहीं है, तो ऊपर डिसप्ले पैनल पर प्रदर्शन होगा।
BU05 CHANGE BATTERY	बीयू 05 की बैट्री ठीक नहीं है।
SELF CHECK IN PROGRESS	CU के स्व–परीक्षण की स्थिति। स्व–परीक्षण के पहले एवं पूर्ण होने के बाद यह डिसप्ले दिखेगी।
Dte 16-07-18 TME 09-10-25	मौजूदा तारीख–डीडी (दिन)–एमएम (महीना)– वायवाय (वर्ष) और समय–एचएच (घंटा) –एमएम (मिनट)–एसएस(सेकेण्ड) प्रारूप
SL NUM BCUAA00001	सीयू के पिछले भाग पर सीयू की भीतरी क्रम संख्या अंकित है।
CANDIDATES 10	मशीन 10 अभ्यर्थियों के लिए नियोजित है। अभ्यर्थियों की संख्या 03 से 384 हो सकती है (नोटा सहित)
BATTERY HIGH 95 PERCENT	बैटरी की वर्तमान खपत के अनुसार बैटरी की स्थिति "हाई" है।
BATTERY MEDIUM 73 PERCENT	बैटरी की स्थिति 'मध्यम' है।
BATTERY LOW 45 PERCENT	बैटरी की स्थिति 'कम' है।
BATTERY MARG 26 PERCENT	बैटरी की स्थिति 'मार्जिनल' है। (हाशिया पर)
CHANGE BATTERY	बैटरी की स्थिति मार्जिनल से नीचे है।
DISCOVERING UNITS	जुड़ी हुई यूनिट्स खोजी जा रही है।
DISCOVERED BU 01	यूनिट्स के खोज के बाद यदि एक बीयू जुड़ा हुआ है, तो डिस्प्ले पैनल पर उक्त डिस्प्ले होगा।
DISCOVERED BU01 BU02	यूनिट्स के खोज के बाद अगर दो बीयू जुड़े हुए है तो डिस्प्ले पैनल पर उक्त डिस्प्ले होगा।
BU01 GN1 TESTING	सीयू, बीयू को प्रमाणित कर रहा है।
BU01 GN1 OK	सीयू ने बीयू को प्रमाणित किया है।
BU01 GN1 NOT OK	बीयू 01 का प्रमाणीकरण असफल/विफल रहा (सीयू पर कोई भी कुंजी दबाने पर यह संदेश आता है।)
BU01 NOT RESPONDING	बीयू 01 की ओर से रिस्पॉस नही मिल रहा है या (बीयू की स्थिति थंब व्हील स्विच) ठीक से सेट नहीं है।
BU NOT CONNECTED	सीयू, बीयू को नहीं खोज कर पा रहा जब सीयू क्लियर स्थिति या बैलेट स्थिति में होता है।
NO UNITS CONNECTED	कोई इकाई सीयू के साथ नहीं जुड़ा है।

"INCORRECT NUMBER OF BU AND PRESS BALLOT KEY``	जब सीयू क्लीयर स्थिति या बैलेट स्थिति में है यदि जुड़ी हुई बीयू की संख्या अभ्यर्थियों की संख्या (कैंडीडेट सेट) से मेल न खा रही हो।
EVM IS READY	EVM उपयोग के लिए तैयार है। यदि उपयोगकर्ता बैलेट कुंजी को दबाता है या जब BU उचित संख्या में जुड़े हुए हो।
PRESSED ERROR BU01	यदि बीयू –01 की key काम नहीं कर रही है, या दबी हुई है
DISCONNECT BU02	यदि अभ्यर्थियों की संख्या 5 पर अभिविन्यसित (एक बीयू के लिए) और समायोजित बीयू की संख्या 02 है।
BU02 NOT CONNECTED	यदि अभ्यर्थियों की संख्या 26 पर अभिविन्यसित हो (02 बीयू के लिए) एवं जुड़ी हुई (समायोजित) बीयू की संख्या 01 है।
INVALID	कन्ट्रोल यूनिट (इकाई) पर बटन निर्धारित क्रम में नहीं दबाया गया है।
FULL	मतों की अधिकतम संख्या (2000) जिसके लिए मशीन बनी हुई है उतने मत डाले जा चुके है।
CLOCK ERROR	आर टी सी (रियल टाइम क्लॉक) समय और तिथि ठीक नहीं है।
INOPERATIVE	कंट्रोल यूनिट को आगे उपयोग नहीं किया जा सकता है।
ELECTION EXCEEDED	EVM पर पहला मत दर्ज करने की तिथि के बाद की तिथि आ गयी है (जब समय मध्य रात्रि 12 PM के पार हो जाता है)
TOTAL POLLED VOTES 50	कुल डाले गए मतों की संख्या 50 है।
CANDIDATES 05 VOTES 512	अभ्यर्थी क्र. 05 को 512 मत प्राप्त हुए।
COMPUTING RESULT	परिणाम की गणना की जा रही है।
PST 07-13-59 PET 18-30-52	मतदान प्रारंभ का समय तथा मतदान सामाप्ति का समय
POLL RESULT PDT 16-06-18	परिणाम एवं मतदान की तिथि
DELETING POLLED VOTES	डाले गए मतों को सीयू से विलोपित करना।

(i) जब कन्ट्रोल यूनिट के पावर स्विच को ऊपर की तरफ 'आन' स्थिति में दबाया जाता है तो, यह बीप की आवाज करेगा एवं कन्ट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन में 'ऑन' लैम्प ग्रीन (हरा) चमकेगा और डिस्प्ले पैनल मे बारी–बारी से निम्नलिखित प्रदर्शन होता रहेगा।

(ii) जब प्रति घण्टा/समय–समय पर डाले गए मतों की संख्या प्राप्त करने के लिए 'टोटल' बटन दबाया जाता है तो निम्नलिखित प्रदर्शन डिस्प्ले पैनल पर दिखेगा।

BATTERY HIGH 95 PERCENT
DTE 16-06-18 TME 11-00 - 25
CANDIDATES 10
TOTAL POLLED VOTES 115

(iii) मतदान समाप्ति के लिए नियत समय पर जब अंतिम मतदाता अपना मत अंकित कर लेता है तब **'क्लोज'** बटन ईवीएम को बन्द करने के लिए दबाया जाता है तो डिसप्ले पैनल पर निम्नलिखित प्रदर्शन होगा :–

CLOSING
DTE 16 - 06 - 18 TME 18 - 10 - 25
SL NUM BCUAA00001
CANDIDATES 10
TOTAL POLLED VOTES 1150
POLL CLOSED

3.1.2. वोटर वेरीफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) :

यह एक स्वतंत्र प्रिंटर सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) से जुड़ा रहता है यह मतदाताओं को अपने पसंद के अनुसार डाले गये वोट (मत), के सत्यापन की सुविधा देता है जब बैलेट यूनिट (बीयू) पर बटन दबाकर वोट डाला जाता है, तो वीवीपैट प्रिंटर द्वारा एक पर्ची मुद्रित होती है, जिसमें अभ्यर्थी का सीरियल क्रमांक, नाम तथा प्रतीक चिन्ह होता है जो पारदर्शी विंडो (खिड़की) में लगभग 07 सेकण्ड तक दिखता (प्रदर्शित होता) है, उसके बाद मुद्रित पर्ची स्वतः कटकर अलग हो जाती है तथा वीवीपैट के सीलबंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है।

परिवहन बक्सा (कैरीईंग केस) के साथ वीवीपैट में निम्नलिखित सामग्री रहती है :

- वीवीपैट यूनिट कनेक्टिंग केबल के साथ
- बैटरी पैक (रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वीवीपैट यूनिट के बैटरी खंड के अन्दर बैटरी पहले से रखी जाती है)
- पेपर रोल (पेपर रोल, पेपर रोल खंड में पहले से डाला हुआ होता है और रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा एड्रैस टैग से सीलबंद किया गया) होता है।

सामग्री वितरण केंद्र पर रवानगी के समय में पीठासीन अधिकारी द्वारा किये जाने वाली कार्यवाही :

1. बैलेट यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट तथा वीवीपैट को सावधानीपूर्वक संबंधित कैरीइंग केस से बाहर निकाले।
2. **बैलेट यूनिट्स**

   जाँच करें :

   - बीयू के ऊपर एवं नीचे के ऐड्रेस टैग आपके निर्धारित मतदान केन्द्र से संबंधित है इसे सुनिश्चित किया जाये।
   - एड्रेस टैग पर लिखे यूनिट के आईडी को यूनिट के पीछे की ओर धातु के प्लेट/बार कोड से मिलान करें।
   - बीयू का गुलाबी पेपर सील अक्षतिग्रस्त है।
   - बैलेट पेपर ठीक से लगा हुआ है तथा प्ररूप 7A से मिलान होता है।

- अभ्यर्थियों के बटन नोटा तक खुले हुए है तथा शेष बटन ढक दिये गए है।
- पहले बीयू के लिए थम्ब–व्हील पोजीशन 01 है (अगर 01 बीयू से अधिक प्रयुक्त होता है, दूसरे बीयू के लिए थम्ब–व्हील पोजीशन 02 है, तीसरे बीयू के लिए 03 है तथा इसी प्रकार से)
- बैलेट पैनल पर आपके मतदान क्रेन्द्र से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का मतपत्र लगा हुआ है।
- यदि एक से अधिक बीयू प्रयुक्त हो रहे हैं तो प्रथम बीयू के बैलेट पैनल पर क्रम संख्या 1 से 16 के अभ्यर्थी, दूसरे बैलेट यूनिट के बैलेट पैनल पर 17 से 32 तक के अभ्यर्थियों और इसी प्रकार आगे मतपत्र लगे है।

3. **कंट्रोल यूनिट**

जॉच करे :

- सीयू का एड्रेस टैग यह सुनिश्चित करने के लिए सीयू आपके निर्दिष्ट मतदान केन्द्र का है।
- यूनिट के पीछे की ओर धातु की प्लेट/बारकोड के साथ एड्रेस टैग पर लिखी यूनिक आईडी से मिलान करें।
- पावर पैक एवं कैण्डीडेट सेट सेक्शन का एड्रैस टैग ढंग से सील्ड है।
- सीयू का गुलाबी कागज मुद्रा (पिंक पेपर सील) अक्षुण्ण है।
- सीयू को स्विच ऑन करके (बिना बीयू/या वीवीपैट को जोड़े) बैटरी की स्थिति एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जाँच ले।
- उसके उपरांत, सीयू को स्विच ऑफ कर दें।

4. **वी वी पैट**

जाँच करें :

- वीवीपैट के एड्रेस टैग को देख लें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वीवीपैट आपके निर्दिष्ट मतदान केन्द्र का है।
- एड्रेस टैग पर लिखे यूनिट आईडी को यूनिट के पीछे लगे धातु प्लेट/बार कोड से मिलान करें।
- पेपर रोल कम्पार्टमेंट ढंग से सीलबंद (मुहरबंद) है।
- पॉवर पैक (बैटरी) लगा हुआ है (स्थापित है)।
- वीवीपैट का नॉब (धुंडी) क्षैतिज है (परिवहन मोड़ में है)।
- **किसी भी स्थिति में वीवीपैट को बीयू तथा/या सीयू से न जोड़ें (संबंद्ध नहीं करें)।**

3.2 मॉक पॉल के पूर्व ईवीएम तथा वीवीपैट का संयोजन (जोड़ना) एवं मॉक पॉल का संचालन –

3.2.1 मॉक पोल के पूर्व बीयू, सीयू एवं वीवीपैट को जोड़ना :

(i) मतदान प्रारंभ के लिए निर्धारित समय के 90 मिनट पूर्व मॉक पोल शुरू करना होता है।

(ii) मॉक पोल प्रारंभ करने के पूर्व बैलेट यूनिटों तथा वीवीपैट को मतदान कोष्ट (वोटिंग कम्पार्टमेंट) में रखें एवं सीयू प्रभारी/पीठासीन अधिकारी के मेज (टेबल) पर कंट्रोल यूनिट को रखें। प्रथम बैलेट यूनिट के बायीं तरफ वीवीपैट को रखना चाहिए।

(iii) **बीयू, सीयू तथा वीवीपैट को जोड़ने (संयोजन) के पूर्व सीयू के स्विच (ऑन/ऑफ) ऑफ स्थिति में हैं यह सुनिश्चित कर लें।**

(iv) वीवीपैट के इंटरकनेक्टिंग केबल को कंट्रोल यूनिट के पिछले कम्पार्टमेंट में दिए गये सॉकेट में लगाए।

(v) प्रथम बीयू के इंटरकनेक्टिंग केबल को वीवीपैट के पिछले कम्पार्टमेंट में दिए गए सॉकेट में लगायें (प्लग)। जहाँ निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 16 (नोटा सहित) से अधिक हो जाती है, वहाँ निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार एक से अधिक बैलेट यूनिटों का उपयोग किया जाता है। ऐसे सभी बैलेट यूनिटों को मतदान केन्द्र पर उपयोग किया जाना है उन्हें आपस में जोड़ा जाना है तथा केवल प्रथम बैलेट यूनिट को ही वीवीपैट यूनिट से जोड़ा जायेगा, जैसा नीचे चित्र में दिखाया गया है :

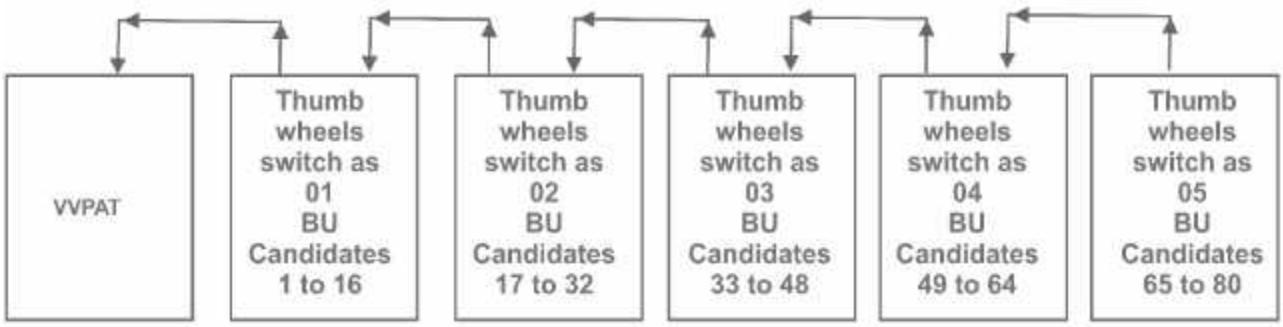

एक बैलेट यूनिट को दूसरे से जोड़ने के लिए बैलेट यूनिट के पीछे एक कम्पार्टमेंट में एक सॉकेट होता है। दूसरी बैलेट यूनिट के इन्टरकनेक्टिंग केबल के कनेक्टर को पहली बैलेट यूनिट के उपर्युक्त सॉकेट में लगाया जायेगा। इसी प्रकार से तीसरे बैलेट यूनिट के इन्टरकनेक्टिंग केबल के कनेक्टर को दूसरी बैलेट यूनिट में लगाया जायेगा। एवं चौथा यूनिट तीसरे यूनिट के साथ एवं इसी प्रकार उपयोग में लाये जाने बैलेट यूनिट की संख्या पर निर्भर करता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया कि केवल पहला बैलेट यूनिट ही वीवीपैट से जुड़ेगा। बैलेट यूनिट के इन्टरकनेक्टिंग केबल को वीवीपैट यूनिट में जोड़ने के लिए सॉकेट वीवीपैट यूनिट के पीछे के शीर्ष भाग पर एक कम्पार्टमेंट में प्रदान किया जाता है।

(vi) बीयू/वीवीपैट के इन्टरकनेक्टिंग केबल को इस प्रकार लगाये कि मतदान केन्द्र के अंदर मतदाताओं की आवाजाही में बाधा न पड़े एवं वे उससे उलझ कर न गिरे या पैर न रखे। लेकिन सम्पूर्ण केबल की लम्बाई दिखनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में कपड़े के नीचे या टेबल के नीचे छुपाना नहीं चाहिए।

(vii) बीयू, सीयू और वीवीपैट के कनेक्टिंग तारों को टेबल के निचले हिस्से में आधा इंच के पारदर्शी चिपकाने वाले टेप से इस प्रकार चिपकायें कि तार हवा में न झूले ताकि लटकते तारों का वजन सीयू अथवा वीवीपैट कनेक्टिंग के स्विच को प्रभावित न करे।

(viii) सीयू चालू करने के पूर्व वीवीपैट के पेपर रोल नॉब (उर्ध्व दिशा में) को खोलें (अनलॉक) करें।

टिप्पणी :

- इंटरकनेक्टिंग केबल का कनेक्टर जिसका एक सिरा बैलेट यूनिट से जुड़ा होता है, एक मल्टीपिन कनेक्टर है। कनेक्टर अन्य कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट या वीवीपैट यूनिट से सॉकेट के केवल एक तरफ जोड़ा जा सकता है। जिसका पता आसानी से पिन के रंग अभिविन्यास (काला और लाल) से चलता है। कनेक्टर का पिन काफी नाजुक है तथा कनेक्टर को सॉकेट में लगाने में बल का प्रयोग न करें जिससे पिन क्षतिग्रस्त न हो जाये या मुड़ जाये। मशीन तभी ठीक से काम करेगा जब कनेक्शन सही लगे हों। कनेक्टरों को सही पिन एवं रंगों के संकेत से संयोजन (कनेक्ट) करें।

- इंटर–कनेक्टिंग केबल के कनेक्टर का वीवीपैट यूनिट या अन्य बैलेट यूनिट से संबंध विच्छेद कनेक्टर हुड के दोनों तरफ के स्प्रिंग आकार के क्लिपों को दबाकर और इसी अवस्था में रखते हुए कनेक्टर को बाहर खींचा जा सकता है। इस प्रकार के क्लिपों को अंदर की तरफ एक साथ दबाया जाए तो कनेक्टर की पकड़ सॉकेट से मुक्त हो जायेगा। इसी तरह से स्प्रिंग टाईप क्लिप को दबाए रखते हुए कनेक्टर को बाहर की तरफ खींचा जाना चाहिए।

- बैलेट यूनिटों एवं वीवीपैट के सही प्रकार से संयोजन या संबद्ध विच्छेद के लिए कुछ अभ्यास (प्रैक्टिस) की आवश्यकता होती है ताकि मशीन को किसी प्रकार क्षतिग्रस्त होने से रोका जाए। इस पक्ष को मस्तिष्क (दिमाग) में रखा जाना चाहिए। आपको स्वयं बैलेट यूनिटों को वीवीपैट से एवं कन्ट्रोल यूनिट को वीवीपैट से जोड़ना (संयोजन करना) चाहिए।

3.3. मॉक पोल का संचालन :

3.3.1. मॉक पॉल मतदान प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 90 मिनट पूर्व शुरू कर देना चाहिए। मॉक पोल प्रारंभ करते समय कम से कम दो अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता उपस्थित रहना चाहिए।

3.3.2. यदि दो अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता मतदान केन्द्र में उपस्थित नहीं है, ऐसी अवस्था में भी पीठासीन अधिकारी अधिक से अधिक 15 मिनट तक मॉक पोल शुरू करने के लिए प्रतीक्षा कर सकता है। यदि तब तक मतदान अभिकर्ता नहीं आते हैं तो पीठासीन अधिकारी मॉक पोल शुरू कर सकता है। यह आगे स्पष्ट किया गया है कि 15 मिनट प्रतीक्षा के उपरांत यह भी संभव है कि एक मतदान अभिकर्ता उपस्थित हो जाये, ऐसी परिस्थिति में भी पीठासीन अधिकारी को मॉक पोल शुरू कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति का पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट (संलग्नक–5) के पार्ट–1 (मॉक पोल प्रमाण पत्र) में विशिष्ट रूप से अंकित (वर्णन) किया जाना चाहिए।

3.3.3. सुनिश्चित कर लें कि वीवीपैट का पेपर रोल नॉब (धुंडी) अनलॉक हो (उर्ध्व पोजीशन), उसके उपरांत ही सीयू के स्विच को 'ऑन' करें।

3.3.4. मॉक पोल प्रारंभ करने के पूर्व ईवीएम तथा वीवीपैट 'क्लीयरिंग (विलोपित कर साफ करना) का प्रदर्शन : मॉक पोल प्रारंभ करने के पूर्व आपको न केवल स्वयं को बल्कि सभी मतदान अभिकर्ताओं जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित है, को संतुष्ट करना है कि EVM तथा VVPAT पूर्णतया कार्यशील है एवं मशीन में पहले से कोई वोट (मत) दर्ज नहीं है।

(i) ऐसी संतुष्टि के लिए आप सर्वप्रथम 'क्लीयर' बटन दबाकर सभी गणना को 'जीरो (शून्य)' कर वहाँ उपस्थित सभी मतदान अभिकर्ताओं को दिखायें। कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम सेक्शन में एक कम्पार्टमेंट होता है जिसमें 'क्लीयर' बटन दिया जाता है। यह कम्पार्टमेंट एक भीतरी (आंतरिक) दरवाजे तथा बाहरी कवर (ढक्कन) से ढका रहता है। भीतरी दरवाजा (इनर डोर) 'क्लीयर' बटन 'रिजल्ट (परिणाम)' बटन तथा 'प्रिंट (मुद्रण)' बटन से युक्त कम्पार्टमेंट को ढकता है तथा बाहरी कवर (ढक्कन) भीतरी दरवाजे के ऊपर दिया रहता है, 'क्लोज' बटन से युक्त कम्पार्टमेंट को भी ढकता (कवर करता) है। 'क्लीयर' बटन तक पहुँचने के लिए सर्वप्रथम बाहरी ढक्कन बायीं ओर दिए गए लैच (कुंडी) को अंदर दबाने से खुलता है। उसके उपरांत 'रिजल्ट' एवं 'प्रिंट' बटन के ऊपर दो छिद्रों में अंगूठा और एक ऊंगली डालकर, खाँचों को एक साथ अंदर की ओर धीमे से दबाकर आन्तरिक द्वार को खोला जा सकता है। किसी भी प्रकार से ऊपर वर्णित तरीके से खाँचे को खोले बिना आन्तरिक द्वार को बलपूर्वक नहीं खोलना चाहिए अन्यथा यह अति महत्वपूर्ण कम्पार्टमेंट (कक्ष) क्षतिग्रस्त हो जाएगा।

(ii) जब 'क्लीयर' बटन दबाया जाता है, तो कन्ट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल पर निम्नलिखित जानकारी अनुक्रमिक रूप से प्रदर्शित होनी प्रारंभ हो जाएगी:–

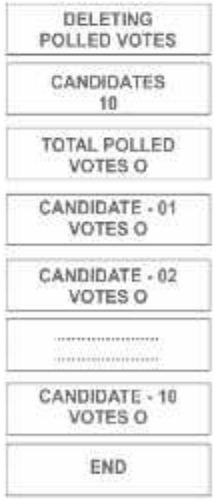

टिप्पणी :

(a) यदि 'क्लीयर' बटन दबाने पर डिस्प्ले पैनल INVALID प्रदर्शित करता है इसका अर्थ है कि मशीन को क्लीयर करने के लिए प्रारंभिक क्रियाओं को पूर्ण नहीं किया गया है। मशीन को क्लीयर करने के लिए सुनिश्चित कर लें कि बैलेट यूनिटों, वीवीपैट तथा कन्ट्रोल यूनिट को उचित ढंग से संयोजित (जोड़ा) किया गया है।

इसके बाद 'क्लोज' बटन दबाएं, उसके उपरांत 'रिजल्ट' (परिणाम) बटन दबाए। अब 'क्लीयर' बटन दबाएं, डिसप्ले पैनल पर जानकारी प्रदर्शित होना शुरू हो जायेगी जैसा कि ऊपर दिखाया गया है।

(b) डिसप्ले पैनल पर ऊपर की जानकारी का प्रदर्शन मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को संतुष्ट करेगा कि मशीन में पूर्व से कोई वोट (मत) दर्ज नहीं है।

(c) मतदान अभिकर्ताओं को भी सत्यापित (जाँच) करने की अनुमति अनिवार्यतः प्रदान की जायेगी कि वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स पूर्णतया खाली है।

3.3.5 मॉक पोल के संचालन के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया (कार्यवाही) :

(i) बैलेट यूनिट्स के कार्यों पर तथा वीवीपैट द्वारा मुद्रित बैलेट स्लिप (मतदान पर्ची) की कार्यवाही की निगरानी करने हेतु मतदान अभिकर्ताओं के साथ एक मतदान अधिकारी भी मतदान कोष्ट (वोटिंग कम्पार्टमेंट) में उपस्थित रहना चाहिए। यह मतदान अधिकारी डाले गए मतों (वोटों) को रिकॉर्ड (दर्ज) करेगा।

(ii) मॉक पोल का संचालन मतदान अभिकर्ताओं द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए रैण्डम रूप से मतदान करते हुए होना चाहिए। कम से कम कुल 50 वोट मॉक पोल के दौरान डालना चाहिए। किसी अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता की अनुपस्थिति में एक मतदान अधिकारी या अन्य मतदान अभिकर्ता ऐसे अभ्यर्थियों के लिए वोट डाल सकते हैं। वोटिंग कम्पार्टमेंट (मतदान कोष्ठ) में उपस्थित मतदान अधिकारियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि नोटा सहित प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिए वोट (मत) रिकार्ड (दर्ज) किए गए हैं। मॉक पोल के उपरांत पीठासीन अधिकारी, सीयू से प्राप्त परिणाम (रिजल्ट) मॉक पोल करते समय तैयार हस्तलिखित रिकार्ड एवं वीवीपैट के पेपर स्लिप्स का मिलान मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में करें तथा पुष्टि करें कि परिणाम प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए सही (मेल खाते) हैं।

(iii) <u>मॉक पोल करने के लिए निम्नलिखित कार्य करें :</u>

- कन्ट्रोल यूनिट के बैलेट सेक्शन के बैलेट बटन को दबायें। बैलेट बटन दबाने पर डिसप्ले सेक्शन का 'बिजी' लैम्प लाल चमकने लगेगा। साथ–साथ ही बैलेट यूनिट/यूनिटों का 'रेडी' लैम्प हरे रंग में चमकने लगेगा।
- किसी मतदान अभिकर्ता को कहें कि अपनी इच्छा अनुसार बैलेट यूनिट पर किसी भी अभ्यर्थी का ब्लू (नीला) बटन दबाए। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक नीले [बिना ढका हुआ (अनमास्कड)] बटनों को कम से कम एक बार दबाया जाए, ताकि प्रत्येक बिना ढके हुए बटनों की जाँच हो सके एवं वे सही ढंग से कार्य कर रहे हैं इसका पता चल सके।
- अभ्यर्थी के लिए बटन इस प्रकार दबाने से बैलेट यूनिट का 'रेडी' लैम्प बंद हो जायेगा एवं बटन के पास अभ्यर्थी का लैम्प लाल रंग में चमकने लगेगा। वीवीपैट डाले गए वोट के लिए एक छोटा पेपर स्लिप मुद्रित (प्रिंट) करेगा जिसमें अभ्यर्थी का निर्वाचन चिन्ह (सिंबल), नाम एवं सरल क्रमांक अंकित होगा जो वीवीपैट विंडो (खिड़की) से 07 सेकेंड के लिए दिखेगा। तदुपरांत पेपर स्लिप स्वतः कट कर वीवीपैट बॉक्स में गिर जायेगी। एक बीप की आवाज कन्ट्रोल यूनिट से सुनाई पड़ेगी। कुछ सेकेंड के उपरांत, अभ्यर्थी के लैम्प की लाल रोशनी, बिजी लैम्प में लाल रोशनी एवं बीप की आवाज बन्द हो जायेगी। यह इसका संकेत होगा कि जिस अभ्यर्थी के लिए वोट देने के लिए उसके विवरण के सामने का नीला बटन दबाया गया है, उसके लिए कन्ट्रोल यूनिट में मत दर्ज हो गया है एवं मशीन अगले मत (वोट) को ग्रहण करने के लिए तैयार है।
- शेष रहे प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक या एक से अधिक मतों को दर्ज करने के लिए पूर्ववर्ती पैरा में उल्लेखित प्रक्रिया को दोहराये। प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए इस प्रकार से दर्ज मतों का सावधानीपूर्वक हस्तलिखित लेखा रखें।
- जब मत इस प्रकार से दर्ज किए जा रहे हो तब कन्ट्रोल यूनिट के बैलेट सेक्शन पर टोटल बटन को यह जांच करने के लिए किसी भी समय दबाएं कि मशीन में दर्ज किए गए कुल मत, उस समय तक दर्ज किए गए मतों की संख्या से मेल खाते हैं।

नोट : टोटल' बटन को किसी भी अभ्यर्थी हेतु मत दर्ज होने तथा डिसप्ले सेक्शन पर 'बिजी' लैम्प के बंद होने के उपरांत ही दबाया जाना चाहिए।

- मॉक पोल समाप्ति के उपरांत, परिणाम खण्ड (रिजल्ट सेक्शन) के 'क्लोज' बटन को दबाएँ।

नोट : समय की उपलब्धता होने पर, मॉक पोल में और अधिक मतों को दर्ज (रिकार्ड) करने में कोई आपत्ति (हर्ज) नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए डाले गए वोट बराबर (समान) हो, परन्तु कम से कम 50 वोट दर्ज करना आवश्यक है ताकि प्रत्येक खुले हुए अभ्यर्थी के बटन की जांच हो सके।

- अब रिजल्ट सेक्शन का रिजल्ट बटन दबाएं। जब उस बटन को दबाया जाएगा तो डिसप्ले पैनल पर

परिणाम प्रदर्शित होने लगेगा।

- मॉक पोल के उपरांत मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में परिणाम प्राप्त करें तथा इसका मिलान हस्तलिखित रिकार्ड से कर लें। वीवीपैट से मॉक पोल के सभी पर्चियों को ड्रॉप बॉक्स से हटा दें एवं सीयू परिणाम से मिलान करें एवं पुष्टि करें लें कि प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए डाला गया मत (वोट) सीयू से प्राप्त परिणाम से मेल खा रहा है। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से हटाए गए मॉक पोल की पर्चियों जिसमें सेल्फ टेस्ट रिपोर्ट (स्वः परीक्षण रिपोर्ट) की पर्चियाँ भी सम्मिलित है, जो आसानी से पहचानी जा सकती है, क्योंकि ऐसे सेल्फ टेस्ट रिपोर्ट की पर्चियों में अभ्यर्थी का नाम एवं निर्वाचन चिन्ह नहीं होता है, इन सेल्फ टेस्ट रिपोर्ट की पर्चियों को रिकार्ड के तौर पर वीवीपैट की मॉक पोल की पर्चियों के साथ सुरक्षित रखें, परन्तु इनकी गणना नहीं की जानी है।

- इसके बाद, कन्ट्रोल यूनिट के 'क्लीयर' बटन को दबाकर मॉक पोल के दौरान दर्ज किए गए मतों को क्लीयर करें। क्लीयर बटन दबाने पर डिसप्ले पैनल पर सभी संख्या (गणना) जीरो (शून्य) दिखायेंगी। पेपर पर्चियों (कागज पर्चियों) को वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से निकाले (हटा) लें एवं ड्राप बॉक्स को एड्रेस टैग के साथ सीलबंद करना चाहिए।

- पीठासीन अधिकारी अनिवार्यतः सुनिश्चित कर लें कि मॉक पोल का डेटा कन्ट्रोल यूनिट से विलोपित कर दिया गया है एवं वास्तविक मतदान प्रारंभ करने से पूर्व वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से मॉक पोल की सभी पर्चियां अनिवार्यतः हटा ली गयी है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।

- पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का पार्ट–I (मॉक पोल प्रमाण पत्र) तैयार करें। पीठासीन अधिकारी मॉक पोल के समाप्ति के उपरांत पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के पार्ट–I (मॉक पोल प्रमाण पत्र) प्रमाण पत्र तैयार करने पर मतदान अभिकर्ताओं एवं अभ्यर्थियों (दल के नाम सहित) के नाम लिखेंगे तथा उनके हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे। अन्य मतदान अधिकारीगण मॉक पोल की कार्यवाही के साक्षी रहेंगे एवं पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के पार्ट–I (मॉक पोल प्रमाण पत्र) में प्रमाणित करेंगे कि वास्तविक मतदान प्रारंभ करने के पूर्व सीयू से मॉक पोल के मतों को विलोपित (मिटा दिया) कर दिया तथा वीवीपैट से मॉक पोल के कागज पर्चियों (पेपर स्लिप्स) को हटा दिया गया है।

- **मतदान आरंभ एवं समाप्ति की तिथि एवं समय का दर्ज करना** :मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी मॉक पोल की समाप्ति पर अनिवार्यतः कन्ट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित समय एवं तिथि को नोट करेगा तथा उस समय वास्तविक तिथि एवं समय की जाँच या मिलान करेगा यदि दोनों में कोई विसंगति है तो पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के पार्ट–I (मॉक पोल प्रमाण पत्र) **(अनुलग्नक–5)** एवं पीठासीन अधिकारी की डायरी **(अनुलग्नक–7)** में लिखेगा।

(iv) मॉक पोल वीवीपैट पेपर स्लिप्स के संग्रहण की प्रक्रिया :

- मॉक पोल वीवीपैट के पेपर स्लिप्स के पीछे की ओर एक रबर स्टैम्प से, जिस पर "मॉक पोल स्लिप" मुद्रित होना चाहिए, सील लगाई जायेगी। उसके बाद इन मॉक पोल वीवीपैट कागज पर्चियों को काले पेपर से बने मोटे लिफाफे में रखा जायेगा एवं पीठासीन अधिकारी की मुहर लगाकर पिंक पेपर सील से सील कर दिया जायेगा।

वीवीपैट द्वारा मुद्रित कागज की पर्चियों का संग्रहण एवं मुहरबंद करना

- पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अभिकर्ताओं को लिफाफे पर हस्ताक्षर करना चाहिए। मतदान केन्द्र का नाम तथा क्रमांक और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम, मतदान की तिथि एवं "मॉक पोल के वीवीपैट पेपर स्लिप्स" लिफाफे पर लिखा जाये।

नोट : यदि वास्तविक मतदान के दौरान ईवीएम – वीवीपैट सेट के प्रतिस्थापन के उपरांत मॉक पोल किया जाता है तो इस स्थिति में लिफाफे पर "पूर्ण ईवीएम–वीवीपैट सेट के प्रतिस्थापन के कारण संचालित मॉक पोल से संबंधित वीवीपैट की पेपर पर्चियाँ" लिखी जायेगी।

- पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ताओं को गुलाबी पत्र मुद्रा (पिंक पेपर सील) पर अनिवार्यतः हस्ताक्षर करने चाहिए तथा मतदान से संबंधित अन्य दस्तावेजों को काले लिफाफे के साथ रखना चाहिए।

3.4. मॉक पोल के पूर्ण होने के उपरांत एवं वास्तविक मतदान प्रारंभ करने के पूर्व कन्ट्रोल यूनिट तथा वीवीपैट को सीलबंद (सीलिंग) करना :

मॉक पोल के उपरांत मॉक पोल डेटा क्लीयर करें। सीयू के रिजल्ट सेक्शन की सिलिंग करने के लिए कन्ट्रोल यूनिट को स्वीच ऑफ करें।

3.4.1 कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम अनुभाग को हरी पत्र मुद्रा, (ग्रीन पेपर सील) स्पेशल टैग तथा एड्रेस टैग से सीलबंद करना :

(ए) ग्रीन पेपर सील (हरी पत्र मुद्रा)

नये डिजाईन किये गये हरी पत्र मुद्रा के सफेद रंग के भाग के तरफ दोनों सिरों पर स्वयं चिपकाने वाले स्टिकर लगे होते है जिसमें "A" एवं "B" मार्क किया रहता है। चूँकि नये डिजाईन किये गये हरी पत्र मुद्रा में स्वयं चिपकाने की व्यवस्था होती है, इसलिए बाहरी पेपर रिट्रप सील कंट्रोल यूनिट को सीलबंद करने के लिए आवश्यक नहीं है।

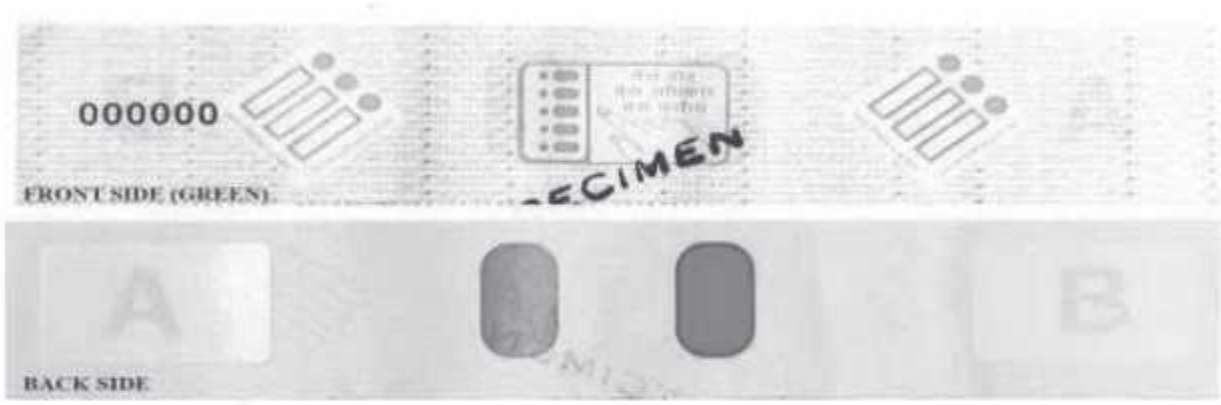

- नियंत्रण यूनिट के परिणाम अनुभाग के आंतरिक कम्पार्टमेंट के दरवाजे के अंदर के हिस्से में पेपर सील को ठीक से लगाने के लिए फ्रेम होता है। नियंत्रण इकाई के परिणाम अनुभाग के आंतरिक कम्पार्टमेंट के दरवाजे के भीतरी हिस्से पर इस उद्देश्य के लिए दिए गए फ्रेम में हरे कागज मुद्रा को लगाने से पूर्व आपको पेपर सील के सीरियल क्रमांक के नीचे हस्ताक्षर कर देना चाहिए। उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके मतदान अभिकर्ताओं, जो हस्ताक्षर करने को इच्छुक हो, वे भी हस्ताक्षर करेंगे। पीठासीन अधिकारी को मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर का उनके नियुक्ति पत्र पर किए गए हस्ताक्षर से मिलान करना चाहिए।

- हरी पत्र मुद्रा (ग्रीन पेपर सील) को परिणाम अनुभाग के दरवाजे के आंतरिक हिस्से में दिये गए फ्रेम में इस प्रकार डालते है कि मुद्रा के सफेद रंग के भाग की तरफ अंकित हरे रंग का निशान परिणाम बटन के ऊपर आए और लाल रंग का निशान प्रिंट बटन के ऊपर आ जाए। द्वार को इस प्रकार बंद करें कि पेपर सील के दोनों सिरे

आंतरिक कम्पार्टमेंट के किनारों से बाहर निकले हुए हों।

- हरी पत्र मुद्रा लगाने के उपरांत, परिणाम बटनों के ऊपर का आंतरिक द्वार बन्द हो जायेगा। द्वार बन्द होने के उपरांत भीतरी दरवाजे की खिड़कियों (विंडोज) से ग्रीन पेपर सील के सफ़ेद भाग पर बना हरा और लाल रंग का निशान दिखना चाहिए।

- इसके उपरांत परिणाम अनुभाग के आंतरिक द्वार को स्पेशल टैग के साथ सील किया जायेगा।

(बी) **स्पेशल टैग** : मोटे गत्ते से बने विशेष टैग का उपयोग ईवीएम के सीयू (नियंत्रण इकाई) के परिणाम अनुभाग के आंतरिक कम्पार्टमेंट को सील करने के लिए किया जाता है।

Front Side

Back Side

- सीलिंग के उद्देश्य से, स्पेशल टैग के दाई ओर के ऊपरी किनारे के पास धातु की रिंग वाला छेद होता है, जिससे धागा आसानी से गुजर सके। विशेष टैग के मध्य भाग में विस्तृत स्लॉट होता है जिसमें परिणाम अनुभाग के कम्पार्टमेंट में स्पेशल टैग को फिक्स करने पर "क्लोज" बटन दिख सके और साथ–साथ कार्य कर संचालित किया जा सके।

- विशेष टैग प्रयुक्त करने से पूर्व आप विशेष टैग पर कंट्रोल यूनिट की संख्या लिखेंगे।

- विशेष टैग पर कन्ट्रोल यूनिट की क्रम संख्या सामने की ओर लिखने के पश्चात आप विशेष टैग के पीछे अपना हस्ताक्षर करेंगे। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं जो मतदान केन्द्र के अंदर उपस्थित है चाहे तो वे अपने हस्ताक्षर स्पेशल टैग के पिछले हिस्से पर कर सकते हैं। आप स्पेशल टैग पर छपे हुए नम्बर को जोर से पढ़ कर सुनाएं और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं से लिखने के लिए कहें ताकि वे भविष्य के संदर्भों के लिए रख सके।

- परिणाम अनुभाग के आंतरिक द्वार को स्पेशल टैग के साथ सीलबंद कर दें। इसके लिए आप इस संबंध में रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा विशेष रूप से आपूर्ति किए गए उच्च गुणवत्ता वाले धागों, को अंदरूनी दरवाजे में उपलब्ध छेदों (होल्स) तथा स्पेशल टैग के धातु रिंग छेद से होकर निकालेंगे।

- किसी भी स्थिति में खराब या क्षतिग्रस्त विशेष टैग का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस स्थिति में दूसरे विशेष टैग का प्रयोग करें। आपको अतिरिक्त "ग्रीन पेपर सील" की तरह अतिरिक्त 2 या 3 स्पेशल टैग भी दिए जाते हैं।

- एक बार उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर धागे की एक गाँठ बनाकर विशेष टैग पर सीलिंग चपड़ा लगाकर धागे को सीलबंद कर दें। तत्पश्चात आप स्पेशल टैग को "क्लोज" बटन के कम्पार्टमेंट में इस तरह समायोजित करें कि "क्लोज" बटन स्पेशल टैग के कटे हुए मध्य भाग से दिखाई दे। सील क्षतिग्रस्त न हो, इसका ध्यान रखें।

- विशेष टैग को ठीक से लगाने के उपरांत परिणाम अनुभाग के बाहरी द्वार को इस तरह से बंद करें कि हरी पत्र मुद्रा के खुले हुए दोनों सिरे बंद बाहरी द्वार के दोनों ओर से निकले रहें। उसके बाद पीठासीन अधिकारी बाहरी द्वार को धागे और एड्रेस टैग से सीलबंद करेंगे।

- नई डिजाइन की गई हरी पत्र मुद्रा के ऊपरी हिस्से पर अंकित 'A' भाग से वैक्स पेपर को हटा दिया जाना चाहिए एवं 'A' Side को परिणाम खण्ड के बाहरी दरवाजे के ऊपर चिपका दीजिए।
- नई डिजाइन की गई हरी पत्र मुद्रा के निचले हिस्से पर अंकित 'B' भाग से वैक्स पेपर हटा दिया जाना चाहिए एवं 'B' सिरे को हरे पत्र मुद्रा के 'A' सिरे के ऊपर (जो कि बाहरी द्वार के ऊपर चिपकाया गया है) इस तरह से चिपकाते है कि पत्र पत्र मुद्रा का सीरियल नम्बर ऊपर दिखता रहे।

(सी) वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को एड्रेस टैग तथा धागे से मुहरबंद करना :

वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के पूर्व वीवीपैट के निचले भाग, जिसे ड्रॉप बॉक्स भी कहा जाता है, को धागे एवं एड्रैस टैग के साथ सील (मुहरबंद) किया जाता है।

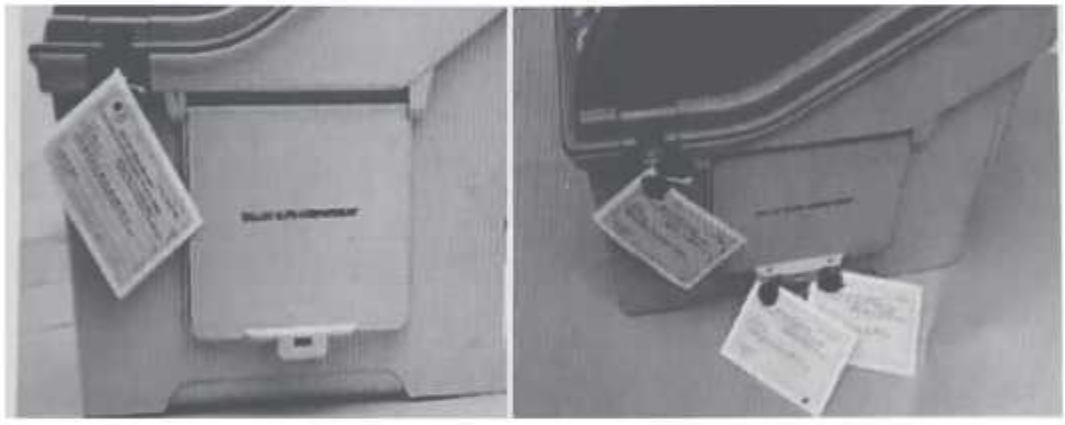

3.4.2 वास्तविक मतदान हेतु तैयार ईवीएम तथा वीवीपैट :

वास्तविक मतदान में प्रयुक्त होने के लिए ईवीएम तथा वीवीपैट का संयोजन अब हर प्रकार से तैयार है।

3.4.3 ईवीएम के प्रतिस्थापन की स्थिति में मॉक पोल :

- अगर सीयू या बीयू या वीवीपैट मॉक पोल करते समय ठीक से काम नहीं करता है तो केवल संबंधित यूनिट को प्रतिस्थापित (बदले) करें।
- अगर वास्तविक मतदान के दौरान सीयू या बीयू काम नहीं करता है तो सीयू, बीयू और वीवीपैट के पूरे सेट को प्रतिस्थापित (बदल दें) करें। ऐसी स्थिति में नोटा सहित प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को केवल एक वोट मॉक पोल के दौरान डालें एवं मॉक पोल के अनुदशों का पालन (अनुसरण) उपरोक्त वर्णित पैरा 3.3.5 के अनुसार करें।
- वास्तविक मतदान के दौरान केवल वीवीपैट ठीक से नहीं कार्य करता है तो केवल वीवीपैट को प्रतिस्थापित करें। केवल वीवीपैट के प्रतिस्थापित होने पर मॉक पोल की आवश्यकता नहीं होती है।

3.4.4. गंभीर भूल या त्रुटियॉं :

- मॉक पोल के उपरांत सीयू का 'क्लोज' बटन नहीं दबाना।
- सीयू के मॉक पोल के परिणाम को वीवीपैट के कागज की पर्चियों से मिलान नहीं करना।
- मॉक पोल के कागज की पर्चियों (पेपर स्लीपस्) को वीवीपैट से नहीं हटाना।
- कन्ट्रोल यूनिट से मॉक पोल डेटा को विलोपित नहीं करना।
- सीधे पड़ने वाली रोशनी (प्रकाश) के नीचे वीवीपैट को स्थापित करना।
- खुली खिड़की के पास वीवीपैट को रखना (स्थापित करना)।

नोट :

- पीठासीन अधिकारी को उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को मशीनों के नम्बर्स मॉक पोल शुरू करने के पहले दिखा देना चाहिए।
- पीठासीन अधिकारी को मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाए जाने वाले सीयू, बीयू तथा वीवीपैट की संख्या एवं सीरियल नम्बर अपने डायरी में नोट (लिख) कर लेना चाहिए।

3.4.5. पेपर सील का लेखा :

- आपको मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए प्रदाय (दिए गए) किए गए हरी पत्र मुद्राओं का सही लेखा तथा कन्ट्रोल यूनिट को सीलबंद और सुरक्षित करने के लिए वास्तव में प्रयुक्त हरी पत्र मुद्रा का लेखा रखना चाहिए। ऐसा लेखा आपके द्वारा निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के साथ संलग्न फार्म 17C (**अनुलग्नक–8**) के पार्ट–1 के आईटम 10 के तहत विशेष रूप से निर्धारित फार्म में रखा जाएगा।
- आपको उपयोग हेतु प्रदाय एवं वास्तव में प्रयुक्त हरी पत्र मुद्राओं का सीरियल नम्बर नोट (लिखने) के लिए उपस्थित अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ताओं को अनुमति देना चाहिए।

3.5. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वोटर वेरीफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) को संभालते (हेन्डलिंग) करते समय क्या नहीं करना चाहिए :

(पीठासीन अधिकारी एवं टीम (दल) के लिए प्रासंगिक)

	मतदान केन्द्रों (पोलिंग स्टेशनों) के लिए प्रस्थान के दौरान :
1	यह सुनिश्चित करना न भूलें कि ईवीएम/वीवीपैट उस मतदान केन्द्र से संबंधित है जिसके लिए यह आबंटित किया गया है।
2	किसी भी ईवीएम और वीवीपैट को निवास जैसे अनाधिकृत स्थान पर न ले जायें।
3	वीवीपैट को बार–बार लगातार स्विच ऑन और ऑफ न करें क्योंकि इससे बैटरी के साथ पेपर रोल भी खत्म हो जाएगा जिससे मतदान के दिन समस्याएँ पैदा हो जायेगी।
4	ईवीएम यूनिट्स एवं वीवीपैट को केबल से जोड़ते (संयोजन करते) या अलग (डिसकनेक्ट) करते समय सीयू को स्विच ऑफ करना न भूलें।
5	कन्ट्रोल यूनिट से डिसकनेक्ट (अलग) करते समय बीयू और वीवीपैट के केबल को बलपूर्वक न खींचें।
6	वितरण केन्द्र पर वीवीपैट को स्विच ऑन न करें।
7	वितरण केन्द्र पर बैलेट यूनिट, कन्ट्रोल यूनिट और वीवीपैट को कनेक्ट न करें।
8	परिवहन के समय वीवीपैट के नॉब को लंबवत् (वर्किंग मोड) न रखें।
9	निर्धारित स्थान के अलावा अन्य स्थान पर न रूके (ठहरें)।
10	बीयू, सीयू एवं वीवीपैट के किसी भी सील को न हटाएँ।

11	वितरण स्थल से निर्धारित मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिए निर्धारित वाहन के अलावा अन्य वाहन का उपयोग न करें।
	मॉक पोल के दौरान
1	यदि कोई मतदान अभिकर्ता न हो या एक मतदान अभिकर्ता उपस्थित हो, मॉक पोल प्रारंभ न करें, 15 मिनट प्रतीक्षा करें।
2	कम से कम 50 वोट डाले बिना मॉक पोल न रोकें।
3	एक टेबल पर बीयू, सीयू और वीवीपैट मॉक पोल के लिए न रखें। (बीयू एवं वीवीपैट को मतदान कोष्ठ (वोटिंग कम्पार्टमेंट) में रखें)।
4	मॉक पोल के दौरान नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार/अभ्यर्थी के बटन पर कम से कम एक वोट डालना न भूलें।
5	मतदान के दिन मॉक पोल पूर्ण होने के उपरांत वीवीपैट पर्चियों के कम्पार्टमेंट में मॉक पोल की पर्चियों को न छोड़े।
6	वास्तविक मतदान प्रारंभ करने के पूर्व सीयू से मॉक पोल के डेटा को विलोपित (डिलीट) करना न भूलें।
7	काले लिफाफे में मॉक पोल के वीवीपैट पर्चियों को बिना मुहर (अनस्टाम्पड) लगाए न रखें।
8	मॉक पोल के दौरान ईवीएम की गिनती का वीवीपैट पर्चियों की गिनती से मिलान करना न भूलें।
9	मॉक पोल प्रमाण पत्र (पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट का पार्ट–1) को भरना न भूलें।
10	सीयू के परिणाम अनुभाग तथा वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को बिना सीलबंद किए और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर बिना वास्तविक मतदान प्रारंभ नहीं करें।
	मतदान के दौरान
1	मतदान की समाप्ति तक पेपर रोल नॉब को संचालित न करें।
2	मतदान समाप्ति के उपरांत सीयू के 'क्लोज' बटन को दबाना न भूलें।
3	वास्तविक मतदान के दौरान केवल वीवीपैट के प्रतिस्थापित करने की स्थिति में मॉक पोल का आयोजन (संचालन) न करें।
4	वोटिंग कम्पार्टमेंट (मतदान कोष्ट) में वीवीपैट के ऊपर कोई अधिक रोशनी वाला बल्ब न लटकाएँ।
5	बैलेट यूनिट, कन्ट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट के संयोजन (कनेक्शन) और वियोजन (डिसकनेक्शन) के समय कन्ट्रोल यूनिट को स्विच ऑन न करें।
6	जब वीवीपैट का पेपर रोल नॉब लॉक पोजीशन हॉरीजोन्टल (क्षैतिज) पोजीशन में हो, तो कन्ट्रोल यूनिट का स्विच ऑन न करें।
7	बीयू/वीवीपैट के इंटरकनेक्टिंग केबल को टेबल के पाये से नीचे पारदर्शी टेप से चिपकाना न भूलें।
8	केबल को डिसकनेक्ट (अलग) करते हुए कनेक्टर के दोनों तरफ के लैचेज (कुंडियों) को दबाना न भूलें।
9	मॉक पोल डेटा कन्ट्रोल यूनिट से तथा मॉक पोल प्रक्रिया से प्राप्त वीवीपैट मॉक पर्चियाँ वीवीपैट से हटाना न भूलें।
10	निरक्षर लोगों को मतदान के लिए शिक्षित करने मतदान कोष्ट में प्रवेश न करें। इसके लिए कार्डबोर्ड बैलेट यूनिट (बीयू) का प्रयोग करें।
11	मतदान प्रक्रिया के दौरान ईवीएम को स्विच ऑफ न करें।
12	मतदान पूर्ण होने के उपरांत वीवीपैट को कैरीयिंग केस में सीलबंद करने से पूर्व वीवीपैट पावर पैक (बैटरी) को वीवीपैट से हटाना न भूलें।

3.6. मतदान दिवस पर मतदान दलों को ईवीएम/वीवीपैट पर निर्देश :

1. Connecting CU, BU, VVPAT M3

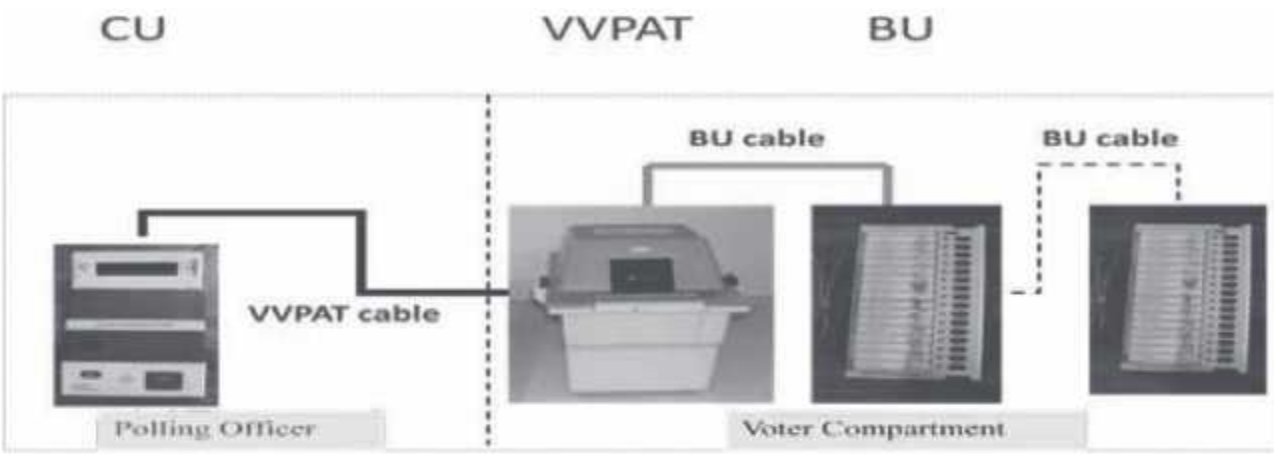

Connecting EVM with VVPAT during mock poll, actual poll

2. मॉक पोल का संचालन एवं सत्यापन :

- मॉक पोल के दौरान अभ्यर्थी/अभिकर्ताओं की उपस्थिति में कम से कम 50 वोट डाला जाना चाहिए।
- मॉक पोल पूर्ण होने के बाद, सीयू का 'क्लोज' बटन दबाएँ।
- सीयू पर परिणाम बटन दबाएं और सीयू द्वारा प्रदर्शित डेटा का हस्तलिखित रिकार्ड (दर्ज) रखे।
- सीयू पर 'क्लीयर' बटन दबाएं और टोटल को देखे जो कि "शून्य" प्रदर्शित होना चाहिए। सीयू को स्विच ऑफ कर दें।
- वीवीपैट के बैलेट कम्पार्टमेंट द्वार को खोलें एवं वीवीपैट बैलेट पर्चियों को एकत्रित करें।
- वीवीपैट परिणाम डेटा और सीयू रिजल्ट (परिणाम) डेटा की तुलना करें। अभ्यर्थीवार दोनों डेटा का मिलान होना चाहिए।
- मॉक पोल सर्टीफीकेट ध्यानपूर्वक एवं सही–सही भरें।

3. मॉक पोल के उपरांत सीयू एवं वीवीपैट के बैलेट स्लिप्स् कम्पार्टमेंट को सीलबंद (मुहरबंद) करना :

- मॉक पोल के उपरांत, वीवीपैट पेपर पर्चियों को हटा दिया जाना चाहिए और उनके पीछे की तरफ रबर स्टैंप से "मॉक पोल स्लिप" अंकित किया जाना चाहिए। इसके बाद इन मॉक पोल पर्चियों को मोटे काले कागज से बने लिफाफे में रखा जायेगा और सीलबंद किया जायेगा।
- इस लिफाफे को पिंक पेपर सील (गुलाबी कागज मुद्रा) से इस प्रकार सीलबंद किया जाना चाहिए कि लिफाफे को खोलने के लिए सील को तोड़ना पड़े।
- सीयू के आंतरिक परिणाम अनुभाग (इनर रिजल्ट सेक्शन) में हरी पेपर मुद्रा एवं सीयू के क्लोज बटन में स्पेशल टैग को निर्धारित करें। परिणाम अनुभाग के बाहरी द्वार को एड्रेस टैग एवं हरी पत्र मुद्रा से सील करें।
- सुनिश्चित करें कि वीवीपैट का बैलेट कम्पार्टमेंट वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले खाली है। एवं बैलेट स्लिप कम्पार्टमेंट को धागे और एड्रेस टैग से, वास्तविक में मतदान शुरू होने के पूर्व सीलबंद किया गया है।

4. तैयारी से लेकर मॉक पोल तक ईवीएम–वीवीपैट का प्रतिस्थापन :

- यदि बीयू ठीक से काम नहीं करता तो केवल बीयू को रिजर्व बीयू से बदलें (प्रतिस्थापित करें)।
- यदि सीयू ठीक से काम नहीं करता है तो केवल सीयू को रिजर्व सीयू से बदलें (प्रतिस्थापित करें)।
- यदि वीवीपैट ठीक से काम नहीं करता तो केवल वीवीपैट को रिजर्व वीवीपैट से प्रतिस्थापित करें।

5. वास्तविक मतदान के दौरान ईवीएम–वीवीपैट का प्रतिस्थापन :

- यदि सीयू या बीयू ठीक से काम नहीं करता तो बीयू, सीयू तथा वीवीपैट के सम्पूर्ण सेट को बदलें। ऐसी स्थिति में मॉक पोल प्रक्रिया में नोटा सहित प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक–एक वोट दिया जाना चाहिए तथा प्रक्रिया का अनुसरण (पालन) किया जाना चाहिए।
- अगर सीयू, वीवीपैट बदलने का निर्देश प्रदर्शित करता है, तो केवल वीवीपैट ही प्रतिस्थापित होगा। इस स्थिति में मॉक पोल का आयोजन किया जाना आवश्यक नहीं है।
- अगर सीयू या वीवीपैट का पावरपैक (बैटरी) बदलने का निर्देश प्रदर्शित करता है, तो केवल सीयू या वीवीपैट का पावरपैक (बैटरी) प्रतिस्थापित करें। यह कार्य सेक्टर अधिकारी और मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में किया जाएगा एवं पावर पैक बदलने के पश्चात् इस खण्ड को पुनः सील किया जाएगा तथा पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग–II भरा जाएगा।

3.7. वास्तविक मतदान के पूर्व या दौरान ईवीएम/वीवीपैट का प्रतिस्थापन

ईवीएम–वीवीपैट का प्रतिस्थापन (बदलना)

वास्तविक मतदान के दौरान	बीयू दोषपूर्ण	बीयू, सीयू एवं वीवीपैट के सम्पूर्ण सेट को प्रतिस्थापित करे।	➢ प्रत्येक अभ्यर्थी के अनमास्कड (खुले) बटन में 01 वोट डालकर मॉक पोल करें ➢ बीवीपैट बैटरी को अलग करें, त्रुटिपूर्ण यूनिटों को कैरीयिंग केस में सील करें। ➢ पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट पार्ट–I एवं पार्ट–V तैयार करें।
	सीयू दोषपूर्ण		
	सीयू बैटरी दोषपूर्ण	केवल सीयू बैटरी को बदलें	➢ मॉक पोल नहीं किया जाना है। ➢ पीठासीन अधिकारी (PrO) रिपोर्ट भाग–2 तैयार करें।
	वीवीपैट दोषपूर्ण	केवल वीवीपैट प्रतिस्थापित करें	➢ कोई मॉक पोल नहीं ➢ वीवीपैट बैटरी हटाएं, त्रुटिपूर्ण वीवीपैट को कैरीयिंग केस में सीलबंद करें। ➢ पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट पार्ट–V तैयार करें।
	वीवीपैट बैटरी दोषपूर्ण	केवल वीवीपैट बैटरी बदलें	➢ कोई मॉक पोल नहीं
वास्तविक मतदान के पूर्व	कोई भी दोष	केवल दोषपूर्ण यूनिटों को प्रतिस्थापित करें।	➢ नई यूनिटों के साथ मॉक पोल जारी रखें। ➢ पीठासीन अधिकारी (PrO) रिपोर्ट पार्ट–I एवं IV तैयार करें। ➢ दोषपूर्ण यूनिट (ों) को SO (सेक्टर अधिकारी) को लौटाएँ।

- किसी भी स्थिति में सीलबंद ड्रॉपबॉक्स को न खोलें।
- **किसी भी कनेक्शन या डिसकनेक्शन (संबंध–विच्छेद) से पहले हमेशा सीयू को स्विच ऑफ रखें।**
- हमेशा लाल–काला रंग कोड को ही मैच (मिला) कर यूनिट्स को आपस में जोड़े (संयोजन करें)।
- **सीयू को स्विच ऑन (चालू) करने से पूर्व वीवीपैट नॉब को अनलॉक (खुले) पोजीशन में रखें।**

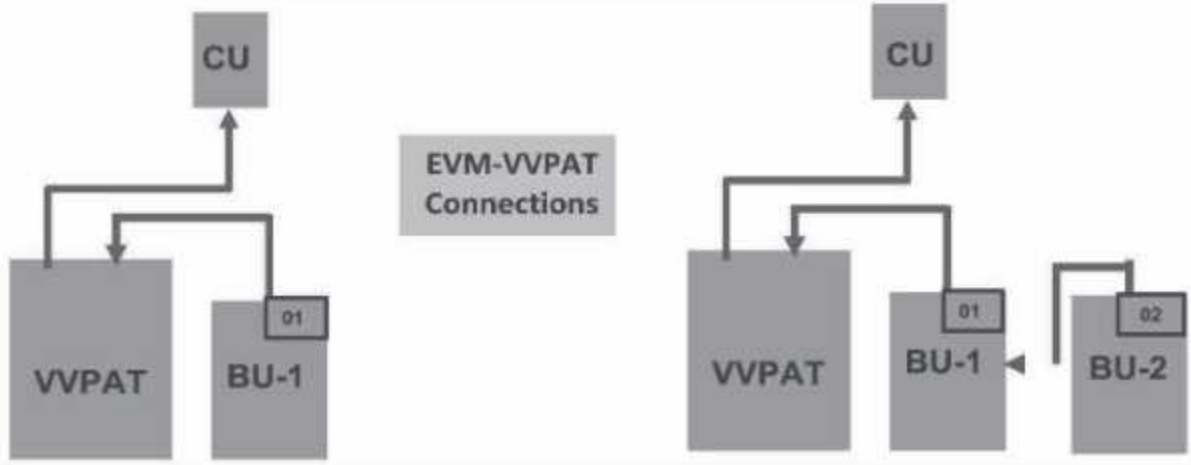

अध्याय– 04

मतदान प्रक्रिया

4.1 मतदान केन्द्र के आसपास निर्वाचन कानून का क्रियान्वयन।

(i) निष्पक्षता और मर्यादा का पालन :

आपको सभी राजनीतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों (स्वतंत्र उम्मीदवारों सहित) के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। आपको विवाद के किसी बिन्दु (विषय) पर निष्पक्ष और उचित तरीके से निर्णय लेना चाहिए। सभी मामलों में आपकी निष्पक्षता, दृढ़ता और चातुर्य आपको उचित स्थान प्रदान करेगा साथ ही आपके मतदान केन्द्र पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराने में योगदान देगा। आपको किसी अभ्यर्थियों, मतदान अभिकर्ता, हस्तियां, विशिष्ट व्यक्ति अथवा मतदाता के साथ परिचय नहीं दिखाना चाहिए (P01 P02 P03 पर भी लागू होता है।) हालॉकि सामान्य शिष्टाचार दिखाया जा सकता है। प्रत्येक मतदाता के साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना आपके कर्तव्य का हिस्सा है।

(ii) प्रचार पर प्रतिबंध :

मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर (दायरों में) प्रचार करना निर्वाचकीय अपराध है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त होता है तो उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके विरूद्ध **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 130 (अनुलग्नक–01)** के तहत मुकदमा चलाया जा सकता हैं।

(iii) अभ्यर्थी कोष्ठ :

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को अपने बूथ को मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी पर एक टेबल, दो कुर्सियां एवं तेज धूप से/बारिश से बचने के लिए छाता या तिरपाल के टुकड़े को लगाने की अनुमति है। ऐसे प्रकोष्ठ पर भीड़ जमा नहीं होने देनी चाहिए। उपरोक्त के उल्लंघन के मामले को तुरंत अपने सेक्टर अधिकारी (या आपके मतदान केन्द्र पर कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार अधिकारी या अन्य अधिकारी) के संज्ञान में लाना चाहिए। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए समय पर आवश्यक निदानात्मक कार्यवाही की जाना चाहिए।

(iv) मतदान केन्द्र के अंदर या आसपास प्रतिकूल आचरण :

यदि कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र परिसर (अंदर या उसके आस–पास) में प्रतिबंधात्मक/ निषेधात्मक/ध्वनि उपकरण (ध्वनि–विस्तारक यंत्र जैसे लाउड स्पीकर, मेगाफोन आदि के उपयोग सहित) उपयोग करता हुआ पाया जाता है। आप उसे उसी समय पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार करवा सकते हैं, तथा बाद में **(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 131–अनुलग्नक–01)** के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में तब किया जाये, जब संबंधित व्यक्ति पर आपकी समझाइश और सख्त चेतावनी का प्रभाव न हुआ हो।

(v) उपद्रवियों को हटाना :

मतदान के दौरान कोई व्यक्ति आपके निर्देशों का (लागू कानून का) पालन नहीं करता या आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो पुलिस या अन्य व्यक्तियों जो आपके द्वारा अधिकृत हो की मदद से मतदान केन्द्र से हटाया जा सकता है। **(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 132–अनुलग्नक–01)**

(vi) मतदाताओं के आवागमन के लिए वाहनो का अनाधिकृत रूप से अधिग्रहण/ किराये पर लेना :

यदि किसी शिकायत कर्ता के द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की ओर से प्रयुक्त वाहन से मतदाताओं को उनके घर से मतदान केन्द्र तक लाने एवं वापिस घर छोड़ने की शिकायत की जाती है, तो अपने जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अग्रेषित करना चाहिए।

(vii) मतदान केन्द्र से वोटिंग मशीन और अन्य मतदान सामग्री को हटाना अपराध माना जाएगा :

- कोई व्यक्ति किसी भी निर्वाचन में धोखाधड़ी से या अनाधिकृत तरीके से मतदान केन्द्र से वोटिंग मशीन ले जाता है या ले जाने का प्रयास करता है या जानबूझकर ऐसे किसी कृत्य में मदद करता है या करने के लिए उकसाता है, एक संगीन अपराध है, जिसके लिए उसे पाँच सौ रूपये का जुर्माना या एक वर्ष का कारावास अथवा दोनो से दंडित किया जा सकता है। इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 को उक्त अधिनियम की धारा 61 ए के स्पष्टीकरण के संदर्भ में पढ़ा जा सकता है।

- ईवीएम को छोड़कर अन्य मतदान सामग्री को बाहर ले जाने या बाहर ले जाने का प्रयास करने का कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135–ए के तहत एक संज्ञेय अपराध है।

- उपरोक्त परिस्थिति या घटना में आपको मतदान केन्द्र की अधिकारिता में आने वाले संबंधित पुलिस थाना में लिखित सूचना देकर कृत्यकर्ता को थाना प्रभारी को सौंपना चाहिए।

(viii) मतदान अधिकारियों द्वारा अधिकारिक कर्तव्यों का उल्लंघन :

आपका ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि कोई पीठासीन या मतदान अधिकारी बिना किसी उचित कारण के अपने अधिकारिक कर्तव्यों के उल्लंघन या यहां तक कि किसी भूल/चूक का भी दोषी है, तो वह एक संज्ञेय अपराध करता है।

(ix) मतदान केन्द्र पर या उसके आसपास हथियार सहित आने पर प्रतिबंध :

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 बी के प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर या उसके आसपास (रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, पुलिस अधिकारी या मतदान केन्द्र पर कानून एवं शांति बहाली के लिए तैनात अधिकारी के अतिरिक्त) हथियारों से लैस, जैसा कि शस्त्र अधिनियम, 1959 में परिभाषित है, नहीं आ सकता।

यदि कोई व्यक्ति इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनो एक साथ भी लगाया जा सकता है। यह एक संज्ञेय अपराध है।

(x) वायरलेस सेट, कार्डलेस फोन, सेल्युलर फोन आदि के उपयोग पर प्रतिबंध :

मतदान केन्द्र के अंदर और उसके 100 मीटर की परिधि में (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केन्द्र के आसपास की सीमा के रूप में परिभाषित) शामिल क्षेत्र में किसी को भी सेलफोन, स्मार्ट घड़ी, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट आदि रखने की अनुमति नहीं है। पीठासीन अधिकारी और यदि माइक्रो–ऑब्जर्वर मतदान केन्द्र पर तैनात है तो वह अपना मोबाईल फोन साइलेंट मोड पर रख सकते है। शैडो एरिया की स्थिति में वायरलैस सेट या सेटेलाइट फोन के उपयोग की अनुमति पीठासीन अधिकारी (पी.आर.ओ.) को दी जा सकती है।

4.2 मतदान का प्रारंभ।

(i) निर्धारित समय पर मतदान का प्रारंभ होना :

मतदान निर्धारित समय (सटीक घंटे और मिनिट) जिसे अलग से सूचित किया गया है पर ही प्रारंभ होना चाहिए। प्रत्येक प्रस्तावित तैयारी मतदान प्रारंभ होने के पूर्व पूर्ण कर ली जानी चाहिए (पीठासीन अधिकारी की चेकलिस्ट देखें)। यदि मतदान निर्धारित समय अनुसार प्रारंभ नहीं होता है, तो आपको पीठासीन अधिकारी की डायरी (पी.आर.ओ. डायरी) **(अनुलग्नक–7)** में विलंब/देरी के कारण का उल्लेख करना होगा। मॉक पोल परिणाम को ईवीएम से क्लियर कराना (विलोपित) सुनिश्चित करें। वी.वी.पैट ड्रॉप बॉक्स से मॉक पोल की पेपर पर्चियां निकालना सुनिश्चित करें। मतदान प्रारंभ होने की सूचना तुरंत सेक्टर अधिकारी के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी को दें।

(ii) मतदान की गोपनीयता के बारे में अग्रिम चेतावनी :

आपको निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी/मतदान अभिकर्ताओं (मतदान केन्द्र के अंदर मौजूद/उपस्थित) को मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कानूनी रूप से कर्तव्यबद्ध होने और इसके उल्लंघन के मामले में (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के अनुसार **(अनुलग्नक–01)** दंडात्मक प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताना चाहिए।

(iii) पीठासीन अधिकारियों द्वारा घोषणाएँ :

मतदान शुरू होने के पहले आपको पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं **(अनुलग्नक–6 के भाग –I में विहित)**, का वाचन अवश्य करना चाहिए। आपको मतदान केन्द्र के अंदर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष घोषणाओं का वाचन जोर–जोर से/ऊँची आवाज में करना चाहिए। घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करना, केन्द्र में उपस्थित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराना चाहिए। घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने वाले किसी भी मतदान अभिकर्ता का नाम उस पर लिखा जाना चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपने मतदाताओं के रजिस्टर, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति, ई.वी.एम.–वी.वी.पैट के प्रदर्शन संबंधी निर्देशों का पालन किया है और हरे कागज की सील (ग्रीन पेपर सील) पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी/मतदान अभिकर्ताओं के

हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हैं तथा उन्हें उनके सीरियल नंबर (सरल क्रमांक) नोट करने (लिखने) की अनुमति दी गई है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक सुरक्षा उपाय है। मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के प्रावधानों के वाचन के तुरंत बाद इसे किया जाना चाहिए।

(iv) अमिट स्याही के संबंध में सावधानियां :

आपको मतदान अधिकारी क्रमांक 02 (अमिट स्याही के प्रभारी मतदान अधिकारी) को मतदान अवधि के लिए पर्याप्त सावधानी बरतने की सलाह देनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अमिट स्याही वाली शीशी कंटेनर के अंदर सावधानी पूर्वक इस तरह से रखी गई है, (जिस उद्देश्य के लिए प्रदान की गई) कि कंटेनर टेढ़ा न हो और अमिट स्याही फैल न जाए। कंटेनर (सपाट तल वाला टिन–कंटेनर) के अंदर शीशी के चारो ओर शेष स्थान में सूखी मिट्टी भर दी जानी चाहिए, ताकि शीशी का 3/4 (75%) भाग लंबवत स्थिर हो जावे और कंटेनर के मध्य में स्थित हो जाए। स्याही के साथ दिया गया ब्रश, (अमिट स्याही लगाने के लिए दिया गया है) शीशी के काक–ढक्कन के मुँह से हमेशा लंबवत रूप से डुबोकर रखा जाना चाहिए, इसे मतदाता की तर्जनी पर चिन्हित करने उद्देश्य से ही लंबवत बाहर निकाला जाना चाहिए।

(v) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति (चिन्हित मतदाता सूची/मतदान के लिए चिन्हित निर्वाचक नामावली) :

वास्तविक मतदान शुरू होने से पूर्व आपको मतदान केन्द्र के अन्दर उपस्थित निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं को निर्वाचक नामावली की चिंह्ति प्रति दिखानी होगी (अर्थात्, जिसका उपयोग मतदान के उद्देश्य से मतदाताओं के नाम 'चिन्हित' करने के लिए किया जाना है।) इसमें अनुपस्थित मतदाताओं, निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारी और जो डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करेंगे उनके चिन्हांकन सहित निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण–पत्र (EDC) से मतदान करने वालों के लिए अंकित टिप्पणियों के अतिरिक्त अन्य टिप्पणियों नहीं है। अंतिम प्रकाशन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि को प्रकाशित निर्वाचक नामावली के साथ नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक किये गये परिवर्धन (यदि कोई हो) को मिलाकर एकल एकीकृत सूची बनती है जिसका उपयोग वास्तविक मतदान सम्पन्न कराने के उद्देश्य से किया जाता है। संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में किए गए परिवर्धन, पूर्ववर्ती अंतिम क्रमांक (अर्थात अंतिम नामावली में किसी निर्वाचक की अंतिम प्रविष्टि) की निरंतरता में नए जोड़े गए निर्वाचक को क्रमांक आबंटित करके कालानुक्रमिक क्रम में दर्शित होने चाहिए। परिवर्धन, विलोपन और संशोधन के लिए पृथक सूची मुद्रित (इस मामले में नवीनतम निर्देश के अनुपालन में) नहीं की जानी है। संक्षिप्त पुनरीक्षण/सतत् अद्यतनीकरण के दौरान फार्म–8 के आधार पर संशोधित/सुधार की गई सभी प्रविष्टियाँ मौजूदा प्रविष्टियों के स्थान पर # के चिन्ह के साथ (संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान किये गये सुधार के मामले में) तथा सतत अद्यतनीकरण कार्यक्रम के दौरान किये गये सुधार या संशोधित/प्रतिस्थापित प्रविष्टि को ## के चिन्ह के साथ एकीकृत सूची में प्रतिस्थापित की जाएंगी। एक काल्पनिक (डमी) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति की छवि नीचे दिखाई गई है :

काल्पनिक (डमी) चिन्हित मतदाता सूची की छायाप्रति

Sr. No. 18 RJ/12/094/909297 Name: AB Father Name: X House No.: 3/10 Age: 42 Sex: M DELETED	Sr. No. 19 RJ/32/194/239276 Name: DF Husband Name: RT House No.: 3/11 Age: 21 Sex: F
Sr. No. 20 UCW1075683 Name: EW Father Name: JU House No.: 4/01 Age: 19 Sex: M	Sr. No. 21 UCW0389675 Name: TY Father Name: FH House No.: 305 Age: 83 Sex: M

आपको मतदान केन्द्र पर उपस्थित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं को मतदाताओं का रजिस्टर (फार्म 17ए, निर्वाचकों के संबंध में प्रविष्टियाँ करने के लिए) भी दिखाना होगा, ताकि उन्हें यह विश्वास हो सके कि इसमें पूर्व से किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं है।

(vi) मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के प्रवेश का विनियमनः

आपको दिव्यांगजनों/वरिष्ठ नागरिक, पुरूष और महिला मतदाताओं के लिए तीन पृथक–पृथक कतारों/लाइनों से प्रवेश सुनिश्चित करना होगा। आपको कतारों के प्रबंधन करने वाले अधिकारियों (पुलिस आरक्षक/होम गार्ड/कोई अन्य अधिकृत मतदान अधिकारी) को एक समय में तीन से चार मतदाताओं को मतदान केन्द्र के अंदर जाने की अनुमति के निर्देश देना होगा। शेष मतदाता बाहर कतार में अपनी बारी आने का इंतजार करेंगे। मतदाताओं के प्रवेश के लिए एक पुरूष मतदाता के साथ दो महिला मतदाता को मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। किसी भी परिस्थिति में आपको पुरूष और महिला मतदाताओं के लिए एक से अधिक कतार/लाईन की अनुमति नहीं देनी चाहिए। दिव्यांग मतदाताओं, शारीरिक रूप अशक्त मतदाताओं, गर्भवती महिला मतदाताओं, गोद में बच्चे लिए महिला मतदाताओं, वरिष्ठ नागरिकों को कतार में अन्य मतदाताओं से पहले मतदान में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्हें अन्य मतदाताओं के साथ कतार में इंतजार नहीं कराया जाना चाहिए। मतदान केन्द्र पर उन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सभी सुविधाओं का (अलग से जारी निर्देश) लाभ दिया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो ऐसे मतदाताओं के लिए पृथक से एक कतार/लाईन बनवाई जा सकती है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे मतदाता अपनी व्हीलचेयर मतदान केन्द्र के अंदर ले जा सकें। यदि आपके मतदान केन्द्र पर स्थायी रैंप की कमी है तो लकड़ी से बने अस्थायी रैंप की व्यवस्था की जा सकती है। आपको सुनने और बोलने की समस्या से पीड़ित दिव्यांग मतदाताओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

4.3. निर्वाचक की पहचान का सत्यापन एवं चुनौती के संबंध मे अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

4.3.1. निर्वाचक की पहचान का सत्यापन

- आयोग ने मतदाताओं के दस्तावेजी पहचान को अनिवार्य कर दिया है। मतदाता को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (इपिक) प्रस्तुत करना होगा या अन्य कोई वैकल्पिक दस्तावेज जिसे आयोग द्वारा अनुमति प्रदान की गई हो। प्रत्येक निर्वाचन के समय आयोग इस संबंध में आदेश जारी करेगा। आपको इस संबंध में आयोग द्वारा जारी आदेश का पालन सुनिश्चित करना होगा। मतदाता की पहचान के लिए प्रभारी मतदान अधिकारी को मतदाता पहचान पत्र (ई.पी.आई.सी.) या अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों की, जैसा भी मामला हो, की जांच के बाद मतदाता की पहचान से पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहिए। किसी भी संदेह के मामले में निर्वाचक/मतदाता को आपके सामने उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। आपको निर्वाचक/मतदाता की पहचान के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए आगे की जांच करनी चाहिए। छद्मवेशी/फर्जी साबित होने के मामले में आपको लिखित शिकायत के साथ उस व्यक्ति को पुलिस को सौंपना चाहिए।

- मतदान के समय प्रतिरूपण को रोकने के लिए आयोग ने निम्नलिखित प्रक्रिया को निर्देशित किया है :

(a) अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत (ASD) मतदाताओं के लिए –

- ASD मतदाताओं की सूची मतदान केन्द्रवार तैयार की जाकर आपको प्रदाय की जायेगी। सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आपको आपके मतदान केन्द्र के लिए अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत मतदाताओं की सूची निम्नलिखित प्रारूप में प्राप्त हुई है :–

अनुलग्नक– 13 ए

<u>ए.एस.डी सूची का प्रारूप</u> विधान सभा क्षेत्र क्रमांक और नामः

मतदान केन्द्र भाग संख्या और नाम :

स.क्र.	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का सरल क्रमांक	निर्वाचक का नाम	पिता/पति/माता का नाम	उम्र	ए.एस. और डी. का मतलब अनुपस्थित, स्थानान्तरित या मृत जो भी लागू हो लिखा जावे
1	2	3	4	5	6

बी.एल.ओ. के हस्ताक्षर
पूरा नाम

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर
पदमुद्रा

- इस सूची में दर्ज नाम के मतदाता यदि मतदान के दिन अपना वोट डालने आते हैं तो उन्हे आयोग द्वारा जारी अपना मतदाता पहचान पत्र (ई.पी.आई.सी) या आयोग द्वारा अनुमति प्राप्त अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। पीठासीन अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पहचान दस्तावेज और मतदान अधिकारी द्वारा फार्म 17A (मतदाताओं के रजिस्टर) में दर्ज पहचान विवरणों का सत्यापन उचित रूप से करेगा।

- प्रथम मतदान अधिकारी मतदान अभिकर्ताओं को उस ए.एस.डी मतदाता के बारे में जो वोट डालने आया है, के नाम को जोर से पढ़कर सूचित करेगा। ऐसे मतदाताओं से मतदाता रजिस्टर (फार्म 17A) के "हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान" कॉलम में हस्ताक्षर के अलावा अंगूठे का निशान भी प्राप्त किया जाएगा। अंगूठे का निशान हस्ताक्षर के अतिरिक्त होगा, उस निर्वाचक के मामले में भी, जो कि साक्षर है और हस्ताक्षर कर सकता है।

- ए.एस.डी मतदाताओं/निर्वाचकों से **अनुलग्नक–14** में दिए प्रारूप में घोषणा पत्र प्राप्त किया जाएगा।

- पीठासीन अधिकारी एक रिकार्ड संधारित करेगा और मतदान के अंत में एक प्रमाण पत्र देगा (स्कूटनी के लिए 17A के साथ रखा जाएगा) कि अनुपस्थित और स्थानांतरित मतदाताओं की सूची में से कितने मतदाताओं को उचित जांच के बाद मतदान करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

- यदि मतदान केन्द्र पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी की जा रही है तो ऐसे मतदाताओं की फोटोग्राफी/वीडियो ग्राफी की जाएगी और उनका रिकार्ड रखा जाएगा।

- पीठासीन अधिकारी को इन निर्देशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन करना चाहिए। जहां माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात हो, वे भी निरीक्षण कर अपने प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करें।

- पीठासीन अधिकारी को अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं की सूची में शामिल मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्रों पर अपनाई जाने वाली इन प्रक्रियाओं के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी जाएगी।

(b) प्रवासी मतदाताओं के लिए :

- निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान केन्द्र पर प्रवासी मतदाताओं की मतदान के समय पहचान के संबंध में आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार केवल उनके द्वारा प्रस्तुत मूल पासपोर्ट के आधार पर पहचान की जाएगी।

- जैसा कि अध्याय 2 में पहले ही उल्लेखित किया जा चुका है, कि मतदाता मतदान केन्द्र में प्रवेश करते ही सीधे मतदान अधिकारी 01 के पास पहुंचेगा, जो कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति प्रभारी और मतदाता की पहचान के लिए जिम्मेदार होगा। मतदान अधिकारी को मतदाता की पहचान का उचित सत्यापन करना चाहिए, जैसा कि पूर्व में बताया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी मतदाता द्वारा पहचान हेतु अनौपचारिक/अनाधिकृत पहचान पर्ची लेकर आना मतदाता की पहचान की गारंटी नहीं देता है और न ही यह अधिकारी को ऐसे मतदाता की पहचान के संबंध में संतुष्ट होने के अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी से मुक्त करता है।

- इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ई.पी.आई.सी. (EPIC) के साथ आता है लेकिन उसका नाम निर्वाचक नामावली में शामिल नही है तो वह मतदान नहीं कर सकता/सकती है।

- राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों के द्वारा मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पर्चियाँ भी दी गई होगी। आयोग के निर्देशानुसार ऐसी पर्ची एक सादे सफेद कागज पर होनी चाहिए और इसमें निर्वाचक का नाम, निर्वाचक नामावली में उसका सरल क्रमांक, निर्वाचक नामावली की भाग संख्या और मतदान केन्द्र क्रमांक एवं नाम लिखा होना चाहिए, जिस मतदान केन्द्र पर मतदाता को मतदान करना है। ऐसी पर्ची पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और/या राजनीतिक दल का नाम और/या उसे आबंटित प्रतीक चिन्ह की प्रतिकृति नहीं होनी चाहिए (क्योंकि यह निर्वाचन प्रचार के समान होगा) यदि आपको ऐसी कोई पर्ची मिलती है जो निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी या उसकी पार्टी द्वारा आयोग के जारी निर्देशों का उल्लंघन कर जारी की गई है, कोई मतदाता उस पर्ची को साथ लेकर मतदान केन्द्र पर आया है, तो इस उल्लंघन को तत्काल समाप्त करने के लिए उस निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता के संज्ञान में लाना चाहिए।

- यह ध्यान रखें कि राजनीतिक दल/निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा मतदाता को जारी पर्ची, पहचान का अनुमोदित/स्वीकृत दस्तावेज नहीं है।

- यदि मतदान केन्द्र में महिला मतदाता की संख्या अत्यधिक है, विशेष रूप से पर्दानसींन (बुर्का पहने हुए) महिलाए, ऐसी महिला मतदाताओं की पहचान के लिए एक अलग कक्ष में एक महिला मतदान अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है, जैसा कि **पैरा 2.6 (i)** में निर्देश दिया गया है।

4.3.2. अनुपस्थित मतदाता जिन्हें डाक मतपत्र जारी किए गए:

जिन अनुपस्थित मतदाताओं को डाक मतपत्र जारी किए गए है, उनके लिए निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र (PB) अंकित किया गया है तो ऐसे मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर वोट डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। भले ही ऐसा मतदाता अनुरोध करे कि, हॉलाकि उसे डाक मतपत्र जारी किया गया था परन्तु वह अपना वोट नहीं डाल सका है, इसलिए उसे मतदान केन्द्र पर वोट डालने की अनुमति दी जाए। ऐसा अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा और उन्हें मतदान केन्द्र पर वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.3.3 मृत, अनुपस्थित और अभिकथित फर्जी मतदाताओं की सूची :

मतदान अभिकर्ता अपने साथ मृत, अनुपस्थित और कथित फर्जी मतदाताओं के नामों की सूची ला सकते हैं। आपको अन्य मतदान सामग्री के साथ ए.एस.डी सूची भी रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा प्रदाय की गई होगी। अगर कोई व्यक्ति मतदाता के रूप में अपना दावा करता है तो ए.एस.डी मतदाताओं के सत्यापन के चरणो का पालन करना है जो कि पूर्व **पैरा 4.3.1** में उल्लेखित है।

4.3.4 नामावली में लिपिकीय और मुद्रण संबंधी त्रुटियों को अनदेखा करना :

निर्वाचक नामावली में किसी मतदाता के संबंध में प्रविष्टि विवरण त्रुटिपूर्ण प्रिंट हो सकता है, उदाहरण के लिए मतदाता की वास्तविक आयु की प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण मुद्रित हो जाती है या अप्रचलित हो चुकी है। यदि आप निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट या अन्य विवरण/विशिष्टियों के अनुसार अमुक मतदाता होने का दावा करने वाले व्यक्ति के बारे में संतुष्ट हो तो आप निर्वाचक नामावली में किसी मतदाता के संबंध में किसी प्रविष्टि में केवल लिपिकीय या मुद्रण त्रुटियों की अनदेखी कर दें।

4.3.5. किसी मतदाता के पंजीकरण को प्रश्नगत न किया जाना

जब किसी मतदाता की पहचान आपकी जांच से प्रमाणित हो जाये तो वह मत देने का हकदार हो जाता है। मतदान केन्द्र में ऐसे व्यक्ति के मतदाता होने की पात्रता के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उदाहरणस्वरूप आप को इस प्रश्न के बारे में किसी प्रकार की जांच पड़ताल करने का अधिकार नहीं है कि क्या वह 18 वर्ष से अधिक आयु का है या वह उस निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यतः निवास करता है। परंतु किसी प्रकरण में किसी व्यक्ति को आप अर्हकारी उम्र से बहुत कम समझते है तो आपको **अध्याय 5** में उल्लेखित चरणों का पालन करना होगा।

4.4. मतदाता को अपना मत देने के पूर्व अमिट स्याही का लगाया जाना और उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेना

4.4.1 मतदाता की बांयी तर्जनी का निरीक्षण और अमिट स्याही का लगाया जाना :

(i) प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा किसी निर्वाचक की पहचान सत्यापित किये जाने के पश्चात और यदि उस निर्वाचक की पहचान के बारे में कोई चुनौती नहीं दी गई है तो यथाशीघ्र द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा उसकी बांयी तर्जनी को अमिट स्याही से चिन्हित किया जायेगा। यदि तर्जनी पर कोई चिन्ह दिखाई न दे तो अध्याय–01 के पैरा 1.10 अनुसार द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा निर्वाचक की बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही इस प्रकार लगाया जाए कि चिन्ह स्पष्ट दिखे (नीचे चित्र देखें) यदि कोई निर्वाचक अनुदेशों के अनुसार अपनी बांयी तर्जनी का निरीक्षण या चिन्हित करवाने से इंकार करे या उसकी बायीं तर्जनी पर ऐसा कोई चिन्ह पहले से ही हो या स्याही को हटाने की दृष्टि से कोई भी कृत्य करे तो उसे मत नहीं देने दिया जायेगा।

(ii) यदि ऐसा देखने में आये कि किसी निर्वाचक ने अपनी ऊंगली पर लगाई जाने वाली अमिट स्याही के चिन्ह को निष्प्रभावी करने के लिए अपनी ऊंगली पर कोई तैलीय या चिकनाई युक्त पदार्थ लगा लिया है तो उस निर्वाचक की ऊंगली पर अमिट स्याही का चिन्ह लगाने के पूर्व, उपलब्ध कराये गये कपड़े या मोटे कपड़े के

टुकड़े की सहायता से ऐसा तैलीय या चिकनाई युक्त पदार्थ मतदान अधिकारी द्वारा हटाया जाना चाहिए। पीठासीन अधिकारी की सामग्री के साथ कपड़े का टुकड़ा या मोटा कपड़ा उपलब्ध कराया जाएगा।

(iii) निर्वाचक की बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही से चिन्ह उसके मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप–17A में हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करने के पूर्व लगाया जाना है ताकि जब तक निर्वाचक अपना मत देने के पश्चात मतदान केन्द्र छोड़े तब तक अमिट स्याही को सूखने और एक सुस्पष्ट अमिट चिन्ह बनने के लिये पर्याप्त समय मिल जाये।

4.4.2 नये सिरे से मतदान (पुनर्मतदान)/प्रत्यादिष्ट मतदान में अमिट स्याही का प्रयोग :

(i) यह स्पष्ट किया जाता है कि नये सिरे से मतदान (पुनर्मतदान) प्रत्यादिष्ट मतदान के समय मूल मतदान में अमिट स्याही से लगाये गये चिन्ह पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए और मतदाता के बांए हाथ की मध्यमा उंगली में ऊपर बताये गये अनुसार में अमिट स्याही से नया चिन्ह इस प्रकार लगाया जाये कि एक स्पष्ट चिन्ह बन जाये।

(ii) निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 49k के तहत प्रत्येक मतदाता जिसकी पहचान के बारे में पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है, तो वह अपनी बांयी तर्जनी को पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने के लिए प्रस्तुत करेगा और अमिट स्याही चिन्ह लगवायेगा। कुछ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में ऐसे मतदाताओं जिनके बांए हाथ की तर्जनी पर पिछले निर्वाचनों के दौरान अमिट स्याही से बनाया गया चिन्ह मौजूद है, और मतदान के दिन स्याही की छाप स्पष्ट दिखाई दे रही है के संबंध में समय–समय पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उंगली पर निशान 5–7 दिन तक लेकिन नाखून पर निशान तब तक रहते हैं जब तक वह बढ़ न जाये। आयोग ने मामले को संज्ञान में लिया और निर्देश दिया कि :

- यदि कोई मतदान वर्तमान मतदान की तारीख से दो महीने से अधिक पहले नहीं हुआ हो तो ऐसे मामलो में, अमिट स्याही बांए हाथ की तर्जनी के बजाय मध्यमा उंगली पर अंकित की जाएगी। यदि स्याही पहले ही तर्जनी और मध्यमा उंगली पर लगाई जा चुकी है, तो स्याही अनामिका आदि पर भी लगाई जाएगी।

- उंगली न होने की स्थिति में निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 49K लागू होगा।

4.4.3 मतदाता की बायीं तर्जनी न होने की स्थिति में अमिट स्याही का लगाया जाना :

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी मतदाता की बायीं तर्जनी न हो तो अमिट स्याही उसकी ऐसी किसी भी उंगली पर लगाई जानी चाहिए जो उसके बायें हाथ में हो। यदि उसके बायें हाथ में कोई भी उंगली न हो तो स्याही उसकी दायीं तर्जनी पर लगायी जानी चाहिए और यदि उसकी दायीं तर्जनी भी न हो तो उसकी दायीं तर्जनी से प्रारंभ करते हुए उसके दायें हाथ की किसी भी अन्य उंगुली पर स्याही लगाई जानी चाहिए। यदि उसके किसी भी हाथ पर कोई भी उंगली न हो तो स्याही उसके बाये या दायें हाथ के ऐसे सिरे (ठूंठ) पर, जो भी हो, लगायी जानी चाहिए।

4.4.4 निर्वाचक नामावली का अभिलेख एवं मतदाता रजिस्टर में निर्वाचकों की संख्या :

(i) पूर्ववर्ती पैरा में स्पष्ट की गई रीति से द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा निर्वाचक की बायीं तर्जनी को चिन्हांकित करने के पश्चात् उसे मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17A) में अभिलेख रखना चाहिए और उस रजिस्टर (पंजी) में निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त करना चाहिए।

(ii) ऐसा अभिलेख मतदाताओं के रजिस्टर में द्वितीय मतदान अधिकारी के द्वारा निम्नानुसार संधारित किया जायेगा।

(a) द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर के कॉलम (1) में निर्वाचकों की क्रम संख्या को क्रम संख्या 01 से प्रारंभ कर लगातार क्रमिक क्रम में दर्ज करेगा (सामान्यतः मतदाता रजिस्टर में क्रमिक क्रम में संख्या पूर्व से मुद्रित रहती है) रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ में क्रम संख्या 10 तक दर्ज है। यदि कॉलम 01 में पूर्व से क्रम संख्या मुद्रित न हो तो वह हस्तलिखित तरीके से मतदान प्रारंभ होने के पूर्व से ही कुछ पृष्ठों में क्रमिक क्रम में लिख कर रख सकता है।

(b) उक्त रजिस्टर के कॉलम (2) में द्वितीय मतदान अधिकारी निर्वाचक का निर्वाचकः नामावली में सरल क्रमांक (अर्थात क्रम संख्या) दर्ज करेगा जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में दर्ज है। उदाहरण के लिए, यदि प्रथम निर्वाचक का नाम जो मतदान प्रारंभ होने के समय मतदान केन्द्र पर

वोट डालने आया है, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में उसका नाम क्रम संख्या 756 पर दर्ज है तो द्वितीय मतदान अधिकारी, मतदाता रजिस्टर के प्रथम कॉलम में क्रम संख्या 01 और द्वितीय कॉलम में क्रम संख्या 756 लिखेगा। इसी तरह द्वितीय मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में क्रम 138 पर दर्ज है तो द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर के कॉलम 01 में क्रम संख्या 02 और द्वितीय कॉलम में क्रम संख्या 138 लिखेगा और इसी तरह आगे भी दर्ज करेगा।

(c) मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 17A) के कॉलम (3) में पहचान संबंधी दस्तावेज के आखिरी चार अंको को अंकित किया जाना चाहिए। जो मतदाता EPIC के आधार पर मतदान करते हैं, उनके लिए EP (EPIC के आशय हेतु) अक्षर संबंधित कॉलम में अंकित किया जाना पर्याप्त होगा और EPIC का क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक नहीं है। वैकल्पिक पहचान के दस्तावेजों के लिए अंतिम चार अंक लिखा जाना आवश्यक होगा। इस कॉलम में पहचान के लिए प्रस्तुत दस्तावेज का प्रकार भी अंकित किया जाए।

(d) ऊपर वर्णित प्रणाली में द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा निर्वाचक के संबंध में मतदाता रजिस्टर के कॉलम (1), (2) एवं (3) में प्रविष्टि अंकित करने के बाद कॉलम (4) में उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा।

4.4.5 मतदाता के हस्ताक्षर की परिभाषा :

एक हस्ताक्षर को किसी व्यक्ति द्वारा किसी दस्तावेज को अभिप्रमाणित करने के इरादे से उस दस्तावेज पर नाम लिखने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। किसी साक्षर व्यक्ति से मतदाताओं के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते समय उसका नाम अर्थात उसका पूरा नाम या नामों और उपनाम दोनों ही या किसी भी दशा में उसका पूरा उपनाम या नाम या तो पूरा अथवा उस नाम या नामों के लघु हस्ताक्षर लिखने की अपेक्षा की जायेगी। किसी साक्षर मतदाता के मामले में श्रेयस्कर तो यह होगा कि उससे हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जाये अर्थात उसका पूरा नाम और उपनाम दोनों हो। यदि कोई साक्षर व्यक्ति साधारणतः कोई चिन्ह लगा दे और स्वयं को एक साक्षर व्यक्ति होने का दावा करते हुए उस चिन्ह को ही हस्ताक्षर मान लेने पर जोर देता रहे तो भी उस चिन्ह को हस्ताक्षर नहीं माना जा सकता, जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है, साक्षर व्यक्ति के मामले में हस्ताक्षर से अभिप्राय स्वयं उस व्यक्ति द्वारा अपना नाम, दस्तावेज जिस पर वह अपना नाम लिखता है, को अभिप्रमाण स्वरूप लिखने से है। ऐसी स्थिति में यदि वह ऊपर दर्शितानुसार अपने पूरे नाम के हस्ताक्षर करने से इंकार करता है तो उस दशा में उसके अंगूठे का निशान लेना चाहिए। यदि वह अपने अंगूठे का निशान लगाने से भी इंकार कर दे तो उसे पूर्ववर्ती पैरा 4 के अधीन मत डालने के लिए अनुमति नहीं दिया जाना चाहिए।

4.4.6 मतदाता के अंगूठे का निशान :

(i) यदि कोई निर्वाचक अपने नाम के हस्ताक्षर करने में असमर्थ है, तो मतदाताओं के रजिस्टर पर उसके बायें हाथ के अंगूठे का निशान प्राप्त करना चाहिए। यह बात ध्यान देनी होगी कि पीठासीन अधिकारी या किसी मतदान अधिकारी के लिए रजिस्टर पर ऐसे अंगूठे के निशान को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है।

(ii) अंगूठे पर अमिट स्याही लगाने के संबंध में निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 37(4) में दिये गये निर्देश के अनुरूप यदि मतदाता का बायें हाथ का अंगूठा न हो तो दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान लेना चाहिए। यदि दोनों अंगूठे न हो तो बायें हाथ की तर्जनी से प्रारंभ करने हुए किसी भी उंगली का निशान लेना चाहिए। यदि बायें हाथ की कोई भी उंगली न हो तो दायें हाथ की तर्जनी से प्रारंभ करते हुए किसी भी उंगली का निशान लेना चाहिए। यदि उंगलिया न हों तो उस स्थिति में मतदाता अपना मत डालने में असमर्थ हो जाएगा, और उसे उक्त नियमों के नियम 49 एन के अधीन आवश्यक रूप से किसी साथी की सहायता लेनी होगी। ऐसे मामले में मतदाताओं के रजिस्टर पर उस साथी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेना चाहिए। कॉलम 5 में इस आशय का रिमार्क अंकित किया जाना चाहिए।

(iii) यह आवश्यक है कि मतदाताओं के रजिस्टर पर अंगूठे का निशान साफतौर पर अंगूठे का निशान ही होना चाहिए। स्टाम्प पेड़ से मतदाता के अंगूठे पर स्याही इतनी हल्की नहीं लगानी चाहिए, कि यह केवल धुंधला–सा या अस्पष्ट निशान ही बन पाये और न ही अंगूठे पर इतनी स्याही लगाना चाहिए कि यह रजिस्टर पर एक स्पष्ट अंगूठे की निशान के बजाय एक धब्बा ही बन जाये।

4.4.7 मतदाताओं के रजिस्टर पर दृष्टिबाधित या शिथिलांग मतदाताओं के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

किसी दृष्टिबाधित या शिथिलांग निर्वाचक या कुष्ट रोग से पीडित मतदाता, जो कि अनपढ़ है लेकिन हाथों का प्रयोग कर सकते है, के अंगूठे का निशान मतदाताओं के रजिस्टर में लेना चाहिए। ऐसे मतदाताओं के मामले में यदि कोई मतदाता साक्षर है तो उससे मतदाता रजिस्टर में अंगूठे के निशान की बजाय हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जानी

चाहिए। शिथिलांग मतदाता के मामले में जो अपना कोई भी हाथ को कार्य में नहीं ले सकता हो, तो उस परिस्थिति में उसका सहायक/साथी मतदाताओं के रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर करेगा या अंगूठे का निशान लगायेगा। उस हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के सामने इस संबंध में रजिस्टर पर यह टीप डाली जाए कि ये हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान मतदाता के अमुख सहायक/साथी के है अंगूठे का निशान लेने के पश्चात् निर्वाचक के अंगूठे की स्याही को गीले कपड़े की सहायता से पोंछ दी जानी चाहिए।

4.4.8 मतदाता को मतदाता पर्ची का जारी किया जाना :

(i) किसी मतदाता की बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही लगाने और मतदाताओं के रजिस्टर में उससे संबंधित प्रविष्टि करने और उस रजिस्टर पर उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त करने के पश्चात द्वितीय मतदान अधिकारी उस निर्वाचक के लिए एक मतदाता पर्ची निम्नलिखित प्ररूप में तैयार करेगा :–

मतदाताओं के रजिस्टर के कॉलम 01 में दर्ज अनुसार निर्वाचक का सरल क्रमांक :.....
निर्वाचक नामावली में दर्ज निर्वाचक का सरल क्रमांक :.....
मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर:.....

(ii) इन मतदाता पचियों को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पोस्ट कार्ड के आधे आकार के कागज पर मुद्रित करायी जायेगी और आपके मतदान केन्द्र को समानुदेशित मतदाताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए सौ पर्चियों और पचास पर्चियों के बंडल मतदान सामग्री के रूप में आपको प्रदाय किये जायेंगे।

(iii) उपर्युक्त पैरा (i) के अधीन प्रत्येक मतदाता के संबंध में द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा तैयार की गई मतदाता पर्चियों उसके द्वारा उस मतदाता को दी जाएगी और मतदाता को पीठासीन अधिकारी या यथास्थिति तृतीय मतदान अधिकारी, जो मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट का प्रभारी हो, के पास जाने के लिए निर्देशित किया जायेगा।

(iv) मतदाताओं से एकत्रित इन मतदाता पर्चियों को क्रमवार तरीके से नस्थीबद्ध किया जाएगा और मतदान की समाप्ति के पश्चात् इन्हें इस कार्य के संबंध में दिए गए अलग लिफाफे में रखा जाएगा।

4.5. मतों एवं मतदान प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग

4.5.1 मत डालना

(i) मतदाता को द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता पर्ची जारी करने के पश्चात् मतदाता मतदान मशीन के नियंत्रण इकाई के प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी के पास मतदाता पर्ची के साथ आएगा। मतदातापर्ची के आधार पर ही मतदाता को मतदान करने की अनुमति दी जायेगी।

(ii) यह अत्यंत आवश्यक है कि मतदाता मतदान कोष्ट में मतदान मशीन में अपना मत (वोट) उसी क्रम में डालेगा (रिकार्ड करेगा) जिस क्रम में उसकी प्रविष्टि मतदाता रजिस्टर में दर्ज की गई है। आपको या नियंत्रण यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी को मतदाता को मतदाता पर्ची में उल्लेखित क्रमांक अनुसार ही मतदान कक्ष की ओर जाने की अनुमति देनी चाहिए।

(iii) यदि किसी असाधारण परिस्थिति या अप्रत्याशित या अपरिहार्य कारण से किसी मतदाता के मामले में पैरा दो में उल्लेखित क्रम संख्या का पालन करना संभव न हो तो वही क्रम संख्या, जिस पर मतदाता मत डाल चुका है, वर्णित करने वाली एक टिप्पणी मतदाताओं के रजिस्टर के रिमार्क कॉलम में संबंधित मतदाता के सामने लिखित में दर्ज की जायेगी। पश्चवर्ती मतदाता जिसका क्रम पूर्ववर्ती मतदाता के कारण उलट–पुलट हो गया के सामने के कॉलम में भी समरूप टिप्पणी दर्ज की जानी चाहिए।

4.5.2 मत डालने के लिये मतदाता को अनुमति देना:–

(i) जैसे ही निर्वाचक मतदाता पर्ची के साथ आपके या मतदान मशीन की नियंत्रण इकाई के प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी के पास आएगा वैसे ही मतदाता पर्ची उससे ले ली जायेगी और उसे मत डालने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(ii) मतदाताओं से संग्रहित समस्त मतदाता पर्चियां सावधानीपूरक संरक्षित की जायें और मतदान समाप्त होने के पश्चात एक पृथक लिफाफे में रखी जायेंगी। रिटर्निंग अधिकारी इस प्रयोजन के लिये एक विशेष लिफाफा उपलब्ध करायेगा, जो अध्याय–7 में निर्दिष्ट तरीके से मुहरबंद किया जाकर, सुरक्षित रखा जाएगा।

(iii) मतदाता से मतदाता पर्ची संग्रहित कर लेने के पश्चात उसकी बायीं तर्जनी की आपके द्वारा या नियंत्रण इकाई के प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी द्वारा जांच की जायेगी। यदि उस पर लगी हुई अमिट स्याही का चिन्ह अस्पष्ट है या हटा दिया गया है तो उसे दुबारा इस प्रकार लगाया जायेगा, जिससे कि एक स्पष्ट अमिट चिन्ह बने।

(iv) तत्पश्चात् मतदाता को अपना मत रिकार्ड करने के लिए मतदान कक्ष में जाने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

4.5.3 मतदान प्रक्रिया

(i) मतदाता अपना मत रिकार्ड कर सके, इसके लिए नियंत्रण यूनिट का "बैलेट" बटन आपके द्वारा या उस यूनिट के प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी द्वारा दबाया जायेगा जो कि मतदान कक्ष में मत रिकार्ड करने के लिए मतदान यूनिट को तैयार रखेगा। बैलेंट बटन दबाये जाने पर नियंत्रण यूनिट (CU) की बिजी बत्ती लाल हो जायेगी और साथ ही साथ मतदान कक्ष में मतदान यूनिट पर 'रेडी' बत्ती हरी हो जायेगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि वोटिंग मशीन निर्वाचक के चयन अनुसार मत रिकार्ड करने के लिए तैयार है।

(ii) निर्वाचक, मतदान कक्ष में मतदान यूनिट पर अपनी पसन्द के अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने उपलब्ध नीले बटन को दबाकर अपना मत रिकार्ड करेगा। जैसे ही वह बटन दबायेगा मतदान यूनिट पर उस अभ्यर्थी के नाम, फोटोग्रॉफ और प्रतीक चिन्ह के सामने स्थित पट्टी में लाल बत्ती जल जायेगी और मतदान यूनिट की हरी बत्ती बंद हो जाएगी। VVPAT (वीवीपैट) एक छोटी–सी पर्ची मुद्रित करेगा जिस पर उस अभ्यर्थी का नाम, सरल क्रमांक तथा प्रतीक चिन्ह होगा, जिसे निर्वाचक के द्वारा मत (वोट) दिया गया है। यह पर्ची वीवीपैट (VVPAT) की खिड़की में 7 सेकेण्ड तक दिखाई देगी उसके बाद यह स्वतः कटकर वीवीपैट (VVPAT) के ड्रॉप बॉक्स में गिर जाएगी। नियंत्रण यूनिट (CU) से बीप ध्वनि भी सुनाई देगी। कुछ ही क्षणों के पश्चात बीप ध्वनि और मतदान यूनिट (BU) पर अभ्यर्थी के सामने पट्टी में स्थित लैम्प की लाल बत्ती और नियंत्रण इकाई (CU) की 'बिजी' लैम्प की लाल बत्ती भी बन्द हो जायेगी।

(iii) ये दृश्य एवं श्रव्य संकेत इस बात का द्योतक है कि मतदान कोष्ट में मतदाता अपना मत रिकार्ड या दर्ज कर चुका है, मतदाता को तत्काल मतदान कक्ष से बाहर आ जाना चाहिए और मतदान केन्द्र छोड़ देना चाहिए।

(iv) उपर्युक्त प्रक्रिया प्रत्येक बार प्रत्येक मतदाता के संबंध में दोहराई जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदान कोष्ट में मत डालने के लिए एक समय पर केवल एक ही मतदाता जाये यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नियंत्रण इकाई (CU) और बैलेट बटन केवल तब दबाया जाये जब पूर्व मतदाता मतदान कोष्ट से बाहर आ जाये।

(v) यदि मतदान के समय मतदान यूनिट (BU) पर अभ्यर्थी के सामने की पट्टी में लैम्प के संबंध में कोई शिकायत होती है तो इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (EVM) को वी वी पैट (VVPAT) सहित तत्काल बदला जाना होगा और मामले की जानकारी आयोग को दी जाएगी।

(vi) यदि कोई मतदाता अपना वोट दर्ज करने के बाद यह आरोप लगाता है कि वीवीपैट (VVPAT) द्वारा मुद्रित कागज की पर्ची में उस प्रत्याशी के अलावा किसी अन्य प्रत्याशी का नाम या प्रतीक दिखाया गया है जिसे उसने वोट दिया है, तो पीठासीन अधिकारी, अध्याय 5 के बिन्दु क्रमांक 5.9 में उल्लेखित चरणों का पालन करेंगे।

4.5.4 डाले गये मतों की संख्या का समय–समय पर मिलान करना:

(i) किसी भी समय यदि उस समय तक डाले गये मतों की कुल संख्या अभिनिश्चित की जानी हो तो नियंत्रण इकाई (CU) का टोटल बटन दबाया जाना चाहिए। तब नियंत्रण इकाई की डिसपले सेक्शन (पैनल) पर उस समय तक डाले गये कुल मतों की संख्या प्रदर्शित होगी। ऐसा समय–समय पर किया जाना चाहिए और उसका मिलान उस समय तक मतदाताओं के रजिस्टर में प्रविष्टि अनुसार मतदाताओं को मत डालने के लिए

अनुमति प्रदान की गई संख्या से करना चाहिए।

(ii) किसी भी स्थिति में आपको प्रत्येक दो घंटे के अंतराल में उस समय तक डाले गये मतों का संख्यात्मक मिलान करना चाहिए तथा पीठासीन अधिकारी की डायरी के संबंधित कॉलम में डाले गये मतों की संख्या अभिलिखित करनी चाहिए। टोटल बटन को केवल तब दबाना चाहिए जब बिजी बत्ती चालू न हो अर्थात केवल मत देने के लिए अनुज्ञात निर्वाचक के द्वारा अपना मत रिकार्ड कर देने के पश्चात और अगले निर्वाचक को बैलेट बटन दबाकर मत देने के लिए अनुमति देने के पूर्व अन्यथा (डिस्प्ले पैनल) पर डाले गये मतों की संख्या नहीं दिखेगी।

4.5.5 मतदान के दौरान मतदान प्रकोष्ठ में पीठासीन अधिकारी को प्रवेश का विशेष अधिकारः

(i) आपको मतदान प्रक्रिया के दौरान संदेह होने की संभावना है कि–(i) मतदान इकाई (BU) ठीक से काम नहीं कर रहा है। (ii) या कोई मतदाता जिसने मतदान कोष्ट में प्रवेश किया है, वो मतदान इकाई (BU) के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा हो। (iii) या कोई मतदाता मतदान कोष्ट में अंदर मतदान इकाई (BU) के बैलेट बटन पर, प्रतीक चिन्ह पर, टैप, कागज चिपकाने आदि की कोशिश कर रहा हो। (iv) या कोई मतदाता असामान्य रूप से लंबी अवधि तक मतदान कोष्ट में रूका हुआ हो, तो पीठासीन अधिकारी को ऐसे मामले में मतदान कोष्ट में प्रवेश करने और ऐसे कदम उठाने का अधिकार है जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे कि मतदान इकाई (BU) से किसी भी तरह की कोई छेड़छाड नहीं की गई है या उसमें हस्ताक्षेप नहीं किया गया है और मतदान इकाई (BU) निर्बाध रूप से सुचारू और व्यवस्थित तरीके से कार्य कर रही है. तथा मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप और व्यवस्थित तरीके से चल रही है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि आप मतदान कोष्ट में विशेषाधिकार के तहत प्रवेश करते हैं तो उस समय अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता आपके साथ उपस्थित रहें। **(नियम 49Q निर्वाचन संचालन नियम 1961)**।

(ii) वैसे, पीठासीन अधिकारी को किसी अशिक्षित मतदाता को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग कैसे करना है, यह समझाने के लिए मतदान कोष्ट में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का मुद्रित नमूना (वास्वतिक आकार) कार्डबोर्ड पर चस्पा कर तैयार करके सभी पीठासीन अधिकारियों को अन्य मतदान सामग्री के साथ प्रस्थान के पूर्व प्रदाय करेंगे। मॉडल बैलेट यूनिट के मुद्रण के दौरान वे यह ध्यान रखें कि मॉडल बैलेट यूनिट पर अभ्यर्थी का नाम एवं प्रतीक चिन्ह काल्पनिक (डमी) अंकित हो, जिनका प्रयोग वास्तविक निर्वाचन में अभ्यथियों के नाम एवं प्रतीक चिन्हों के रूप में प्रयोग/उपयोग नहीं हो रहा हो। किसी भी स्थिति में वास्तविक अभ्यथियों एवं प्रतीक चिन्हों के नमूने डमी ई.वी.एम पर अंकित न हो। इस प्रकार के मॉडल बैलेट यूनिट की रंगीन प्रति मुद्रित करायी जाये, ताकि 'नीला बटन' 'हरी लाईट' और 'लाल लाईट' आदि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो सके। जब भी कोई मतदाता ई.व्ही.एम से वोट देने में असमर्थता जताता है, या मदद माँगता है, तो आप उसे नमूना ई.वी.एम का उपयोग करके मतदान की प्रक्रिया को इस तरह समझा सकते है कि मतदाता को समझ आ जाए। यह प्रक्रिया मतदान प्रकोष्ट के बाहर मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में किया जाएगा और कभी भी यह प्रक्रिया मतदान प्रकोष्ट के अंदर नहीं की जाएगी। आप या आपके अन्य मतदान कर्मचारी मतदान प्रकोष्ट में बार–बार नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे शिकायतों की गुंजाइश बनेगी।

4.6. वास्तविक मतदान के दौरान ई.वी.एम (EVM) और वी.वी.पैट (VVPAT) का प्रबंधन

4.6.1 वास्तविक मतदान के दौरान इकाईयों का प्रतिस्थापन (किसी भी प्रतिस्थापन के पूर्व नियंत्रण इकाई (CU) को बंद (Switch off) कर दें।

(i) मतदान के दौरान ऐसी बाध्यकारी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है, जिससे नई (मौजूदा मशीनों के स्थान पर) EVM और VVPAT मशीनों का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में, आपको **अनुलग्नक–6** का भाग II (बाद में उपयोग में आने वाली वोटिंग मशीन के समय पीठासीन अधिकारी के द्वारा घोषणा) में निर्धारित एक और घोषणा को भरना होगा।

(ii) यदि वास्तविक मतदान के दौरान मतपत्र इकाई (BU) या नियंत्रण इकाई (CU) ठीक से कार्य नहीं करती है, तो सम्पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन संयोजन (मतपत्र इकाई (BU), नियंत्रण इकाई (CU) एवं वीवीपैट (VVPAT) सहित अर्थात तीनों को मिलाकर) बदलना अनिवार्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में, मॉक पोल अध्याय 3 के पैरा 3.3 में उल्लेखित/वर्णित अनुसार आयोजित किया जाएगा, कुछ चरणों में अंतर नीचे दिए गए है :–

(a) निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल एक वोट डालना (नोटा विकल्प सहित)

(b) आपको वीवीपैट (VVPAT) कागज की पर्चियों वाले लिफाफे पर "ई.वी.एम. और वीवीपैट के सम्पूर्ण सेट के प्रतिस्थापन की विशिष्ट स्थिति के वजह से आयोजित मॉक पोल से संबंधित वीवीपैट कागज की पर्चियाँ " लिखना होगा।

(c) आपको पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन **अनुलग्नक भाग–I** (मॉक पोल प्रमाण पत्र) पुनः भरना होगा और पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन **अनुलग्नक–5** के भाग–V में भरकर एक प्रतिवेदन जमा करना होगा।

(iii) यदि किसी मामले में केवल वीवीपैट (VVPAT) को बदला जाता है तो मॉक पोल आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है।

(iv) यदि मॉक पोल के दौरान या वास्तविक मतदान के दौरान या मतदान समाप्ति के पश्चात नियंत्रण इकाई (CU) के पावर पैक को बदला जाता है, पीठासीन अधिकारी सेक्टर अधिकारी को सूचित करेगा, मतदान अभिकर्ताओं एवं सेक्टर अधिकारी की उपस्थिति में नियंत्रण इकाई (CU) के पावर पैक बदलेगा और नियंत्रण इकाई (CU) के बैटरी भाग को पुनः एड्रेस टेग से सील कर देगा और एड्रेस टेग पर उन सभी के हस्ताक्षर करवाएगा। पीठासीन अधिकारी, पीठासीन का प्रतिवेदन **अनुलग्नक–5** का भाग–II में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(v) यदि नियंत्रण इकाई (CU) का डिस्प्ले पैनल "लिंक त्रुटि" / Link error प्रदर्शित करता है :–

(i) दृश्य निरीक्षण द्वारा जांचे कि केबल कनेक्शन ठीक से/उचित है (कनेक्टर को न हटाये और न दुबारा लगायें)

(ii) यदि लिंक त्रुटि (Link error)प्रदर्शित अभी भी बनी रहती है, तो ई.वी.एम और वीवीपैट का पूरा सेट बदलें।

(vi) यदि नियंत्रण इकाई (CU) में वीवीपैट (VVPAT) के लिए बैटरी कम (Low Battery) दिखाता है, तो वीवीपैट के पावर पैक को बदलें। मॉक पोल कराना जरूरी नहीं है।

(vii) यदि वीवीपैट (VVPAT) ठीक से कार्य नहीं कर रहा तो केवल वीवीपैट को बदलें। इस मामलें/प्रकरण में मॉक पोल आयोजित करना जरूरी नहीं है।

(viii) यदि वीवीपैट (VVPAT) ने कागज की पर्ची मुद्रित नहीं की है या कागज की पर्ची को विच्छेदित (मशीन से अलग) नहीं की है, तो,

(a) पेपर रोल से लटकी हुई पर्ची को हटाने/काटने का प्रयास न करे, संग्रहण डब्बे में उसको गिराने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, इसे उसी स्थिति में लटके रहने दिया जाना चाहिए क्योंकि इसका मतलब है कि वोट नियंत्रण इकाई (CU) में दर्ज नहीं किया गया है और मुद्रित कागज की पर्चियों की गिनती के समय इस पर्ची की गिनती नहीं की जानी है। पीठासीन अधिकारी को ऐसी घटना को स्पष्टतः पीठासीन अधिकारी की डायरी में निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज करना चाहिए:–

- घटना की तिथि एवं समय
- मतदाता का नाम और निर्वाचक नामावली में उसका सरल क्रमांक एवं भाग, जिसे वीवीपैट (VVPAT) के बदले जाने के बाद वोट डालने की अनुमति दी गई थी।
- क्या मतदाता ने वीवीपैट (VVPAT) बदलने के बाद वोट डाला या बिना वोट डाले चला गये
- घटना के पूर्व डाले गए कुल वोटों/मतों की संख्या

(b) वीवीपैट (VVPAT) बदलने के बाद अंतिम मतदाता को अपना वोट डालने की अनुमति दी गई।

(ix) पीठासीन अधिकारी को पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन भाग –V तैयार करते समय सावधानी पूर्वक उचित तरीके से त्रुटि कोड की प्रविष्टि करना चाहिए जैसे 2.6 कटर त्रुटि/2.7 फॉल त्रुटि (फॉल एरर) और बीप ध्वनि सुनाई दी या नहीं, नियंत्रण इकाई का बिजी लैम्प चमकता रहा आदि। उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

4.6.2 ई.वी.एम/वीवीपैट के प्रतिस्थापन के लिए तैयार किया जाना वाला प्रतिवेदन :

मतदान दिवस पर पीठासीन अधिकारी से प्राप्त किया जाने वाला प्रतिवेदन :– **(अनुलग्नक–5)**

(i) भाग–1 (मॉक पोल का प्रमाण पत्र) : मतदान दिवस पर प्रत्येक मॉक पोल पूर्ण होने के पश्चात प्रविष्टि अंकित की जानी है।

(ii) भाग–2 (नियंत्रण इकाई) (CU) के पावर पैक का प्रतिस्थापन) जब भी नियंत्रण इकाई (CU) के पावर पैक का प्रतिस्थापन किया जावे तब प्रविष्टि दर्ज की जानी है।

(iii) भाग–3 (मतदान समाप्ति के बाद 'क्लोज बटन' को दबाया जाना): मतदान समापन के उपरांत प्रविष्टि दर्ज की जानी है।

(iv) भाग–4 (ईवीएम/वीवीपैट के प्रतिस्थापन प्रतिवेदन, मॉक पोल के दौरान प्रतिस्थापन) : यदि मॉक पोल के दौरान ईवीएम/वीवीपैट का प्रतिस्थापन हुआ हो तो प्रविष्टि दर्ज की जानी है।

(v) भाग–5 (यदि वास्तविक मतदान के दौरान ईवीएम/वीवीपैट का प्रतिस्थापन किया गया हो) : वास्तविक मतदान के दौरान यदि कोई मतपत्र इकाई (BU) नियंत्रण इकाई (CU)/वीवीपैट (VVPAT) प्रतिस्थापित की गई हो तो प्रविष्टि दर्ज की जानी है।

4.6.3 पीठासीन अधिकारी के प्रतिवेदन का संग्रहण :

(i) **पीठासीन अधिकारी के प्रतिवेदन का भाग–1, भाग–2 और भाग–3** एक लिफाफे में रखे जाएगें। पीठासीन अधिकारी उक्त लिफाफे को ईवीएम, वीवीपैट और अन्य निर्वाचन सामग्री के साथ संग्रहण केन्द्र पर जमा कराएंगे।

(ii) जब भी कोई प्रतिस्थापन किया जाता है, तो **पीठासीन अधिकारियों के प्रतिवेदन भाग IV एवं भाग V** सेक्टर अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाएगा। सेक्टर अधिकारी उक्त रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी को सौपंगे।

अध्याय – 05

विशेष प्रकरण

मतदान के दिन मतदान प्रक्रिया के दौरान पीठासीन अधिकारी को कुछ खास परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिनसे निपटने के लिए विशेष कार्यप्रणाली की आवश्यकता होती है, जिनमें से कुछ निम्नानुसार है –

(i) मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इंकार

(ii) दृष्टिबाधित एवं अशक्त मतदाताओं द्वारा मतदान

(iii) निर्वाचकों का मत नहीं डालने का निर्णय

(iv) निर्वाचन ड्यूटी पर लगे लोक सेवकों द्वारा मतदान

(v) परोक्षी (प्रॉक्सी) द्वारा मतदान

(vi) निविदत्त मत

(vii) अभ्याक्षेपित मत

(viii) ऐसा व्यक्ति जिसे आप अर्हता आयु से बहुत कम का मानते हैं

(ix) टेस्ट वोट

5.1. मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इंकारः

5.1.1 पीठासीन अधिकारी सुनिश्चित करता है कि मतदान केंन्द्र में मतदाता द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाए रखी जाएगी और वह मतदान प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करेगा। **(Cf- Chapter 4.5.3)**

5.1.2 यदि कोई मतदाता आपके द्वारा चेतावनी देने के पश्चात भी मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इंकार करे तो आप या आपके निर्देशाधीन कोई मतदान अधिकारी ऐसे मतदाता को, **(निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम–49M के अधीन)** मत देने की अनुमति प्रदान नहीं करेंगे। यदि उस निर्वाचक को मतदाता पर्ची पहले से ही जारी कर दी गई हो तो ऐसी पर्ची उससे वापस ले लेनी चाहिए और रद्द कर देनी चाहिए।

5.1.3 जहां किसी मतदाता को मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण मत देने की अनुमति न दी गई हो वहां, आपके द्वारा, मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 17A) में रिमार्क स्तम्भ में उस निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के सामने इस आशय की एक रिमार्क लिखी जाएगी कि –"मत डालने की अनुमति नहीं दी गई"–"मतदान प्रक्रिया को भंग किया गया" (NOT ALLOWED TO VOTE - VOTING PROCEDURE VIOLATED). आप उस टिप्पणी के नीचे अपना पूरा हस्ताक्षर भी करेंगे तथापि, मतदाता रजिस्टर के स्तंभ (1) में उस मतदाता (या उसके बाद वाले मतदाता) की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं होगा.

5.2. दृष्टिबाधित और दिव्यांग मतदाताओं द्वारा मतदान

5.21. यदि आप इस बात से संतुष्ट है कि दृष्टिबाधित या अन्य शारीरिक दिव्यांगता के कारण कोई मतदाता, BU (मतपत्र इकाई) पर प्रतीक को पहचानने में असमर्थ है या शारीरिक रूप से अशक्त मतदाता बिना सहायता के उस पर अपनी इच्छानुसार बटन को दबाकर अपना मत रिकार्ड करने में असमर्थ है तो आप उस निर्वाचक को उसके इच्छानुसार मत रिकार्ड करने के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु के किसी सहयोगी को, (जिसके पास EPIC कार्ड/अन्य अधिकृत पहचान पत्र हो) मतदान प्रकोष्ठ में अपने साथ ले जाने के लिए अनुमति देनी होगी।

5.2.2 शारीरिक रूप से अशक्त मतदाता, जो BU का बटन दबाकर स्वयं वोट डालने में सक्षम हैं, उनके सहायक को केवल मतदान प्रकोष्ठ तक साथ देने की अनुमति दी जायेगी। मतदान प्रकोष्ठ में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

5.2.3 किसी व्यक्ति को एक ही दिन में किसी भी मतदान केन्द्र पर एक से अधिक मतदाता के सहयोगी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.2.4 अधिकृत मतदान सहयोगी को मतदान के दिन अमिट स्याही प्रोटोकाल द्वारा कवर किया गया है। अधिकृत मतदान सहायक के अमिट स्याही दाएं हाथ के तर्जनी में लगायी जाएगी। निर्वाचक के सहायक की मतदान प्रकोष्ठ में जाने के पूर्व दायें हाथ की तर्जनी की जांच कर पुष्टि करने के लिए जॉच कर लेना चाहिए कि उस पर पूर्व से कोई निशान

है या नहीं। यदि पूर्व से ही दाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को सहायक के रूप में अनुमति नहीं दी जायेगी। **(निर्वाचन संचालन नियम, 1961–नियम 49N)**

5.2.5 शारीरिक रूप से अशक्त मतदाता के सहयोगी के रूप में किसी व्यक्ति को अनुमति दिए जाने के पूर्व, ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में घोषित करना होगा कि वह संबंधित निर्वाचक की ओर से उसके द्वारा रिकॉर्ड किए जाने वाले मत को गोपनीय रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी अन्य मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में पहले कार्य नहीं किया है। **(अनुलग्नक–18)** (उस प्ररूप के लिए जिसमें घोषणा करनी है).

5.2.6 ऐसे निर्वाचकों, जिन्होंने सहयोगी की सहायता से मतदान किया था, से संबंधित प्रकरणों का रिकार्ड प्ररूप–14A (नियम 49N का उपनियम 2) में पीठासीन अधिकारी द्वारा संधारित किया जायेगा। ऐसे समस्त प्रकरण जिसमें मतदाता के साथ सहयोगी सिर्फ़ वोटिंग प्रकोष्ठ तक गया है (प्रवेश नहीं किया है) उनका रिकार्ड प्ररूप 14Aमें नहीं रखा जायेगा।

5.2.7 इस तरह के समस्त प्रकरणों का रिकार्ड प्ररूप 14A में रखा जाएगा। भरे हुए प्ररूप 14A एक लिफ़ाफ़े में रखे जाएँगे, जिस पर **'संवीक्षा कवर' (सफ़ेद रंग)** लिखा होगा, और इसे मतदान की समाप्ति पर वापसी केन्द्र पर जमा किया जाना चाहिए।

5.2.8 किसी भी परिस्थिति में आपके मतदान केन्द्र का कोई भी कर्मी दृष्टिबाधित मतदाता के सहयोगी के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

5.2.9 आप ये सुनिश्चित करेंगे की अधिकृत मतदान सहायक के रूप में आया व्यक्ति मतदान में सहायता के उपरांत तुरंत केन्द्र से बाहर निकल जाए।

5.2.10 आपको इन निर्वाचकों के लिए ब्रेल संकेत सुनिश्चित करना चाहिए।

5.3 मत न डालने का निर्णय करने वाले मतदाता

5.3.1 यदि कोई मतदाता, मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 17A) में उसकी निर्वाचक नामावली संख्या की विधिवत प्रविष्टि करने और उस रजिस्टर पर उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगवाने के पश्चात अपना मत रिकार्ड नहीं करने का विनिश्चय करता है तो अपना मत रिकार्ड करने के लिए उस पर दबाव नहीं डाला जायेगा या उसे अपना मत रिकार्ड करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।

5.3.2. मतदाता रजिस्टर में उससे संबंधित प्रविष्टि के सामने रिमार्क के स्तम्भ में आपके द्वारा इस आशय से एक रिमार्क किया जाएगा, उदाहरण "मत रिकार्ड नहीं करने का निश्चय"। रिमार्क के नीचे आप अपने पूरे हस्ताक्षर भी करेंगे। नियम 49(0) के अनुसार प्ररूप 17C के भाग एक के बिन्दु क्रमांक 3 में भी प्रविष्टि की जाएगी। मतदाता रजिस्टर में उन निर्वाचकों के लिए "मत डाले बिना चले गए या मत डालने से मना किया" लिखा जाएगा जो प्ररूप 17A में हस्ताक्षर करने के बाद मत डाले बिना चले जाते है।

5.3.3 मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान ऐसे रिमार्क के सामने भी प्राप्त किया जायेगा।

5.3.4 हालाँकि, यह आवश्यक नहीं होगा कि मतदाता रजिस्टर के स्तम्भ (1) में उस मतदाता या किसी अगले मतदाता की क्रम संख्या में कोई भी परिवर्तन किया जाए।

5.3.5 यदि किसी निर्वाचक द्वारा मत डाले जाने के लिए BU तैयार करने के लिए CU का बैलेट बटन दब जाए किन्तु वह मत देने से इंकार करे, तो आप या तृतीय मतदान अधिकारी, जो भी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी हो, अगले मतदाता को ऊपर दिए गए **पैरा 5.3.2.** के निर्देशानुसार मतदाता रजिस्टर प्ररूप 17A में टीप दर्ज कर अगले मतदाता को मत देने के लिए मतदान प्रकोष्ठ में जाने का निर्देश देना चाहिए।

5.3.6 यदि आखिरी मतदाता के लिए मतपत्र इकाई तैयार करने हेतु नियंत्रण इकाई (CU) का "बैलेट" बटन दबा देने के बाद वह मत देने से इंकार कर दे तो इस स्थिति में पहले कदम के रूप में, आप/तृतीय मतदान अधिकारी, जो भी नियंत्रण इकाई (CU) का प्रभारी हो, वह नियंत्रण इकाई के पीछे वाले खण्ड के 'पावर' स्विच को 'ऑफ' स्थिति में लाए और VVPAT को नियंत्रण इकाई से अलग कर दे। इसके पश्चात दूसरे कदम के रूप में VVPAT को नियंत्रण इकाई से अलग करने के बाद 'पावर' स्विच को पुनः ऑन करें। अब बिजी लैम्प बंद हो जायेगा और मतदान बंद करने के लिए 'क्लोज बटन' क्रियाशील हो जायेगा। यदि इस पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता तो 'क्लोज बटन' काम नहीं करेगा और नियंत्रण यूनिट को बंद किये बिना परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि 'रिजल्ट बटन' तभी काम करेगा जब 'क्लोज बटन' को दबाया जायेगा।

5.4. लोक सेवकों द्वारा निर्वाचन कर्तव्य के समय मतदान

5.4.1 आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन कर्तव्य पर नहीं लगाया जाएगा, जहाँ वह पदस्थ है, निवासरत है या वह निर्वाचन क्षेत्र उसका गृह नगर है। निर्वाचन कर्तव्य पर पदस्थ सभी लोक सेवकों को डाक मतपत्र से वोट देने का विकल्प है। इस हेतु उन्हें प्ररूप 12 में रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन करना होगा।

5.4.2 जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर, आपको दो प्रतियों में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति का आदेश देंगे तथा इस आदेश के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर, आपकी तथा आपके मतदान अधिकारी (po1, po2, po3.....) (डाक मतपत्र विकल्प/सुविधा हेतु आवेदन करने के लिए) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में प्ररूप–12 दिया जाएगा।

5.4.3 आपको आवेदन पत्र (प्ररूप 12 में) तत्काल भरकर नियुक्ति आदेश की डुप्लीकेट प्रति के साथ रिटर्निंग ऑफिसर (RO) को प्रस्तुत करना होगा। मतदान कर्मियों के लिए प्रशिक्षण के समय भी प्ररूप 12 भरा जा सकता है। आपके पास प्ररूप 12 के साथ अपना नियुक्ति पत्र की प्रति मतदान प्रशिक्षण स्थल (अधिकृत अधिकारी निर्मित काउंटर) पर जमा करने का विकल्प होता है। मतदान कर्मियों के लिए डाक मतपत्र जारी करने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर उनके मतदान हेतु सहायता करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण स्थल पर ही मत पत्र जमा करने की व्यवस्था करेंगे ताकि आपको डाकघर में उन्हें पोस्ट करने हेतु न जाना पड़े। कुछ मतदान अधिकारियों की पदस्थापना उनके गृह निर्वाचन क्षेत्र (AC या PC) (जहां पर वे निर्वाचन नामावली में हैं) में की जा सकती है। प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षण कक्षाओं में सुविधा केन्द्र पर मतदान हेतु आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। फिर भी, कुछ प्रकरण में मतदान अधिकारियों (विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र) की ड्यूटी उनके गृह/निर्वाचन क्षेत्रों में हो सकती हैं (जहां वे मतदाता के रूप में दर्ज है) इन्हें प्ररूप 12A में आवेदन पर निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण–पत्र (EDC) जारी किया जाएगा। वे मतदान हेतु उस मतदान केन्द्र पर EVM & VVPAT से मतदान करने पात्र होंगे, जहां वे मतदान के दिन निर्वाचन कर्तव्य पर होंगे। यदि निर्वाचन नामावली की चिह्नित प्रति में उनके नाम के समक्ष ईडीसी की प्रविष्टि किए जाने के बाद उनकी निर्वाचन ड्यूटी रद्द कर दी जाती है, तो उन्हें अपने मत का प्रयोग करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति चाहे वह निर्वाचन कर्तव्य पर निर्वाचन अधिकारी हो या अन्य कोई लोक सेवक, जिसके नाम निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण–पत्र जारी किया गया है, को अपना मत किसी भी मतदान केन्द्र पर देने की अनुमति दी जानी चाहिए। केवल उस मतदान केन्द्र को छोड़कर जहाँ से उसे निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण–पत्र जारी किया गया है परंतु उस मतदान केन्द्र को सम्मिलित करते हुए जिसमें वह मूलतः कर्तव्य हेतु तैनात था/थी।

5.4.4 आपको (PO1, PO2, PO3-सहित) निर्वाचन कर्तव्य पर डाक मतपत्र से मत देने हेतु प्ररूप 12 में आवेदन अपने विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान दिवस के कम से कम सात दिनों पूर्व आवेदन करना होगा।

5.4.5 EDC के द्वारा मतदान (एक निर्वाचक जो EDC प्रस्तुत करता है):

(a) इस निर्वाचक का नाम नामावली की चिन्हित प्रति में अंतिम सामान्य निर्वाचक के नाम के बाद लिखा जाएगा।

(b) इस प्रविष्टि के बाद, सम्बंधित अधिकारी इस नामावली की चिन्हित प्रति में निर्वाचक के रूप में होगा, अपना मतदान सामान्य मतदाता के रूप में कर सकेगा।

(c) यह निर्वाचक प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाएगा, जो मतदान अभिकर्ताओं को इस निर्वाचक की जानकारी देगा।

(d) द्वितीय मतदान अधिकारी निर्वाचक सम्बन्धी जानकरियाँ निर्वाचक के रजिस्टर (प्ररूप 17A) में इस तरह करेगा:

उदाहरणार्थ, मतदाता का नाम मुकेश है, मतदाता सूची का भाग क्रमांक 32 एवं क्रमांक 625 है, तो मतदाता रजिस्टर (प्रपत्र 17A) के द्वितीय कॉलम में इस तरह प्रविष्टि होगी– 625/32/AC क्रमांक.

5.5 परोक्षी (प्रॉक्सी) द्वारा मतदानः

5.5.1 कुछ सेवा मतदाताओं की श्रेणियों को उनके द्वारा नियुक्त "प्रॉक्सी के माध्यम से" मतदान करने की सुविधा दी जाती है। इन मतदाता का श्रेणीकरण 'वर्गीकृत सेवा मतदाता' (CSV) के रूप में किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर आपके मतदान केन्द्र के लिए आपको 'वर्गीकृत प्रॉक्सी मतदाता की एक सूची उपलब्ध कराएंगे, (यदि ऐसी कोई सूची है) यह सूची आपके मतदान केन्द्र हेतु तैयार मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का ही भाग माना जाएगा। इसलिए, आपको प्रॉक्सी मतदाता को वास्तविक सर्विस मतदाता का ही दर्जा देना होगा एवं प्रक्रिया अन्य सामान्य निर्वाचन के समान होगी।

5.4.2 प्रॉक्सी के मामले में द्वितीय स्तंभ (निर्वाचकों के सीरियल क्रमांक के लिए) में प्रविष्ट किये जाने वाली संख्या, सीएसवी सूची में आबंटित उसकी क्रम संख्या होगी। इस संख्या को निर्वाचन की क्रम संख्या से अलग करने के लिए "PV"

अक्षर (प्रॉक्सी वोटरों के लिए संक्षिप्त नाम) को ब्रैकेट के अंदर एक प्रत्यय के रूप में रखा जाना चाहिए।

5.4.3 मान लिजिए के एक प्राक्सी मतदाता सीएसवी की सूची की क्रम संख्या 1 पर है, उसके मामले में प्ररूप 17A के स्तंभ 2 में दर्ज किया जाने वाला नंबर 1 (PV) होगा। इसी तरह सीएसवी सूची पर क्रमांक 5 पर प्रॉक्सी मतदाता की प्रविष्टि '5 (PV)' के रूप में की जाएगी.....

5.6 निविदत्त मत :

5.6.1 ऐसा संभव है कि कोई मतदाता, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में किसी निर्वाचक के नाम पर मत डालने हेतु उपस्थित हो (वह वास्तविक निर्वाचक हो सकता है; किसी त्रुटि का गलती का मामला हो सकता है, या किसी दुर्लभ मामले में प्रतिरूपक भी हो सकता है), जिसका मत मतदान अधिकारी 1 (चिन्हित मतदाता सूची का प्रभारी) द्वारा चिन्हित मतदाता सूची पर दर्ज किए गए टिक फ़ॉर्म के अनुसार पहले ही डाला जा चुका है। आपको उस समय पहचान की पुष्टि करने हेतु प्रस्तुत किए गए पहचान दस्तावेजों को देखते हुए गहन पूछताछ/प्रतिप्रश्न के माध्यम से चिह्नित मतदाता सूची में पहले से दावा किए गए नाम के संदर्भ में उस व्यक्ति की पहचान के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए। ऊपर बतायी गयी प्रक्रिया के उपरांत, यदि उसकी पहचान के बारे में आप संतुष्ट हो जाते है तो आप संबंधित निर्वाचक को निविदत्त मतपत्र द्वारा मत देने की अनुमति देगें, न कि EVM & VVPAT मशीन द्वारा। इस प्रकार का मत निविदत्त मत कहा जाता है।

5.6.2 रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्येक मतदान केन्द्र को 20 अतिरिक्त मतपत्र जरूरत पड़ने पर उपयोग के लिए उपलब्ध कराएगा। निविदत्त मतपत्र ठीक वैसा ही होगा जैसा कि मतदान मशीन के बैलेट यूनिट में उपयोग किए गए मतपत्र हैं। यदि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए किसी मतदान केन्द्र को 20 से अधिक अतिरिक्त निविदत्त मतपत्र की आवश्यकता हो, तो वह रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आपके (यानि पीठासीन अधिकारी) अनुरोध पर केवल संबंधित सेक्टर अधिकारी या सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से पूरी की जाएगी।

5.6.3 निविदत्त मतपत्र निर्वाचक को देने से पहले आप इन मतपत्रों के पीछे अपने स्वयं के हाथ से शब्द "निविदत्त मतपत्र" लिखेंगे (यदि ये शब्द वहां पहले से ही मुद्रित नहीं हो)

5.6.4 **निविदत्त मतपत्रों का लेखाः**

आपको आप प्ररूप 17C के भाग 1 की बिन्दु 9 में निम्न शीर्षकों के अंतर्गत सभी मतपत्रों का सटीक लेखा–जोखा रखना होगा- (i) कुल प्राप्त (ii) कुल जारी किये गए (iii) कुल अप्रयुक्त एवं वापस किये गए।

5.6.5 **उन मतदाताओं का रिकॉर्ड जिन्हें निविदत्त मतपत्र जारी किये गयेः**

(i) आप प्ररूप 17B में उन निर्वाचकों का पूरा रिकार्ड रखेंगे जिन्हें निविदत्त मतपत्र जारी किये गये है। आप निर्वाचक को निविदत मतपत्र देने के पूर्व प्ररूप 17B के स्तम्भ (5) में उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भी अभिप्राप्त करेंगे।

(ii) मतदाता को निविदत्त मतपत्र देते समय उसे स्याही लगी हुई एरोक्रॉस मार्क रबड़ की स्टाम्प भी दी जायेगी। यह मुहर वैसी ही है जो परम्परागत पद्धति के मतपत्रों और मतपेटियों के उपयोग में मतपत्रों पर चिन्ह लगाने के लिए उपयोग में ली जाती रही है। यह स्टाम्प मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए मतदान सामग्री के साथ दी जायेगी।

(iii) निविदत्त मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात संबंधित मतदाता, मतदान प्रकोष्ठ (जो इसके लिए अलग से बनाया गया है) में उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर या उसके पास में जिसमें वह मत देने का आशय रखता है एरोक्रॉस मार्क रबड़ की मुहर से क्रॉस मार्क करके अपने मत को चिन्हित करेगा।

(iv) इसके बाद मतदाता निविदत्त मतपत्र को इस तरह से मोड़ेगा कि उसके द्वारा बनाया एरोक्रॉस सील मार्क ना फैले, और मतदाता मतदान कक्ष से बाहर आने के पश्चात आपको सौंप देगा।

(v) आप समस्त निविदत्त मतपत्रों को उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से उपलब्ध कराये गये लिफ़ाफ़े में प्ररूप 17B में तैयार की गई सूची के साथ रखेंगे। मतदान सम्पन्न होने पर कवर को सील कर देंगे।

(vi) यदि दृष्टिबाधित दिव्यांग मतदाता बिना सहायता के अपना मत रिकार्ड करने में असमर्थ हो तो पीठासीन अधिकारी, इस अध्याय में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार उसे अपने साथ एक साथी को ले जाने की अनुमति देगा।

(vii) आप मतदाता रजिस्टर 17A में निविदत्त मतपत्र के संदर्भ में कोई प्रविष्टि नहीं करेंगे।

5.7 अभ्याक्षेपित (चुनौती) मत

5.7.1 मतदान अभिकर्ता 2/– रूपये की अभ्याक्षेप राशि जमा करके किसी मतदाता की पहचान को चुनौती दे सकता है। आप इस चुनौती की संक्षिप्त जांच करेंगे। जांच में चुनौती सही नहीं पाये जाने पर आपको उस व्यक्ति को मतदान करने की अनुमति देनी चाहिए। यदि चुनौती सही पाई जाती है तो व्यक्ति को मतदान से वंचित कर उसे पुलिस को लिखित में शिकायत कर सौंपना होगा।

5.7.2 मतदाता की पहचान की चुनौती:

जब तक कि आपको यह स्पष्ट न हो जाये कि वह एक बोगस मतदाता है तब तक यह उपधारणा की जानी चाहिए कि मतदाता होने का दावा करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक मतदाता है। ऐसे मामलों को आप संक्षिप्त पूछताछ के द्वारा सुनिश्चित करें।

5.7.3 चुनौती फीस (चैलेंज्ड फीस) :

किसी भी परिस्थिति में, आपको किसी मतदाता की पहचान के लिए चुनौती स्वीकार नहीं करनी चाहिए, जब तक कि संबंधित मतदान अभिकर्ता 2/– रुपये नकद जमा न कर दे। इसलिए आपको निर्धारित प्रपत्र **(अनुलग्नक–19)** में चुनौती देने वाले के नाम पर एक रसीद जारी करनी होगी,

(i) आप चुनौती दिये गये व्यक्ति को प्रतिरूपण के लिए दण्ड के बारे में सावधान कर देंगे

(ii) इसके बाद आपको मतदाता सूची की चिह्नित प्रति में दावा किए जा रहे निर्वाचक से संबंधित प्रत्येक प्रविष्टि को क्रम से पढ़ना होगा और अनुमानित निर्वाचक को चुनौती देनी होगी कि क्या यह उससे संबंधित है और

(iii) अंत में चुनौती दिये गये मतों की सूची (प्ररूप–14) में उसका नाम और पता लिखेंगें और उसे उस पर हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने के लिए कहेंगे। यदि वह ऐसा करने से इंकार कर दे तो आप उसे मत देने की अनुज्ञा नहीं देंगे।

5.7.4 संक्षिप्त पूछताछ :

सबसे पहले आप चुनौतीकर्ता को यह सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहेंगे कि वह व्यक्ति जिसके बारे में चुनौती दी गयी है, असली मतदाता नहीं है जैसा कि वह दावा करता है। यदि चुनौतीकर्ता अपनी चुनौती के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो आप चुनौती को नहीं मानेंगे और चुनौती दिये व्यक्ति को मत देने देंगे। यदि चुनौतीकर्ता यह सिद्ध करने में सफल हो जाता है कि वह व्यक्ति प्रश्नगत मतदाता नहीं है तो आप पश्चात्कथित से चुनौती के खंडन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे अर्थात् यह सिद्ध करना कि वह वही मतदाता है, जिसका वह दावा करता है। यदि वह ऐसे साक्ष्य द्वारा अपना दावा सिद्ध कर देता है, तो आप उसे मत देने की अनुमति दे देंगे। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो आप यह मान लेंगे कि चुनौती सिद्ध हो गयी है। जांच के दौरान, आप ज़िम्मेदार अधिकारी, प्रश्नगत मतदाता (आपके ध्यान में लाया गया) के पड़ोसियों और उपस्थित किसी भी अन्य व्यक्ति का साक्ष्य मॉंग सकते हैं जो मामले में प्रकाश डाल सकता है। यदि चुनौती सिद्ध हो गयी तो आप उस व्यक्ति को ड्यूटी पर उपस्थित पुलिसकर्मी को सौंप देंगे तथा इसके साथ ही आपके मतदान केन्द्र की अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने के थानाधिकारी को **अनुलग्नक–20** में एक शिकायत लिखकर दे देंगे।

5.7.5 चुनौती शुल्क की वापसी या जब्ती:

यदि पूछताछ के बाद चुनौती व्यर्थ लगती है, तो दो रुपए की चुनौती फीस जप्त कर लीजिए; तथा प्ररूप 14 के स्तम्भ 10 और रसीद बुक में सुसंगत रसीद के प्रतिपर्ण पर (जमाकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी लेने के बजाय) शब्द 'जप्त' लिख दीजिए। अन्य स्थिति में यदि चुनौती सही पायी जाती है, तब दो रुपए की चुनौती फीस चुनौतीकर्ता को उससे प्ररूप 14, **याने चुनौती प्राप्त मतों की सूची** के स्तम्भ 10 में, तथा रसीद बुक में सुसंगत रसीद के प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर लेकर उसकी प्राप्ति रसीद लेने के पश्चात लौटा दीजिए।

5.8 मतदाता जिन्हें आप पात्र उम्र से कम मानते हैं

5.8.1 किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे आप अर्हक आयु से बहुत कम मानते हैं, आपको उससे संबंधित **मतदाता सूची में प्रविष्टि के संदर्भ में मतदाता होने के,** उसके दावे के बारे में स्पष्ट रूप से संतुष्ट होना चाहिए।

5.8.2 यदि आप उसकी पहचान और मतदाता सूची में उसका नाम शामिल करने के तथ्य से प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं, लेकिन उसे न्यूनतम मतदान आयु से कम मानते हैं, तो आपको वर्ष की पहली जनवरी/पहली अप्रैल/पहली जुलाई/पहली

अक्टूबर, जिस अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार की गई है, के संदर्भ में ऐसे निर्वाचक से **अनुलग्नक–15** में एक घोषणा पत्र प्राप्त करनी होगी। ऐसे निर्वाचक से घोषणा प्राप्त करने से पहले आपको उसे झूठी घोषणा करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 में दंडात्मक प्रावधान के बारे में सूचित करना होगा।

5.8.3 आपको **अनुलग्नक–16 के भाग 1** में उन मतदाताओं की एक सूची भी तैयार करनी चाहिए, जिनसे आपने ऐसी घोषणाएं प्राप्त की हैं। आपको **अनुलग्नक–16 के भाग 2** में उन मतदाताओं की एक सूची भी बनानी चाहिए – जो पूर्वोक्त घोषणा देने से इनकार करते हैं और अपना वोट डाले बिना चले जाते हैं। मतदान के समापन के बाद, उपर्युक्त सूची और घोषणाओं को एक अलग लिफ़ाफ़े में एक साथ रखना चाहिए

5.9 परीक्षण मत (test vote):

5.9.1 यदि कोई मतदाता अपना वोट दर्ज करने के बाद नियम 49MAके तहत आरोप लगाता है कि VVPAT द्वारा प्रिंटेड पर्ची में उसके द्वारा मतदान किए गए उम्मीदवार के स्थान पर किसी अन्य उम्मीदवार का नाम या प्रतीक दिखाया गया है, तो पीठासीन अधिकारी नीचे उल्लिखित चरणों का पालन करेगा :

5.9.2 झूठी घोषणा करने के परिणाम के बारे में मतदाता को चेतावनी देने के बाद, मतदाता से शिकायत सम्बन्धी एक लिखित घोषणा **(अनुलग्नक–17)** प्राप्त करें। यदि मतदाता उप–नियम (1) में निर्दिष्ट लिखित घोषणा देता है, तो पीठासीन अधिकारी प्ररूप 17A में उस मतदाता से संबंधित दूसरी प्रविष्टि करेगा, और मतदाता को उसकी उपस्थिति में और मतदान केन्द्र में उपस्थित उम्मीदवारों या मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मतदान मशीन में एक परीक्षण वोट दर्ज करने की अनुमति देगा और VVPAT द्वारा प्रिंटेड काग़ज़ की पर्ची का निरीक्षण करेगा। यदि आरोप सही पाया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को तुरंत तथ्यों की जानकारी देगा, उस मतदान मशीन में वोटों की आगे की रिकॉर्डिंग रोक देगा और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए जा रहे निर्देश के अनुसार कार्य करेगा।

5.9.3 यदि आरोप गलत पाया जाता है और उप नियम (1) के अंतर्गत प्रिंटेड काग़ज़ की पर्ची उप नियम (2) के तहत मतदाता द्वारा दर्ज किए गए परीक्षण वोट से मेल खाती है, तो पीठासीन अधिकारी प्ररूप 17A में उस मतदाता से संबंधित दूसरी प्रविष्टि के सामने एक टिप्पणी करेगा, जिसमें उस उम्मीदवार की क्रम संख्या और नाम का उल्लेख किया जाए जिसके लिए इस तरह के परीक्षण वोट दर्ज किए गए हैं। इस तरह की टिप्पणियों के सामने उस मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करें और इस तरह के परीक्षण वोट के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां फॉर्म 17*C* **(अनुलग्नक–8)** के भाग I में बिंदु 5 में करें।

अध्याय – 06

बलवे, बूथ कैप्चरिंग आदि के कारण मतदान का स्थगन/रोक

6.1 बलवे इत्यादि के कारण मतदान का स्थगन

6.1.1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 57 (1) के तहत किसी मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित कारणों से मतदान स्थगित करने के लिए सशक्त हैः

(i) किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भारी हिमपात, तीव्र तूफान और इस प्रकार के अन्य, या

(ii) आवश्यक मतदान सामग्री जैसे वोटिंग मशीन, निर्वाचक नामावली की अभिप्रमाणित प्रति और इसी तरह की अन्य सामग्री का प्राप्त न होना, हानि होना या नष्ट होना, या

(iii) मतदान केन्द्र पर शांति भंग होना जिससे मतदान करवाना असंभव हो जाये, या

(iv) किसी गंभीर कठिनाई या रास्ते में उत्पन्न बाधा के कारण मतदान दल का मतदान केन्द्र पर न पहुंचने के कारण, या

(v) कोई अन्य समुचित कारण।

6.1.2 यदि बलवा हो जाये या खुले रूप से हिंसा करने का कोई प्रयास करें तो उस पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करें। यदि उसे नियंत्रण न किया जा सके और मतदान को जारी रखना असंभव हो जो कुछ भी हो, तो आपको मतदान स्थगित कर देना चाहिए। जैसा कि पूर्व में निर्दिष्ट है कि किसी प्राकृतिक आपदा या अन्य पर्याप्त कारणों से मतदान कराना असंभव हो, तो मतदान स्थगित कर दिया जाना चाहिए। कुछ समय के लिए वर्षा की बौछारे या तेज हवा चलना सामान्यतः मतदान को स्थगित करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं होगे। मतदान स्थगित करने के लिए आपको जो विवेकाधिकार दिया गया है उसका प्रयोग बहुत संयमित ढंग से और केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां भौतिक रूप से मतदान कराना असंभव हो गया हो। हॉलाकि, आयोग ने निर्णय लिया है कि जिन मतदान केन्द्रों पर निर्धारित समय के दो घण्टे के अंदर मतदान प्रारम्भ नहीं हो सका है, उन मतदान केन्द्रों पर मतदान स्थगित करने का आदेश दिया जा सकता है।

6.1.3 मतदान स्थगन के प्रत्येक मामले में, आप के द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को तत्काल सम्पूर्ण तथ्यों सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। जहाँ कहीं भी मतदान स्थगित किया जाता है, वहाँ पर (केन्द्र पर) उपस्थित व्यक्तियों को औपचारिक रूप घोषणा करके सूचित कर दें कि बाद में निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित तिथि पर मतदान होगा।

6.1.4 आप मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मतदान मशीन की दोनो इकाइयों और VVPAT सहित समस्त निर्वाचन दस्तावेजों को मुहर बंद कर दे तथा सुरक्षित रख दें मानो जैसे मतदान सामान्य रूप से सम्पन्न हो गया हो।

6.2 स्थगित मतदान को पूर्ण किया जाना

6.2.1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 57 का उपधारा (1) में निहित प्रावधान अनुसार जहां किसी मतदान केन्द्र पर मतदान स्थगित हो चुका है, वहां जिस स्तर पर स्थगित मतदान स्थगन के पूर्व छोड़ा गया था उसी स्तर से निर्वाचन आयोग द्वारा निश्चित तिथि एवं समय पर पुनः प्रारंभ होगा अर्थात जिन निर्वाचकों ने स्थगित मतदान के पूर्व मतदान नहीं किया था केवल उन्हें ही स्थगित मतदान में वोट डालने की अनुमति दी जायेगी। जहाँ स्थगित मतदान होना है उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और मतदाताओं के रजिस्टर (प्रारूप 17A) जिनका प्रयोग पूर्व में स्थगित मतदान केन्द्र पर हुआ है को मुहरबंद पैकेट में तथा एक नई मतदान मशीन और वीवीपैट (VVPAT) प्रदाय करेगा।

6.2.2 स्थगित मतदान पुनः प्रारंभ कराये जाने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति युक्त और मतदाताओं के रजिस्टर युक्त मुहरबंद पैकेट मतदान कक्ष में उपस्थित अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष पुनः खोला जाना चाहिए और निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति तथा मतदाताओं के रजिस्टर की उन्हीं प्रतियों का प्रयोग स्थगित मतदान में किया जाना चाहिए।

6.2.3 नियम 28 और 49–A से 49–V तक में विहित प्रावधान किसी स्थगित मतदान केन्द्र पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे मतदान स्थगन के पूर्व मतदान पर लागू होते है।

6.2.4 जहाँ मतदान दल के नहीं पहुंचने या अन्य कारणों से मतदान प्रारंभ नहीं किया जा सका हो वहाँ पर ऊपर उल्लेखित नियमों के प्रावधान प्रत्येक ऐसे स्थगित मतदान पर वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे मूल मतदान पर लागू होते हैं।

6.3 मतदान मशीन की विफलता, बूथ पर कब्जा इत्यादि करने के कारण मतदान का रोका जानाः

6.3.1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58 और 58 A के अधीन निर्वाचन आयोग किसी मतदान केन्द्र पर मतदान को शून्य घोषित करने और नये सिरे से मतदान कराने के निर्देश देने के लिए सक्षम है, यदि उस मतदान केन्द्र पर–

(a) कोई अनाधिकृत व्यक्ति अवैध रूप से किसी मतदान मशीन को उठाकर ले जाये, या

(b) कोई भी मतदान मशीन दुर्घटनावश या इरादतन नष्ट हो गई हो या हानि या क्षतिग्रस्त या छेड़छाड़ होने के कारण उस मतदान केन्द्र के मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता हो, या

(c) किसी मतदान मशीन में मतों को रिकार्ड करते समय कोई तकनीकी खराबी आ गयी हो, या

(d) प्रक्रिया में कोई त्रुटि या अनियमितता हो गयी हो जिससे मतदान के दूषित होने के संभावना हो, या

(e) यदि बूथ पर कब्जा हो गया हो (उक्त अधिनियम की धारा 135 A में यथा परिभाषित)

6.3.2 यदि ऐसी कोई घटना आपके मतदान केन्द्र पर घटित हुई हो तो आपको एकजाई तथ्यात्मक प्रतिवेदन तत्काल रिटर्निंग अधिकारी को भेजना चाहिए ताकि वह इस मामले का प्रतिवेदन निर्वाचन आयोग को आगामी निर्देश प्राप्त करने के लिए प्रेषित कर सके।

6.3.3 यदि आयोग समस्त भौतिक परिस्थितियों को संज्ञान में लेकर किसी मतदान केन्द्र पर नये सिरे से मतदान कराये जाने के निर्देश दे तो ऐसा नया मतदान उसी विधि से कराना होगा जैसे मूल मतदान हुआ हो। इस संबंध में आपको रिटर्निंग अधिकारी से निर्देश प्राप्त होंगे।

6.3.4 विवादास्पद मतदान केन्द्र पर मत देने के लिए अधिकृत सभी निर्वाचक (मतदाता), नये सिरे से होने वाले पुनः मतदान में मत देने के लिए अधिकृत होंगे। मूल मतदान में लगाया गया अमिट स्याही का चिन्ह नये सिरे से आयोजित मतदान के समय ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। नये सिरे से प्रायोजित मतदान के समय बनाये जाने वाली चिन्हों को पहले से बने मूल मतदान के समय के चिन्हों से भेद करने के लिए आयोग ने निर्देश दिये है कि नये सिरे से आयोजित मतदान में अमिट स्याही का चिन्ह मतदाता के बायें हाथ की मध्यमा ऊंगली पर लगाया जाना चाहिए।

6.4.1 बूथ पर कब्जे के मामले में मतदान मशीन का बंद किया जानाः

6.4.1 निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 49X यह प्रावधानित करता है कि जहाँ किसी मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी का यह अभिमत हो कि मतदान केन्द्र के बूथ पर कब्जा किया जा रहा है, तो वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगे और वोट ना डाले जा सकें, मतदान मशीन की नियंत्रण इकाई (CU) को तत्काल बंद कर देगा और वह नियंत्रण यूनिट (CU) से मतदान यूनिट (BU) को पृथक कर देगा।

6.4.2 आपको उपर्युक्त उल्लेखितानुसार मतदान मशीन बंद किये जाने की कार्यवाही केवल तभी करनी चाहिए जब आपको निश्चित ज्ञान हो गया हो कि बूथ पर कब्जा किया जा रहा है, केवल बूथ पर कब्जा किये जाने की संभावना की आशंका या संदेह पर मशीन बंद नहीं करनी चाहिए। यह इसलिए क्योंकि जब एक बार 'क्लोज' बटन दबाकर नियंत्रण यूनिट को बंद कर दिया जाता है तो मतदान मशीन आगे और कोई मत दर्ज नहीं करेगी। मतदान उस दिन के लिए या अस्थायी रूप से तब तक, जब तक उस मतदान केन्द्र पर मतदान के लिए नई मशीन उपलब्ध हो जाए, अनिवार्यतः स्थगित करना होगा।

6.4.3 निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961 के नियम 49X के तहत आपके द्वारा मतदान मशीन बंद करने के पश्चात यथाशीघ्र प्रकरण से संबंधित सम्पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन रिटर्निंग अधिकारी को प्रेषित करना चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी ऐसे प्रकरणों के समस्त तथ्यों को उपलब्ध संचार के सबसे तेज माध्यम से निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।

6.4.4 निर्वाचन आयोग रिटर्निंग अधिकारी के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समस्त भौतिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए–,

a) या तो नई मतदान मशीन उपलब्ध कराते हुए स्थगित मतदान को उस स्तर से जिस स्तर पर इसे स्थगित किया गया था, जब यह संतुष्टि हो जाये कि मतदान उस स्तर तक दूषित नहीं हुआ था, उसे पूर्ण कराने का निर्णय ले सकेगा या

b) यदि मतदान दूषित होने की संतुष्टि के कारण किसी मतदान केन्द्र के मतदान को शून्य घोषित कर दिया गया हो, तो नये सिरे से मतदान कराने का निर्देश दे सकेगा।

6.4.5 जहाँ उपर्युक्त **पैरा 6.4.1** के तहत मतदान मशीन बंद करके उस दिन के लिए स्थगित/रोक दिया जाता है वहाँ पर मशीन एवं अन्य समस्त निर्वाचन सामग्री/दस्तावेज उसी विधिपूर्वक मुहरबंद किये जाकर सुरक्षित रखे जायेंगे जैसे कि मूल मतदान के समापन होने पर रखे जाते हैं।

6.4.6 स्थगित मतदान को पूर्ण कराने या नये सिरे से मतदान कराने के लिए, जैसा भी मामला हो, आयोग के दिशा निर्देशानुसार, उपर्युक्त उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार कदम उठाए जाऐंगे।

अध्याय – 07

मतदान की समाप्ति

7.1 मतदान समापन के समय मतदान केन्द्र में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मतदान :–

7.1.1 मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय पर मतदान को बंद कर दिया जाना चाहिए भले ही किसी अपरिहार्य कारण से मतदान प्रारंभ होने के लिए निर्धारित समय के पश्चात ही क्यों न प्रारंभ हुआ हो। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मतदान समाप्ति के तय समय के बाद कोई निर्वाचक अपना वोट नहीं डाल सकता। आपको यह ध्यान रखना होगा कि मतदान समापन के लिए निर्धारित समय पर मतदान केन्द्र में उपस्थित समस्त निर्वाचकों को अपना वोट डालने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। इस प्रकार के प्रकरणों में मतदान समापन के लिए निर्धारित समय के बाद भी मतदान जारी रखा जाएगा जब तक कि सभी लोग अपना वोट न डाल दें।

7.1.2 मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के कुछ मिनट पूर्व उन सभी मतदाताओं के समक्ष जो वोट डालने के लिए मतदान केन्द्र की सीमा के अन्दर प्रतीक्षा कर रहे हों, आप यह घोषणा कर दें कि उन्हें बारी–बारी से अपना वोट डालने की अनुमति दी जाएगी। आप ऐसे समस्त निर्वाचकों को, जो उस समय पंक्ति में खड़े हैं, अंतिम निर्वाचक से क्रम सं. 1 से शुरू कर आगे क्रमवार पंक्ति के प्रथम निर्वाचक तक अपने पूर्ण हस्ताक्षर युक्त कागज की पर्ची वितरित कर दें। पंक्ति में खड़े अंतिम निर्वाचक को सरल क्रमांक 01 की पर्ची दें और अंतिम निर्वाचक के बाद के निर्वाचक को सरल क्रमांक 02 पर्ची देनी होगी, इसी प्रकार आगे की ओर निरंतर वितरित होगी। मतदान के लिए निर्धारित समय समाप्त होने के बावजूद जब तक अंतिम पंक्तिबद्ध निर्वाचक जिसे आपने पर्ची वितरण की है अपना वोट न डाल दें तब तक निर्बाध रूप से मतदान जारी रहेगा। मतदान के लिए निर्धारित समय समाप्त होने के पश्चात कोई निर्वाचक पंक्ति में सम्मिलित न हो जाए इस का ध्यान रखने के लिए पुलिस बल या अन्य स्टॉफ को तैनात करें। यह कार्य प्रभावी ढंग से तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब निर्वाचकों की पंक्ति के अंतिम छोर से पर्चियाँ बांटना प्रारंभ करते हुए पंक्ति के प्रारंभ तक बांट दी जाए।

7.2 मतदान की समाप्तिः–

7.2.1 मतदान समापन के लिए नियत समय की समाप्ति पर मतदान केन्द्र में उपस्थित समस्त निर्वाचकों द्वारा पूर्ववर्ती पैरा के अनुसार वोट डालने के पश्चात आपको मतदान समाप्ति की औपचारिक घोषणा कर देनी चाहिए और तत्पश्चात् किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को वोट डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

7.2.2 पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्ति पर वहाँ उपस्थित सभी मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में **'Close'** बटन दबाकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) बंद कर देंगे। जब बंद/Close बटन दबाया जाता है तब नियंत्रण यूनिट (CU) के प्रदर्शन पट्टी (डिस्प्ले पैनल), पर मतदान समाप्ति तक डाले गये वोटों की कुल संख्या (परंतु अभ्यर्थी के नामवार को छोड़कर) प्रदर्शित करेगी। कंट्रोल यूनिट (CU) के Display Pannel पर प्रदर्शित डाले गए कुल मतों/वोटों की संख्या को **प्रारूप 17 सी के भाग–1 की मद 6 (अनुलग्नक–8)** में तुरंत अंकित कर लेना चाहिए।

परिणाम अनुभाग के बाहरी आवरण के बाँई ओर के रबड़ के ढक्कन के नीचे 'क्लोज बटन' दिया गया है और रबड़ के ढक्कन को खींचने मात्र से इस तक पहुँचा जा सकता है क्लोज बटन दबाये जाने और मतदान समाप्त होने के बाद क्लोज बटन के ऊपर के रबड़ के ढक्कन को पुनः लगा देना चाहिए।

7.2.3 एक बार क्लोज बटन दबाये जाने के बाद मतदान मशीन (ई.व्ही.एम.) आगे कोई वोट दर्ज करना स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए क्लोज बटन दबाने के पूर्व अत्यंत सावधानी बरतते हुए पूर्णतः यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मतदान समापन के लिए नियत समय पर मतदान केन्द्र पर उपस्थित निर्वाचकों में से कोई निर्वाचक वोट डालने से वंचित तो नहीं रह गया है।

7.2.4 आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि **'बंद'** (close button) बटन केवल तभी काम करेगा जब नियंत्रण इकाई (CU) पर 'व्यस्त लैम्प' (Busy lamp) चालू न हो, यानि जब तक कि वोट देने की अनुमति प्राप्त अंतिम मतदाता अपना वोट डाल नहीं दिया हो (मतपत्र इकाई (BU) पर नीला बटन दबाकर)। यदि अंतिम मतदाता वोट डालने से मना कर दें या अंतिम मतदाता द्वारा वोट डालने के बाद त्रुटिवश बैलेट बटन दबा दिये जाने के कारण व्यस्त लैम्प (Busylamp)

चालू हो जाता है तो नियंत्रण इकाई (CU) के पीछे पॉवर स्विच (power switch) को बन्द करके और नियंत्रण इकाई (CU) का वीवीपेट (VVPAT) से सम्पर्क विच्छेद करके व्यस्त लैम्प (Busy lamp) को बंद किया जा सकता है। नियंत्रण इकाई (CU) का वीवीपैट (VVPAT) से सम्पर्क विच्छेद करने के पश्चात पॉवर स्विच (power switch) पुनः चालू किया जाना चाहिए। अब व्यस्त लैम्प (Busy lamp) बुझ जायेगा और क्लोज बटन (Close Button) क्रियाशील हो जाएगा।

7.2.5 मतदान समाप्ति के समय पीठासीन अधिकारी नियंत्रण इकाई (CU) में प्रदर्शित होने वाले मतदान समाप्ति की तिथि एवं समय को 'पीठासीन की डायरी' में अंकित करेगा।

7.2.6 मतदान समापन के बाद **पीठासीन अधिकारी डायरी का भाग–3 (अनुलग्नक–5)** को तैयार करना।

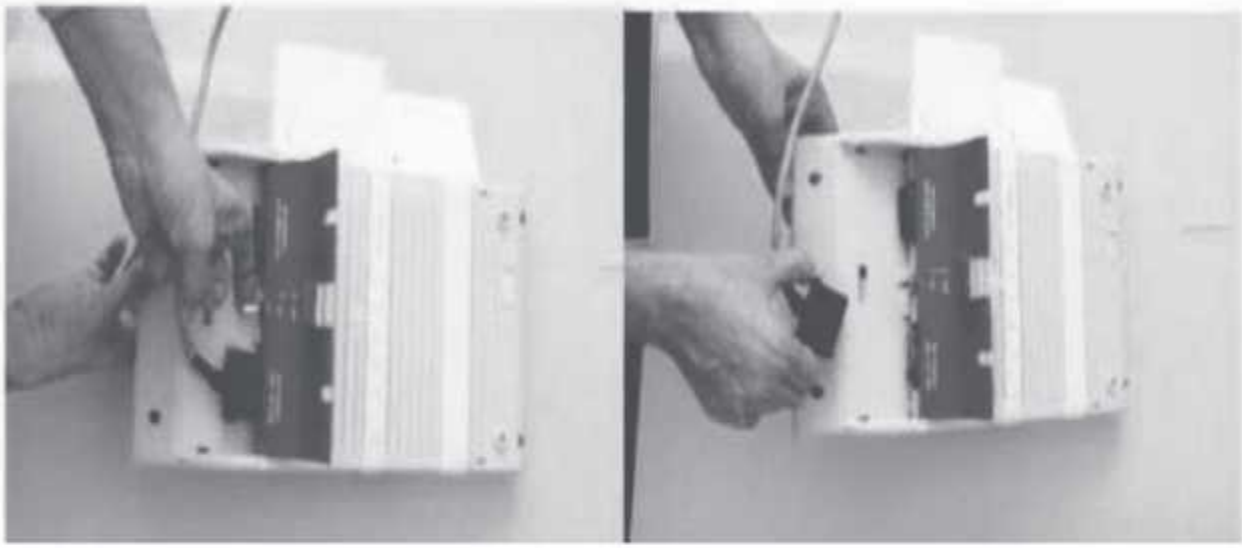

7.2.7 पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्ति के समय प्ररूप 17A में अंतिम प्रविष्टि अंकित करने के पश्चात सीधी रेखा खींच देंगा और अपना हस्ताक्षरित बयान दर्ज करेगा कि "प्ररूप 17A में अंतिम प्रविष्टि की क्रम संख्या___ है" तथा इस वक्तव्य के नीचे वहां उपस्थित सभी मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे।

7.2.8 पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में वीवीपैट (VVPAT) से बैटरी (पावर पैक) को अलग कर देगा। पावर पैक हटाने के तुरंत पश्चात वीवीपेट को कैरियिंग केस में मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मुहरबंद (सील) कर देना चाहिए।

7.3 रिकॉर्ड (दर्ज) किये गए मतों का लेखा

7.3.1 रिकॉर्ड (दर्ज) किये गए मतों का लेखा तैयार करनाः–

(i) आपसे मतदान समाप्ति के पश्चात् निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 S के अधीन मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा तैयार करने की अपेक्षा की जाती है आपके द्वारा ऐसा लेखा प्रारूप 17C के भाग–1 में तैयार किया जाएगा।

(ii) जैसा कि पूर्व पैरा 7.2.2 में व्याख्यायित है, मतदान समाप्ति के समय मतदान मशीन में दर्ज किये गये कुल मतों की संख्या बंद (Close) बटन दबाकर अभिनिश्चित की जाएगी। यदि आवश्यक हो तो अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिए उस बटन को दुबारा दबाया जा सकता है।

(iii) आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि मतदान मशीन में दर्ज किये गये मतों (वोटों) की कुल संख्या मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17A) के कॉलम में 01 पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या में से जिन्होनें वोट नहीं डालने का निश्चिय किया है। (मतदाताओं के रजिस्टर के टिप्पणी कॉलम के अनुसार) की संख्या घटाकर प्राप्त होने वाली संख्या में से मतदान या मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता भंग करने के कारण जिन्हें आपके द्वारा वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई (उक्त रजिस्टर के टिप्पणी कॉलम के अनुसार) की संख्या को घटाकर प्राप्त संख्या के समतुल्य होनी चाहिए। यदि कोई परीक्षण वोट (टेस्ट वोट) दर्ज किये गये है तो नियम 49MA (2) के तहत **प्ररूप 17C के भाग–1 के सरल क्रमांक 5** में उल्लेखित करना आवश्यक है।

(iv) आपके मार्गदर्शनार्थ **प्ररूप 17C अनुलग्नक–8** में दिया गया है।

(v) प्ररूप 17C में दर्ज किये गये मतों के लेखा को पृथक लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिस पर स्पष्टतः 'रिकार्ड' किये गये मतों का लेखा अंकित हो।

7.3.2 रिकार्ड किये गये मतों के लेखा की अनुप्रमाणित प्रति मतदान अभिकर्ताओं को प्रदाय करनाः

(i) नियम 49S के तहत आपके द्वारा प्ररूप 17C में तैयार किये गये रिकार्ड किये गये मतों का लेखा पत्रक की एक अनुप्रमाणित प्रति/सत्यापित प्रति प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को, जो मतदान समाप्ति के समय मतदान कक्ष में उपस्थित हो, उनके प्राप्ति हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात, भले ही उन्होंने प्रति न मांगी हो तो भी, प्रदाय करने की अपेक्षा की जाती है। प्ररूप 17C की मूल प्रति वोटिंग मशीन के साथ संग्रहण केन्द्र पर मतयुक्त (Polled) मतदान मशीन (EVM) के लिए तैयार कक्ष **Strong room** में जमा करनी चाहिए। प्ररूप 17C की द्वितीय प्रति भी संग्रहण केन्द्र में जमा करें।

(ii) रिकार्ड किये गये मतों का लेखा प्ररूप 17C की प्रतियों को पर्याप्त संख्या में तैयार करने में समर्थ बनाने के लिए आपको मुद्रित प्रारूप (प्ररूप 17C) की उतनी प्रतियाँ जितने निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है, से एक–दो अतिरिक्त प्रतियाँ प्रदान की जायेंगी। यदि संभव हो तो मूल लेखा पत्रक में प्रविष्टियों अंकित करते समय आपके द्वारा कार्बन पेपर की सहायता से आवश्यकतानुसार संख्या में प्रतियाँ तैयार की जानी चाहिए ताकि मतदान अभिकर्ताओं को दी गई ऐसी समस्त प्रतियों और मूल लेखा पत्रक की प्रति हर तरह से एक समान हो।

(iii) विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन एक साथ आयोजित होने की दशा में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा पत्रक प्ररूप 17C विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन के लिए पृथक–पृथक तैयार किया जाना चाहिए। प्ररूप 17C की प्रतियाँ लोकसभा निर्वाचन के लिए केवल लोकसभा निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं तथा विधानसभा चुनाव के लिए केवल विधानसभा निर्वाचन लड़ रहें अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं को दिया जाना चाहिए।

7.3.3 मतदान की समाप्ति पर की जाने वाली घोषणाः

यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदान अभिकर्ताओं को रिकार्ड किए गए मतों के लेखा पत्रक की प्रतियाँ देने हेतु नियम 49S के तहत उपरोक्तानुसार सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण कर दी गई है, मतदान समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी की घोषणा आयोग के **अनुलग्नक–6** भाग–3 में उल्लेखित अनुसार की जानी चाहिए।

7.4 मतदान की समाप्ति के पश्चात मतदान मशीन (EVM) एवं वीवीपेट (VVPAT) का मुहरबंद किया जानाः

7.4.1 मतदान समाप्ति के बाद और मतदान मशीन (EVM) में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा पत्रक प्ररूप 17C के रूप में तैयार करने के पश्चात् और मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को रिकार्ड किये गये मतो के मतपत्र लेखा की प्रतियों को प्रदाय करने पश्चात् मतदान मशीन (EVM) और वीवीपेट (VVPAT) को मुहरबंद कर प्राप्तकर्ता/संग्रहण केन्द्र तक परिवहन हेतु सुरक्षित रखना चाहिए।

7.4.2 मतदान मशीन (EVM) और वीवीपेट (VVPAT) को मुहरबंद और सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले नियंत्रण इकाई (CU) के पॉवर का बटन बंद कर देना चाहिए। इसके बाद तीनों इकाईयों नियंत्रण इकाई (CU) मतपत्र इकाई (BU) तथा वीवीपेट (VVPAT) को एक दूसरे विच्छेद (Disconnect) कर देना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कागज की पर्ची युक्त ड्रॉप बॉक्स यथावत रहे। **वीवीपेट (VVPAT) के पावर पैक को हटाने के बाद ही मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में वीवीपेट (VVPAT) कैरियिंग केस को मुहरबंद किया जाना चाहिए**। अब मतपत्र इकाई (BU), नियंत्रण इकाई (CU) और वीवीपेट (VVPAT) को वापिस उनके सुरक्षित कैरियिंग केस में रख देना चाहिए।

7.4.3 प्रत्येक सुरक्षित कैरियिंग केस (carrying case) के दोनों मुँहाने पर उपलब्ध छिद्रों में एक धागा डालकर, निर्वाचन मतदान केन्द्र एवं उसमें अन्तर्विष्ट इकाईयों की विशिष्टियाँ दर्शाए गए एड्रेस टैग पर पीठासीन अधिकारी की मुहर लगाकर तिथि सहित हस्ताक्षर उपरांत चपड़ी से मुहरबंद करेंगे।

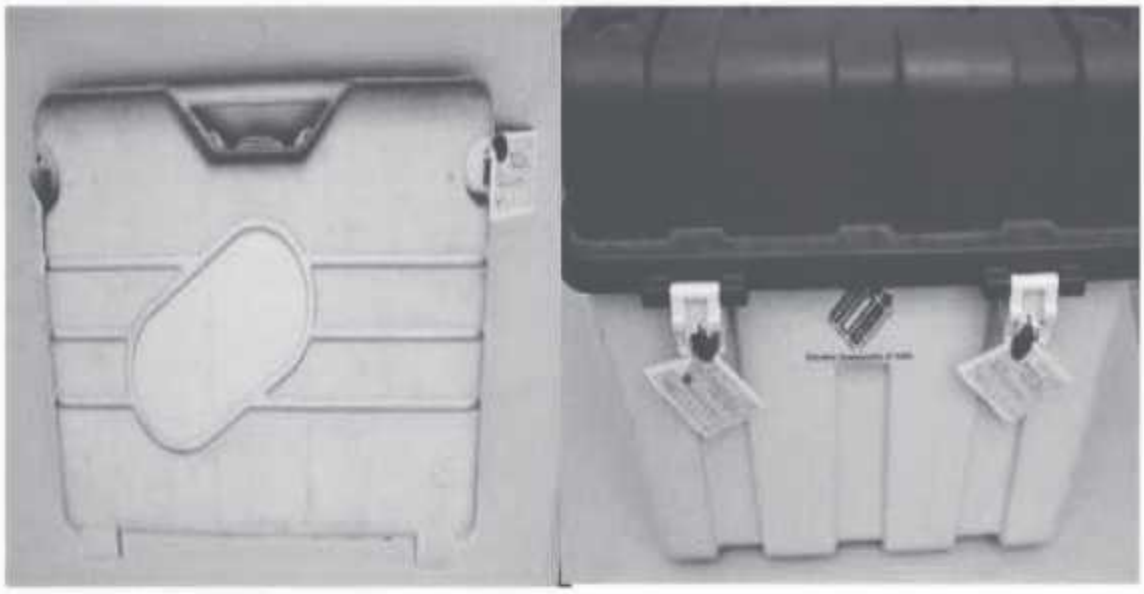

7.4.4 नियंत्रण इकाई (CU), मतपत्र इकाई (BU), वीवीपैट (VVPAT) पर चस्पा एड्रेस टैग पर प्रदर्शित विशिष्टियां **अध्याय 3 के पैरा 3.2.1** में उल्लेखित अनुसार ही होगी। मतदान केन्द्र पर उपस्थित अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता यदि अपनी मुहर लगाने के इच्छुक हों, तो उन्हें ऐसा करने के लिए अनुमति दें।

7.4.5 निर्वाचन लड़ रहें अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं, जिन्होनें मतदान इकाई (BU), नियंत्रण इकाई (CU) और वीवीपैट (VVPAT) के सुरक्षित कैरियिंग केस (carrying case) पर अपनी मुहर लगायी है, के नाम भी आपके द्वारा मतदान समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी की घोषणा **अनुलग्नक–6 भाग 4** में नोट करना चाहिए।

7.5 निर्वाचन से सम्बंधित दस्तावेजों की मुहरबंदी

7.5.1 निर्वाचन से संबंधित दस्तावेजों का पैकेट में मुहरबंद किया जाना।

(i) मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान से संबंधित निर्वाचन दस्तावेजों को निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 49–U के द्वारा आवश्यकतानुसार पृथक–पृथक पैकेटो में मुहरबंद किया जायेगा।

(ii) सभी मुहरबंद पैकेटों को नीचे दिये गये पैरा 7.5.2 में दिए गए निर्देशों के अनुसार सीलबंद करके संग्रहण केंद्र ले जाकर रिटर्निंग अधिकारी या वहाँ उपिस्थिति संग्रहण केंद्र (स्ट्रांग रूम) के प्रभारी अधिकारी को सौंप देना चाहिए।

(iii) बडे सफेद लिफाफे पर 'इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (EVM) से संबंधित दस्तावेज' लिखा हुआ हो, जिसमें:–(i) रिकार्ड किये गये मतों का लेखा (प्ररूप 17C) युक्त बिना मुहर बंद लिफाफा (ii) पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन भाग I (मॉक पोल प्रमाण पत्र) भाग–II & भाग–III युक्त बिना मुहर बंद लिफाफा (iii) मॉक पोल की वीवीपैट (VVPAT) मुद्रित पर्ची काले रंग के लिफाफे में मुहरबंद करके इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (EVM) के साथ पोल्ड EVM के लिए बने स्ट्रांग रूम में रखी जानी होगी।

(iv) आपको ऐसे प्रत्येक निर्वाचन लड़ रहे उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हो, को निम्नलिखित दस्तावेजों से युक्त लिफाफों और पैकेटों पर उनकी मुहर लगाने की अनुमति देनी चाहिए:–

a) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति
b) मतदाताओं का रजिस्टर
c) मतदाता पर्ची
d) प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र और प्ररूप 17B में निविदत्त मतों की सूची
e) अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र
f) अभ्याक्षेपित (चैलेंज्ड वोट) मतों की सूची
g) अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील, यदि कोई हो
h) मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र और
i) कोई अन्य पत्र जिन्हें किसी मुहरबंद पैकेट में रखने के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये हों।

7.5.2 सांविधिक, गैर सांविधिक लिफाफों तथा निर्वाचन सामग्री की पैकिंग (अनुलग्नक–22)

(i) मुहरबंद मतदान मशीन, वीवीपैट (VVPAT) निर्वाचन संबंधी दस्तावेजों और अन्य सामग्री को संग्रहण केन्द्र स्थल पर जमा करते समय असुविधा या अत्यधिक प्रतीक्षा करने से बचने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप लिफाफो और अन्य सामग्री को नीचे व्याख्यायित अनुसार छः पृथक बड़े पैकेटों या लिफाफों में रख ले तथा उन्हें संग्रहण केन्द्र पर इस हेतु नियत स्थान पर सौंप दे।

(ii) भले ही सांविधिक दस्तावेजों या गैर– सांविधिक दस्तावेजों में उल्लेखित किये जाने वाला कोई विवरण या अभिलेख शून्य हो, तो ऐसे 'शून्य' विवरण को संबंधित सांविधिक प्रारूप या गैर सांविधिक प्रारूप में अंकित करे और संबंधित सांविधिक या गैर सांविधिक प्रपत्र के लिफाफे के अंदर रख दे छोटे लिफाफों को पैक करने के लिए अधोउल्लेखित अनुसार बडे पैकेट उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्रकार, कुल छः पैकेट तैयार किए जाएंगें ताकि संग्रहण केन्द्र पर संग्रहण अधिकारियों द्वारा किसी मुहरबंद या गैर मुहरबंद लिफाफों में से किसी दस्तावेज के प्रस्तुत नहीं किये जाने के संबंध में जांच करने की आवश्यकता न पड़े।

(iii) प्रथम पॅकेट **(सफेद रंग का)** नीचे उल्लेखित अनुसार ईवीएम से संबंधित दस्तावेज होने चाहिए और उस पर "ई वी एम से संबंधित दस्तावेजों का लिफाफा" स्पष्टतः लिखा हुआ होना चाहिए।

a) रिकार्ड किये गये मतों का मतपत्र लेखा (प्ररूप 17C) युक्त लिफाफा।

b) पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन भाग I (मॉक पोल का प्रमाण पत्र), भाग II एवं भाग III

c) मॉकपोल की वीवीपैट से मुद्रित कागज की पर्ची युक्त काले रंग का मुहरबंद लिफाफा।

टीपः– उपरोक्त सभी निर्वाचन दस्तावेजो को बिना मुहरबंद सफेद रंग के मास्टर लिफाफे (लिफाफा क्रमांक 1/1) में रखा जाना चाहिए और इसे मत युक्त इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन के लिए तैयार स्ट्रांग कक्ष में रखना चाहिए। एक साथ निर्वाचन आयोजित होने की स्थिति में विधानसभा निर्वाचन के लिए EVM पेपर्स रखने के लिए गुलाबी कलर में एक मास्टर लिफाफा तैयार किया जाएगा । 17C मतपत्र लेखा रखने के लिए गुलाबी रंग का अतिरिक्त लिफाफा, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग–I, भाग–II एवं भाग– III को रखने के लिए गुलाबी रंग का अतिरिक्त लिफाफा, विधानसभा निर्वाचन से संबंधित मॉक पोल स्लिप्स रखने के लिए काला लिफाफा बनाया जाएगा।

(iv) दूसरे पैकेट **(सफेद रंग)** में अद्योउल्लेखित बिना मुहरबंद/मुहरबंद लिफाफे होने चाहिए और उस पर "संवीक्षा कवर" लिखा होना चाहिएः–

a) पीठासीन **अधिकारियों** की डायरी युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा।

b) मतदाताओं का रजिस्टर (प्ररूप 17A) युक्त मुहरबंद लिफाफा।

c) भ्रमण पत्रक/विजिट शीट युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा।

d) दृष्टिहीन और अशक्त निर्वाचकों की सूची प्ररूप 14A में एवं सहयोगी की घोषणा संबंधी दस्तावेज युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा

टीपः– उपरोक्त समस्त निर्वाचन दस्तावेजो को गैर मुहरबंद सफेद रंग के मास्टर लिफाफा (लिफाफा क्र. 2/1) में रखा जाना चाहिए। मतदान केन्द्र –वार स्क्रूटनी संबंधी दस्तावेजों के लिए पृथक लिफाफों की आवश्यकता होगी, जिसे मतदान में प्रयुक्त ईवीएम एवं वीवीपैट के सुरक्षित स्ट्रांग रूम के अतिरिक्त अन्य सुरक्षित कक्ष में रखा जाएगा।

(v) तीसरे पैकेट **(सफेद रंग का)** में अद्योउल्लेखित अनुसार मुहरबंद लिफाफे होने चाहिए और उसके ऊपर **'सांविधिक लिफाफा'** लिखा होना चाहिए।

a) निर्वाचक नामावली की "चिन्हित प्रति और वर्गीकृत सेवा मतदाताओं की सूची (अगर कोई हो) युक्त मुहर बंद लिफाफा।

b) मतदाता पर्ची युक्त मुहरबंद लिफाफा

c) अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों का मुहरबंद लिफाफा।

d) प्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों और प्ररूप 17-B में सूची का मुहरबंद लिफाफा।

e) प्ररूप 14 में अभ्याक्षेपित मतो (चैलेंज्ड़ वोट) की सूची युक्त मुहर बंद लिफाफा।

टीपः– यदि दोनों चुनाव एक साथ आयोजित हो, तो विधान सभा चुनाव की मतदाता पर्चियों के लिए एक अतिरिक्त लिफाफा **(गुलाबी रंग का)** की आवश्यकता होगी।

(vi) चतुर्थ पैकेट **(पीला रंग का)** में अद्योउल्लेखित अनुसार लिफाफे होगें तथा उसके ऊपर 'असांविधिक लिफाफा' लिखा होना चाहिए।

a) निर्वाचक नामावली (चिन्हित प्रति से भिन्न) की प्रति या प्रतियों से युक्त लिफाफा।

b) प्ररूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्रों से युक्त लिफाफा।

c) प्ररूप 12–B में निर्वाचन कर्त्तव्य संबंधी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा।

d) पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं युक्त लिफाफा

e) अभ्याक्षेपित मतों (चैलेंज्ड वोट) से संबंधित के रसीद और नकद राशि यदि कोई हो, से युक्त लिफाफा

f) निर्वाचकों की आयु के संबंध में की गई घोषणा एवं ऐसे निर्वाचिकों की सूची जिन्होंने अपनी आयु के संबंध में घोषणा पत्र देने से अस्वीकार किया हो, युक्त लिफाफा।

g) अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त कागज की सील एवं स्पेशल टैग युक्त लिफाफा।

h) अप्रयुक्त मतदाता पर्ची युक्त लिफाफा।

i) निर्वाचक के द्वारा 49MA (परीक्षण मत (Test vote)) के तहत की जाने वाली घोषणा युक्त लिफाफा।

j) अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत (एएसडी) मतदाताओं की सूची में शामिल निर्वाचकों की घोषणा युक्त लिफाफा।

k) पुलिस थाना प्रभारी (एसएचओ) को लिखित शिकायती पत्र युक्त लिफाफा।

टीपः– एक साथ दोनों चुनाव आयोजित होने की स्थिति में विधानसभा चुनाव के संबंध में पीठासीन अधिकारी की घोषणा के लिफाफे के लिए गुलाबी रंग का एक अतिरिक्त लिफाफा दिया जाएगा।

(vii) पांचवा पैकेट **(भूरा रंग/Brown coloured)** में अद्योउल्लेखित सामग्री होनी चाहिएः

a) पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (EVM) की मार्गदर्शिका और वीवीपैट (VVPAT) के दिशा निर्देश।

b) प्रयुक्त और शेष बची अमिट स्याही की शीशी (रिसन या वाष्पित को रोकने के लिए उस पर लगाए जाने वाले ढक्कन के ऊपर पिघली हुई मोमबत्ती या मोम से प्रभावी ढंग से बंद करे।)

c) प्रयुक्त स्टाम्प पैड **(भूरा रंग/ Brown coloured)**

(viii) छठवा पैकेट **(नीले रंग का)** में निम्नांकित सामग्रियां होनी चाहिएः

a) अभ्यर्थी विवरण पुस्तिका

b) अन्य अप्रयुक्त प्रपत्र

c) पीठासीन अधिकारी की धातु की मुहर

d) निविदत्त मतपत्रो को चिन्हित करने के लिए ऐरो क्रॉस मार्क वाली रबर की मुहर।

e) अमिट स्याही के सुव्यवस्थित रख रखाव के लिए कप

f) अन्य समस्त सामग्री कोई हो, तो उसे छठवे पैकेट **(नीले रंग का)** में रखा जाना चाहिए।

7.5.3 **लिफाफों की मुहरबंदी करनाः–'सांविधिक लिफाफे'** लिखित तृतीय पैकेट में पांच छोटे लिफाफे/ पैकेट को सम्मिलित कर/रखकर पैकेट को मुहर बंद किया जाना चाहिए। द्वितीय पैकेट जो कि **'स्क्रूटिनी कवर'** नाम से लिखित है, में मतदाताओं का रजिस्टर (प्ररूप 17A) को रखकर पैकेट को मुहरबंद किया जाना चाहिए। **असांविधिक लिफाफा** लिखित चौथे पैकेट में विभिन्न असांविधिक दस्तावेजों और अन्य निर्वाचन सामग्री को सम्मिलित कर रखना चाहिए और पृथक से तैयार किया जा सकेगा। समय बचाने की दृष्टि से इस पैकेट को मुहरबंद किये जाने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय प्ररूप 14 में अभ्याक्षेपित मतों की सूची वाले लिफाफे को छोड़कर। बिना मुहरबंद लिफाफे और प्ररूप 14 में अभ्याक्षेपित मतों की सूची युक्त मुहरबंद लिफाफा पीठासीन अधिकारी द्वारा चिन्हित एक हस्ताक्षरित बड़े लिफाफे पर चेक मेमो के साथ संबंधित बड़े लिफाफे में रखा जाना चाहिए। इन बड़े पैकेटों को मुहरबंद किये जाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन इन्हें ऑलपिन या धागे/सुतली से बांधकर अच्छी तरह से सुरक्षित किया जाना चाहिए ताकि संग्रहण

केन्द्र पर इनमें रखी गई सामग्री का भौतिक सत्यापन किया जा सके। तृतीय पैकेट जिस पर शब्द **"सांविधिक लिफाफा"** लिखित है उसमें सम्मिलित दस्तावेजों या लिफाफों का संग्रहण केन्द्र पर सत्यापन/मिलान किये जाने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी के द्वारा मुहरबंद किया जाना चाहिए।

7.6 पीठासीन की डायरी तैयार करना और मतदान मशीन, वीवीपैट तथा निर्वाचन संबंधी दस्तावेजों को संग्रहण केंद्र पर सुपुर्द करना।

7.6.1 पीठासीन की डायरी तैयार करना:

7.6.1.1 आपको मतदान केन्द्र में संपादित मतदान से संबंधित समस्त कार्यवाही इस प्रयोजन के लिए निर्धारित पीठासीन की डायरी में लिखना चाहिए। डायरी का प्रपत्र **अनुलग्नक–7** में पुनः प्रस्तुत किया गया है। तथापि, आपको डायरी का सम्यक् रूप से संख्यांकित प्रपत्र (प्रोफार्मा) दिया जायेगा और केवल उसी प्रपत्र (प्रोफार्मा) को उपयोग में लाना चाहिए।

7.6.1.2 जैसी भी घटनाएं घटे उससे संबंधित तथ्य आप डायरी में अंकित करते जाये। आपको सभी महत्व पूर्ण घटनाओं का उसमें उल्लेख करना चाहिए। डायरी में घटनाओं को अंकित करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। यदि कोई घटना मतदान केन्द्र पर घटित होती है, जिसे आपके द्वारा अवगत नही कराया गया है, लेकिन वह किसी अन्य स्त्रोत द्वारा संसूचित की जाती है, तो निर्वाचन आयोग इस मामले में अनिवार्यतः आवश्यक कदम उठायेगा। निर्वाचन आयोग आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पर भी विचार कर सकता है।

7.6.1.3 नियमित अन्तरालों या समय–समय पर घटित घटनाओं का डायरी के प्रासंगिक स्तम्भों (कॉलमों) में प्रविष्टियां करते रहे। यह देखा गया है कि पीठासीन अधिकारी प्रासंगिक स्तम्भों में घटनाओं का नियमित अंतराल में या समय–समय पर प्रविष्टियां नहीं करते हैं व समस्त प्रविष्टियां मतदान की समाप्ति पर दर्ज करते हैं. और पीठासीन की डायरी तैयार करते है। यह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि मतदान प्रक्रिया की समयावधि में समस्त बिन्दुओं की डायरी में गंभीरता पूर्वक प्रविष्टि करना चाहिए आपकी ओर से किसी भी चूक को आयोग द्वारा गंभीरतापूर्वक लिया जायेगा।

7.6.2 रिटर्निंग अधिकारी को ईवीएम (EVM) वीवीपैट (VVPAT) तथा निर्वाचन दस्तावेजों का हस्तांतरण:

7.6.2.1 मतदान समाप्ति के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वीवीपैट (VVPAT) और अन्य समस्त निर्वाचन दस्तावेजों को सुरक्षित कर मुहरबंद करने के बाद उन्हें बिना समय गवाये रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जैसी भी निर्मित व्यवस्था निर्देशों के तहत निर्धारित संग्रहण केन्द्र पर जमा करवाना होगा। इस निमित्त में किये गये किसी विलम्ब को आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जायेगा और आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

7.6.2.2 आप संग्रहण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी को निम्नलिखित निर्वाचिन संबंधी दस्तावेज और सामग्री जमा कर दे तथा सामग्री प्राप्ति की प्रति रसीद प्राप्त करें।

a) संबंधित वहन बक्से में सीलबंद नियंत्रण इकाई (CU), मतपत्र इकाई (BU) और वीवीपैट (VVPAT) तथा VVPAT पावर पैक
b) पहला पैकेट पर **"ईवीएम अभिलेख"**/दस्तावेज लिखा हुआ (3 सामग्री युक्त)।
c) द्वितीय पैकेट पर **"संवीक्षा लिफाफा"** (स्क्रूटिनी कवर) लिखा हुआ (4 सामग्री युक्त)
d) तृतीय पॅकेट पर **"सांविधिक लिफाफा"** लिखा हुआ (5 सामग्री युक्त)
e) चतुर्थ पैकेट **"असांविधिक लिफाफा"** लिखा हुआ (11 सामग्री युक्त)
f) पांचवा पैकेट **"पुस्तिका/मार्गदर्शिका"** आदि लिखा हुआ (तीन या उससे अधिक सामग्री युक्त)
g) छठवाँ पैकेट **"अन्य सामग्री"** लिखा हुआ अधिक सामग्री युक्त)
h) समस्त शेष लेखन सामग्री को वापस उसके संबंधित पारदर्शी गत्ते/गत्ते के डिब्बे में रखकर संग्रहण केन्द्र पर सौंपना होगा।

7.6.2.3 उपर्युक्त समस्त सामग्री को संग्रह केन्द्र में संग्रहण अधिकारियों द्वारा आपकी उपस्थिति में संग्रहित की जायेगी और उसके पश्चात ही आपको कार्यमुक्त किया जायेगा।

अध्याय – 08

भ्रष्ट आचरण एवं मतदान संबंधी अपराध

मतदान के दिन ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ एक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह मतदान केन्द्र पर अव्यवस्थित (शांति भंग, गड़बड़ी फैलाने) तरीके से व्यवहार करता है, इस प्रकार की घटनायें निर्वाचन अपराध/अपराधों की श्रेणी में आतीं हैं। मतदान के दिन निर्वाचन अपराधों और संबंधित उपायों के कुछ महत्वपूर्ण पहलूओं पर इस अध्याय में उल्लेख किया गया है।

8.1 चुनाव प्रचार पर रोकः–

8.1.1 मतदान दिवस पर निर्वाचन कानून मतदान केन्द्रों के अंदर या उसके आस पास चुनाव प्रचार पर रोक लगाता है। कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र के 100 मीटर की दूरी पर स्थित किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर निम्नांकित कृत्य नहीं कर सकताः–

a) वोटों के लिए प्रचार करना।

b) किसी निर्वाचक से वोट माँगना,

c) किसी भी निर्वाचक को किसी विशेष अभ्यर्थी के लिए वोट न देने के लिए समझाना

d) किसी निर्वाचक को मतदान में वोट न देने के लिए समझाना।

e) मतदान से संबंधित किसी भी सूचना या चिन्ह (आधिकारिक नोटिस के अलावा) का प्रदर्शन।

f) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके आस पास किसी सार्वजनिक, निजी स्थान पर मानव आवाज को बढ़ाने या पुनः प्रस्तुत करने के लिए किसी उपकरण, जैसा मेगाफोन या लाउडस्पीकर का उपयोग करना या संचालन करनाः और

g) मतदान केंद्र के अन्दर या प्रवेश द्वार पर या पड़ोस के किसी सार्वजनिक स्थान अथवा निजी स्थान पर शोर करना या असमान्य व्यवहार करना।

ध्यान दें :–लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग चाहे कितनी भी दूरी से किया जाए, यह महत्व नही रखता है, इसे अपराध करना माना जायेगा भले ही यह 100 मीटर से अधिक दूरी हो, यदि किसी व्यक्ति को वोट डालने के लिए मतदान केन्द्र जाने में परेशानी होती है या केन्द्र पर तैनात अधिकारियों तथा अन्य व्यक्ति को काम करने में हस्तक्षेप होता है।

8.2 मतदाताओं को मतदान करने से रोकनाः–

8.2.1 किसी भी मतदाता को उसकी सहमति या सहमति के बिना किसी शिविर या किसी अन्य स्थान पर रोकना या मतदान केन्द्र तक उसके रास्ते में बाधा डालना या उसे किसी भी तरीके से मतदान में रौकना संज्ञेय अपराध है। यदि उम्मीद्वार को यह जानकारी मिलती है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है या बाधित किया गया है या रोका गया है, तो उसे मामले कि सूचना पीठासीन अधिकारी या निकटतम पुलिस स्टेशन या रिर्टनिंग अधिकारी को देनी चाहिये, जो उस व्यक्ति के लिए प्रभावी कार्यवाही करेगा, जिसे गलत तरीके से हिरासत में लिया गया हो, या उसे मताधिकारी प्रयोग करने से रोका गया है। भले ही हिरासत या बाधा किसी निजी स्थान पर की गई हो।

8.3 मतदाताओं के लाने–ले जाने के लिए वाहनों को अवैध तरीके से किराये पर लेनाः–

8.3.1 यदि आपको किसी शिकायतकर्ता द्वारा सूचित किया जाता है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के द्वारा मतदाताओं को उनके घरों से मतदान केन्द्र तक ले जाने के लिए वाहन का प्रयोग किया जा रहा है, तो इस शिकायत को अनिवार्यतः अपने जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से अनुविभागीय दण्डाधिकारी (सब–डीवीजनल मजिस्ट्रेट) को भेजे।

8.4 मतदान केन्द्र से वोटिंग मशीन और/या अन्य मतदान सामग्री को हटाना अपराध माना जायेगाः–

8.4.1 कोई व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में मतदान केन्द्र से छलपूर्वक या अनधिकृत तरीके से वोटिंग मशीन ले जाता है या चले जाने का प्रयास करता है या जानबूझकर ऐसे किसी कार्य को करने में सहायता या उकसाता है, संज्ञेय अपराध करता है, जिसके लिये एक वर्ष तक का कारावास या 500 रू तक का जुर्माना या दोनो सजा हो सकती है। इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 को उक्त अधिनियम की धारा 61ए के स्पष्टीकरण के लिए संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है।

8.4.2 यदि ईवीएम के अलावा अन्य मतदान सामग्री बाहर ले जाने का प्रयास करने की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135–A अंतर्गत अपराध है।

8.4.3 उपरोक्त परिस्थिति या घटना में आपको उसे संबंधित स्थानीय पुलिस स्टेशन प्रभारी जिसके कार्यक्षेत्र में वह मतदान केन्द्र आता है, को लिखित सूचना के साथ सौप देना चाहिए।

8.5 अव्यवस्था फैलाने वाले व्यक्तियों को हटानाः–

8.5.1 कोई भी व्यक्ति, जो मतदान के दौरान दुराचरण करता है या मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी के वैध निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, उसे पीठासीन अधिकारी के आदेश द्वारा किसी भी पुलिस अधिकारी या उसके अधिकृत अन्य व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र से हटाया जा सकता है।

8.6 मतदान अधिकारियों द्वारा आधिकारिक कर्तव्यों की अवहेलनाः–

8.6.1 आपका ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 की ओर आकर्षित किया जाता है जो यह प्रावधान करती है कि पीठासीन या मतदान अधिकारी बिना उचित कारण के अपने आधिकारिक कर्तव्य के उल्लंघन संबंधी कोई कार्य करने या किसी कार्य के चूक का दोषी है, तो वह संज्ञेय अपराध करता है।

8.7 मतदान केन्द्र में या उसके निकट सशस्त्र जाने पर प्रतिबंधः–

8.7.1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134–बी के प्रावधानों के तहत् कोई व्यक्ति (रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी तथा कोई अन्य व्यक्ति जिसे मतदान केन्द्र पर शांति एवं व्यवस्था कायम करने के लिए नियुक्ति किया गया हो) उसके अलावा मतदान के दिन, आयुष अधिनियम 1959 में यथा परिभाषित किसी भी प्रकार के शस्त्र से सुसज्जित होकर किसी मतदान केन्द्र के आस–पास नही जा सकता। कोई व्यक्ति इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह दो वर्षो का कारावास या जुर्माना, या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। यह अपराध संज्ञेय अपराध है।

8.8 प्रतिरूपण (पररूपधारण) का मामलाः–

8.8.1 आयोग ने मतदाताओं की दस्तावेजी पहचान अनिवार्य कर दी है।मतदान फोटो पहचान पत्र (ईपीक) या अन्य वैकल्पिक दस्तावेज जिसकी अनुमति आयोग द्वारा दी गयी है, मतदाताओं को प्रस्तुत करना आवश्यक है। प्रत्येक मतदान के समय इस संबंध में आयोग आदेश जारी करेगा। आपको आयोग के द्वारा जारी किये गये आदेश तथा उनका पालन सुनिश्चित करना है। मतदान अधिकारी जो पहचान करने का प्रभारी है मतदाता की पहचान ईपीक या अन्य वैकल्पिक दस्तावेजो का परीक्षण कर संतुष्टि कर ले, एवं मतदाता की पहचान में संदेह की स्थिति में मतदाता को निर्देशित किया जाना चाहिए कि वह अपनी पहचान प्रस्तुत करें। आपको स्वयं उसके पहचान के संबंध में और पूछताछ या खोज कर संतुष्ट हो जाना चाहिए। यदि वह प्रतिरूपण (छदमवंशी) प्रमाणित हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को लिखित शिकायत के साथ पुलिस को सौंप दिया जाना चाहिए।

8.9 बूथ पर कब्जा करने (बूथ कैपचरिंग) का अपराधः –

8.9.1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135–ए के तहत जो भी बूथ कैपचरिंग का अपराध करता है तो उसे एक अवधि के लिए कारावास जो कम से कम एक वर्ष का या जिसे तीन वर्ष तक किया जा सकता है तथा ऐसा अपराध कोई शासकीय सेवा में कार्यरत व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो वह जुर्माना तथा कम से कम 3 वर्षो को कारावास जिसे 5 वर्षो तक बढाया जा सकता है का पात्र होगा तथा यह दण्डनीय संज्ञेय अपराध होगा।

8.9.2 "बूथ कैप्चरिंग" में अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित सभी या कोई भी गतिविधि सम्मिलित है जैसे किः–

8.9.2.1 किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए निर्धारित स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया जाए या मतदान अधिकारियों को मतपत्रों या मतदान मशीनों को सरेंडर करने के लिए बाध्य कर और कोई अन्य कृत जो मतदान के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है।

8.9.2.2 किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा मतदान के लिए किसी मतदान केन्द्र या निर्धारित स्थान को कब्जा कर लेना तथा केवल अपने समर्थकों को वोट देने के लिए अनुमति देना तथा अन्य को स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने से रोका जायें।

8.9.2.3 किसी भी निर्वाचक को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बाधित किया जाए या डराया या धमकाया जाये और उसे वोट डालने के लिए मतदान केन्द्र या मत डालने के लिए निर्धारित स्थान तक जाने से रोका जाये।

8.9.2.4 किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा वोटो की गणना स्थल को कब्जा करना गणना अधिकारियों को मजबूर कर मतपत्रों या मतदान मशीनों का सरेंडर कराना तथा इस तरह के कृत्य करना जिससे व्यवस्थित मतगणना का कार्य प्रभावित होता है।

8.9.2.5 शासकीय सेवारत में किसी व्यक्ति द्वारा उपरोक्त सभी या कोई गतिविधियाँ करना, या किसी अभ्यर्थी के चुनाव की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद की जाए या मिली भगत करना।

अध्याय – 09

पीठासीन अधिकारियों/मतदान अधिकारियों के लिए कार्यवाही योग्य बिंदुओं पर एक नजर

यह अध्याय पुस्तिका (हैंडबुक) का एक सारांश प्रदान करता है जो आपको पीठासीन अधिकारी के रूप आपके कर्तव्यों को दुहराने हेतु आपको सक्षम बनाता है। अपने मतदान दल के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखें। टीम वर्क आपके कार्य को सरल एवं आनंदप्रद बनाता है।

9.1 सुनिश्चित कर लें कि:

9.1.1 आपको कन्ट्रोल यूनिट तथा अपेक्षित संख्या में मतदान कराने के लिए बैलेट यूनिटों के साथ वीवीपैट प्रदान की गयी है। वही यूनिट्स आपको आबंटित है जिनका आपके मतदान केन्द्र पर उपयोग किया जाना है। एड्रेस टैग पर लिखे यूनिट आईडी का यूनिट के पिछले हिस्से में लगे धातु के प्लेट/बारकोड से मिलान करें।

9.1.2 प्रत्येक बैलेट यूनिट पर समुचित बैलेट पेपर (मतपत्र) सम्यक रूप से लगा दिया गया है और उचित रूप से पंक्तिबद्ध कर दिया गया है।

9.1.3 प्रत्येक मतपत्र इकाई (बैलेट यूनिट) के थम्बव्हील को उचित स्थान पर सेट कर दिया गया है।

9.1.4 नियंत्रण यूनिट के **"कैण्डीडेट सेट सेक्शन",** एवं प्रत्येक मतदान इकाई उचित रूप से सीलबंद किये गये है एवं प्रत्येक इकाईयों में एड्रेस टैग मजबूती से बंधे हुए हैं।

9.1.5 वीवीपैट का पेपर रोल प्रकोष्ठ आर ओ (RO) के सील से सही ढंग से मुहरबंद (सील्ड) किया गया है।

9.1.6 कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट को गुलाबी कागजी मुद्रा (PPS) द्वारा भलीभाँति सीलबंद किया गया है जिस पर राजनीतिक पार्टियों/अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों तथा निर्माता इकाईयों के इंजीनियरों के हस्ताक्षर होते है।

9.1.7 आपको समस्त मतदान सामग्रियाँ प्रदान की गयी है।

9.2 विशेष रूप से मतदाताओं के रजिस्टर, पूर्व में मुद्रित मतदाता पर्चियाँ (प्री प्रिन्टेड वोटर स्लिप्स), निविदत्त मतों के लिए प्रयुक्त होने वाले मतपत्र, निविदत्त मतों को चिन्हित करने के लिए घूमते तीरों के निशान वाला रबर की सील (एरोक्रास मॉक्र रबर स्टाम्प), कागज की हरी मुद्राएं (ग्रीनपेपर सील्स), मुहरबंद करने के लिए मोम, अमिट स्याही, काला लिफाफा, आधा इंच चौड़ाई का पारदर्शी सेलो टेप इत्यादि।

9.3 निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का अन्य प्रतियों से मिलान करें तथा यह देख लें कि सभी प्रतियाँ एक समान है एवं निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति पर "PB" एवं "EDC" के अतिरिक्त कोई अन्य चिन्ह नहीं है।

9.4 सुनिश्चित कर लें:

9.4.1 निर्वाचक नामावली की वर्किंग प्रति के समस्त पेज क्रमांकित है

9.4.2 मतदाताओं के मुद्रित सरल क्रमांक को स्याही (इंक) से सुधारा नहीं गया है एवं कोई नया नम्बर हाथ से प्रतिस्थापित नहीं किया गया है।

9.5 जहाँ तक व्यावहारिक हो, 'मॉडल ले आऊट' के अनुसार ही मतदान केन्द्र को स्थापित करें।

9.6 यदि संभव हो तो सुनिश्चित करें कि मतदाताओं के लिए पृथक–पृथक से प्रवेश तथा निकास (निर्गम) है।

9.7 मतदान दिवस पर सभी चार पोस्टरों को अपने मतदान केन्द्र के बाहर प्रदर्शित करें जिसमें मतदान क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति हो।

9.8 यदि कोई मतदान अधिकारी अनुपस्थित है तो अप्रत्याशित आवश्यकता को देखते हुए एक स्थानीय मतदान अधिकारी को नियुक्त करें।

9.9 मतदान प्रारंभ होने के निर्धारित समय से **90 मिनट** पूर्व मॉक पोल संचालित करने के लिए EVM & VVPAT को तैयार (प्रारंभ करें) करें।

9.10 मॉक पोल के पूर्व वोटिंग कम्पार्टमेंट में बैलेट यूनिटों और वीवीपैट को स्थापित कर दें। कन्ट्रोल यूनिट को अपनी टेबल पर रखें या तृतीय मतदान अधिकारी की टेबल पर जिस किसी को कन्ट्रोल यूनिट का प्रभार दिया जाए।

9.11 बैलेट यूनिटों, वीवीपैट तथा कन्ट्रोल यूनिट को परस्पर जोड़ें। कन्ट्रोल यूनिट के पीछे के कम्पार्टमेंट लगे पावर स्विच को ऑन (ON) करें। बीयू और वीवीपैट के जोड़ने वाले तारों को टेबल के पैर पर आधा इंच चौड़ाई के "पारदर्शी चिपकाने वाला टेप" से इस तरह से चिपकायें कि वह हवा में न झूले तथा उनका वजन बीयू एवं वीवीपैट के कनेक्टिंग स्विच को प्रभावित न करें।

9.12 कन्ट्रोल यूनिट के पिछले कक्ष को एक पतले तार से बांधकर या सुतली धागे से बांधकर और कुछ गाठें लगाकर सुरक्षित करें **इसे मोम से सीलबंद न करें।**

9.13 उपस्थित सभी मतदान अभिकर्ताओं को यह दिखा दें कि वोटिंग मशीन तथा वीवीपैट खाली है एवं इसमें कोई मत दर्ज नहीं है।

9.14 मतदान अधिकारियों एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं की सहायता से मॉक पोल का संचालन करें एवं नोटा सहित सभी अभ्यर्थियों को कम से कम एक वोट डालते हुए 50 मतों को अंकित करे। मॉक पोल के पश्चात CU में परिणाम सुनिश्चित करें वीवीपैट पेपर पर्चियों को मतदान अभिकर्ताओं के सामने गिनकर पुष्टि करें कि प्रत्येक अभ्यर्थी के परिणाम का मिलान हो रहा है।

9.15 मॉक पोल के पश्चात **क्लियर** बटन दबाकर सीयू से मॉक पोल के आकड़ों को हटाए तथा वीवीपैट से वीवीपैट पेपर पर्चियों को हटाकर मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष खाली ड्राप बाक्स दिखाए। मॉक पोल के वीवीपैट पेपर पर्चियों के पीछे **"मॉक पोल स्लिप्स"** का मुहर लगाकर काले लिफाफे में रखकर मुहरबंद करें। सील से लिफाफे को सीलबंद (मुहरबंद) करे अपने हस्ताक्षर करे एवं मतदान अभिकर्ताओ के हस्ताक्षर ले लें। लिफाफे के ऊपर मतदान केंद्र का क्रमांक एवं नाम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमाक एवं नाम मतदान की तिथि तथा "मॉक पोल की वीवीपैट पर्चियाँ" लिखें। इसे पिंक पेपर सील से इस तरह सील बंद करें कि लिफाफे को खोलने के लिए सील (मुहर) को तोड़ना पड़े। गुलाबी पेपर सील पर अपने और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर ले लें और लिफाफे मतदान से संबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ रखें।

9.16 कंट्रोल यूनिट के परिणाम अनुभाग के आतंरिक प्रकोष्ठ के दरवाजे पर फ्रेम में ग्रीन पेपर सील ठीक से लगाएं।

9.17 परिणाम अनुभाग के भीतरी प्रकोष्ठ का दरवाजा इस प्रकार बंद करे कि पेपर सील के दोनों सिरे भीतरी प्रकोष्ठ के बाहर लटकते रहें

9.18 ग्रीन पेपर सील के मुद्रित कंमाक के नीचे अपना पूरा हस्ताक्षर करें।

9.19 मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता जो अपने हस्ताक्षर करने को ईच्छुक हो उनके हस्ताक्षर पेपर सील पर करवा लें। उन्हें पेपर सील क्रमाक नोट करने की अनुमति दे।

9.20 कंट्रोल यूनिट के परिणाम अनुभाग के आंतरिक प्रकोष्ठ के दरवाजे को विशेष टैग से सील करें।

9.21 नियंत्रण यूनिट के परिणाम अनुभाग के बाहरी द्वार को बंद करें और इसे एक एड्रेस टैग और परिणाम अनुभाग के बाहरी द्वार से बाहर निकले हुए स्वयं चिपकने वाले ग्रीन पेपर सील के सिरो को चिपकाकर सील बंद करें।

9.22 कंट्रोल यूनिट के परिणाम अनुभाग के बाहरी द्वार पर लगे एड्रेस टैग पर मतदान अभिकर्ताओं को अपनी सील लगाने की अनुमति दें। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को ऐड्रेस के साथ सील कर सुरक्षित करें।

9.23 आपस में जुड़े केबल को इस प्रकार रखें कि मतदाता को मतदान केंद्र के अंदर आने जाने में व्यवधान न हो एवं लांघना ना पड़े या फिसले नहीं लेकिन केबल की सम्पूर्ण लंबाई दिखती रखें एवं किसी भी हालत में कपड़े या टेबल के नीचे छिपे नहीं होने चाहिए।

9.24 उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को प्रदर्शित करें कि निर्वाचन नामावली चिन्हित प्रति में **'PB & EDC'** के अलावा कोई प्रविष्टि नहीं हैं।

9.25 यह भी दिखाए कि मतदाता रजिस्टर (प्ररूप– 17A) में पूर्व से कोई प्रविष्टि नहीं हैं।

9.26 मतदान प्रारंभ होने से पूर्व घोषणा को पढ़े एवं हस्ताक्षर करें।

9.27 अनिवार्यतः नियत समय पर मतदान प्रारंभ करें। प्रथम मतदाता के मतदाता रजिस्टर प्ररूप– 17A पर हस्ताक्षर से पूर्व मतदान अधिकारी –I पीठासीन के साथ मिलकर जाँच करेगा तथा प्ररूप– 17A में स्याही में दर्ज करेगा "कंट्रोल यूनिट के योग को जाँच कर लिया गया हैं और जीरो (शून्य) पाया गया हैं।

9.28 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 जोर से पढ़कर मतदान केंद्र पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सुनाये एवं चेतावनी दे की हर हालत में मतदान की गोपनीयता बनाये रखना अनिवार्य हैं।

9.29 किसी नियत समय पर मतदान केंद्र में चुनाव लड़ने वाले एक अभ्यर्थी का एक ही मतदान अभिकर्ता उपस्थित रहेगा।

9.30 सुनिश्चित करे कि मतदान स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो।

9.31 आयोग के द्वारा नियुक्त प्रेक्षक से शिष्टाचार और सम्मान से पेश आये एवं उनके द्वारा चाही गयी जानकारी उपलब्ध कराये। आपके मतदान केंद्र पर उपस्थित माइको प्रेक्षक को वही शिष्टाचार व सम्मान दें।

9.32 मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर प्रचार करना अपराध है। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल का उपयोग करना निषिध्द है पीठासीन अधिकारी के रूप में आप या आपके प्रथम मतदान अधिकरी SMS / Whatsapp के द्वारा रिपोर्ट भेजने के लिये इसका प्रयोग कर सकते हैं।

9.33 मतदान केंद्र में धूम्रपान करना पूर्णतः निषिद्ध हैं।

9.34 किसी भी प्रसिध्द एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति को जो वोट डालने आये हों, विशेष महत्व न दें।

9.35 मतदान अधिकारियों के कर्तव्य, जहाँ एक पीठासीन अधिकारी तथा तीन मतदान अधिकारी है, निम्नांकित है :

प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति रखेगा और मतदाता की पहचान करने के लिए उत्तरदायी होगा। उसके द्वारा नामावली मे मुद्रण एवं लिपकीय त्रुटि को नजर अंदाज करना पड़ेगा। द्वितीय मतदान अधिकारी के पास अमिट स्याही एवं मतदाता रजिस्टर होगा। वह मतदाता के बांये हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लागायेगा, मतदाता का क्रम मतदाता रजिस्टर के स्तम्भ (2) में प्रविष्ट करेगा एवं पहचान हेतु प्रयुक्त दस्तावेज का नाम लिखेगा। मतदाता को मतदान पर्ची जारी करने से पहले उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा। तृतीय मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा। मतदाता से मतदाता पर्ची लेगा, बायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही की जाँच करेगा तथा अंत में कंट्रोल यूनिट का 'बैलेट' बटन दबाकर मतदान प्रकोष्ट के अंदर रखे बैलेट यूनिट को तैयार करेगा और मतदाता को मतदान प्रकोष्ट में जाने एवं बैलेट यूनिट पर अपने पसंद के नीले बटन को दबाकर वोट डालने के लिए अनुज्ञात करेगा।

9.36 एक साथ होने वाले निर्वाचन में मतदान अधिकारियों के कर्तव्य, जब मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी एवं पांच मतदान अधिकारी हों, निम्नानुसार हैः प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता को पहचानने के लिए अधिकृत होगा तथा निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा। द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही एवं मतदाताओं के रजिस्टर का प्रभारी होगा। तृतीय मतदान अधिकारी मतदाता पर्चियों का प्रभारी होगा। चतुर्थ मतदान अधिकारी लोकसभा निर्वाचन के कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा। पांचवा मतदान अधिकारी विधानसभा निर्वाचन के लिए कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा।

9.37 मतदाताओं को ठीक उसी क्रम में वोट डालने के लिए अनुमति दें करें जिस क्रम में मतदाता रजिस्टर पर उनके नाम दर्ज हैं। उन्हें वोट डालने की अनुमति तब तक प्रदान नही करें, जब तक उन्होंने अपने हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान मतदाता रजिस्टर पर नहीं लगाएं हैं।

9.38 किसी मतदाता की पहचान की चुनौती तब तक न स्वीकार करें जब तक चुनौतीकर्ता दो रूपये नकद जमा नहीं करता है। ऐसे अभ्याक्षेपित मतों का रिकार्ड प्ररूप 14 में दर्ज करें। यदि चुनौती सही स्थापित हो जाती है, तो व्यक्ति को लिखित शिकायत के साथ पुलिस को सौंप दें।

9.39 दृष्टिहीन एवं शिथिलांग मतदाताओं के साथी से अपेक्षित घोषणा प्राप्त करें। ऐसे मतदाताओं के रिकार्ड प्ररूप 14A में संधारित करें।

9.40 यदि आप किसी मतदाता की उम्र वोटिंग उम्र अर्थात 18 वर्ष से बहुत कम मानते है परन्तु उसकी पहचान से संतुष्ट हैं, तो आप उसकी उम्र के संबंध में घोषणा प्राप्त कर लें। उसकी पात्रता के विषय में कोई प्रश्न न करें।

9.41 किसी भी मतदाता को, जिसका विवरण मतदाता रजिस्टर में अंकित कर लिया गया है उसके उपरांत वह निश्चय करता है कि वोट नहीं डालेगा, तो उसे बाध्य या जबरदस्ती न करें। इस आशय की प्रविष्टि रजिस्टर में उस मतदाता के 'रिमार्क' स्तंम्भ में दर्ज करें।

9.42 रजिस्टर के स्तम्भ 1 के क्रम में संशोधन नहीं करें, यदि कोई मतदाता मत नहीं डालने का निश्चय करता है।

9.43 यदि कोई मतदाता मतदान केन्द्र पर उपस्थित होता है जबकि उसके नाम पर कोई और व्यक्ति वोट डाल चुका है और आप उसकी पहचान से संतुष्ट है, तो ऐसी स्थिति में मतदाता को निविदत्त मतपत्र के द्वारा मत डालने की अनुमति दें। उसे वोटिंग मशीन में अपना वोट दर्ज करने की अनुमति न दें।

9.44 ऐसे मतदाताओं के रिकॉर्ड संधारित करें जिन्हें निविदत्त मतपत्र जारी किए गए हैं। ऐसे रिकॉर्ड का संधारण प्ररूप 17B में किया जावेगा। प्ररूप 17B की सूची एवं निविदत्त मत पत्रों को पृथक लिफाफे में रखें।

9.45 ऐसे मतदाता जो आपके चेतावनी देने के बाद भी मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता का पालन करने से इंकार करता है ऐसे मतदाता को मत देने के लिए अनुमति नहीं दें।

9.46 मतदाता रजिस्टर में 'रिमार्क' कॉलम (स्तम्भ) में उससे संबंधित इस आशय की प्रविष्टि दर्ज करें। ऐसे मतदाता (निर्वाचक) के कारण मतदाता रजिस्टर की कॉलम 01 के क्रम संख्या में कोई परिवर्तन न करें।

9.47 यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदान समाप्ति के नियत समय पर जो मतदाता वोट डालने पंक्ति में खड़े है, अपना वोट दर्ज कर सके, उन सभी मतदाताओं को आपके द्वारा हस्ताक्षरित क्रम संख्याक पर्ची मतदान समाप्त होने के कुछ मिनिट पूर्व, पंक्ति के अंत से शुरू करते हुए बांट दें।

9.48 सभी व्यक्ति जिन्हें ऐसी पर्चियां प्रदान की गयी है को अपना मत डालनें दें, भले ही मतदान समाप्ति के नियत समय के उपरांत भी मतदान जारी रखना पड़े।

9.49 प्रारूप 17 A (मतदाता रजिस्टर) में दर्ज मतों की संख्या एवं कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतों की संख्या से मिलान करने के लिए **"टोटल"** के बटन को दबाएं।

9.50 अंतिम मतदाता के मत डालने के पश्चात् औपचारिक रूप से मतदान समाप्ति की घोषणा कर दें।

9.51 मतदान मशीन को बंद करने के लिए **"क्लोज"** बटन के रबर कैप को हटाए एवं नियंत्रण यूनिट के "क्लोज" बटन को दबाए। "क्लोज" बटन को इस तरह से दबाने के बाद रबर कैप पुनः लगा दें। **पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के भाग–III (अनुलग्नक–5)** तैयार करें।

9.52 मतदान समाप्त होने के उपरांत कण्ट्रोल यूनिट के पिछले प्रकोष्ठ में स्थित पावर स्विच को बंद करें तथा बैलेट यूनिट वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट पृथक कर दें।

9.53 पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में वीवीपैट के पावर पैक (बैटरी) को हटायेंगे। पावर पैक (वीवीपैट) को हटाने के उपरांत वीवीपैट के कैरियिंग केस को सीलबंद (मुहरबंद) करें (ईसी आई निर्देश) दिनांक 09 अपैल, 2019– वीवीपैट में पावर पैक (बैटरी) के उपयोग संबंधी अनुदेश (निर्देश)।

9.54 कण्ट्रोल यूनिट, वीवीपैट तथा बैलेट यूनिटों को क्रमशः उनके सम्बन्धित वहन बक्सों में रखें।

9.55 प्रत्येक कैरियिंग केस में मजबूती से ऐड्रेस टैग बांध कर कैरियिंग केस के दोनों सिरों को मुहर बंद कर दें।

9.56 प्ररूप 17C में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा तैयार करें।

9.57 निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं को 'रिकार्ड किए गए मतों का लेखा' की अभिप्रमाणित प्रतियां प्रदान करें। इस आशय की घोषणा विहित घोषणा प्रपत्र में करें।

9.58 मतदान केन्द्र में उपस्थित निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं को जो अपनी मुहर इन कैरियिंग केस पर लगाना चाहें, उन्हें ऐसा करने की अनुमति प्रदान करें।

9.59 सभी मतदान सामग्रियों या पेपरों को पृथक पैकेट्स में सील बंद करें।

9.60 लिफाफों के ऊपर अपनी मुहर (सील) लगाएं जिनमें, (1) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति, (2) मतदाताओं का रजिस्टर, (3) मतदाता पर्चियाँ, (4) प्ररूप 17B में प्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों तथा मतपत्रों की सूची एवं, (5) अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र; रखे गए है।

9.61 इन सभी लिफाफों पर भी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं को अपनी मुहर लगाने के लिये अनुज्ञात करें, यदि उनकी इच्छा हो।

9.62 सभी मतदान कागजों एवं सामग्रियों के पैकेट्स को संबंधित पैकेटस में रखें। सामग्री की पैकिंग के लिए अध्याय 7 देखें।

9.63 आपको अपने कर्तव्य से तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा जब तक आप मतदान संबंधित सभी कागजों तथा सामग्री को संग्रहण केन्द्र पर जमा नहीं करते है।

9.64 बिना कोई विलम्ब किये संग्रहण केन्द्र पर वीवीपैट के साथ वोटिंग मशीन तथा अन्य सभी मतदान सामग्रियों को मतदान समाप्ति के पश्चात तत्परता से जमा करें।

9.65 मतदान केन्द्र पर क्रम से घटित संपूर्ण एवं सटीक घटनाओं का विवरण रखने के लिये पीठासीन की डायरी में सही ढंग से समय–समय पर प्रविष्टियाँ करते रहें न कि मतदान के अंत में।

9.66 यदि मतदान केन्द्र पर हिंसा या दंगा हो जाता है तो मतदान स्थगित कर दें। समस्त तथ्यों की जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर को तत्काल भेजें।

9.67 यदि बूथ पर कब्जा होता है या कोई मतदान मशीन या मतदान सामग्री जैसे कि मतदाताओं का रजिस्टर, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति आपके अभिरक्षा से अप्राधिकृत तरीके से छीन कर ले जाते है या क्षतिग्रस्त करते हैं या उपरोक्त सामग्री के साथ छेड़–छाड़ करते हैं, तो मतदान बंद कर दें। समस्त तथ्यों की जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर को तत्काल दें।

9.68 ईवीएम और वीवीपैट का प्रतिस्थापनः

a) वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के पूर्व यदि कोई भी यूनिट दोषपूर्ण (खराब) पाया जाता है तो केवल दोषपूर्ण यूनिट को प्रतिस्थापित करेंगें। मॉकपोल नई यूनिट के साथ पूर्ण किया जायेगा। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के भाग–IV को तैयार किया जायेगा एवं SO को दिया जायेगा।

b) पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट की भाग–I प्रत्येक मॉक पॉल के उपरांत तैयार किया जायेगा।

c) यदि वास्तविक मतदान के दौरान सी. यू. की बैटरी (पॉवरपैक) बदला जाता है, तो पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग–II तैयार किया जायेगा। इस स्थिति में कोई मॉक पॉल कराने की आवश्यकता नहीं।

d) यदि वीवीपैट या वीवीपैट की बैटरी (पावरपैक) वास्तविक मतदान के दौरान खराब (दोषपूर्ण) पाई जाती है, तो केवल वीवीपैट या वीवीपैट की बैटरी (पावरपैक) को बदला जाएगा। इस स्थिति में किसी मॉकपॉल की आवश्यकता नहीं है। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग–V तैयार किया जावेगा और SO को दिया जायेगा।

e) यदि बीयू या सीयू वास्तविक मतदान के दौरान दोषपूर्ण पाया जाता है, तो बीयू, सीयू, वीवीपैट का संपूर्ण सैट बदला जायेगा। नये सैट के साथ नोटा सहित सभी अभ्यर्थियों को केवल एक वोट (मत) डालकर मॉकपॉल पूर्ण किया जायेगा। पीठासीन अधिकारी की रिपार्ट का भाग–I तथा भाग–V तैयार किया जाएगा और भाग–V, SOको सौंपा जायेगा।

9. एः सामान्य त्रुटियाँः

पीठासीन अधिकारियों द्वारा ईवीएम/वीवीपैट के संचालन के अलावा अन्य त्रुटियाँः

- मॉकपॉल संचालन के उपरांत सीआरसी (CRC) नहीं किया गया।
- मॉकपॉल की पर्चियाँ नहीं हटायी गयी।
- वास्तविक मतदान समाप्ति के उपरांत **"क्लोज"** बटन नहीं दबाया गया।
- जब केवल वीवीपैट को प्रतिस्थापित (बदला) किया गया, मॉकपॉल का संचालन किया गया, जिसकी अनुमति नहीं थी।
- 17C जमा नहीं किया गया। या अपूर्ण विवरण के साथ 17C जमा किया।
- मतदान का रिपोर्ट सही (उचित) ढंग से नहीं दिया गया। कुल कितने वोट दर्ज (डाले गए) किए गए के स्थान पर मतदान केन्द्र पर आवंटित कुल मतदाताओं की संख्या का उल्लेख किया गया। पुरूष एवं महिला मतदाताओं की संख्या का उल्लेख न होना।
- अनावश्यक रूप से ईवीएम, वीवीपैट को प्रतिस्थापित कियागया, उदाहरण के तौर पर इकाईयों के बीच ठीक से संयोजन नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ईवीएम को प्रतिस्थापित किया गया।
- मतदान समाप्ति पर ईवीएम, वीवीपैट के कैरियिंग केस के एड्रेस टैग को ना ही बांधा गया और ना ही मुहर बंद किया गया।

9. बीः क्या करें और क्या न करें।

9.बी.1. वीवीपैट के उपयोग के समय क्या करें एवं क्या न करें।

Dos क्या करें	DON's क्या न करें
परिवहन के पूर्व सुनिश्चित करें कि पेपर रोल नॉब लॉक (बन्द) (होरीजोन्डल पोजीशन – क्षैतिज स्थिति) में है।	
मतदान केन्द्र में सीयू को स्विच ऑन करने के पूर्व पेपर रोल नॉब (ऊर्ध्वाधर स्थिति) को खोले।	वीवीपैट पेपर रोल नॉब अनलॉक स्थिति (ऊर्ध्वाधर स्थिति) में होने से पूर्व सीयू को स्विच ऑन न करें।

वोटिंग कम्पार्टमेंट में बीयू तथा वीवीपैट को रखें। सीयू कोPO के टेबल पर रखें	
रंग संयोजन के आधार पर सही संयोजन (कनेक्शन) स्थापित करें।	वीवीपैट पर सीधी प्रकाश या उच्च तीव्रता का प्रकाश न पड़ने दें।
सुनिश्चित करें कि कनेक्टर्स सही से लगाए गए है	कनेक्टर्स के क्लिप्स को दबाए बिना केबल को न हटाएं।
सीयू को स्विच ऑन करें, वीवीपैट पर ग्रीन एलइडी चमकता है और वीवीपैट सभी 7 पर्चियाँ प्रिंट करता है।	सीयू को तब तक ऑफ न करें जब तक सभी 7पर्चियां प्रिंट होती हैं तथा कट के गिरती हैं।
सीयू पर किसी "ERROR"संदेश की जांच करें। सेक्टर ऑफीसर (SO) को "ERROR" प्रदर्शित होने की स्थिति में सूचित करें।	सीयू पर "PRINTER ERROR" संदेश की स्थिति में मतदान प्रारंभ न करें।
किसी भी कनेक्शन (संयोजन) या डिसकनेक्शन (विच्छेद, पृथक करना) या पावर पैक बदलना हमेशा सीयू का स्विच ऑफ करके, करें।	पेपर रोल नॉब को मतदान के अन्त जिसमे बैटरी बदलना भी सम्मिलित है न चलाएं।

नोटः

सीयू के डिसप्ले पैनल पर वीवीपैट से संबंधित संदेश प्रदर्शित होता हैं।

9.बी. 2 वीवीपैट के अतिरिक्त और "क्या करें" या "क्या न करें"

Dos क्या करें	DON's क्या न करें
सभी प्रशिक्षण प्राप्त करें।	पुलिस या अन्य किसी की अभिरक्षा में मतदान सामग्री न छोड़ें।
दी गई सभी सामग्री को पढ़ें	अभिकर्ताओं को मतदान केन्द्र पर फोन या कैमरा या अन्य इलेक्ट्रोनिक गैजेट्स लाने की अनुमति न दें।
EVMsका (व्यवहारिक) अनुभव प्राप्त करें।	मतदाताओं को फोन, कैमरा या इलेक्ट्रोनिक गैजेट्स लेकर मतदान केन्द्र पर आने की अनुमति न दें
पोस्टल बैलट सुविधा/ईडीसी (EDC) का उपयोग करें।	मतदान कर्मियों के साथ बहस न करने दें।
वितरण केन्द्र पर सामग्री का सत्यापन (जांच) सावधानी पूर्वक करें।	मतदान केंद्र के अन्दर आग जलाने की अनुमति किसी को भी नहीं दें।
मतदान दिवस की पूर्व रात्रि में मतदान केन्द्र में ठहरें	मतदान केन्द्र में किसी अभिकर्ता को प्रचार करने की अनुमति नहीं दें।
मतदान केन्द्र में राजनीतिक नेताओं की तस्वीरों को ढँक दें या हटा दें।	किसी को भी प्रचार सामग्री या पोशाक में मतदान केन्द्र के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दें।
मतदान के पूर्व की प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारंभ और पूर्ण करें।	प्रेस फोटोग्राफर्स को तस्वीरें खींचने की अनुमति नहीं दें।
टीम के रूप में काम करें तथा सहयोग करते रहे।	किसी बहस में न पड़ें।
निष्पक्ष रहें और निष्पक्ष दिखें भी।	अभिकर्ताओं के साथ परिणाम या वोटिंग ट्रेंड्स पर बातचीत न करें।
मतदान अभिकर्ता मतदान केन्द्र का एक मतदाता है की सत्यापित (जाँच) कर लें।	अभ्यर्थियों या चुनाव अभिकर्ताओं को मतदान केन्द्र के अंदर गनमैन या समर्थकों के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं दे।
उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को मुहरों (सील्स) पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दें।	आने वाले अभ्यर्थियों या निर्वाचन अभिकर्ताओं में मतदान प्रक्रिया को व्यवधान न डालने दें।
सीयू को सीलबंद करने से पूर्व "CRC"(सी आर सी) पूर्ण करें।	जब तक बुलाया नहीं जाता तब तक मतदान केन्द्र में पुलिस को प्रवेश की अनुमति नहीं दें।
प्ररूप 17Cकी कॉपी सभी मतदान अभिकर्ताओं को दे।	अप्राधिकृत व्यक्तियों जिसमें मंत्रीगण भी शामिल हैं, को मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दें।
विजिटर शीट तैयार रखें	जब कोई मतदाता अपना मत दर्ज (डाल रहा) कर रहा हो, तो,उस समय किसी को भी मतदान प्रकोष्ठ में जाने की अनुमति नहीं दें।
पीठासीन अधिकारी (PrO) की डायरी अति सावधानीपूर्वक भरें।	अभिकर्ता को साथी बनने की अनुमति नहीं प्रदान करें।
प्राधिकृत विजिटर्स (आगन्तुकों) को ससम्मान वांछित जानकारियाँ प्रदान करें एवं मतदान को जारी रखें।	मतदान समाप्ति के नियत घंटो के उपरांत किसी को भी पंक्ति में लाईन (Que) न लगने दें।
निर्धारित घंटों में मतदान समाप्त करें तथा समस्त प्रक्रियाओं का अनुसरण करें	जल्दीबाजी न करें। जल्दीबाजी करने से कार्य में गलतियाँ (त्रुटियाँ) होती हैं।

खण्ड–II

अनुलग्नक

अनुलग्नक – 1
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से उद्धरण

(अध्याय– 1 पैरा 1.1)

नोटः– अनुलग्नक–1 (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से उद्धरण) और अनुलग्नक–2 (चुनाव संचालन नियम, 1961 से उद्धरण) में उल्लिखित सभी बिंदुओं को किसी भी संबंध में धारा 61 ए के स्पष्टीकरण के संदर्भ में पढ़ा जा सकता है। ईवीएम मशीन और वीवीपैट को शामिल करने के कारण बदलाव किया गया है।

26. मतदान केन्द्रों के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति –

(1) जिला निर्वाचन अधिकारी हर एक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी और ऐसे मतदान अधिकारी या ऐसे मतदान अधिकारियों को, जैसे वह आवश्यक समझे, नियुक्त करेगा, किन्तु वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जो निर्वाचन में या निर्वाचन की बाबत किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा उसके लिए काम करता रहा है।

परन्तु यदि मतदान केन्द्र से मतदान अधिकारी अनुपस्थित है तो पीठासीन अधिकारी उस व्यक्ति से भिन्न, जो निर्वाचन में या निर्वाचन की बाबत किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा उसके लिए काम करता रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मतदान केन्द्र में उपस्थित है, पूर्व कथित अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान मतदान अधिकारी होने के लिए नियुक्त कर सकेगा और जिला निर्वाचन अधिकारी को तद्नुसार इत्तिला देगा।

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा की कोई भी बात जिला निर्वाचन अधिकारी को एक ही व्यक्ति को एक ही परिसर में के एक से अधिक मतदान केन्द्रों के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने से निवारित न करेगी।

(2) यदि मतदान अधिकारी पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए निर्दिष्ट किया जाए तो वह इस अधिनियम के या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों के अधीन पीठासीन अधिकारी के सब या, किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा।

(3) यदि पीठासीन अधिकारी रुग्णता या अन्य अपरिवर्जनीय हेतुक के कारण मतदान केन्द्र से स्वयं अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य हो जाए तो उसके कृत्यों का पालन ऐसे मतदान, अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे जिला निर्वाचन आफिस, ने किसी ऐसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कृत्यों के पालन के लिए पहले से ही प्राधिकृत किया है।

(4) इस अधिनियम में पीठासीन अधिकारी के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उस किसी कृत्य का पालन करने वाला कोई व्यक्ति आता है जिस कृत्य का पालन करने के लिए वह यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन प्राधिकृत है, यह समझा जाएगा।

27. पीठासीन अधिकारी का साधारण कर्तव्य –

मतदान केन्द्र में व्यवस्था बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि मतदान ऋजुता से हो मतदान केन्द्र में के पीठासीन अधिकारी का साधारण कर्तव्य होगा।

28. मतदान अधिकारी के कर्तव्य –

मतदान केन्द्र के मतदान अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे केन्द्र के पीठासीन अधिकारी की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करें।

28क. रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, आदि को निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझना–

किसी निर्वाचन के संचालन के लिए रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और इस भाग के अधीन नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, और किसी राज्य सरकार द्वारा तत्समय पदाभिहित कोई पुलिस अधिकारी, उस अवधि के लिए, जो ऐसे निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना की तारीख से प्रारंभ होती है और ऐसे निर्वाचन के परिणामों के घोषित किए जाने की तारीख को समाप्त होती है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे और तद्नुसार ऐसे अधिकारी उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे।

46. मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति–

निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता इतनी संख्या में अभिकर्ता और अवमुक्ति अभिकर्ता विहित रीति में नियुक्त कर सकेगा जितनी धारा 25 के अधीन उपबंधित हर एक मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियत स्थान में ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए विहित की जाए।

48. मतदान अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु–

(1) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का कोई प्रतिसंहरण अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, और उस तारीख से प्रवर्तित होगा जिस तारीख को वह ऐसे अधिकारी के पास, जैसा विहित किया जाए, दाखिल किया गया है और मतदान के बंद होने के पूर्व ऐसे प्रतिसंहरण की या मतदान अभिकर्ता की मृत्यु की दशा में, अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतदान बन्द होने से पूर्व किसी भी समय दूसरा मतदान अभिकर्ता विहित रीति में नियुक्त कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की सूचना विहित रीति में ऐसे अधिकारी को तत्क्षण देगा जैसा विहित किया जाए।

(2) गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का कोई भी प्रतिसंहरण अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और उस तारीख से प्रवर्तित होगा जिस तारीख को वह रिटर्निंग अधिकारी के पास दाखिल किया गया है और मतों की गणना के प्रारम्भ होने से पूर्व ऐसे प्रतिसंहरण की या गणन अभिकर्ता की मृत्यु की दशा में अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतों की गणना के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी भी समय दूसरा गणन अभिकर्ता विहित रीति में नियुक्त कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की सूचना रिटर्निंग अधिकारी को विहित रीति में तत्क्षण देगा।

49. मतदान अभिकर्ताओं और गणन अभिकर्ताओं के कृत्य–

(1) मतदान अभिकर्ता मतदान से संसक्त ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा जैसा कि मतदान अभिकर्ता द्वारा पालन किया जाना इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत है।

(2) गणन अभिकर्ता मतों की गणना से संसक्त ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा जैसा कि गणन अभिकर्ता द्वारा पालन किया जाना इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत है।

50. निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की मतदान केन्द्रों में हाजिरी और मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के कृत्यों का उसके द्वारा पालन–

(1) हर ऐसे निर्वाचन में, जिसमें मतदान होता है ऐसे निर्वाचन में के हर एक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, और उसके निर्वाचन अभिकर्ता का यह अधिकार होगा कि वह मतदान के लिए धारा 25 के अधीन उपबंधित किसी भी मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियत किसी भी स्थान में उपस्थित रहे।

(2) निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता स्वयं वह कार्य या बात कर सकेगा जिसे यदि ऐसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या कोई मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता नियुक्त किया गया होता तो वह उसे करने के लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत होता या ऐसे निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी, के किसी भी मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता की किसी ऐसे कार्य या बात करने में सहायता कर सकेगा।

51. मतदान या गणन अभिकर्ताओं की गैरहाजिरी–

जहां कि कोई कार्य या बात मतदान या गणन अभिकर्ता की उपस्थिति में किए जाने के लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है, वहां उस प्रयोजन के लिए नियत समय और स्थान पर किसी ऐसे अभिकर्ता या अभिकर्ताओं की गैरहाजिरी उस किए गए कार्य या बात को, यदि वह कार्य या बात अन्यथा सम्यक् रूप से की गई, अविधिमान्य नहीं करेगी।

57. आपात स्थिति में मतदान का स्थगन–

(1) यदि निर्वाचन में धारा 25 के अधीन उपबन्धित किसी मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियत स्थान में कार्यवाहियों में बलवे या खुली हिंसा के द्वारा विघ्न या बाधा पड़ जाए या यदि निर्वाचन में किसी मतदान केन्द्र या ऐसे स्थान में किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण या किसी अन्य पर्याप्त हेतुक से मतदान होना संभव नहीं है, तो, यथास्थिति, ऐसे मतदान केन्द्र के लिए पीठासीन अधिकारी या ऐसे स्थान में पीठासीन रिटर्निंग अधिकारी मतदान को ऐसी तारीख तक के लिए स्थगित किए जाने का आख्यापन करेगा जो तत्पश्चात् अधिसूचित की जाएगी और जहां कि मतदान पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसे स्थगित किया जाता है, वहां वह रिटर्निंग अधिकारी को तत्क्षण इत्तिला देगा।

(2) जब कभी मतदान उपधारा (1) के अधीन स्थगित किया जाए तब रिटर्निंग अधिकारी परिस्थितियों की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी और निर्वाचन आयोग को अविलम्ब करेगा और वह निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से यथाशक्य शीघ्र वह दिन नियत करेगा जिसको मतदान पुनः प्रारम्भ होगा और वह मतदान केन्द्र या स्थान जहां, और वह समय जिसके भीतर मतदान होगा, नियत करेगा और ऐसे निर्वाचन में दिए गए मतों की गणना तब तक न करेगा जब तक ऐसा स्थगित मतदान पूरा न हो गया हो।

(3) रिटर्निंग अधिकारी यथापूर्वोक्त हर मामले में, मतदान के लिए वह तारीख, स्थान और समय, जो उपधारा (2) के अधीन नियत की गई या किया गया है, ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे।

61क. निर्वाचनों में मतदान मशीनें –

इस धारा के अधीन या इसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, मतदान मशीनों से ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, मत देना और अभिलिखित करना ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अंगीकार किया जा सकेगा जो निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिए "मतदान मशीन" से अभिप्रेत है मत देने या अभिलिखित करने के लिए प्रयुक्त कोई मशीन या उपकरण चाहे वह इलैक्ट्रानिकी द्वारा या अन्यथा प्रचालित हों और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए, नियमों में मतपेटी या मतपत्र के प्रति किसी निर्देश का अर्थ, जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस प्रकार लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत जहां कहीं ऐसी मतदान मशीन का किसी निर्वाचन में प्रयोग होता है, ऐसी मतदान मशीन के प्रति निर्देश है।

62. मत देने का अधिकार–

(1) कोई भी व्यक्ति जिसका नाम किसी निर्वाचन–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय प्रविष्ट नहीं है उस निर्वाचन क्षेत्र में मत देने का हकदार न होगा और हर व्यक्ति जिसका नाम किसी निर्वाचन–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय प्रविष्ट है इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्टतः उपबंधित के सिवाय उस निर्वाचन–क्षेत्र में मत देने का हकदार होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन में मत न देगा यदि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 16 में निर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी के अध्यधीन है।

(3) कोई भी व्यक्ति साधारण निर्वाचन में एक ही वर्ग के एक निर्वाचन क्षेत्र से अधिक में मत न देगा और यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में मत दे, तो ऐसे सब निर्वाचन क्षेत्रों में के उसके मत शून्य होंगे।

(4) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार इस बात के होते हुए भी, मत न देगा कि उसका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत है और यदि वह ऐसे मत दे देता है, तो उस निर्वाचन क्षेत्र में उसके सब मत शून्य होंगे।

(5) कोई भी व्यक्ति, किसी निर्वाचन में मत नहीं देगा यदि वह कारावास या निर्वासन के दण्डादेश के अधीन या अन्यथा कारावास में परिरुद्ध है या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में है।

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन निवारक निरोध के अध्यधीन व्यक्ति को लागू न होगी।

(6) उपधारा (3) और उपधारा (4) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी मतदाता की ओर से, जहां तक वह ऐसे मतदाता की ओर से परोक्षी के रूप मे मत देता है, परोक्षी के रूप में मत देने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

128. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना–

(1) ऐसा हर अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा।

परन्तु इस उपधारा के उपबंध ऐसे अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति को, जो राज्य सभा में किसी स्थान या स्थानों को भरने के लिए किसी निर्वाचन में ऐसे किसी कर्तव्य का पालन करता है, लागू नहीं होंगे।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

129. निर्वाचनों में अधिकारी आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य न करेंगे और न मत दिए जाने में कोई असर डालेंगे–

(1) जो कोई जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर या, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर है या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान अधिकारी है या ऐसा अधिकारी है या लिपिक है जिसे रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी ने निर्वाचन से संसक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त किया है वह निर्वाचन के संचालन या प्रबंध में (मत देने से भिन्न) कोई कार्य अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए न करेगा।

(2) यथापूर्वोक्त कोई भी व्यक्ति और पुलिस बल का कोई भी सदस्य–

(क) न तो किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिए मनाने का ; और न

(ख) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत न देने के लिए मनाने का ; और न

(ग) निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मत देने में किसी रीति के असर डालने का, प्रयास करेगा।

(3) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

130. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट मत संयाचना का प्रतिषेध–

(1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख को या उन तारीखें को, जिसको या जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है, मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र से एक सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य न करेगा, अर्थात्:–

(क) मतों के लिए संयाचना ;

(ख) किसी निर्वाचक से उनके मत की याचना करना ;

(ग) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत न देने के लिए किसी निर्वाचक को मनाना ;

(घ) निर्वाचन में मत न देने के लिए निर्वाचक को मनाना ; और

(ङ) निर्वाचन के संबंध में (शासकीय सूचना से भिन्न) कोई सूचना संकेत प्रदर्शित करना।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो ढाई सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

131. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट विच्छृंखल आचरण के लिए शास्ति –

(1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख या उन तारीखों को जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है

(क) मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युत्पादन के लिए कोई मेगाफोन या ध्वनि विस्तारक जैसा उपकरण मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे न तो उपयोग में लाएगा और न चलाएगा ; और न

(ख) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में के किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे चिल्लाएगा या विश्रृंखलता से ऐसा कोई अन्य कार्य करेगा, कि मतदान के लिए मतदान केन्द्र में आने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या मतदान केन्द्र में कर्तव्यारूढ़ अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों के काम में हस्तक्षेप हो।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह किसी पुलिस अधिकारी को निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करे और पुलिस अधिकारी उस पर उसे गिरफ्तार करेगा।

(4) कोई पुलिस अधिकारी ऐसे कदम उठा सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जैसे या जैसा उपधारा (1) के उपबंधों में किसी उल्लंघन का निवारण करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है और ऐसे उल्लंघन के लिए उपयोग में लाए गए किसी उपकरण को अभिगृहीत कर सकेगा।

132. मतदान केन्द्र के अवचार के लिए शास्ति –

(1) जो कोई व्यक्ति किसी मतदान केन्द्र में मतदान के लिए नियत घंटों के दौरान स्वयं अवचार करता है या पीठासीन अधिकारी के विधिपूर्ण निदेशों के अनुपालन में असफल रहता है, उसे पीठासीन अधिकारी, कर्तव्यारूढ़ कोई पुलिस अधिकारी या ऐसे पीठासीन अधिकारी द्वारा एतन्निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र से हटा सकेगा।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियां ऐसे प्रयुक्त न की जाएंगी जिससे कोई ऐसा निर्वाचक, जो मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अन्यथा हकदार है, उस केन्द्र में मतदान करने का अवसर पाने से निवारित हो जाए।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र से ऐसे हटा दिया गया है, पीठासीन अधिकारी की अनुज्ञा के बिना मतदान केन्द्र में प्रवेश करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

132क. मतदान करने के लिए प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति –

यदि कोई व्यक्ति जिसे कोई मतपत्र जारी किया गया है, मतदान करने के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने से इंकार करता है तो, उसको जारी किया गया मतपत्र रद्द किया जा सकेगा।

133. निर्वाचनों में प्रवहण के अवैध रूप से भाड़े पर लेने या उपाप्त करने के लिए शास्ति–

यदि कोई व्यक्ति, निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किसी ऐसे भ्रष्ट आचरण का दोषी है जो धारा 123 के खंड (5) में विनिर्दिष्ट है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

134. निर्वाचनों से संसक्त पदीय कर्तव्य के भंग–

(1) यदि कोई व्यक्ति, जिसे यह धारा लागू है, अपने पदीय कर्तव्य के भंग में किसी कार्य या लोप का युक्तियुक्त हेतुक के बिना दोषी होगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा (क) उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(2) यथापूर्वोक्त किसी कार्य या लोप की बाबत नुकसानी के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ न होगी।

(3) वे व्यक्ति, जिन्हें यह धारा लागू है या हैं, (जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी) सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन प्राप्त करने या अभ्यर्थिताएं वापस लेने या निर्वाचन में मतों का अभिलेख करने या गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, तथा "पदीय कर्तव्य" पदावली का अर्थ इस धारा के प्रयोजनों के लिए तदनुसार लगाया जाएगा किन्तु इसके अन्तर्गत वे कर्तव्य न होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित होने से अन्यथा अधिरोपित हैं।

134क. निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शास्ति–

यदि सरकार की सेवा में का कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

134ख. मतदान केन्द्र में या उसके निकट आयुध लेकर जाने का प्रतिषेध –

(1) रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी और किसी पुलिस अधिकारी से तथा मतदान केन्द्र पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से, जो मतदान केन्द्र पर कर्तव्यारूढ़ है, भिन्न कोई व्यक्ति, मतदान के दिन मतदान केन्द्र के आस–पास आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) में परिभाषित किसी प्रकार के आयुधों से सज्जित होकर नहीं जाएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(3) आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है वहां उक्त अधिनियम में परिभाषित ऐसे आयुध, जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होंगे और ऐसे आयुधों के संबंध में दी गई अनुज्ञप्ति उस अधिनियम की धारा 17 के अधीन प्रतिसंहृत की गई समझी जाएगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

135. मतदान केन्द्र से मतपत्रों को हटाना अपराध होगा –

(1) जो कोई व्यक्ति निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतपत्र (अप्राधिकृत रूप से) बाहर ले जाएगा या बाहर ले जाने का प्रयत्न करेगा या ऐसे किसी कार्य के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र छोड़े जाने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी को निर्देश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगा।

परन्तु जब कभी किसी स्त्री की तलाशी कराई जानी आवश्यक हो, तब वह अन्य स्त्री द्वारा शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए, ली जाएगी।

(3) गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास कोई मिला मतपत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा या जब तलाशी पुलिस अधिकारी द्वारा ली गई हो तब उसे ऐसा अधिकारी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

135क. बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध –

(1) जो कोई बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा और जहां ऐसा अपराध सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण–(इस उपधारा और धारा 20ख,) के प्रयोजनों के लिए "बूथ का बलात् ग्रहण" के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ– साथ निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई क्रियाकलाप है, अर्थात् :–

(क) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का अभिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है ;

(ख) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने देना और अन्यों को उसके मतदान करने के अधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने से निवारित करना ;

(ग) किसी निर्वाचक को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रपीड़ित करना या अभित्रस्त करना या धमकी देना और उसे अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने से निवारित करना ;

(घ) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्ति द्वारा मतगणना करने के स्थान का अभिग्रहण करना, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मतों की व्यवस्थित गणना को प्रभावित करता है ;

(ङ) सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए पूर्वोक्त सभी या किसी क्रियाकलाप का किया जाना या किसी ऐसे क्रियाकलाप में सहायता करना या मौनानुमति देना ;

(2) उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

136. अन्य अपराध और उनके लिए शास्तियां–

(1) यदि किसी निर्वाचन में कोई व्यक्ति–

(क) कोई नामनिर्देशन–पत्र कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा अथवा

(ख) रिटर्निंग अधिकारी के प्राधिकार के द्वारा या अधीन लगाई गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करेगा, या नष्ट करेगा या हटाएगा, अथवा

(ग) किसी मतपत्र या किसी मतपत्र पर के शासकीय चिह्न या अनन्यता की किसी घोषणा या शासकीय लिफाफे को, जो डाक– मतपत्र द्वारा मत देने के संबंध में उपयोग में लाया गया है, कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा ; अथवा

(घ) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को कोई मतपत्र देगा या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करेगा या सम्यक् प्राधिकार के बिना उसके कब्जे में कोई मतपत्र होगा ; अथवा

(ङ) किसी मतपेटी में उस मतपत्र से भिन्न, जिसे वह उसमें डालने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, कोई चीज कपटपूर्वक डालेगा ; अथवा

(च) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी मतपेटी या मतपत्रों को, जो निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तब उपयोग में है, नष्ट करेगा, लेगा, खोलेगा या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा ; अथवा

(छ) यथास्थिति, कपटपूर्वक या सम्यक् प्राधिकार के बिना पूर्ववर्ती कार्यों में से कोई कार्य करने का प्रयत्न करेगा या किन्हीं ऐसे कार्यों के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उन कार्यों का दुष्प्रेरण करेगा, तो वह व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषी कोई व्यक्ति :–

(क) यदि वह रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी या मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी या निर्वाचन से संसक्त पदीय कर्तव्य पर नियोजित कोई अन्य अधिकारी या लिपिक है तो, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ;

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है तो, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति पदीय कर्तव्य पर समझा जाएगा जिसका यह कर्तव्य है कि वह निर्वाचन के जिसके अन्तर्गत मतों की गणना आती है, या निर्वाचन के भाग के संचालन में भाग ले या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में उपयोग में लाए गए मतपत्रों और अन्य दस्तावेजों के लिए निर्वाचन के पश्चात् उत्तरदायी रहे किन्तु "पदीय कर्तव्य" पद के अन्तर्गत ऐसा कोई कर्तव्य न होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित किए जाने से अन्यथा अधिरोपित होगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

अनुलग्नक – 2
निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 का सार (extracts)
(अध्याय 1 पैरा 1.1)

टीपः– अनुलग्नक 1 (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से उद्धरण सार) और अनुलग्नक 2 (निर्वाचन संचालन नियम, 1961 से उद्धरण सार) के समस्त प्रावधानों को ईवीएम एवं वीवीपैट के सम्मिलित होने की वजह से धारा 61ए में परिवर्तन की स्थिति यदि कोई है, के स्पष्टीकरण के संदर्भ में पढ़ा जाये।

13. मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति–

(1) जितने मतदान अभिकर्ता धारा 46 के अधीन नियुक्त किए जा सकेंगे, वे एक अभिकर्ता और दो अवमुक्ति अभिकर्ता होंगे।

(2) हर ऐसी नियुक्ति प्ररूप 10 में की जाएगी और यथास्थिति, मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान मे पेश की जाने के लिए मतदान अभिकर्ता को दे दी जाएगी।

(3) जब तक कि किसी मतदान अभिकर्ता ने पीठासीन अधिकारी को उपनियम (2) के अधीन वाली अपनी नियुक्ति की लिखत, उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा को पीठासीन अधिकारी के समक्ष सम्यक् रूप से पूर्ण हस्ताक्षरित करने के पश्चात् परिदत्त न कर दी हो उसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान में प्रवेश न करने दिया जाएगा।

14. मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

(1) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिसंहरण प्ररूप 11 में किया जाएगा और पीठासीन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

(2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता किसी ऐसे प्रतिसंहरण की दशा में नई नियुक्ति मतदान बन्द होने के पहले किसी भी समय नियम 13 में विनिर्दिष्ट रीति से कर सकेगा और हर ऐसे अभिकर्ता को उस नियम के उपबन्ध लागू होंगे।

16. मत प्रसामान्यतः स्वयं दिए जाएंगे–

यथा एतस्मिन्पश्चात् उपबन्धित के सिवाय निर्वाचन में मत देने वाले सब निर्वाचक, यथास्थिति, धारा 25 के अधीन अपने लिए उपबंधित किए गए मतदान केन्द्र में या धारा 29 के अधीन नियत मतदान के स्थान पर स्वयं मत देंगे।

डाक–मतपत्र

17. परिभाषाएं—इस भाग में–

(क) "सेवा नियोजित मतदाता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 60 के खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट है किन्तु इसके अंतर्गत नियम 27ङ में परिभाषित 'अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाता' नहीं है ;

(ख) "विशेष मतदाता" से ऐसे पद का धारक कोई व्यक्ति जिस पद की बाबत यह घोषणा की गई है कि उसको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 20 की उपधारा (4) के उपबंध लागू हैं या ऐसे व्यक्ति की पत्नी अभिप्रेत है, यदि वह व्यक्ति या उसकी पत्नी उक्त धारा की उपधारा (5) के अधीन किए गए कथन के आधार पर निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(ग) "निर्वाचन–कर्तव्यारूढ़ मतदाता" से मतदान अभिकर्ता, कोई मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी या अन्य लोक सेवक अभिप्रेत है जो निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक है और निर्वाचन–कर्तव्यारूढ़ होने के कारण उस मतदान केन्द्र से मत देने में असमर्थ है जहां कि वह मत देने का हकदार है।

18. डाक द्वारा मत देने के हकदार व्यक्ति –

एतस्मिनपश्चात् विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति करने के अध्यधीन रहते हुए निम्नलिखित व्यक्ति, अर्थात्:

(क) संसदीय या सभा निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले निर्वाचन में–

(i) विशेष मतदाता ;

(ii) सेवा नियोजित मतदाता ;

(iii) निर्वाचन–कर्तव्यारूढ़ मतदाता ;

(iv) निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचक ;

(v) निर्वाचन आयोग के दिनांक 16 जुलाई 2020 का निर्णय, निर्वाचन संचालन (संशोधन) नियम, 2019 एवं निर्वाचन संचालन (संशोधन) नियम, 2020 के साथ पढ़ें, जिसमें अनुपस्थित मतदाताओं की निम्नलिखित श्रेणियों को डाक मतपत्र (PB) के माध्यम से मत देने की सुविधा प्रदान की गई है:

- वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष की आयु से अधिक)
- निर्वाचक नामावली में चिन्हित दिव्यांगता वाले व्यक्ति
- कोविड 19 के संदिग्ध एवं प्रभावित व्यक्ति

(ख) परिषद् निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले निर्वाचन में–

(i) निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाता ;

(ii) निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचक ; तथा

(iii) निर्वाचन–क्षेत्र के संपूर्ण या किन्हीं विनिर्दिष्ट भागों में निर्वाचक उस सूरत में जिसमें कि नियम 68 के खंड (ख) के अधीन इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट हों;

(ग) सभा सदस्यों द्वारा किसी निर्वाचन में,

(i) निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचक ; तथा

(ii) सब निर्वाचक उस दशा में, जिसमें कि नियम 68 के खंड (क) के अधीन इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट हों,

20. निर्वाचन कर्तव्यारूढ मतदाताओं द्वारा प्रज्ञापना–

(1) जो निर्वाचन–कर्तव्यारूढ़ मतदाता निर्वाचन में डाक द्वारा मत देना चाहता है वह रिटर्निंग अधिकारी को प्ररूप 12 में आवेदन ऐसे भेजेगा कि वह मतदान की तारीख से कम से कम सात दिन या ऐसी अल्पतर कालावधिसे जैसी रिटर्निंग अधिकारी अनुज्ञात करे, पहले उसके पास पहुंच जाए और यदि रिटर्निंग अधिकारी का समाधान हो जाता है कि आवेदक निर्वाचन–कर्तव्यारूढ़ मतदाता है तो वह उसे एक डाक–मतपत्र जारी कर देगा।

(2) जहां कि ऐसा मतदाता, उस निर्वाचन क्षेत्र में जिसका वह निर्वाचक है, निर्वाचन–कर्तव्यारूढ़ मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी या अन्य लोक सेवक होते हुए (संसदीय या सभा निर्वाचन क्षेत्र में) के निर्वाचन में स्वयं न कि डाक द्वारा मत देना चाहता है, वहां वह रिटर्निंग अधिकारी को प्ररूप 12क में आवेदन ऐसे भेजेगा कि वह मतदान की तारीख से कम से कम चार दिन या ऐसी अल्पतर कालावधि से, जैसी रिटर्निंग अधिकारी अनुज्ञात करे पहले उसके पास पहुंच जाए, और यदि रिटर्निंग अधिकारी का समाधान हो जाता है कि आवेदक उस निर्वाचन–क्षेत्र में निर्वाचन–कर्तव्यारूढ ऐसा लोक सेवक और मतदाता है तो वह–

(क) आवेदक को प्ररूप 12ख में निर्वाचन–कर्तव्य प्रमाणपत्र जारी कर देगा,

(ख) निर्वाचन नामावली की चिह्नित प्रति में उसके नाम के सामने "नि0क0प्र0" (EDC) यह उपदर्शित करने के लिए अंकित करेगा कि उसे निर्वाचन–कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, तथा

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि वह उस मतदान केन्द्र पर, जिस पर वह मत देने के लिए अन्यथा हकदार होता, मत देने के लिए अनुज्ञात न किया जाए।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(विधायी विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 मार्च, 1992

एस.ओ. 230 (E) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात् निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है. अर्थात् –

1. (i) इन नियमों को निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 1992, कहा जाएगा।
   (ii) ये नियम आधिकारिक रूप से राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में (जिन्हें इसमें आगे मुख्य नियम कहा गया है)।
   (क) भाग 4 के शीर्षक के पश्चात् निम्नलिखित अंतः सम्मिलित किया जायेगा, अर्थातः–
   "अध्याय 1 मतपत्र द्वारा मतदान":
   (ख) नियम 28 में शब्दों "इस भाग में" के स्थान पर शब्द "इस अध्याय और अध्याय 2" में प्रतिस्थापित किये जायेंगे
   (ग) नियम 49 के पश्चात निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

49ग. मतदान केन्द्रों में इंतजाम –

(1) हर एक मतदान केन्द्र के बाहर–

   (क) उस मतदान क्षेत्र को, जिसके मतदाता उस मतदान केन्द्र में मत देने के लिए हकदार हैं, और जबकि मतदान क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केन्द्र हैं तब ऐसे हकदार निर्वाचकों की विशिष्टियां, विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना, तथा

   (ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की एक प्रति, संलक्ष्यतः सम्प्रदर्शित की जाएगी।

(2) हर एक मतदान केन्द्र में एक या अधिक मतदान कोष्ठ स्थापित किए जाएंगे जिनमें निर्वाचक संप्रेक्षित हुए बिना अपने मत दे सकेंगे।

(3) रिटर्निंग अधिकारी हर एक मतदान केन्द्र पर एक मतदान मशीन और निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग की प्रतियां और ऐसी अन्य निर्वाचन सामग्री जो मतदान कराने के लिए आवश्यक हो, की व्यवस्था करेगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी, उपनियम (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्वाचन आयोग के पूर्वानुमोदन से एक ही परिसर में अवस्थित दो या अधिक मतदान केन्द्रों के लिए एक सामान्य मतदान मशीन की व्यवस्था करेगा।

49घ. मतदान केन्द्रों में प्रवेश –

पीठासीन आफिसर निर्वाचकों की उस संख्या को विनियमित करेगा जिस संख्या में वे मतदान केन्द्र के अन्दर एक ही समय प्रवेश कर सकेंगे, तथा–

(क) मतदान आफिसर के;
(ख) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ लोक सेवकों के ;
(ग) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के ;
(घ) अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और नियम 13 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए हर एक अभ्यर्थी के एक मतदान अभिकर्ता के;
(ङ) निर्वाचक के साथ गोद वाले बालक के;
(च) अंधे या शिथिलांग निर्वाचक के, जो सहायता के बिना चल–फिर नहीं सकता, साथ वाले व्यक्ति के ; तथा
(छ) ऐसे अन्य व्यक्तियों के जिन्हें रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन आफिसर नियम 49छ के उपनियम (2) नियम 19ज के उपनियम (1) के अधीन नियोजित करे,

49ङ. मतदान के लिए मतदान मशीन का तैयार किया जाना–

(1) मतदान केन्द्र में प्रयुक्त प्रत्येक मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट पर एक ऐसा लेबल लगा होगा जिस परचिह्नित होगा या होगी।

(क) यदि निर्वाचन–क्षेत्र का कोई क्रम संख्यांक हो तो वह और उसका नाम;

(ख) यथास्थिति, मतदान केन्द्र या केन्द्रों का क्रम संख्यांक और नाम;

(ग) यूनिट का क्रम संख्यांक; और

(घ) मतदान की तारीख,

(2) मतदान के प्रारम्भ होने से अव्यवहित पूर्व पीठासीन अधिकारी उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों को यह निर्देशित करेगा कि मतदान मशीन में पहले से ही कोई मत दर्ज नहीं किया गया है और उस पर उपनियम (4) में निर्दिष्ट लेबल लगा है।

(3) जहां तक कि मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित रूप से बंद कराने के लिए पत्र–मुद्रा का उपयोग किया जाता है, वहां पीठासीन अधिकारी पत्र–मुद्रा का उपयोग किया जाता है, वहां पीठासीन अधिकारी पत्र –मुद्रा पर अपने हस्ताक्षर अंकित करेगा और उन पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं में से ऐसों के हस्ताक्षर कराएगा जो उन्हें अंकित करने की वांछा रखते हों।

(4) पीठासीन अधिकारी इस प्रकार हस्ताक्षरित पत्र–मुद्रा को मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट में उसके लिए अभिप्रेत स्थान में तत्पश्चात् लगाएगा और उसे सुरक्षित रूप से बंद और मुद्रांकित करेगा।

(5) नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए उपयोग में लाई गई मुद्राएं ऐसी रीति से लगाई जाएंगी कि यूनिट को मुद्रांकित किए जाने के पश्चात् मुद्राओं को तोड़े बिना "परिणाम बटन" को दबाना संभव न हो।

(6) नियंत्रण यूनिट सुरक्षित रूप से बंद और मुद्रांकित किया जाएगा और इस प्रकार रखा जाएगा कि वह पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ताओं के पूर्ण रूपेण दृष्टिगोचर रहे और मतदान यूनिट को मतदान कोष्ठ में रखा जाएगा।

(7) जहां पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, वहां प्रिंटर को भी बैलेटिंग यूनिट के साथ ही मतदान प्रकोष्ठ में रखा जाएगा और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित तरीके से ईवीएम से जोड़ा जाएगा।

49च. निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति–

मतदान के प्रारंभ से ठीक पूर्व, पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित लोगों को यह भी निर्देशित करेगा कि मतदान के दौरान काम में लाई जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में–

(क) नियम 20 के उपनियम (2) के खंड (ख) के अनुसरण में की गई प्रविष्टि से भिन्न कोई प्रविष्टि; और

(ख) नियम 23 के उपनियम (2) के खंड (ख) के अनुसरण में किए गए चिह्न से भिन्न कोई चिह्न, अंतर्विष्ट नहीं है।

49छ. (महिला मतदाताओं) के लिए सुविधाएं–

(1) जहां कि मतदान केन्द्र मतदाताओं और मतदात्रियों दोनों के लिए है वहां पीठासीन अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि उनको मतदान केन्द्र में बारी–बारी से पृथक्–पृथक् टुकड़ियों में घुसने दिया जाएगा।

(2) रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी किसी स्त्री को मतदात्रियों की सहायता करने के लिए और मतदात्रियों की बाबत मतदान करने में साधारणतया पीठासीन अधिकारी की सहायता करने के लिए भी और विशिष्टतः किसी मतदात्री को उस दशा में हटाने में मदद करने के लिए, जब कि वह आवश्यक हो, परिचारिका के रूप में किसी मतदान केन्द्र में सेवा करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

49ज. निर्वाचकों की पहचान –

(1) पीठासीन अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को जैसा कि वह ठीक समझे मतदान केन्द्र में निर्वाचकों की पहचान करने में अपनी मदद करने के लिए या अन्यथा मतदान में अपनी सहायता करने के लिए नियोजित कर सकेगा।

(2) जैसे–जैसे हर एक निर्वाचक मतदान केन्द्र में प्रवेश करे वैसे–वैसे पीठासीन अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मतदान अधिकारी निर्वाचक के नाम और अन्य विशिष्टियों को निर्वाचक नामावली में की गई सुसंगत प्रविष्टि से मिलाएगा और तब निर्वाचक का क्रम संख्यांक, नाम और अन्य विशिष्टियां पढ़ कर सुनाएगा।

(3) जहां कि मतदान केन्द्र ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में अवस्थित है जिसके निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उपबंधों के अधीन पहचान–पत्र दिए गए हैं वहां पीठासीन अधिकारी या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत मतदान

अधिकारी के समक्ष निर्वाचक अपना पहचान–पत्र पेश करेगा।

(4) किसी व्यक्ति के मतदान करने के अधिकार का विनिश्चय करने में, यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली में की प्रविष्टि में लिपिकीय या मुद्रण संबंधी अशुद्धियों की उस दशा में अनवेक्षा करेगा जिसमें कि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति वही निर्वाचक है जिससे कि ऐसी प्रविष्टि संबद्ध है।

49झ. निर्वाचन कर्तव्यारूढ लोक सेवकों के लिए सुविधाएं–

(1) नियम 49ज के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति को लागू न होंगे जो मतदान केन्द्र में प्ररूप 12ख में निर्वाचन कर्तव्य प्रमाणपत्र पेश कर देता है और उस मतदान केन्द्र में अपना मत देने की अनुज्ञा दिए जाने की मांग करता है भले ही वह मतदान केन्द्र उस केन्द्र से भिन्न हो जहां मत देने का वह हकदार है।

(2) ऐसे प्रमाणपत्र के पेश किए जाने पर पीठासीन अधिकारी –

(क) उस पर उसे पेश करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा ;

(ख) उस व्यक्ति का नाम और निर्वाचक नामावली संख्यांक, जो प्रमाणपत्र में वर्णित है, निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के अंत में प्रविष्ट कराएगा ; तथा

(ग) मत देने की अनुज्ञा उसी रीति से देगा जैसी उस मतदान केन्द्र में मत देने के हकदार किसी निर्वाचक को देता है;

49ञ. अनन्यता के बारे में अभ्याक्षेप (मतदाता की पहचान को चुनौती देना)–

(1) कोई मतदान अभिकर्ता विशिष्ट निर्वाचक होने का दावा करने वाले व्यक्ति की अनन्यता के संबंध में अभ्याक्षेप हर एक ऐसे अभ्याक्षेप के लिए पीठासीन अधिकारी के पास नकद दो रुपए की राशि पहले निक्षिप्त करके कर सकेगा।

(2) पीठासीन अधिकारी ऐसा निक्षेप किए जाने पर–

(क) उस व्यक्ति को, जिसकी बाबत ऐसा अभ्याक्षेप किया गया है, प्रतिरूपण के लिए शास्ति की चेतावनी देगा;

(ख) निर्वाचक नामावली में की सुसंगत प्रविष्टि को पूरी तरह पढ़कर सुनाएगा और उससे पूछेगा कि क्या वह उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति है;

(ग) अभ्याक्षेपित मतों की प्ररूप 14 वाली सूची में उसका नाम और पता प्रविष्ट करेगा ; तथा

(घ) उक्त सूची में अपने हस्ताक्षर करने की उससे अपेक्षा करेगा।

(3) पीठासीन अधिकारी तत्पश्चात् उस अभ्याक्षेप के संबंध में संक्षिप्त जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए–

(क) यह अपेक्षा कर सकेगा कि अभ्याक्षेपकर्ता अपने अभ्याक्षेप के सबूत के साक्ष्य दें और अभ्याक्षेपित व्यक्ति अपनी अनन्यता के सबूत में साक्ष्य दें;

(ख) जिस व्यक्ति की बाबत अभ्याक्षेप किया गया है उसकी अनन्यता स्थापित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई प्रश्न उससे पूछ सकेगा और उनका उत्तर शपथ पर देने की उससे अपेक्षा कर सकेगा ; और

(ग) जिस व्यक्ति की बाबत अभ्याक्षेप किया गया है उसको और साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को शपथ दिला सकेगा।

(4) यदि जांच के पश्चात् पीठासीन अधिकारी का विचार हो कि अभ्याक्षेप सत्य साबित नहीं हुआ है तो वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को अनुज्ञा देगा कि वह मत दे, और यदि उसका विचार हो कि अभ्याक्षेप स्थापित कर दिया गया है तो वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को मत देने से विवर्जित करेगा।

(5) यदि पीठासीन अधिकारी की यह राय है कि अभ्याक्षेप तुच्छ है या सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया है तो वह यह निर्देश देगा कि उपनियम (1) के अधीन किया गया निक्षेप सरकार के पक्ष में समपहृत(जब्त) कर लिया जाए और किसी अन्य दशा में जांच की समाप्ति पर उसे अभ्याक्षेपकर्ता को लौटा दिया जाए।

49ट. प्रतिरूपण के खिलाफ उपाय–

(1) हर ऐसा निर्वाचक, जिसकी अनन्यता की बाबत, यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी का समाधान हो गया है, अपनी बाईं तर्जनी का निरीक्षण पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी द्वारा किया जाने देगा, और उस पर अमिट स्याही का चिह्न लगाया जाने देगा।

(2) यदि कोई निर्वाचक–

(क) अपनी बांई तर्जनी को उपनियम (1) के अनुसार निरीक्षित या चिह्नित कराने से इंकार करता है या उसकी अपनी बांई तर्जनी पर ऐसा चिह्न पहले से है या ऐसे स्याही चिह्न को हटाने की दृष्टि से कोई कार्य करता है, अथवा

(ख) नियम 49ज के उपनियम (3) द्वारा यथापेक्षित रूप में अपना अभिज्ञान–पत्र पेश करने में असफल होता है या पेश करने से इंकार करता है,तो उसे मतदान नहीं करने दिया जाएगा।

(3) जहां कि संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र तथा सभा निर्वाचन–क्षेत्र में मतदान साथ–साथ हो वहां उस निर्वाचक को, जिसकी बाईं तर्जनी ऐसे एक निर्वाचन में, अमिट स्याही से चिह्नित कर दी गई है या जिसने अपना अभिज्ञान–पत्र ऐसे एक निर्वाचन में पेश कर दिया है, उपनियम (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, दूसरे निर्वाचन के लिए मतदान नहीं करने दिया जाएगा।

(4) इस नियम में निर्वाचक की बाईं तर्जनी के प्रति किसी निर्देश का उस दशा में, जिसमें निर्वाचक की बाईं तर्जनी नहीं है ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उसके बाएं हाथ की किसी दूसरी उंगली के प्रति निर्देश है और जहां कि उसके बाएं हाथ की सब उंगलियां न हों वहां ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह निर्देश उसके दाहिने हाथ की तर्जनी या किसी दूसरी उंगली के प्रति निर्देश है और जहां कि उसके दोनों हाथों की सब उंगलियां नहीं हैं वहां ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उसकी बाईं या दाहिनी भुजा के ऐसे अग्रतम भाग के प्रति निर्देश हो जैसा कि उसका है।

49ठ. मतदान मशीनों द्वारा मतदान के लिए प्रक्रिया –

(1) किसी निर्वाचक को मतदान करने की अनुज्ञा देने के पूर्व, मतदान अधिकारी—

(क) निर्वाचक का निर्वाचक नामावली संख्यांक, जो मतदाता रजिस्टर में प्ररूप 17क में निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में प्रविष्ट है, अभिलिखित करेगा ;

(ख) उक्त मतदाता रजिस्टर में निर्वाचक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे की छाप अभिप्राप्त करेगा ;

(ग) निर्वाचक का नाम निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में यह उपदर्शित करने के लिए चिह्नित करेगा कि उसको मतदान करने की अनुज्ञा दी गई है। और

(घ) निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा देगा:

(2) परन्तु यह कि किसी निर्वाचक को तब तक मतदान नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि उसने मतदाता रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर न किए हों या अंगूठे की छाप न लगाई हो–नियम 2 के उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह मतदाता रजिस्टर में निर्वाचक के अंगूठे की छाप को अनुप्रमाणित करे।

49ड. निर्वाचकों द्वारा मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाए रखना और मतदान प्रक्रिया –

(1) हर वह निर्वाचक, जिसे नियम 49ठ के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है, मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा और इस प्रयोजन के लिए एतस्मिन् पश्चात् अधिकथित मतदान प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

(2) मतदान करने के लिए अनुज्ञात किए जाने पर तत्काल निर्वाचक पीठासीन अधिकारी के पास या मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट के भारसाधक मतदान अधिकारी के पास जाएगा जो, नियंत्रण यूनिट पर समुचित बटन दबाकर, निर्वाचक का मत अभिलिखित करने के लिए मतदान यूनिट को सक्रिय करेगा।

(3) निर्वाचक उसके पश्चात् तत्काल –

(क) मतदान कोष्ठ में जाएगा ;

(ख) उस अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने जिसको वह मत देने का आशय रखता है, मतदान यूनिट का बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करेगा: और

(ग) मतदान कोष्ठ से बाहर जाएगा तथा मतदान केन्द्र से बाहर चला जाएगा:

इसके साथ ही खण्ड–ख में निर्दिष्ट अनुसार जहाँ बटन दबाकर मतदान किया जाता है और पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है तो मतदाता मतदान प्रकोष्ठ में बैलेट यूनिट के साथ रखे। प्रिंटर की पारदर्शी खिड़की के माध्यम से प्रिंटर द्वारा प्रिंटेड पेपर स्लिप को ड्रॉप बॉक्स में कटकर गिरने से पहले अभ्यर्थी के क्रम संख्या, नाम और प्रतीक चिन्ह (जिसके लिए उसने मतदान किया है) युक्त पेपर स्लिप को देख सकता है।

(4) हर निर्वाचक असम्यक् विलम्ब के बिना मत देगा।

(5) जब मतदान कोष्ठ में कोई निर्वाचक है तब अन्य किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश न करने दिया जाएगा।

(6) यदि कोई निर्वाचक, जिसे नियम 49ठ या 49त के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त नियमों के उपनियम (3) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा चेतावनी दिए जाने के पश्चात भी इंकार करे, तो पीठासीन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी के निर्देश से मतदान अधिकारी ऐसे निर्वाचक को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।

(7) जहां उपनियम (6) के अधीन निर्वाचक को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है, पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर से मतदाताओं के रजिस्टर में निर्वाचक के नाम के सामने प्ररूप 17क में इस आशय का टिप्पण लिखेगा कि मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया है।

49ड(क). पेपर स्लिप पर मुद्रित विवरणों में शिकायत के मामलों कि प्रक्रिया–

(1) जहां पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, अगर मतदाता नियम 49M के तहत अपना वोट दर्ज करने के बाद आरोप लगाता है कि प्रिंटर द्वारा मुद्रित पेपर पर्ची जिस उम्मीदवार को वोट दिया उस उम्मीदवार के बजाय अन्य उम्मीदवार का नाम और चिन्ह दिखाया गया है, तो पीठासीन अधिकारी आरोप की लिखित घोषणा मतदाता से प्राप्त करेंगे, साथ ही मतदाता को झूठी घोषणा करने के परिणामों की चेतावनी देने के उपरांत।

(2) यदि मतदाता उप नियम (1) मे निर्दिष्ट लिखित घोषणा देता है तब पीठासीन अधिकारी फार्म 17(क) मे उस मतदाता कि दूसरी प्रविष्टि करेगा, तथा वोटिंग मशीन के वोट दर्ज करने की अनुमति अपने मौजूदगी में उम्मीदवारों या मतदाता अभिकर्ता के मौजूदगी में जो मतदान केन्द्र में उपस्थित हो तथा प्रिंटर द्वारा मुद्रित पेपर स्लिप कि निरीक्षण करेंगे।

(3) यदि आरोप सही पाया जाता है तो, पीठासीन अधिकारी तथ्यों की रिपोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर को तत्काल करेंगे, उस मतदान मशीन में वोटों की रिकॉर्डिंग बंद करेंगे और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे।

(4) यदि आरोप गलत पाया जाता है और पेपर पर्ची उपनियम (1) के तहत उत्पन्न होती है जिसका मिलान उपनियम (2) के तहत मतदाता के टेस्ट वोट से होता है तो पीठासीन अधिकारी–

(i) पीठासीन अधिकारी फार्म 17(क) में उस मतदाता से संबंधित दूसरी प्रविष्टि के खिलाफ उस प्रभाव की टिप्पणी (remark) दर्ज करेंगे ऐसे मतदाता जिसके लिए टेस्ट वोट रिकार्ड हुआ है उनका सरल क्रमांक, नाम का उल्लेख करें।

(ii) इस टिप्पणी जिस मतदाता के खिलाफ किया गया है उसके हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप भी प्राप्त करें।

(iii) फार्म 17(ग) के भाग 1 के मद 5 में ऐसे टेस्ट वोट के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा

49ढ. अंधे या दिव्यांग निर्वाचकों के मतों का अभिलेखन–

(1) यदि पीठासीन अधिकारी का समाधान हो जाता है कि अंधेपन या अन्य अंगशैथिल्य के कारण कोई निर्वाचक मतदान मशीन की मतदान यूनिट पर प्रतीक को पहचानने में या सहायता के बिना उसका समुचित बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है तो पीठासीन अधिकारी, निर्वाचक को अपनी ओर से और अपनी इच्छाओं के अनुसार मत अभिलिखित करने के लिए अपने साथ अठारह वर्ष से अन्यून आयु का एक साथी मतदान कोष्ठ में ले जाने की अनुज्ञा देगा;

परन्तु किसी व्यक्ति को एक ही दिन किसी मतदान केन्द्र में एक से अधिक निर्वाचकों के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

परन्तु यह और भी कि किसी व्यक्ति को इस नियम के अधीन किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के तौर पर कार्य करने के लिए अनुज्ञात करने से पहले उस व्यक्ति से यह घोषणा करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह निर्वाचक की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी मतदान केन्द्र में किसी अन्य निर्वाचक के साथी के तौर पर पहले कार्य नहीं किया है।

(2) पीठासीन अधिकारी इस नियम के अधीन के सभी मामलों का प्ररूप 14क में अभिलेख रखेगा।

49ण. निर्वाचक का मत न देने के लिए विनिश्चय करना–

यदि कोई निर्वाचक, उसका निर्वाचक नामावली संख्यांक मतदाता रजिस्टर में प्ररूप 17क में सम्यक रूप से प्रविष्ट किए जाने और नियम 39ठ के उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित रूप में उस पर अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठे की छाप लगाने के पश्चात्

अपना मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करता है तो उस आशय की एक टिप्पणी पीठासीन अधिकारी प्ररूप 17क में उक्त प्रविष्टि के सामने लिखेगा और निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप ऐसी टिप्पणी के सामने अभिप्राप्त करेगा।

49त. निविदत्त मत–

(1) यदि कोई व्यक्ति अपनी बाबत यह व्यपदिष्ट करके कि वह विशिष्ट निर्वाचक है, से निर्वाचक के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत दे दिए जाने के पश्चात् मत देना चाहता है, तो उसे अपनी अनन्यता के बारे में ऐसे प्रश्नों के समाधानप्रद रूप में उत्तर देने के पश्चात् जैसे पीठासीन अधिकारी पूछे, मतदान यूनिट के माध्यम से मत देने के लिए अनुज्ञात करने के बजाय निविदत्त मतपत्र का प्रदाय किया जाएगा जो ऐसी डिजाइन का होगा और जिसकी विशिष्टियां ऐसी भाषा या भाषाओं में होंगी जो निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे।

(2) हर ऐसा व्यक्ति निविदत्त मतपत्र का प्रदाय किए जाने के पहले अपना नाम प्ररूप 17ख से संबंधित प्रविष्टि के सामने लिखेगा।

(3) मतपत्र प्राप्त करने पर वह तत्क्षण, –

(क) मतदान कोष्ठ में जाएगा ;

(ख) अपना मत मतदान पत्र पर उस प्रयोजन के लिए उसे दिए गए उपकरण या वस्तु से उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर या उसके निकट, जिसके लिए मत देने का उसका आशय है, एक क्रास चिह्न (X) लगा कर अभिलिखित करेगा।

(ग) मतपत्र को इस तरह मोड़ लेगा कि उसका मत छिप जाए;

(घ) पीठासीन अधिकारी को, यदि अपेक्षित हो तो, मतपत्र पर लगा सुभिन्नक चिह्न दर्शित करेगा ;

(ङ) उसे पीठासीन अधिकारी को देगा, जो उसे उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए लिफाफे में रखेगा; और

(च) मतदान केन्द्र से बाहर चला जाएगा।

(4) यदि अन्धेपन या अंगशैथिल्य के कारण ऐसा निर्वाचक सहायता के बिना अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है तो पीठासीन अधिकारी निर्वाचक को अपनी इच्छाओं के अनुसार मत अभिलिखित करने के लिए उन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए और नियम 49ङ में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् एक साथी अपने साथ ले जाने की अनुज्ञा देगा।

49थ. मतदान के दौरान कोष्ठ में पीठासीन अधिकारी का प्रवेश करना–

(1) जब कभी पीठासीन अधिकारी ऐसा करना आवश्यक समझे तब वह मतदान के दौरान मतदान कोष्ठ में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे कदम उठा सकेगा जैसे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि उसमें की मतदान यूनिट में किसी प्रकार से कोई गड़बड़ या हस्तक्षेप न किया जाए।

(2) यदि पीठासीन अधिकारी के पास यह सन्देह करने का कारण है कि कोई निर्वाचक, जिसने मतदान कोष्ठ में प्रवेश किया है, किसी मतदान यूनिट में. गड़बड़ कर रहा है या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप कर रहा है या मतदान कोष्ठ में असम्यक् देरी तक बना रहा है तो वह मतदान कोष्ठ में प्रवेश करेगा और ऐसे कदम उठाएगा जैसे मतदान की निर्विघ्न और व्यवस्थित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।

(3) जब कभी पीठासीन अधिकारी मतदान कोष्ठ में इस नियम के अधीन प्रवेश करे तब वह उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को, यदि वे ऐसी वांछा करें तो अपने साथ जाने देगा।

49द. मतदान बन्द करना–

(1) पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र को धारा 56 के अधीन तन्निमित्त नियत समय पर बन्द कर देगा और तत्पश्चात् किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश न करने देगा:

परन्तु मतदान केन्द्र के बन्द किए जाने के पूर्व उसमें उपस्थित सब निर्वाचक अपने मत डालने के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे।

(2) यदि कोई प्रश्न इस बाबत पैदा होता है कि कोई निर्वाचक मतदान केन्द्र बन्द किए जाने के पूर्व वहां उपस्थित था या नहीं तो उसका विनिश्चय पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

49ध. अभिलिखित मतों का लेखा–

(1) पीठासीन अधिकारी मतदान के बन्द होने पर प्ररूप 17ग में मतों का लेखा तैयार करेगा और उसे एक पृथक् लिफाफे में परिवेष्टित कर उस पर 'अभिलिखित मतों का लेखा' शब्द लिखेगा।

(2) पीठासीन अधिकारी मतदान के बन्द होने पर उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को प्ररूप 17ग में की गई प्रविष्टियों की एक सही प्रति उस मतदान अभिकर्ता से उसकी रसीद प्राप्त करने के पश्चात् देगा और उसे सही प्रति के रूप में अनुप्रमाणित करेगा।

49न. मतदान के पश्चात् मतदान मशीन का मुद्राबन्द किया जाना–

(1) मतदान के बन्द होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से, पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और मतों का अभिलेखन न किया जा सके नियंत्रण यूनिट को बंद कर देगा और मतदान यूनिट को नियंत्रण यूनिट से वियोजित कर देगा।

(2) नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को उसके पश्चात् अलग–अलग रूप से उस रीति से जैसा कि निर्वाचन आयोग निदेशित करे मुद्राबंद और सुरक्षित किया जाएगा और उन्हें सुरक्षित करने के लिए प्रयुक्त मुद्रा इस प्रकार लगाई जाएगी कि बिना मुद्राओं को तोड़े यूनिटों का खोलना संभव नहीं होगा।

(3) मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता, जो उनकी मुद्रा लगाने की वांछा करे को भी ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

49प. अन्य पैकेटों को मुद्राबन्द करना–

(1) पीठासीन अधिकारी तब–

(क) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के ;

(ख) प्ररूप 17क में मतदाता रजिस्टर के ;

(ग) निविदत्त मतपत्रों को अंतर्विष्ट रखने वाले लिफाफे और प्ररूप 17ख में सूची के ;

(घ) अभ्याक्षेपित मतों की सूची के ; और

(ङ) किन्हीं अन्य ऐसे कागजपत्रों के, जिनकी बाबत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि वे मुद्राबंद पैकेट में रखे जाएं, पृथक् पैकेट बनाएगा।

(2) ऐसे हर पैकेट पीठासीन अधिकारी की ओर से या तो अभ्यर्थी को या उसके निर्वाचक अभिकर्ता अथवा उसके मतदान अभिकर्ता को जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हो और उस पर अपनी मुद्रा लगाना चाहे, मुद्रा से मुद्रांकित किया जाएगा।

49फ. मतदान मशीन आदि का रिटर्निंग अधिकारी को पारेषण–

(1) पीठासीन अधिकारी तब रिटर्निंग अधिकारी को–

(क) मतदान मशीन ;

(ख) प्ररूप 17ग में अभिलिखित मतों का लेखा ;

(ग) नियम 49प में निर्दिष्ट मुद्राबंद पैकेट ; और

(घ) मतदान में उपयोग में लाए गए सब अन्य कागजपत्र,

(ङ) ऐसे स्थान में जैसा रिटर्निंग अधिकारी निर्दिष्ट करे, परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा।

(2) रिटर्निंग अधिकारी मतदान मशीन, पैकेटों और अन्य कागजपत्रों के सुरक्षापूर्ण परिवहन के लिए और मतों की गणना के प्रारंभ होने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए यथायोग्य इंतजाम करेगा।

49ब. मतदान के स्थगन पर प्रक्रिया –

(1) यदि मतदान किसी मतदान केन्द्र में धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन स्थगित किया गया है तो नियम 49थ से 49फ तक के उपबंध यावत्साध्य ऐसे लागू होंगे मानो मतदान धारा 56 के अधीन तन्निमित्त नियत समय पर बन्द हुआ हो।

(2) जब स्थगित मतदान धारा 57 की उपधारा (2) के अधीन पुनः प्रारम्भ हुआ हो तब उन निर्वाचकों को जिन्होंने ऐसे स्थगित मतदान में पहले ही मत दिया था पुनः मत देने के लिए अनुज्ञा न दी जाएगी।

(3) रिटर्निंग अधिकारी उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को, जिनमें ऐसा स्थगित मतदान होता है वह मुद्राबंद पैकेट जिसमें निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति अंतर्विष्ट है, प्ररूप 17क में मतदाता रजिस्टर और एक नई मतदान

मशीन उपबंधित करेगा।

(4) पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदान अभिकर्ताओं की, जो उपस्थित हैं, उपस्थिति में मुद्राबंद पैकेट को खोलेगा और निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति का उपयोग ऐसे निर्वाचकों के नाम जिन्हें स्थगित मतदान में मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है नाम चिह्नित करने के लिए करेगा।

(5) नियम 28 और नियम 49क से 49फ तक के उपबंध स्थगित मतदान के संचालन के संबंध में ऐसे स्थगन से पूर्व किए जाने वाले मतदान की तरह लागू होंगे।

49भ. बूथ पर कब्जा करने की दशा में मतदान मशीन का बन्द किया जाना–

जहां पीठासीन अधिकारी की यह राय है कि किसी मतदान केन्द्र पर या मतदान के लिए नियत किसी स्थान पर बूथ पर कब्जा किया जा रहा है, वहां वह मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट को यह सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त बंद कर देगा कि कोई और मत अभिलिखित न किए जाएं तथा मतदान यूनिट को नियंत्रण यूनिट से अलग कर देगा।

अनुलग्नक –3

(अध्याय–1, पैरा 1.6)

किसी मतदान केन्द्र के लिए मतदान सामग्री की सूची

स.क्र.	सामान	मात्रा
(क)	**ईवीएम, मतदाता सूची और अन्य**	
1	नियंत्रण यूनिट	01 नग
2	मतपत्र इकाइयाँ	उम्मीदवारों की संख्या और नोटा के आधार पर 01 या अधिक
3	VVPAT	01 नग
4	मतदाता सूची की चिन्हित प्रति	01 नग
5	मतदाता सूची की वर्किंग कॉपिस	03 नग
6	मतपत्र (निविदत्त मतों के लिए)	20 नग
7	एएसडी सूची	01 नग
8	सीएसवी सूची यदि कोई हो	01 नग
9	ब्रेल मतपत्र	01 नग
10	डमी मतपत्र इकाई	01 नग
11	वोटिंग कम्पार्टमेंट	आयोग द्वारा अनुमोदित डिजाइन के अनुसार 01 नग
(ख)	**फॉर्म और अन्य प्रारूपः**	
1	**सांविधिक पुस्तिका–01: सफेद रंग का रजिस्टर**	**01 नग**
	(i) फॉर्म 17ए में मतदाताओं का रजिस्टर	
2	**सांविधिक पुस्तिका–02: सफेद रंग की पुस्तिका**	**01 नग**
	(i) प्रपत्र 17–बी में निविदत्त सूची मतों की	02 नग
	(ii) दर्ज किए गए मतों का लेखा (फार्म–17C)	+10 नग, (अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर)
	(iii) फॉर्म–14 में चुनौती दिये गये मतों की सूची	02 नग
	(iv) फॉर्म 14ए में नेत्रहीन और अशक्त मतदाताओं की सूची	02 नग
	एक साथ होने वाले चुनाव के मामले में, विधानसभा चुनाव के लिए, दर्ज किए गए वोटों के अतिरिक्त खाते (17C) को गुलाबी रंग में दिया जाना चाहिए	10+ नग, (विधानसभा निर्वाचन में, उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर)
3	**सांविधिक पुस्तिका–03: सफेद रंग की पुस्तिका**	**01 नग**
	(i) मतदाता पर्ची	मतदाता पर्ची की संख्या उस बूथ पर मतदाताओं की संख्या के आधार पर
	विधानसभा चुनाव के लिए एक साथ होने वाले चुनाव की स्थिति में मतदाता पर्ची गुलाबी पुस्तिका उपलब्ध करायी जाये	ऊपर की तरह
4	**असांविधिक पुस्तिका– भाग–एः पीले रंग की पुस्तिका**	**01 नग**
	(i) मतदान प्रारंभ होने के पूर्व एवं मतदान समाप्ति के पश्चात् पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई घोषणाएं, मतदान और मतदान के अंत में (भाग–I से IV)	02 नग
	(ii) पीठासीन अधिकारी की डायरी	02 नग
	(iii) विजिट शीट	02 नग
	(iv) पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट (I, II, III, IV और V)	01 नग
	(v) फॉर्म एम–21 मतदान के बाद चुनाव रिकॉर्ड और सामग्री की वापसी की रसीदें	02 नग

5	**असांविधिक पुस्तिका – पुस्तिका– भाग–बी: पीले रंग की पुस्तिका**	**01नग**
	(i) पोलिंग एजेंट/रिलीविंग एजेंट मूवमेंट शीट;	01संख्या
	(ii) मतदान एजेंटों/रिलीविंग एजेंटों का प्रवेश पास	(10+उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर)
	(iii) अंधे और अशक्त मतदाताओं के साथियों द्वारा घोषणाएँ	10 नग
	(iv) चुनौती दिए गए वोटों के संबंध में रसीद बुक और नकदी, यदि हो	10 नग
	(v) नियम 49एमए (टेस्ट वोट) के तहत निर्वाचक द्वारा घोषणा का प्रपत्र	05 नग
	(vi) निर्वाचक, जिसका नाम एएसडी के द्वारा घोषणा पत्र प्रपत्र	10 नग
	(vii) SHO पुलिस को शिकायत पत्र	04 नग
	(viii) निर्वाचकों से उनकी आयु के संबंध में प्राप्त घोषणाएँ	04 नग
6	अभ्यर्थी जानकारी पुस्तिका–06 – नीले रंग की पुस्तिका	01 नग
	(i) चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों की सूची–प्रपत्र 7A	01 नग
	(ii) उम्मीदवारों/एजेंटों के हस्ताक्षर की प्रतिलिपि	01 नग
(ग)	**लिफाफे**	
1	**लिफाफा सेट–01: ईवीएम पेपर (सफेद रंग)**	
	(i) ईवीएम पत्रों के लिए मास्टर लिफाफा (सफेद रंग)	01 नग
	(ii) रिकार्ड किए गए मतों के लेखा के लिए लिफाफा (प्रपत्र–17C)	01 नग
	(iii) पीठासीन अधिकारियों के लिए लिफाफा–I (मॉक पोल सर्टिफिकेट), II और III	01 नग
	(iv) मॉक पोल की वीवीपैट पेपर स्लिप के लिए लिफाफा (काला रंग)	
	एक साथ होने वाले चुनाव के मामले में, विधानसभा चुनाव के लिए, गुलाबी रंग में ईवीएम पत्रों के लिए एक अतिरिक्त मास्टर लिफाफा, दर्ज मतों के लेखा के लिए एक अतिरिक्त लिफाफा (17C) गुलाबी रंग में और पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट–I (मॉक पोल प्रमाणपत्र) के लिए एक अतिरिक्त लिफाफा, IIऔर III गुलाबी रंग में और विधानसभा चुनाव ईवीएम में मॉक पोल की वीवीपैट पेपर पर्चियों के लिए एक अतिरिक्त काले रंग का लिफाफा	प्रत्येक 01 नग
2	**लिफ़ाफ़ा सेट–02: संवीक्षा दस्तावेज़ (सफ़ेद रंग)**	
	(i) संवीक्षा दस्तावेजों के लिए मास्टर लिफाफा (सफेद रंग)	01 नग
	(ii) पीठासीन अधिकारी की डायरी के लिए लिफाफा (सफेद रंग)	01 नग
	(iii) मतदाताओं के रजिस्टर (17A) के लिए लिफाफा (सफेद रंग)	01 नग
	(iv) 14A में दृष्टिबाधित एवं अशक्त निर्वाचकों की सूची एवं साथियों की घोषणा के लिए लिफाफा (पीला रंग)	01 नग
	(v) विजिट शीट का लिफाफा (सफेद रंग)	01 नग
3	**लिफ़ाफ़ा सेट–03: सांविधिक कवर (सफ़ेद रंग)**	
	(i) सांविधिक कवर के लिए मास्टर लिफ़ाफा (सफेद रंग)	01 नग
	(ii) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और सी,सवी सूची (यदि हो) के लिए लिफाफा (सफेद रंग)	01 नग
	(iii) मतदाता पर्ची के लिए लिफाफा (सफेद रंग)	01 नग
	(iv) प्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों के लिए लिफाफा और फॉर्म 17Bमें सूची (सफेद रंग)	01 नग
	(v) अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों के लिए लिफाफा (सफेद रंग)	01 नग
	(vi) फॉर्म 14 में चुनौती दिए गए वोटों की सूची के लिए लिफाफा (सफेद रंग)	01 नग
	विधानसभा चुनाव एक साथ होने की स्थिति में मतदाता पर्ची के लिए एक अतिरिक्त लिफाफा (गुलाबी रंग)	01 नग
4	**लिफ़ाफ़ा सेट–04: असांविधिक कवर (पीला रंग)**	
	(i) असांविधिक कवर के लिए मास्टर लिफाफा (पीला रंग)	01 नग
	(ii) मतदाता सूची की प्रतिलिपि या प्रतियों के लिए लिफाफा (चिन्हित प्रति के अलावा) (पीला रग)	01 नग

	(iii) फॉर्म 10 में मतदान एजेंटों के नियुक्ति पत्र के लिए लिफाफा (पीला रंग)	01 नग
	(iv) फॉर्म 12–B में चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र के लिए लिफाफा (पीला रंग)	01 नग
	(v) पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा हेतु लिफाफा (पीला रंग)	01 नग
	(vi) चुनौती दिए गए वोटों के संबंध में रसीद बुक और नकदी, यदि कोई हो, के लिए लिफाफा (पीला रंग)	01 नग
	(vii) अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील के लिए लिफाफा और (ii) अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त विशेष टैग (पीला रंग)	01 नग
	(viii) अप्रयुक्त मतदाता पर्ची के लिए लिफाफा (पीला रंग)	01 नग
	(ix) मतदाताओं से उनकी उम्र के बारे में घोषणा के लिए लिफाफा और ऐसे मतदाताओं की सूची और उन मतदाताओं की सूची जिन्होंने अपनी उम्र के बारे में घोषणा करने से इनकार कर दिया है (पीला रंग)	01 नग
	(x) 49MA के तहत निर्वाचक द्वारा घोषणा पत्र के लिए लिफाफा	01 नग
	(xi) निर्वाचक द्वारा घोषणा प्रपत्र के लिए लिफाफा जिसका नाम एएसडी सूची में है	01 नग
	(xii) SHO को शिकायत पत्र वाला लिफाफा	01 नग
	विधानसभा चुनाव की स्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा हेतु गुलाबी रंग का एक अतिरिक्त लिफाफा।	
5	**लिफ़ाफ़ा सेट–5: हैंडबुक, निर्देश और अन्य (भूरा रंग)**	
	(i) हैंडबुक, निर्देश आदि के लिए मास्टर लिफाफा (भूरा रंग)	01 नग
	(ii) प्रयुक्त और शेष अमिट स्याही शीशियों के लिए लिफाफा और (ii) प्रयुक्त स्टैम पैड (भूरा रंग)	
6	**अन्य मतदान सामग्री हेतु लिफाफा (नीला रंग)**	**01 नग**
(घ)	**सील, टैग और निशान**	
1	मतपत्र इकाई, नियंत्रण इकाई और VVPAT के लिए सामान्य ,ड्रैस टैग	14 नग
2	विशेष टैग	03 नग
3	ईवीएम के लिए हरी पेपर सील	03 नग
4	अमिट स्याही	10CC की 02 शीशियाँ
5	एरो क्रॉस मार्क के साथ रबर स्टैम्प	01नग
6	पीठासीन अधिकारी के लिए धातु की मुहर	01नग
7	विभेदक चिह्न रबर स्टाम्प	01नग
8	काले लिफाफे को सील करने के लिए गुलाबी पेपर सील	02 नग
9	मॉक पोल पर्ची स्टाम्प	01नग
(ङ)	**हैंडबुक और निर्देश**	
	(i) पीठासीन अधिकारी के लिए हैंडबुक	01 नग
	(ii) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के निर्देश	
	(क) ईवीएम और वीवीपैट पर वोट कैसे डालें पर पोस्टर	01 नग
	(ख) ईवीएम और वीवीपैट के उपयोग पर पीठासीन अधिकारी के लिए विवरणिका	01 नग
	(ग)ईवीएम और वीवीपैट के उपयोग पर समस्या निवारण	01 नग
	(iii) मॉक पोल पत्रक	01 नग
	(iv) वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से निर्वाचकों की पहचान का आयोग का आदेश	01 नग
	दस्तावेज़	01 नग
	(v) मतदान दलों के लिए फोन बुक/संपर्क बुक	01 नग
	(vi) पीठासीन अधिकारी की चेकलिस्ट	
(च)	**स्टेशनरी वस्तुएँ**	01नग
1	स्टाम्प पैड (बैंगनी)	01नग
2	माचिस	
3	साइन बोर्ड	01नग

	(i) पीठासीन अधिकारी	01नग
	(ii) मतदान अधिकारी–1	01नग
	(iii) मतदान अधिकारी–2	01नग
	(iv) मतदान अधिकारी–3	01नग
	(v) प्रवेश	01नग
	(vi) निकास	01नग
	(vii) पुरुष	01नग
	(viii) महिला	01नग
	(ix) पोलिंग एजेंट	01नग
	(x) आप वेब कास्टिंग/सीसीटीवी निगरानी में हैं	04 नग
	(xi) निर्वाचन संचालन अधिनियम 1961, नियम 31 (1)(A) के तहत अपेक्षित क्षेत्र आदि निर्दिष्ट करने वाली विविध सूचना	01 नग
4	साधारण पेंसिल	01नग
5	बॉल पेन (तीन नीला, एक लाल और एक सिल्वर सफेद)	05नग
6	कोरा कागज	08 शीट
8	मुहर लगाने का मोम	06 छड़ें
9	गम लेई	01 नग
10	ब्लेड	01 नग
11	मोमबत्ती	04 नग
12	पतला सुतली धागा	20 मीटर
13	धातु की रूल	01 नग
14	कार्बन पेपर	03 नग
15	तेल आदि हटाने का कपड़ा या चिथड़ा	कम में
16	पैकिंग के लिए पैकिंग शीट	03 नग
17	अमिट स्याही की बोतल रखने के लिए कप/खाली टिन/प्लास्टिक का डिब्बा	01 नग
18	ड्राईंग पिन्स	24 नग
19	रबर बैंड	20 नग
20	पारदर्शी चिपकाने वाला टेप	01 नग

अनुलग्नक –4

(अध्याय–1, पैरा 1.8)

चिह्नित प्रति के रूप में उपयोग किए जाने वाले रोल के संबंध में प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र

(जहां अनुपूरक संख्या 1 और 2 में विलोपन और सुधार को प्रतिबिंबित करने के लिए रोल को दोबारा मुद्रित किया जाता है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि ..... विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के भाग संख्या ..... की मतदाता सूची, अनुपूरक संख्या 1और 2 में दर्शाए गए विलोपन और सुधारों को दर्शाने के बाद पुनर्मुद्रित की गई है। इसकी गहनता से तुलना की गई है और कोई विसंगति नहीं पाई गई है। कुल पृष्ठों की संख्या है (1 से .....)

दिनांकितः

हस्ताक्षर एवं मुहर
रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी

या

प्रमाणपत्र

(जहां अंतिम रूप से प्रकाशित रोल और अंतिम रूप से प्रकाशित रोल के साथ तुलना करने पर पुनर्मुद्रित रोल में विसंगतियां देखी जाती हैं और निरंतर अद्यतन के अनुपूरक क्रमांक 2 का उपयोग पुनर्मुद्रित रोल के बजाय कार्यशील/चिह्नित प्रतियां तैयार करने के लिए किया जाता है।)

यह प्रमाणित किया जाता है कि .....विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की भाग संख्या .....की मतदाता सूची अंतिम रूप से प्रकाशित नामावली और उसके अनुपूरक संख्या 2 का उपयोग करके तैयार की जाती है। कुल पृष्ठों की संख्या है (..... से ..... तक)। यह मतदाता सूची की प्रामाणिक प्रति है और किसी भी विसंगति की स्थिति में, यह सूची मान्य होगी।

दिनांकितः

हस्ताक्षर एवं मुहर
रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी

अनुलग्नक – 5

(अध्याय–1, पैरा 1.12)

पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट

भाग–I मॉक पोल (दिखावटी मतदान) का प्रमाण पत्र

निर्वाचन का नाम – .....

विधानसभा क्षेत्र/विधानसभा खण्ड का नाम एवं क्रमांक – .....

लोकसभा क्षेत्र का नाम एवं क्रमांक – .....

मतदान केन्द्र क्रमांक – .....

(a)मॉक पोल (दिखावटी मतदान) का संचालन एवं मॉक पोल डाटा का सत्यापन

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम (अभ्यर्थी के नामों में नोटा को सम्मिलित किया जाए)	दिखावटी मतदान के दौरान डाले गए मतों की संख्या	परिणाम जांच करते समय कन्ट्रोल यूनिट (CU) के द्वारा दर्शाए गए मतों की संख्या	अभ्यर्थीवार VVPATके द्वारा मुद्रित पेपर स्लिप्स की संख्या	कन्ट्रोल यूनिट (CU) के द्वारा दर्शाए गए परिणाम एवं मुद्रित पेपर स्लिप्स की संख्या मेल खाती है (हां/नही)	राजनैतिक दल का संक्षिप्त नाम/निर्दलीय अंकित करते हुए मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
	नोटा (NOTA)					
	कुल					

(B) मॉक पोल डाटा को क्लियर करने के लिए कन्ट्रोल यूनिट पर क्लियर (Clear)बटन दबाया गया है (हां/नही), यदि हां, तो उपरोक्त वाक्य को स्याही से लिखें .....

(C) मॉक पोल के बाद VVPATसे सभी मुद्रित पेपर पर्चियां निकाल ली गई है (हां/नही)

(D) सभी मतदान अभिकर्ताओं को रिक्त VVPAT दिखाया गया है (हां/नही)

(E) वास्तविक मतदान से पहले सुनिश्चित किया गया है एवं मतदान अभिकर्ताओं को भी यह प्रदर्शित किया गया है कि कोई भी मुद्रित पेपर स्लिप VVPAT ड्रॉपबॉक्स में नहीं है (हां/नही)

(F) कन्ट्रोल यूनिट के TOTAL बटन को दबाकर मतदान अभिकर्ताओं को दिखाया गया है कि टोटल वोट 0 हैं (हां/नही)

(G) मॉक पोल VVPAT पर्चियों पर 'MOCK POLL SLIP'की मुहर लगी हुई है और काले लिफाफे में डालकर पिंक पेपर सील के माध्यम से सील की गई है (हां/नही)

(H) निम्नांकित व्यक्ति मॉक पोल के समय साक्षी रहे एवं उनके द्वारा प्रमाणित किया गया है कि मॉक पोल उपरान्त दिखावटी मतों का मिलान हुआ है एवं दिखावटी मतों को कन्ट्रोल यूनिट से मिटा दिया गया है।

स. क्र.	मतदान अभिकर्ता का नाम	दल का नाम/निर्दलीय	अभ्यर्थी का नाम	मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

(i) कन्ट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित समय भारतीय मानक समय (IST) से ..... मिनट कम/अधिक है (यदि हो तो)

(j) माईक्रो आब्जर्वर के हस्ताक्षर (यदि मतदान केन्द्र में नियुक्त किया गया हो)

पीठासीन अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

(I) यह प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के पूर्व कन्ट्रोल यूनिट का TOTAL बटन सभी मतदान अधिकारियों की उपस्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिए दबाया गया कि TOTAL Vote is 0 हैं। निम्नांकित उपयुक्त कथन/अवलोकन पर चिन्ह लगाएं

(i) कन्ट्रोल यूनिट TOTAL Vote '0' दर्शाती है।

अथवा

(ii) कन्ट्रोल यूनिट TOTAL Vote '0' से अधिक दर्शाती है। (अर्थात मॉक पोल डाटा नही मिटाया गया है), अतः मॉक पोल डाटा मिटाएं (Clearकरें)

पीठासीन अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

निम्नांकित व्यक्ति मॉक पोल के समय साक्षी रहे एवं उनके द्वारा प्रमाणित किया गया है कि मॉक पोल उपरान्त दिखावटी मतों का मिलान हुआ है एवं दिखावटी मतों को कन्ट्रोल यूनिट से मिटा दिया गया है

स.क्र.	मतदान अधिकारी का नाम	हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट

(अध्याय–4, पैरा 4.6)

भाग–II कन्ट्रोल यूनिट का पॉवर पैक प्रतिस्थापन (Replacement)

(केस/परिस्थिति के अनुरूप मॉक पोल के दौरान, मतदान के दौरान और मतदान समाप्ति के पश्चात् भरा जाना है)

निर्वाचन का नाम – .....

विधानसभा क्षेत्र/विधानसभा खण्ड का नाम एवं क्रमांक – .....

लोकसभा क्षेत्र का नाम एवं क्रमांक – .....

मतदान केन्द्र क्रमांक – .....

(a) मॉक पोल/वास्तविक मतदान (जो लागू न हो उसे काट दे) के दौरान कन्ट्रोल यूनिट के पॉवर पैक के प्रतिस्थापन का विवरण

(i) कन्ट्रोल यूनिट (CU) की यूनिक आईडी

(ii) कन्ट्रोल यूनिट (CU) के पॉवर पैक बदलने का कारण

(iii) पुराने एड्रेस टैग की यूनिक आईडी जिसे कंट्रोल यूनिट के पावर पैक को बदलने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा काटा गया था

(iv) कन्ट्रोल यूनिट (CU) के बैटरी सेक्शन को सील करने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा उपयोग किए गए नए एड्रेस टैग की यूनिक आईडी

(b) निम्नांकित मतदान अभिकर्ता कन्ट्रोल यूनिट से पॉवर पैक के प्रस्थिापन के दौरान साक्षी रहे हैं

स.क्र.	मतदान अभिकर्ता का नाम	दल का नाम/निर्दलीय	अभ्यर्थी का नाम	मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

यदि एक से अधिक बार प्रतिस्थापन होते है तो उपरोक्त जानकारी को समान प्ररूप में पृथक से भरें (दोहराएं)

पीठासीन अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

सेक्टर अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट

(अध्याय–1, पैरा 1.13)

भाग–III मतदान पूर्ण होने के पश्चात CLOSE बटन दबाया जाना

निर्वाचन का नाम– .....

विधानसभा क्षेत्र/विधानसभा खण्ड का नाम एवं क्रमांक – .....

लोकसभा क्षेत्र का नाम एवं क्रमांक –.....

मतदान केन्द्र क्रमांक – .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में मतदान के अंत में कन्ट्रोल यूनिट का Close बटन दबाया है।

स.क्र	मतदान अधिकारी का नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षर
1		
2		
3		
4		

स. क्र.	मतदान अभिकर्ता का नाम	दल का नाम/निर्दलीय	अभ्यर्थी का नाम	मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

पीठासीन अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट

(अध्याय–1, पैरा 1.14)

भाग–IV EVM & VVPAT प्रतिस्थापन (Replacement)

मॉक पोल के दौरान प्रतिस्थापन, यदि कोई हो

निर्वाचन का नाम – .....

विधानसभा क्षेत्र/विधानसभा खण्ड का नाम एवं क्रमांक – .....

लोकसभा क्षेत्र का नाम एवं क्रमांक – .....

मतदान केन्द्र क्रमांक – .....

(a) उपयोग किये गए EVM & VVPAT का विवरण

स.क्र	विशिष्टियां	Ballot Unit	Control Unit	VVPAT	प्रतिस्थापन की दशा में सेक्टर अधिकारी के हस्ताक्षर
1	वितरण के समय दिए गए यूनिट के यूनिक आईडी				
2	(a) चिन्हांकित करें (Y) जो यूनिट मॉक पोल के दौरान अकार्यशील पाया गया				
	(b) अकार्यशील होने के कारण (कन्ट्रोल यूनिट द्वारा दर्शाए गए एरर कोड का उल्लेख करें)				
3	मॉक पोल के दौरान प्रतिस्थापित कर प्रदाय किए गए यूनिट की यूनिक आईडी				

(b) निम्नांकित मतदान अभिकर्ता प्रस्थिापन प्रक्रिया के दौरान साक्षी रहे हैं :

स. क्र.	मतदान अभिकर्ता का नाम	दल का नाम/निर्दलीय	अभ्यर्थी का नाम	मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

पीठासीन अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट

(अध्याय–1, पैरा 1.14)

भाग–V EVM & VVPAT प्रतिस्थापन (Replacement)

केस/परिस्थिति के अनुरूप मतदान के दौरान और मतदान समाप्ति के पश्चात् भरा जाना है

निर्वाचन का नाम – .....

विधानसभा क्षेत्र/विधानसभा खण्ड का नाम एवं क्रमांक – .....

लोकसभा क्षेत्र का नाम एवं क्रमांक – .....

मतदान केन्द्र क्रमांक – .....

(a) EVM & VVPAT का वास्तविक मतदान के दौरान प्रतिस्थापन

स.क्र	विशिष्टियां	Ballot Unit	Control Unit	VVPAT
1	(a)वास्तविक मतदान के दौरान अकार्यशील पाए गए यूनिट के यूनिक आईडी			
	(b) त्रुटि के उत्पन्न होने का समय			
	(c)यूनिट के अकार्यशील पाए जाने के समय कन्ट्रोल यूनिट में रिकार्ड मतों की संख्या			
	(d)अकार्यशील होने का कारण (कन्ट्रोल यूनिट में दर्शित त्रुटि/कोड दर्ज करें)			
	(e) बीप की आवाज सुनी गई		हां/नही	
	(f)प्रतिस्थापन कर प्रदाय किए गए यूनिट का यूनिक आईडी			
	(g)मतदान पुनः प्रारंभ किए जाने का समय			
2	रिमार्क, यदि कोई हो तो			

(b) निम्नांकित मतदान अभिकर्ता प्रस्थिापन प्रक्रिया के दौरान साक्षी रहे हैं

स. क्र.	मतदान अभिकर्ता का नाम	दल का नाम/निर्दलीय	अभ्यर्थी का नाम	मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

यदि एक से अधिक बार प्रतिस्थापन होते है तो उपरोक्त जानकारी को समान प्ररूप में पृथक से भरें (दोहराएं)

पीठासीन अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

सेक्टर अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

अनुलग्नक–6

(अध्याय–1, पैरा 1.12)

पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा

भाग–I

मतदान आरंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा

..... संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन

मतदान केन्द्र की क्रम संख्या और नाम .....

मतदान की तारीख .....

मै. एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ

(1) कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष प्रदर्शित किया है –

(i) मॉक पोल आयोजित कर के यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान मशीन पूर्णतया चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकार्ड नहीं किया गया है; मॉक पोल के बाद हमने ईवीएम (कंट्रोल यूनिट) से मॉक पोल डेटा साफ (Clear) कर दिया है, और VVPAT ड्रॉप बॉक्स से प्रिंटेड पेपर पर्चियां हटा दी हैं।

(ii) यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र और निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के सिवाय कोई भी चिन्ह नहीं है।

(iii) यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि मतदान के दौरान प्रयुक्त किये जाने वाले मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17A) पर किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई भी प्रविष्टि नहीं है।

(2) यह कि मैंने मतदान मशीन के कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम अनुभाग को सुरक्षा के लिए प्रयुक्त पेपर सील (लों) पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा लिए है जो उपस्थित है और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

(3) यह कि मैंने स्पेशल टैग पर कन्ट्रोल यूनिट का क्रम संख्या लिख के दी है और मैने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिये है, जो उपस्थित है और हस्ताक्षर करने के इच्छुक है।

(4) मैंने संशोधित नई हरी पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है तथा उस पर ऐसे उपस्थित अभ्यर्थियों तथा एजेन्ट के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये है जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक है।

(5) यह कि मैंने स्पेशल टैग पर पूर्व से छपी क्रम संख्या पढ़ा दी है और उपस्थित अभ्यर्थियो/मतदान अभिकर्ताओं से क्रम संख्या नोट करने के लिये कह दिया है।

हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

2 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

3 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

4 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

5 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

6 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

7 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

8 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

9 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इंकार किया –

1 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 2 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

3 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 4 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....

पीठासीन अधिकारी

भाग–II

पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चात्वर्ती मतदान मशीन के उपयोग, यदि कोई हो, के समय घोषणा

..... संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन

मतदान केन्द्र की क्रम संख्या और नाम .....

मतदान की तारीख .....

मै. एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ

कि BU/CUमें ..... (कृपया त्रुटि/Error का प्रकार का उल्लेख करें) त्रुटि के कारण पूरी EVM जिसमें BU/CU/VVPAT शामिल है, का प्रतिस्थापन किया गया.

(1) कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष प्रदर्शित किया है –

(a) मॉक पोल आयोजित कर के यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान मशीन पूर्णतया चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकार्ड नहीं किया गया है; मॉक पोल के बाद हमने ईवीएम (कंट्रोल यूनिट) से मॉक पोल डेटा साफ (Clear) कर दिया है, और VVPAT ड्रॉप बॉक्स से प्रिंटेड पेपर पर्चियां हटा दी हैं।

(b) यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र और निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के सिवाय कोई भी चिन्ह नहीं है।

(c) यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि मतदान के दौरान प्रयुक्त किये जाने वाले मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17A) पर किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई भी प्रविष्टि नहीं है।

(2) यह कि मैंने मतदान मशीन के कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम अनुभाग को सुरक्षा के लिए प्रयुक्त पेपर सील (लों) पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा लिए है जो उपस्थित है और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

(3) यह कि मैंने स्पेशल टैग पर कन्ट्रोल यूनिट का क्रम संख्या लिख के दी है और मैने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिये है, जो उपस्थित है और हस्ताक्षर करने के इच्छुक है।

(4) मैंने संशोधित नई हरी पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है तथा उस पर ऐसे उपस्थित अभ्यर्थियों तथा एजेन्ट के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये है जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक है।

(5) यह कि मैंने स्पेशल टैग पर पूर्व से छपी क्रम संख्या पढ़ा दी है और उपस्थित अभ्यर्थियो/मतदान अभिकर्ताओं से क्रम संख्या नोट करने के लिये कह दिया है।

हस्ताक्षर .....

पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

2 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

3 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

4 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

5 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

6 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

7 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

8 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

9 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इंकार किया –

1 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 2 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

3 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 4 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....

पीठासीन अधिकारी

भाग–III

मतदान समाप्ति पर घोषणा

..... संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन

मतदान केन्द्र की क्रम संख्या और नाम .....

मतदान की तारीख .....

मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान समाप्त होने के समय मतदान केन्द्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 S (2) के अधीन यथा–अपेक्षित प्ररूप 17C के भाग–I रिकार्ड किये गये मतों का लेखा में प्रत्येक प्रविष्टि की एक–एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है।

दिनांक .....

समय .....

हस्ताक्षर .....

पीठासीन अधिकारी

रिकार्ड किये गये मतों के लेखों (प्ररूप 17C का भाग –I) में की गयी प्रविष्टियों की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त की।

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

2 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

3 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

4 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

5 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

6 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

7 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

8 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

9 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने जो मतदान बन्द होने के समय उपस्थित थे, प्ररूप 17C के भाग–I की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त करने और उसकी रसीद देने से इंकार कर दिया है, अतः उन्हें उक्त प्ररूप की एक अनुप्रमाणित प्रति नही दी गयी है।

1 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

2 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

3 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

4 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

5 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

6 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

7 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

8 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

9 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....

पीठासीन अधिकारी

भाग–IV

मतदान मशीन को मुहरबंद करने के पश्चात् घोषणा

..... संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन

मतदान केन्द्र की क्रम संख्या और नाम .....

मतदान की तारीख .....

मतदान मशीन की कन्ट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट के कैरिंग केसों पर मैने मेरी मुद्रा लगा दी है, और उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान के समाप्ति पर मतदान केन्द्र में उपस्थित थे, उनकी मुद्रा लगाने की अनुज्ञा दे दी है।

समय .....

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....

पीठासीन अधिकारी

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने अपनी मुद्राएं लगा दी है.

1 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 2 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

3 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 4 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

5 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 6 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

7 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 8 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

9 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने अपने मुद्रा लगाने से इंकार कर दिया या मुद्रा लगानी नही चाही।

1 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 2 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

3 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 4 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

5 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 6 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

7 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 8 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

9 .....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

हस्ताक्षर .....

पीठासीन अधिकारी

अनुलग्नक – 7

(अध्याय–1, पैरा 1.12)

पीठासीन अधिकारी की डायरी

1. निर्वाचन क्षेत्र का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : .....

2. मतदान की तारीख : .....

3. मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम .....

मतदान केन्द्र निम्नलिखित में से कहां स्थित है –

(i) शासकीय या अर्द्ध शासकीय भवन :

(ii) निजी भवन :

(iii) अस्थायी संरचना :

4. स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या, यदि कोई हो :

5. सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी, यदि कोई हो, और ऐसी नियुक्ति के कारण :

6. मतदान मशीन

(i) उपयोग में लायी गयी कन्ट्रोल यूनिट (CU) की संख्या :

(ii) उपयोग में लायी गयी कन्ट्रोल यूनिट की क्रम संख्या :

(iii) उपयोग में लायी गयी मतदान यूनिट (BU)की संख्या :

(iv) उपयोग में लायी गयी मतदान यूनिट की क्रम संख्या :

7. (i) उपयोग में लायी गयी पेपर सीलों की संख्या :

(ii) उपयोग में लायी गयी पेपर सीलों की क्रम संख्या :

7. (A) (i) प्रदाय किए गए स्पेशल टैग की संख्या :

(ii) प्रदाय किए गए स्पेशल टैग की क्रम संख्या :

(iv) उपयोग में लाये गये स्पेशल टैग की संख्या :

(v) उपयोग में लाये गये स्पेशल टैग की क्रम संख्या :

(vi) उपयोग में न लाए गए वापस किए गए स्पेशल टैग की क्रम संख्या :

7.(B) जिन मतदान केन्द्रों में VVPATका उपयोग हुआ है उन पर लागू व्यवस्था

(i) उपयोग किये गये प्रिंटर (VVPAT) की संख्या

(ii) प्रिंटर (VVPAT)का सरल क्रमांक

8. ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किये हैं

9. (i) मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या

(ii) अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आये हो

(iii) मतदान के समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या

10. (i) मतदान केन्द्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या :

(ii) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किये गये निर्वाचकों की संख्या :

(iii) मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17A) में प्रविष्ट मतदाताओं की संख्या :

(iv) मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किए गए मतों की संख्या :

(i) मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो, यदि हो तो :

प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदाताओं के रजिस्टर के भारसाधक
मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर

11. निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए –
पुरूष .....
महिला .....
थर्ड जेन्डर .....
कुल .....

12. अभ्याक्षेपित (चैलेंज्ड) मत–
स्वीकृत संख्या .....
अस्वीकृत संख्या .....
जब्त की गयी रकम Rs. .....

13. उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण–पत्र (EDC) प्रस्तुत करने पर मत दिये :

13.A प्रवासी (Overseas) मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान किया :

14. ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से वोट दिये :

15. प्रॉक्सी द्वारा दिये गये मतों की संख्या :

16. निविदत्त मतों की संख्या :

17. निर्वाचकों की संख्या –
(a) जिनसे उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की गई –
(b) जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इन्कार किया –

18. क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था, तो ऐसे स्थगन के कारण :

19. प्रत्येक दो घंटों में डाले गये मतों की संख्या –
7 बजे पूर्वान्ह से 9 बजे पूर्वान्ह तक
9 बजे पूर्वान्ह से 11 बजे पूर्वन्ह तक
11 बजे पूर्वान्ह से 1 बजे अपरान्ह तक
1 बजे अपरान्ह से 3 बजे अपरान्ह तक
3 बजे अपरान्ह से 5 बजे अपरान्ह तक
(मतदान के प्रारम्भ और समापन के समय के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं)

19.B विजिट शीट के अनुसार मतदान केन्द्र का भ्रमण करने वाले आगन्तुकों के विवरण

स. क्र.	भ्रमण करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम (Observer/DEO/RO/ARO/Sector magistrate/Zonal Magistrate)	भ्रमण का समय	मतदान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण (शांतिपूर्ण / घटना, यदि कोई हो तो)	भ्रमण के समय तक डाले गये मतों की संख्या	
				प्ररुप 17 A के अनुसार	EVMके अनुसार

20. (a) मतदान समाप्त होने के समय कतार में लगे हुए मतदाताओं को दी गयी पर्चियों की संख्या :

(b) अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय :

21. निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण

मामलों की संख्या –

(a) मतदान केन्द्र से एक सौ मीटर की दूरी के अन्तर में मत प्रचार :

(b) मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना :

(c) मतदान केन्द्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना :

(d) मतदाताओं को रिश्वत देना :

(e) मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना :

(f) मतदान केन्द्र पर कब्जा करना :

22. क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उत्पन्न उपस्थित हुई :–

(1) बलवा :

(2) खुली हिंसा :

(3) प्राकृतिक विपत्ति :

(4) बूथ पर कब्जा :

(5) मतदान मशीन का विफल होना :

(6) अन्य कोई कारण :

कृपया उपर्युक्त के बारे में ब्यौरा दें.

23. क्या मतदान केन्द्र पर उपयोग में लायी गयी किसी भी मतदान मशीन को :–

(a) पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर ले जाया गया:

(b) आकस्मिक या जानबूझकर गुमाने या नष्ट कर के :

(c) क्षतिग्रस्त या प्रतिरूपण (छेड़छाड़) करके मतदान को दूषित किया गया :

कृपया ब्यौरा दे

24. अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं द्वारा की गयी गम्भीर शिकायतें, यदि कोई हो :

25. विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या :

26. मतदान केन्द्र पर की गयी त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट, यदि कोई हो :

27. क्या मतदान के प्रारंभ के पूर्व, और यदि आवश्यक हो, मतदान के बीच में किसी नयी मतदान मशीन को उपयोग में लाने के समय तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं की।

स्थान .....

दिनांक .....

पीठासीन अधिकारी

यह डायरी, मतदान मशीन, विजिट शीट और अन्य मुहरबंद पत्रों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को भेजी जानी चाहिए.

अनुलग्नक–8
(अध्याय–1, पैरा 1.12)

प्ररूप 17C(प्ररूप 17ग)
[नियम 49 S और 56 C(2) देखिए]
भाग–I रिकार्ड किए गए मतों का लेखा

..... निर्वाचन क्षेत्र से ..... लोकसभा/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के लिए निर्वाचन .....

मतदान केन्द्र की संख्या और नाम .....

मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन

नियंत्रण (कन्ट्रोल) यूनिट .....

मतदान (बैलेट) यूनिट .....

VVPAT.....

1. मतदान केन्द्र के लिए नियत निर्वाचकों की कुल संख्या – .....
2. मतदाता रजिस्टर (प्ररुप 17A) में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या– .....
3. नियम 49–O के अधीन मत रिकार्ड नही करने का विनिश्चिय करने वाले मतदाताओं की संख्या–
4. नियम 49–M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नही किए गए मतदाताओं की संख्या– .....
5. नियम 49–MA(d) के अधीन रिकार्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी– .....

   (a) घटाये जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या

कुल संख्या	प्ररूप 17A में मतदाताओं की क्रम संख्या
.....	.....

   (b) अभ्यर्थी, जिनकें लिए परीक्षण मत डाले गए :

सरल क्र.	अभ्यर्थी का नाम	मतों की संख्या
.....	.....	.....
.....	.....	.....

6. मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किए गए मतों की कुल संख्या .....
7. क्या मद 6 के सामने दर्शित मतों की संख्या, मद 2 के सामने दर्शित मतदाताओं की कुल संख्या ऋण मद 3 के सामने यथादर्शित मत रिकार्ड नही करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या ऋण मद के 4 के सामने यथादर्शित मतदान करने के लिए अनुज्ञात नही किए गए मतदाताओं की संख्या (अर्थात 6=2–3–4) से मेल करती है, अथवा पाया गया अन्तर यदि कोई हो.....
8. उन मतदाताओं की संख्या जिन्हे निविदत्त मत पत्र नियम 49P के अधीन जारी किए गए–.....
9. निविदत्त मतपत्रों की संख्या

		कुल	स.क्र. से	तक
(a)	उपयोग के लिए प्राप्त	.....		
(b)	निर्वाचकों को जारी किए गए	.....		
(c)	अप्रयुक्त और वापिस किए गए	.....	.....	.....

10. पेपर सीलों का लेखा

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. प्रदाय की गयी पेपर सील की कुल संख्या ..... 1. .....

   स.क्र. .....से .....तक

2. प्रयुक्त किए गए पेपर सील की कुल संख्या ..... 2. .....

   स.क्र. .....से .....तक

3. रिटर्निंग अधिकारी को वापिस की गई अप्रयुक्त पेपर

   कुल संख्या ..... 3 .....

   स.क्र. . .....से .....तक

4. क्षतिग्रस्त पेपर सील की यदि कोई हो कुल संख्या ..... 4 .....

   स.क्र. .....से .....तक 5. .....

   6. .....

स्थान .....

दिनांक .....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र क्रमांक .....

अनुलग्नक – 9

(अध्याय – 1, पैरा 1.12)

पीठासीन अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा

(i) नियुक्त होने पर।

(ii) मतदान के दिन से एक दिन पूर्व।

(iii) मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर पहुंचने पर।

(iv) मतदान के समय के दौरान।

(v) मतदान पूरा होने के पश्चात्।

I. नियुक्ति होने पर

1.1 जब आप अपना नियुक्ति आदेश प्राप्त कर ले, तब आप कृपया निम्नलिखित बातों की सावधानीपूर्वक जांच और परीक्षण कर लें:–

a) अपने मतदान केन्द्र का नाम क्रम और संख्या;

b) उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम जिसके भीतर वह मतदान केन्द्र स्थित है

c) आपके मतदान केन्द्र का सटीक स्थल

यह सूचना आपको अपने नियुक्ति आदेश में ही मिल जायेगी आपको अपने मतदान अधिकारियों के नाम भी उसी आदेश में मिल जायेगे आप उनसे सम्पर्क स्थापित करने का प्रत्यन करें और उनके घर के तथा कार्यालय के पते आपने पास रख लें और अपने घर का तथा कार्यालय का पता उनको दे दें। आप अधिक से अधिक प्रशिक्षण कक्षाओं में उपस्थित हों ताकि आप EVM और VVPAT के प्रचालन से भलिभॉति परिचित हो जायें। आप अपने स्मरण शक्ति और पूर्व अनुभवों पर कदापि निर्भर न रहें क्योकि इससे आपको धोखा हो सकता है। अनुदेशों में समय समय पर बहुत परिवर्तन होते रहते है।

1.2 निम्नलिखित पाम्पलेटों और पुस्तिकाओं को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ लें:–

(a) पीठासीन अधिकारियों के लिये निर्देश पुस्तिका:

(b) इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन एवं वीवीपैट की नियमावली

(c) पीठासीन अधिकारियों के नाम रिटर्निंग ऑफिसर का वह पत्र जिसमें महत्वपूर्ण अनुदेश दियें गये हो।

1.3 आप मतदान सामग्री की मदों से परिचित हो जायें।

1.4 आप कंट्रोल यूनिट (CU), मतपत्र इकाई (BU), और VVPAT को परस्पर जोड़ने और अलग करने तथा कंट्रोल यूनिट और VVPAT के बंद करने और मुहरबंद करने की विधि का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें।

1.5. आप अनुलग्नकों में दिए गए विभिन्न प्रकार के सांविधिक और असांविधिक प्ररूपों को सावधानी पूर्वक पढ़ लें।

1.6 आप **अनुलग्नक–I** में दिए गए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 की सुसंगत धाराओं और **अनुलग्नक–II** में दिए गए निर्वाचन के संचालन नियम, 1961 के सुसंगत नियमों को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ लें। यदि आपकों कोई भी संदेह हो तो आप अपने रिटर्निंग ऑफिसर से सम्पर्क करें और संदेह का निराकरण कर लें। आप कभी किसी बात के बारे में संदेह की स्थिति में न रहें।

II. मतदान के दिन से एक दिन पूर्व का दिन

2.1 मतदान के दिन से एक दिन पहले आपको कहा जायेगा कि आपके मतदान केन्द्र पर उपयोग में आने वाले सामग्री प्राप्त कर लें। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि:–

(a) आपको दी गई कंट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट (यूनिटों) और VVPAT आपके मतदान केन्द्र से ही संबंधित है। इन इकाई के एड्रेस टैग पर लिखी यूनिट आई. डी., क्रमांक का मिलान मशीनों के पीछे लगी धातु की प्लेट/ बार–कोड़ से कर लें।

(b) कंट्रोल यूनिट का कैंडिडेट सेट सेक्शन सम्यक् रूप से मुहरबंद है और एड्रेस टैग उससे मजबूती से लगा हुआ है।

(c) कंट्रोल यूनिट की बैटरी पूर्ण रूप से परिचालित है;

(d) मतदान यूनिट (यूनिटों) के शिखर और तल दोनों के दाहिने भाग को सम्यक् रूप से सील कर दिया गया है और एड्रेस टैग मजबूती से लगा दिये गये है;

(e) समुचित मतपत्र प्रत्येक मतदान यूनिट पर लगा दिया गया है और मतपत्र स्क्रीन के नीचे उचित रूप से पंक्तिबद्ध (एक सीध) कर दिया गया है;

(f) स्लाईड/थम्ब व्हील स्विच को प्रत्येक मतदान में समुचित स्थिति में सेट कर दिया गया है।

(g) अनुलग्नक 3 में वर्णित मतदान सामग्री की सभी वस्तुएं अपेक्षित मात्रा में आपकों दे दी गई है

(h) पेपर सीलों के क्रम संख्याओं की जांच कर लें

(i) निर्वाचक नामावली की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए कर लें कि

1. एकीकृत नामावली की प्रतियां दे दी गयी है
2. पीठासीन अधिकारी को आवंटित मतदान केन्द्र अनुसार नामावली पर भाग संख्या सही है;
3. निर्वाचक नामावली की वर्किंग प्रतियों में पृष्ठ संख्या क्रमबद्ध रूप से दी गयी है:
4. मतदाताओं के मुद्रित क्रम संख्या में शुद्धियां नही की हुई हैं और न ही उनके स्थान पर वैकल्पिक नई संख्या दी गई है,

(j) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों और अभ्यर्थी की सूची जो प्रति आपको दी गयी है उसकी जांच कर लें सूची में दिये गये अभ्यर्थियों के नामों फोटोग्राफ और प्रतीकों का मिलान करना चाहिए और उसका क्रम भी वही होना चाहिए जो मतदान यूनिट के मतपत्र पर है। यह भी जाँच ले यदि आपको निम्न सूची प्राप्त हो गयी हो:–

1. मतदान केन्द्र के क्षेत्र चित्रण का नोटिस
2. ASD, AIS और CSV सूची

(k) इस बात की जांच कर ले कि आपको अमिट स्याही की जो शीशी दी गयी है उसमें अमिट स्याही की पर्याप्त मात्रा है। उनकी डाट ठीक तरह से सील की हुयी है। यदि ऐसा न हो तो मोमबत्ती की मोम से उसे पुनः बंद कर दें।

(l) क्रास मार्क रबर की मुहर और अपनी पीतल की मुहर की जांच कर लें यह भी सुनिश्चित कर लें कि ऐरोक्रास मार्क रबर स्टैंप के दोनो तरफ मुहरें चिपकी हुई है और स्टाम्प पैड सूखे नहीं हैं। यदि आपके मतदान केन्द्र को किसी अस्थायी संरचना में (Temporary Structure) अवस्थित होने का प्रस्ताव हो तो आप निर्वाचन पत्रों को रखने के लिए पर्याप्त आकार का लोहे का सन्दूक प्राप्त कर लें।

(m) यदि आपको अपने आने–जाने के कार्यक्रम, मतदान केन्द्र पर पहुंचने के मार्ग के बारे में किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो आप उसको स्पष्ट कर लें और केन्द्र पर पहुंचने का समय प्रस्थान करने का स्थान और जाने के लिए वाहन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें।

2.2 (a) आप एवं आपके दल को मतदान केन्द्र पर पहुँचने के लिए निर्दिष्ट वाहन का ही उपयोग करें।

(b) आप अपने मतदान केन्द्र पर मतदान के दिन से पूर्व के दिन, अधिक से अधिक 4 बजे सायं तक पहुंच जावें और यह सुनिश्चित कर लें कि

(i) मतदान केन्द्र के बाहर मतदाताओं को प्रतीक्षा करने के लिए और पुरुष और महिला मतदाताओं की अलग–अलग पंक्तियां बनाने के लिये पर्याप्त स्थान हैं;

(ii) मतदाताओं के प्रवेश करने और बाहर जाने के लिए पृथक–पृथक रास्तें हैं;

(iii) मतदान क्षेत्र और उसके मतदाताओं के बारे में ब्यौरे दर्शित करने वाली सूचना विशिष्ट रूप से प्रदर्शित कर दी गयी है।

(iv) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति विशिष्ट रूप से प्रदर्शित कर दी गयी है;

(c) महिला सहायक सहित ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करें जिनकी सहायता की जरूरत आपकों मतदाताओं की पहचान करने के लिए होगी।

(d) वह स्थान नियत कर लें जहां आप, आपका मतदान अधिकारी और अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता बैठेंगे और मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट रखी जायेगी।

(e) किसी राजनैतिक दल के किसी नेता का कोई भी फोटो मतदान केन्द्र पर टंगा हो तो उसे हटा दें या पूर्णतया ढक दें।

2.3 आपको सौंपी गई मतदान मशीन और मतदान सामग्री तब तक आपकी अभिरक्षा में रहनी चाहिए, जब तक मतदान समाप्त न हो जाये तथा मतदान मशीन VVPAT और सामग्री आपके द्वारा वापस न सौंप दी जाये। मतदान केन्द्र पर आपके पहुंचने के क्षण से ही आप या आपके द्वारा चयनित मतदान अधिकारियों में से कोई एक मतदान केन्द्र पर मतदान मशीनVVPAT और मतदान सामग्री का प्रभारी रहना चाहिए। मतदान मशीन, VVPAT और मतदान सामग्री की आप स्वयं या आपके द्वारा चयनित मतदान अधिकारी के अलावा मतदान केन्द्र पर कार्यरत् पुलिस गार्ड या किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में नहीं छोड़ी जानी चाहिए।

I. मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर पहुंचने पर

3.1 आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप और आपके मतदान दल के अन्य सदस्य मतदान आरंभ होने के लिए मतदान दिवस से एक दिन पूर्व मतदान केन्द्र पर पहुंच जायें वहां पहुंचने पर आप मतदान मशीन और मतदान सामग्री की जांच कर लें।

3.2 मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्रों की जांच कर लें और उनको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के उपबंध समझा दें। उनको बैठने की जगह नियत कर दें, और उन्हें आने–जाने के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दें। अध्याय 4 में यथानिर्दिष्ट घोषणा पढ़कर सुना दें।

3.3 यदि आपके मतदान दल का कोई मतदान अधिकारी नहीं आया हो तो आप उसके स्थान पर एक मतदान अधिकारी नियुक्ति करने की व्यवस्था करें।

3.4 मतदान के आरंभ के लिए नियत समय से 90 मिनिट पूर्व मतदान मशीन एवं वीवीपैट को मॉक पोल के लिए तैयार करना प्रारंभ कर दें।

3.5 मॉक पोल के पश्चात और CU और VVPATको सील करने के पहले, VVPAT की पेपर पर्ची को ड्राप बॉक्स से हटायें और BU के डाटा को विलोपित कर दें। मतदान केन्द्र में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से हस्ताक्षर लेने के बाद, मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार करें। साथ ही RO को मॉक पोल के दौरान सभी मतदान अभिकर्ताओं की गैर मौजूदगी या केवल एक अभिकर्ता की मौजूदगी का प्रतिवेदन प्रेषित करें।

3.6 ग्रीन पेपर सील लगा दें और नियंत्रण यूनिट के परिणाम भाग को बंद तथा मुहरबंद कर दें VVPAT के ड्राप बॉक्स को सील करें।

3.7 अमिट स्याही की शीशी इस तरीके से रखें जिससे स्याही फैलने न पाये।

IV. मतदान के दौरान

4.1 आप यह सुनिश्चित कर लें कि मतदान ठीक नियत समय पर ही प्रारंभ होता है। यद्यपि सारी औपचारिकताएं पूरी न भी हुई हो तो भी नियत समय पर कुछ मतदाताओं को मतदान केन्द्र के अंदर आ जाने दें।

4.2 मतदान के दौरान असाधारण प्रकृति के अनेक जटिल मामलें उत्पन्न होने की संभावना रहती है। आप ऐसे मामलों को स्वयं निपटायें और मतदान अधिकारियों को अपना सामान्य कार्य करने दें। ऐसे मामलें निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं :–

(a) किसी मतदाता के बारे में चुनौती (चैलेंज) (अध्याय 4&5);

(b) अवयस्कों द्वारा मतदान (अध्याय 5);

(c) अंधे या दिव्यांग मतदाताओं द्वारा मतदान (अध्याय 5);

(d) मत नहीं देने का विनिश्चय करने वाले मतदाता (अध्याय 5);

(e) निविदत्त मत (अध्याय 5);

(f) मतदान की गोपनीयता भंग करना (अध्याय 5);

(g) बूथ पर उपद्रवी आचरण और उपद्रवी व्यक्तियों कावहां से हटाया जाना (अध्याय 4);

(h) बलवे या किसी अन्य कारण से मतदान का स्थगन (अध्याय 6);

(i) जहां VVPATका उपयोग किया गया हो, वहां पेपर स्लिप पर प्रिंटेड विवरण के संबंध में शिकायत(अध्याय 5);

4.3 प्रत्येक दो घंटे बाद मतदान से संबंधित सांख्यिकीय की सूचना अपनी डायरी की मद 19 के संकलन के लिए इकट्ठी करें। साथ ही ब्रेल मत का उपयोग करने वाले मतदाता की जानकारी रखें।

4.4 नियत समय पर मतदान बंद करा दें यद्यपि मतदान कुछ देर से प्रारंभ किया गया हो। उस समय पर जो व्यक्ति पंक्ति में खड़े हो उनको आप अपने हस्ताक्षर करके पर्चियां बटवा दें। यह सुनिश्चित कर लें कि नियत समय के पश्चात् कोई भी अतिरिक्त व्यक्ति उस पंक्ति में न आ पाये।

V. मतदान पूरा होने के पश्चात्

5.1 अध्याय 7 में दिये गये अनुदेशों के अनुसार मतदान मशीन और VVPAT को बंद और मुहरबंद कर दें।

5.2 उन महिला मतदाताओं तथा वे मतदाता जिन्होंने EPIC के बिना व अन्य दस्तावेज के साथ, जिसने ब्रेल का उपयोग करके अथवा ASD सूची अनुसार मत दिया है, की संख्या अभिनिश्चित करें।

5.3 प्ररूप 17C (रिकार्ड किये गये मतों का लेखा और पेपर सील लेखा) पूरा कर लें। मतदान के बंद होने पर वहां उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को प्ररूप 17C की एक अनुप्रमाणित शुद्ध प्रति, अध्याय 7 में यथानिर्दिष्ट घोषणा प्ररूप पर उनसे उसकी रसीद प्राप्त करने के पश्चात् दे दें। उसके पश्चात् उस घोषणा के अन्य विवरणों को पूरा कर लें।

5.4 पीठासीन अधिकारी की डायरी पूरी तरह से भर लें

5.5 अध्याय 7 में अनुदेशों के अनुसार सभी निर्वाचन पत्रों को मुहरबंद कर दें।

5.6 मुहरबंद मतदान मशीन, वीवीपैट और मुहरबंद निर्वाचन पत्रों के पैकेट संग्रहण केन्द्र में जमा कराने के लिए वापसी यात्रा के कार्यक्रम का अनुसरण करें। संग्रहण केन्द्र पर मतदान मशीन, वीवीपैट और अन्य पैकेटों को सही–सलमात स्थिति में जमा कराने और उसकी रसीद प्राप्त करने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से आपकी है।

अनुलग्नक –10

(अध्याय–1, पैरा 1.12)

पीठासीन अधिकारी के लिए जाँच मेमो

क्र.	की जाने वाली कार्रवाई	टिप्पणी
1	रिटर्निंग अधिकारी से सभी प्रासंगिक निर्देश प्राप्त करना और अपने पास रखना।	क्या प्राप्त कर लिया गया है?
2	मतदान दल के अन्य सदस्यों से परिचित होना और उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना।	क्या किया गया?
3	चुनाव सामग्री का संग्रह, एएसडी मतदाताओं की सूची।	क्या यह सुनिश्चित किया गया कि सभी चुनाव सामग्री और वह भी पर्याप्त मात्रा और संख्या में एकत्र कर ली गई है?
4	मतपत्र इकाई(ओं), नियंत्रण इकाई, वीवीपीएटी, मतदाता सूची की चिह्नित प्रतियां, एरो क्रॉस मार्क रबर स्टांप, हरे पेपर सील, मतदाताओं का रजिस्टर, मतदाता पर्चियां आदि की जांच करना।	क्या किया गया?
5	मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए अलग प्रवेश और निकास द्वार।	क्या सुनिश्चित किया गया?
6	मतदान क्षेत्र और निर्दिष्ट मतदाताओं की संख्या निर्दिष्ट करने वाली सूचना का प्रदर्शन और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की एक प्रति का भी प्रदर्शन।	क्या किया गया?
7	वोटिंग कम्पार्टमेंट में बैलेटिंग यूनिट और वीवीपैट रखने के बाद कंट्रोल यूनिट, बैलेटिंग यूनिट और वीवीपीएटी को आपस में जोड़ना। कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को स्विच ऑन करना।	क्या किया गया?
8	मॉकपोल का आयोजन और नियंत्रण इकाई के परिणाम का वीवीपैट पेपर पर्चियों से मिलान किया गया। क्लियर बटन दबाकर कंट्रोल यूनिट क्लियर करें. वीवीपैट पेपर पर्चियों पर 'मॉकपोल स्लिप' की मोहर लगाने के बाद उसे काले लिफाफे में रखें। लिफाफे को पिंक पेपर सील से सील करें। मॉकपोल प्रमाण पत्र तैयार करें।	क्या किया गया?
9	कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट कंपार्टमेंट पर ग्रीन पेपर सील लगाना। मतदान एजेंटों को हरे पेपर सील की क्रम संख्या नोट करने की अनुमति देना।	क्या किया गया?
10	ग्रीन पेपर सील, एड्रेस टैग और स्पेशल टैग का उपयोग करके नियंत्रण इकाई के परिणाम अनुभाग को सील करना। एड्रेस टैग का उपयोग करके वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स को सील करना।	क्या किया गया?
11	मतदान प्रारंभ होने पर घोषणा किया जाना	क्या किया गया है?
12	मतदान के प्रारंभ में पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की गोपनीयता के संबंध मेंआर. पी. अधिनियम 1951 की धारा 128 के प्रावधानों को पढ़ना।	क्या किया गया?
13	मतदान एजेंटों को बैलेटिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की क्रम संख्या नोट करने की अनुमति देना।	क्या अनुमति दी गई है?
14	बाईं तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगाना और मतदाता रजिस्टर (17A) पर हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान प्राप्त करना। प्रथम मतदाता द्वारा फॉर्म 17 A (मतदाता रजिस्टर) पर हस्ताक्षर करने से पहले मतदान अधिकारी–I पीठासीन अधिकारी के साथ जांच करेगा और फॉर्म 17A में स्याही से दर्ज करेगा कि "नियंत्रण इकाई CU में TOTAL की जांच की गई और शून्य पाया गया"	क्या ठीक से किया गया?
15	कम उम्र के मतदाताओं से घोषणा.	क्या प्राप्त हुआ?
16	पीठासीन अधिकारी की डायरी का रखरखाव	क्या घटनाएँ समय–समय पर, जब भी घटित होती हैं, दर्ज की जाती हैं?
17	विजिट शीट का रखरखाव।	क्या रखरखाव किया गया है?
18	नियत समय पर मतदान समाप्त।	क्या किया गया?
19	सभी मतदान अभिकर्ताओं को फॉर्म 17C में दर्ज मतों के लेखा की प्रतियों की आपूर्ति।	क्या किया गया?
20	ईवीएम – वीवीपैट पर पीठासीन अधिकारियों से मतदान दिवस की रिपोर्ट (भाग–1 से भाग–V)	क्या किया और प्राप्त किया गया?
21	मतदान समाप्ति पर घोषणा किया जाना।	क्या बनाया गया है?

अनुलग्नक – 11

(अध्याय–2, पैरा 2.12)

मतदाता अभिकर्ता/स्थानापन्न अभिकर्ता गतिविधि शीट

लोकसभा/विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एवं नाम .....

मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम .....

क्र.	लोकसभा क्षेत्र का क्रं. एवं नाम	विधानसभा क्षेत्र का क्र. एवं नाम	अभ्यर्थी का नाम	राजनैतिक दल का नाम	मतदान अभिकर्ता/ स्थानापन्न अभिकर्ता का नाम	प्रवेश समय	हस्ताक्षर	निकास का समय	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर

अनुलग्नक – 12

मतदान अभिकर्ता/स्थानापन्न अभिकर्ता का प्रवेश पास

सरल क्र.

प्रवेश पास

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक एवं नाम .....

मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम .....

अभ्यर्थी का नाम .....

मतदान अभिकर्ता का नाम .....

स्थानापन्न मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

पीठासीन ऑफिसर

अनुलग्नक – 13

मतदान अभिकर्ताओं को जारी किए गए प्रवेश पास का लेखा

1. विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम .....
2. मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम .....
3. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या .....
4. मतदान सामग्री के साथ प्राप्त प्रवेश पास की कुल संख्या .....
5. मतदान अभिकर्ताओं को जारी किए गए प्रवेश पास का विवरण

अभ्यर्थी का नाम	क्या प्रवेश पास जारी किया गया	मतदान अभिकर्ता/स्थानापन्न मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

6. अप्रयुक्त प्रवेश पास

पीठासीन अधिकारी के सील एवं हस्ताक्षर

अनुलग्नक - 14

(अध्याय–4, पैरा 4.3.1)

मतदाता का घोषणा पत्र, जिनका नाम अनुपस्थित/स्थानांतरित/मृत ASD सूची में है

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता/करती हूं कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसका नाम वर्ष 20....., की ..... माह की प्रथम अर्हकारी तिथि को विधानसभा क्षेत्र..... के लिए तैयार/पुनरीक्षित की गई मतदाता सूची के भाग संख्या ..... के सरल क्र. ..... में दर्ज है। मुझे ज्ञात है कि निर्वाचन के दौरान प्रतिरूपण IPCकी धारा 171–D के तहत निर्वाचकीय अपराध है।

.....

मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

मतदाता का नाम .....

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित मतदाता द्वारा उपरोक्त घोषणा मेरे सामने की गई है.

.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

.....

मतदान केन्द्र का नाम एवं क्रमांक

दिनांक .....

अनुलग्नक – 15

(अध्याय–5, पैरा 5.8.2)

निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा का प्ररूप

मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूं कि सन् 20..... की ..... माह की प्रथम तिथि को अर्थात् अर्हता की उस तारीख के जिसके प्रतिनिर्देश से इस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षित की गई थी, मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक की थी.

मुझे निर्वाचक नामावली या निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि में किसी नाम के सम्मिलित किये जाने संबंध किसी मिथ्या घोषणा के बारे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के दण्डात्मक उपबंधों के बारे में जानकारी है.

निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप .....

नाम .....

पिता/माता/पति का नाम .....

निर्वाचक नामावली का भाग संख्या .....

निर्वाचक की क्रम संख्या .....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नामधारी निर्वाचक ने मेरे सामने उपर्युक्त सत्यनिष्ठा की घोषणा की और उस पर हस्ताक्षर किए.

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर.....

मतदान केन्द्र की संख्या और नाम.....

दिनांक .....

अनुलग्नक–16

(अध्याय–5, पैरा 5.8.3)

निर्वाचकों की आयु के बारे में घोषणा की सूची

..... (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) से ..... के लिए निर्वाचन, मतदान केन्द्र की संख्या तथा नाम .....

भाग–I

उन मतदाताओं की सूची, जिनसे उनकी आयु के संबंध में घोषणाएं प्राप्त की गयी है

क्र.	मतदाता का नाम	निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा–निर्धारित आयु
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

भाग–II

उन मतदाताओं की सूची, जिन्होंने उनकी आयु के संबंध में घोषणाएं करने से इन्कार कर दिया है

क्र.	मतदाता का नाम	निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा–निर्धारित आयु
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

दिनांक .....

पीठासीन अधिकारी

अनुलग्नक – 17

(अध्याय–5, पैरा 5.9.2)

नियम 49 MAके तहत घोषणा

सामान्य/उप निर्वाचन .....

लोकसभा/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का सरल क्रमांक एवं नाम .....

विधानसभा खण्ड का क्रमांक एवं नाम .....

मतदान केन्द्र संख्या एवं नाम .....

मतदाता का घोषणा पत्र का प्ररूप परीक्षण मत दिये जाने के पूर्व भरा जाए

निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 49 MAके तहत

1. निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 49MA के उपनियम (1) के तहत मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता/करती हूँ कि बैलेट यूनिट से जुड़े प्रिंटर से प्रिंटेड पेपर स्लिप में दर्शाया गया उम्मीदवार का नाम और/या चुनाव चिन्ह मेरे द्वारा चयनित उस उम्मीदवार से भिन्न है, जिसके नाम एवं चुनाव चिन्ह के सम्मुख संबंधित नीला बटन दबाकर मैंने अपना मतदान किया था। मेरा यह आरोप सत्य एवं प्रमाणिक है, यह सिद्ध करने के लिए मैं तैयार हूँ–
2. मुझे ज्ञात है कि RP Act1951 की धारा 26 के तहत नियुक्त पीठासीन अधिकारी के समक्ष उक्त बिन्दु (1) में मेरे द्वारा की गई घोषणा यदि गलत पायी जाती है तो IPCकी धारा 177 के दंडात्मक प्रावधान के तहत दण्डित होने, जिसमें कारावास जिसकी अवधि छह तक बढ़ायी जा सकती है, अथवा अर्थदण्ड जिसकी राशि रुपए 1000 तक बढ़ायी जा सकती है, अथवा दोनों के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी.

मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

मतदाता का नाम .....

पिता/माता/पति का नाम .....

मतदाता सूची की भाग संख्या .....

उक्त भाग में मतदाता का सरल क्रमांक .....

मतदाता रजिस्टर (फार्म 17A) में सरल क्रमांक .....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित मतदाता द्वारा उक्त घोषणा मेरे समक्ष की गई है.

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक.....

अनुलग्नक – 18

(अध्याय–5, पैरा 5.2.5)

दृष्टिबाधित या शिथिलांग निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा

..... विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

(अंतर्गत .....लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र)

मतदान केन्द्र का क्रमांक और नाम .....

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... आयु.....वर्ष .....

..... का निवासी, पूरा पता ..... घोषणा करता/करती हूं कि :–

(a) मैने आज तारीख ..... को किसी भी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नही किया है.

(b) मै ..... की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किये गये मत को गुप्त रखूंगा/रखूंगी

साथी के हस्ताक्षर

.....

अनुलग्नक – 19

(अध्याय–5, पैरा 5.7.3)

रसीद पुस्तिका

आपत्ति शुल्क (चैलेंज फीस) के लिए रसीद	फारफीटेड टू गवर्नमेन्ट	आपत्ति शुल्क (चैलेंज फीस) के लिए रसीद
बुक नं. ..... पृष्ठ सं. ..... श्री..... अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदाता अभिकर्ता से 2 रूपये (दो रूपये मात्र) नकद, निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 36 के अधीन आपत्ति को डिपोजिट (निक्षिप्त राशि) के रूप में प्राप्त किए दिनांक ..... **पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र क्रमांक एवं नाम ..... संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ..... के लिए**	**पीठासीन अधिकारी** निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 36 (5) के अधीन राशि रू. 2 रूपये (दो रू. मात्र) वापस प्राप्त की दिनांक ..... **अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता का नाम और हस्ताक्षर**	**बुक नं. ..... पृष्ठ सं. .....** **कार्यालय पीठासीन अधिकारी,** **मतदान केन्द्र नं. .....** **.संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र .....** ..... श्री..... अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता से 2 (दो रूपये मात्र) रूपये नकद, निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 36 के अधीन आपत्ति की निक्षिप्त राशि के रूप में प्राप्त किए. दिनांक ..... **पीठासीन अधिकारी**

रसीद पुस्तिका

आपत्ति शुल्क (चैलेंज फीस) के लिए रसीद	फारफीटेड टू गवर्नमेन्ट	आपत्ति शुल्क (चैलेंज फीस) के लिए रसीद
बुक नं. ..... पृष्ठ सं. ..... श्री..... अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदाता अभिकर्ता से 2 रूपये (दो रूपये मात्र) नकद, निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 36 के अधीन आपत्ति को डिपोजिट (निक्षिप्त राशि) के रूप में प्राप्त किए दिनांक ..... **पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र क्रमांक एवं नाम ..... संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ..... के लिए**	**पीठासीन अधिकारी** निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 36 (5) के अधीन राशि रू. 2 रूपये (दो रू. मात्र) वापस प्राप्त की दिनांक ..... **अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता का नाम और हस्ताक्षर**	**बुक नं. ..... पृष्ठ सं. .....** **कार्यालय पीठासीन अधिकारी,** **मतदान केन्द्र नं. .....** **संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र .....** ..... श्री..... .....अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता से 2 (दो रूपये मात्र) रूपये नकद, निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 36 के अधीन आपत्ति की निक्षिप्त राशि के रूप में प्राप्त किए. दिनांक ..... **पीठासीन अधिकारी**

अनुलग्नक – 20

(अध्याय–5, पैरा 5.7.4)

थाना अधिकारी (SHO)को शिकायती पत्र

सेवा में,

थाना अधिकारी

.....

.....

विषयः– .....संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट..... विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचन मतदान केन्द्र (संख्या..... और नाम .....) में प्रतिरूपण,

मतदान की तारीख.....

महोदय,

मुझे यह सूचित करना है कि श्री.....पुत्र श्री ..... निवासी .... ने इस व्यक्ति की पहचान के बारे में और आक्षेप किया है, जिसे श्री .... के सुपुर्द किया जा रहा है। इस व्यक्ति ने श्री ..... होने का दावा किया है, जिसका नाम ... . निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं. ..... में क्रम संख्या ..... पर दर्शित है, यह व्यक्ति यह साबित नहीं कर सका है कि वही उक्त निर्वाचक है, मेरे विचार में वह छद्मवेशी है. अतः आपसे निवेदन है कि आप भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 171–Fके अधीन यथा अपेक्षित कार्यवाही करें.

भवदीय,

हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी

स्थान .....

दिनांक .....

प्रति ..... विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर और * .....को प्रेषित

प्रति ..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर और * ..... को प्रेषित,

हस्ताक्षर .....

पीठासीन अधिकारी

पावती

उक्त पत्र तथा उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति उपर्युक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा (तारीख) ..... को ..... बजे (समय) मेरे सुपुर्द किए गए.

हस्ताक्षर .....

* यहाँ संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर का पदेन पदनाम लिखें.

अनुलग्नक – 21

(अध्याय – 1, पैरा 1.8,13)

सीयू–बीयू – वीवीपैट की विफलताओं का प्रबंधन/मतदान की तैयारी के दौरान मतदान अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटियों का प्रबंधन हेतु सुझाव

मतदान प्रक्रिया के दौरान कुछ आकस्मिकताएं उत्पन्न हो सकती है: जिनके लिए कुछ निश्चित कार्यवाही की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है –

a. सीयू **(CU)**तथा बीयू **(BU)**के सही तरह से काम न करने की स्थिति में:–(i) सीयू का स्विच ऑफ कर दें और दोबारा ऑन न करें। (ii) ईवीएम तथा वीवीपैट के पूरे सेट को अन्य बीयू, सीयू तथा वीवीपैट से बदल दें। (iii) हालांकि ऐसी स्थिति में मॉक पोल के दौरान नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल एक वोट दिया जाना चाहिए। (iv) मॉक पोल के डेटा तथा नए वीवीपैट के ड्रॉप बाक्स से पेपर स्लिप हटा देने के बाद नए ईवीएम सेट से आगे मतदान जारी रखिए।

b. CUके प्रदर्शन पट्टी में "LinkError" दिखाए जाने की स्थिति में :–(a) जांच कीजिए कि केबल सही तरह से कनेक्टेड है केवल अवलोकन कीजिए(कनेक्टरों को निकालकर दोबारा नहीं जोड़िए) (b) यदि "Link Error" अभी भी दिखाई दे रहा हो, तो ईवीएम तथा वीवीपैट का पूरा सेट बदल दीजिए।

c. CU के डिस्पले पैनल में" CHANGE VVPAT BATTERY"दिखाए जाने की स्थिति में:–CU को स्विच ऑफ कर दें और VVPATप्रिंटर का पावर पैक बदल दें। यह ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में CU को स्विच ऑफ किए बगैर पावर पैक को न बदला जाए। इस प्रकरण में मॉकपोल कराने की आवश्यकता नहीं है।

d. यदि किसी प्रकरण में नियंत्रण इकाई (CU) की प्रदर्शन पट्टी पर वीवीपैट त्रुटि (VVPAT Error) 2.1–2.14 प्रदर्शित हो रहा हो और पीठासीन अधिकारी ने मतपत्र इकाई (BU) को सक्षम करने वाला बटन नहीं दबाया हो तो नियंत्रण इकाई (CU) को स्विच बंद कर वर्तमान वीवीपैट को नवीन वीवीपैट से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। यह सुनिश्चित कर लें किसी भी स्थिति में नियंत्रण इकाई (CU) का स्विच बंद करे बिना वीवीपैट प्रतिस्थापित न किया जाए। इस प्रकरण/स्थिति में मॉकपोल कराने की आवश्यकता नहीं है।

e. यदि मुद्रित पेपर स्लिप अलग न हुआ हो और पेपर रोल से बाहर झूल रहा हो VVPAT बदल दें, परंतु इसे ड्रॉप बॉक्स में गिरने न दें। इसे झूलते रहने दें ताकि बैलेट स्लिप की गणना के समय इसकी गिनती न की जा सके। इस प्रकार की घटना का ब्यौरा निश्चित तौर पर पीठासीन की डायरी में निम्नांकित फॉर्मेट में दर्ज किया जाना चाहिए–

   i. घटना की तारीख व समय
   ii. VVPAT को बदलने के बाद अपना वोट डालने वाले मतदाता का नाम तथा मतदाता सूची में उसकी भाग संख्या एवं सरल क्रमांक
   iii. VVPATको बदलने के बाद मतदाता ने वोट दिया अथवा बिना वोट दिए ही चला गया।
   iv. घटना के पूर्व दिए गए वोटों की संख्या

f. यदि मतदाता यह आरोप लगाता है कि प्रिंटर द्वारा उत्पन्न स्लिप में छपा हुआ अभ्यर्थी का नाम/चिन्ह उसके द्वारा जिसके लिए वोट दिया है से भिन्न है:–निर्वाचन संचालन नियम (संशोधित) 2013 के नियम 49MAमें विहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायें–

   (i) शिकायतकर्ता से उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगा हुआ घोषणा पत्र में घोषणा प्राप्त करें।
   (ii) उसी क्षण मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में शिकायतकर्ता के साथ वोटिंग कम्पार्टमेंट की ओर बढ़ें।
   (iii) मतदाता से किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में एक परीक्षण वोट डालने और फॉर्म 17A(रजिस्टर) में उस मतदाता से संबंधित दूसरी प्रविष्टि करने के लिए कहा जाएगा।
   (iv) ध्यान से देखें कि प्रिंटर ने पेपर पर्ची को सही ढंग से मुद्रित किया है अथवा नहीं
   (v) यदि मतदाता की शिकायत वास्तविक पाई जाती है, तो पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर को तत्काल तथ्यों की रिपोर्ट करेगा तथा मतदान केन्द्र में आगे मतदान रोक देगा।
   (vi) यदि मतदात की शिकायत झूठी पाई जाती है, तो फॉर्म 17A में अभ्यर्थी का नाम व क्रम संख्या, जिसके लिए परीक्षण वोट दिया गया है, का उल्लेख करते हुए मतदाता से संबंधित दूसरी प्रविष्टि के सभी उस प्रभाव पर टिप्पणी करें तथा इस टिप्पणी के सामने हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त करें। फॉर्म 17–Cके भाग 1 के मद 5 में ऐसे परीक्षण वोट के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां करें।

अनुलग्नक – 22

(अध्याय – 7, पैरा 7.6)

प्रारूप M-21 मतदान के पश्चात दस्तावेज एवं सामग्रियों की सुपुर्दगी की रसीद (दों प्रतियों में तैयार करें)

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ..... विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक ..... मतदान केन्द्र क्रमांक .... के पीठासीन अधिकारी के द्वारा उपयोग पश्चात् सौंपे गये मतदान मशीन/मशीनों, मुहरबंद लिफाफे तथा अन्य सामग्रियों को दिखाने वाली विशिष्टियों का ब्यौरा ।

A. इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन / मशीनें

(i) मुहरबंद इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन / मशीनें

(ए)	मुहरबंद नियंत्रण इकाई की संख्या :	संख्या / संख्याएँ
(बी)	मुहरबंद मतदान इकाई की संख्या :	संख्या / संख्याएँ
(सी)	मुहरबंद वीवीपैट की संख्या :	संख्या / संख्याएँ
(ii)	अप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन / मशीनें :	संख्या / संख्याएँ
(ए)	अप्रयुक्त नियंत्रण इकाई की संख्या :	संख्या / संख्याएँ
(बी)	अप्रयुक्त मतपत्र इकाई की संख्या :	संख्या / संख्याएँ
(सी)	अप्रयुक्त वीवीपैट की संख्या :	संख्या / संख्याएँ

B. पैकेट :

I. प्रथम पैकेट : ई.वी.एम. कागजात

(i) दर्ज मतों का लेखा पत्रक (प्रारूप–17 सी) युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा

(ii) पीठासीन अधिकारी प्रतिवेदन भाग–I (मॉक पोल प्रमाण पत्र), II, एवं III युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा

(iii) मॉकपोल से संबंधित मुद्रित वीवीपैट कागज की पर्चीयुक्त काले रंग का मुंहरबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए

एक साथ दोनों चुनाव होने की स्थिति में विधानसभा निर्वाचन संबंधी मत डले हुए ई.वी.एम. कागजात पहला युक्त पृथक गुलाबी रंग का प्रथम पैकेट।

II. द्वितीय पैकेट :– संवीक्षा लिफाफा

(i) पीठासीन डायरी युक्त बिना मुंहरबंद लिफाफा

(ii) मतदाताओं का रजिस्टर (17–ए) युक्त मुहरबंद लिफाफा

(iii) विजिट शीट युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा

(iv) प्रारूप 14–Aमें अंधे और निःशक्त निर्वाचकों की सूची एवं सहयोगी की घोषणा युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा

III. तृतीय पैकेट :– सांविधिक लिफाफा

(i) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति एवं वर्गीकृत सेवारत मतदाता की सूची यदि कोई है, युक्त मुहरबंद लिफाफा

(ii) मतदाता पर्चियों का मुहरबंद लिफाफा

(iii) अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों का मुहरबंद लिफाफा;

(iv) प्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों और प्रारूप 17–B में सुची युक्त मुहरबंद लिफाफा

(v) प्रारूप 14 में अभ्याक्षेपित मतों की सूची युक्त मुहरबंद लिफाफा

एक साथ दोनों चुनाव आयोजित होने की स्थिति में विधानसभा मतदान के लिए गुलाबी मतदाता पर्चियों युक्त गुलाबी लिफाफा

IV. चतुर्थ पैकेट : असांविधिक लिफाफे

(i) निर्वाचक नामावली की प्रति या प्रतियॉ (चिन्हित प्रति से भिन्न) युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा

(ii) प्ररूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र की प्रतियॉ एवं उनका लेखा पत्रक युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा

(iii) प्ररूप 12 B में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा

(iv) पीठासीन अधिकारी की घोषणा युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा

(v) अभ्याक्षेपित मतों के संबंध में प्राप्ति रसीद एवं नकद राशि, यदि कोई हो से युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा

(vi) (i) अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त कागज की मुहरें (ii) अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशिष्ट टैग युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा

(vii) अप्रयुक्त मतदाता पर्ची युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा

(viii) निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा पत्रक एवं आयु के संबंध में घोषणा पत्रक प्रस्तत न करने वालों की सुची युक्त लिफाफा

(ix) नियम 49 MA(टेस्ट वोट) के तहत् निर्वाचक द्वारा घोषणा पत्रक

(x) अनुपस्थित, स्थानांरित मृत मतदाताओं की सूची में नामित निर्वाचकों का घोषणा पत्रक

(xi) पुलिस थाना प्रभारी को प्रेषित शिकायती पत्र

दोनों चुनाव एक साथ आयोजित होने की स्थिति में, पीठासीन अधिकारी की घोषणा युक्त गुलाबी रंग का लिफाफा को इस चौथे पैकेट में रखा जाए

V. पंचम पैकेट :– पुस्तक, निर्देश एवं अन्य कागजात

(i) पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका

(ii) इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन एवं वीवीपैट की निर्देशिका

(ए) ईवीएम एवं वीवीपैट पर मतदान कैसे करें, का पोस्टर

(बी) ईवीएम एवं वीवीपैट के प्रयोग संबंधी पीठासीन अधिकारी के लिए विवरणिका

(सी) ईवीएम एवं वीवीपैट के उपयोग में समस्या निवारण

(iii) निम्नलिखित सामग्री मुहरबंद लिफाफे में

(ए) अमित स्याही की शीशियों का सेट जिस पर ढक्कन लगा हुआ हो। रिसाव एवं वाष्पीकरण को रोकने के लिए उचित एवं प्रभावी ढंग से प्रत्येक शीशी पर पिघली हुई मोम या चपड़ी लगी हो।

(बी) स्वस्याही युक्त प्रयुक्त स्टाम्प पैड

VI. षष्टम पैकेट :– अन्य सामग्री युक्त

(i) प्रारूप 7Aमें चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

(ii) अभ्यर्थियों के नमूना हस्ताक्षर की छायाप्रति

(iii) अन्य अप्रयुक्त प्ररूप

(iv) पीठासीन अधिकारी की धातु मुहर

(v) निविदत्त मतपत्र पर निशान लगाने के लिए तीर के निशान वाली रबर की मुहर

(vi) अमिट स्याही रखने के लिए कप

(vii) दो स्टेशनरी कंटेनर जिसमें प्रयुक्त एवं शेष स्टेशनरी सामग्री

(सी) मतदान कोष्ठ : संख्या

(डी) मतदान अधिकारियों के यात्रा भत्ता पत्रक यदि कोई हो : संख्या

सुपुर्दकर्ता
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
मतदान केन्द्र क्रमांक :

प्राप्तकर्ता
प्राप्तकर्ता अधिकारी का नाम
हस्ताक्षर

अनुलग्नक–23

(अध्याय–2, पैरा 2.3.VI)

वोटिंग कम्पार्टमेंट – मतपत्र इकाइयों का आयाम और कैस्केडिंग

तीन तरफ–वेब कैमरे के सामने

Name of State/UT:

AC/PC Name:

AC/PC Number:

Date of Poll:

Polling Station Name:

Name of State/UT:

AC/PC Name:

AC/PC Number:

Date of Poll:

Polling Station Name:

ON REMAINING TWO SIDES OF THE VOTING COMPARTMENT

भारत निर्वाचन आयोग

वोटिंग कम्पार्टमेंट

ELECTION COMMISSION OF INDIA

VOTING COMPARTMENT

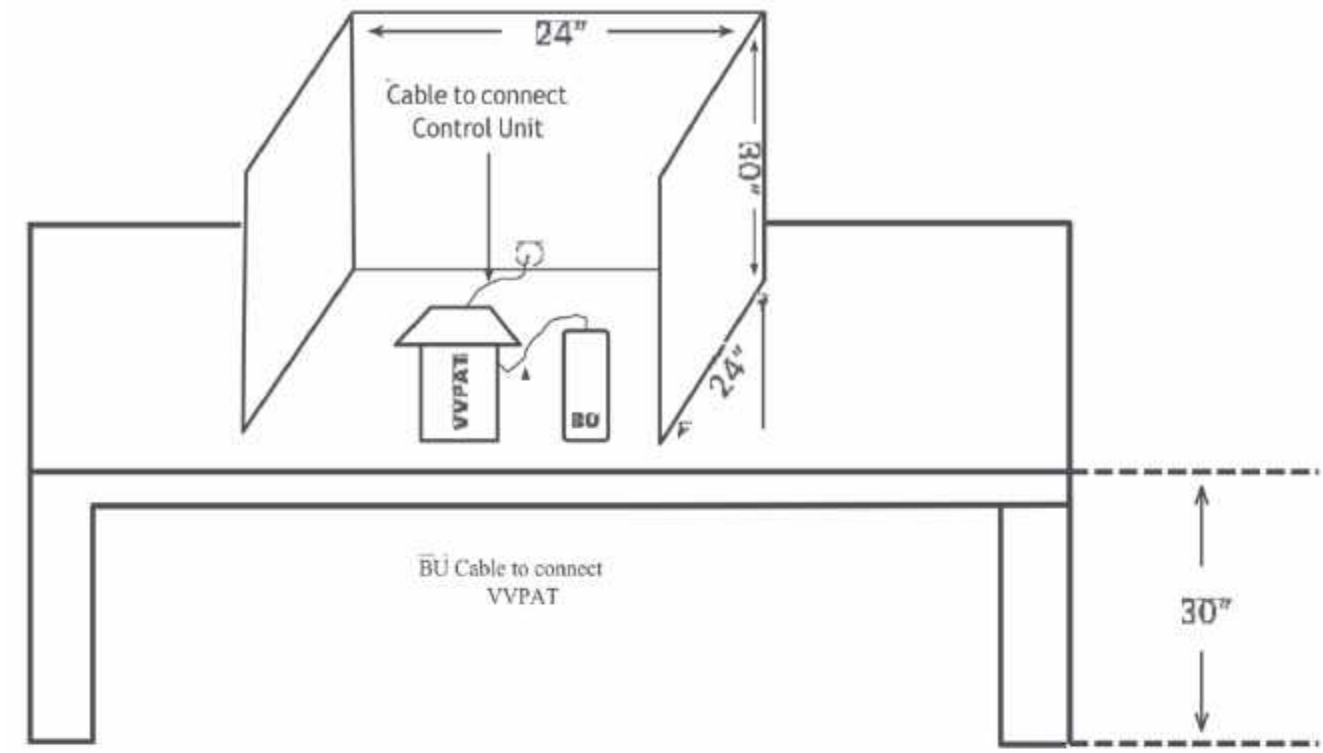

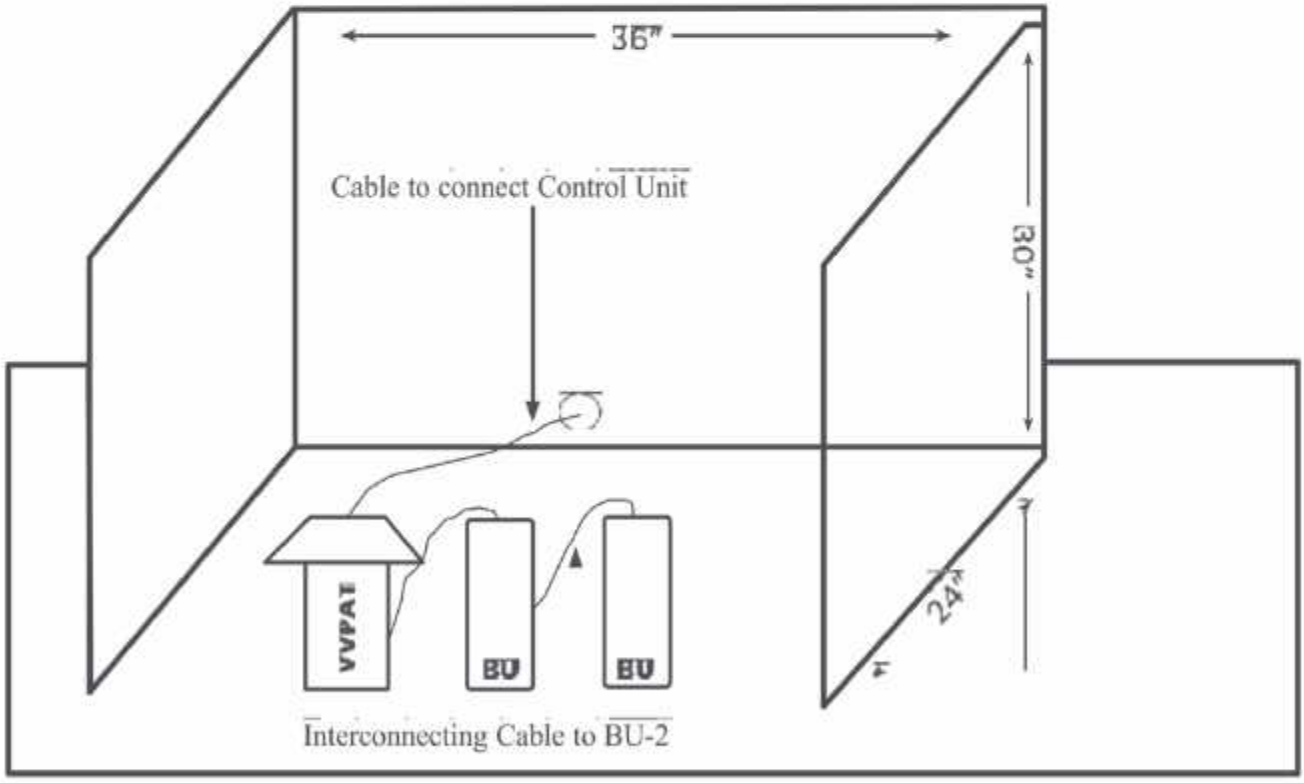

CASCADING OF TWO BALLOT UNITS

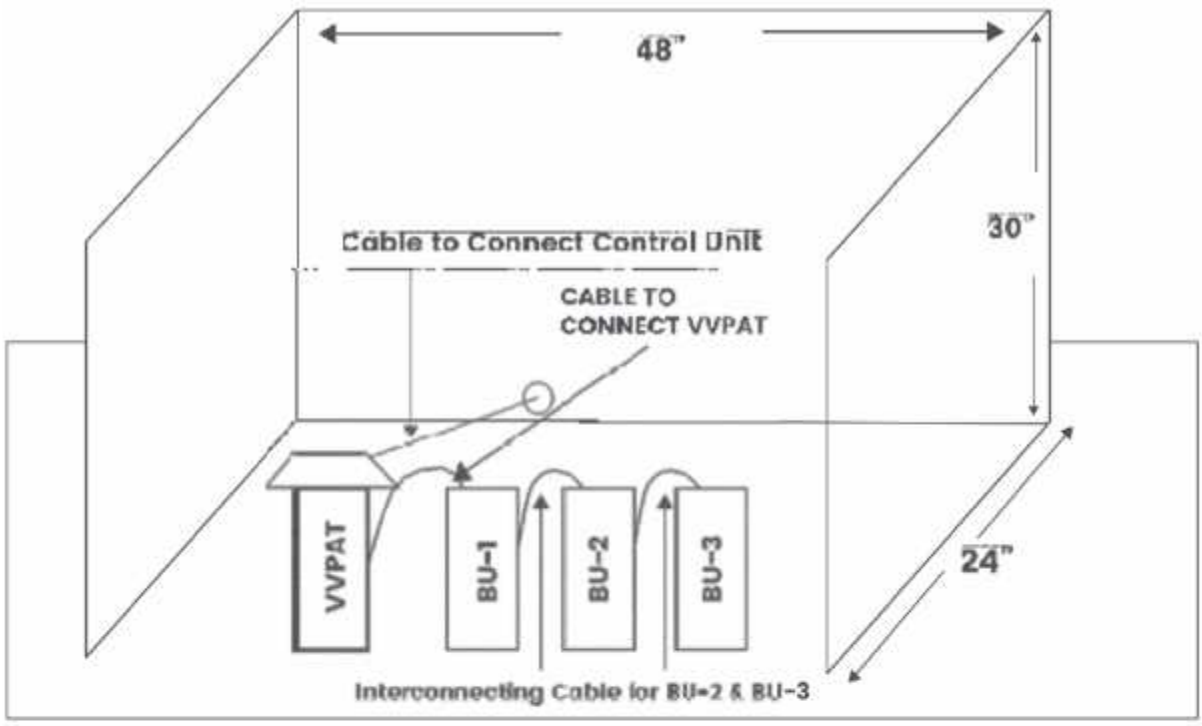

CASCADING OF THREE BALLOT UNITS

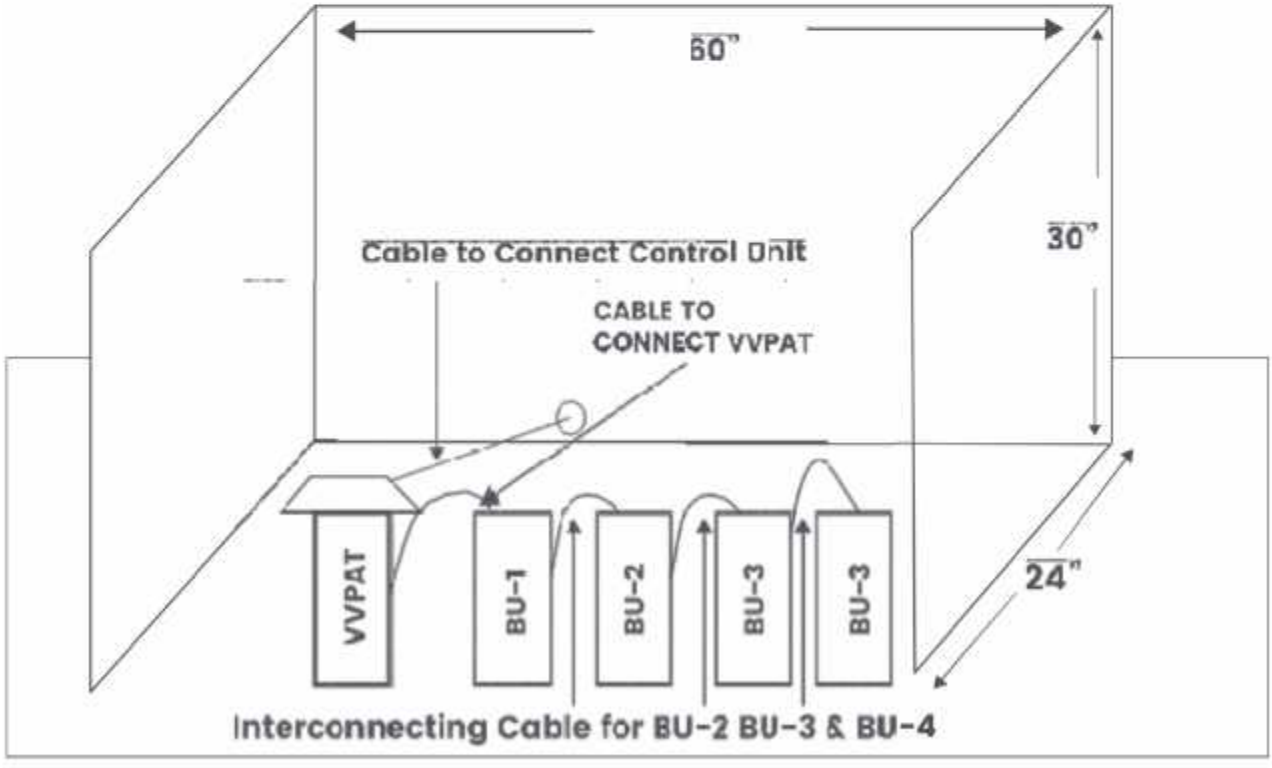

CASCADING OF FOUR BALLOT UNITS